पंचम माला, खंड 17, अंक 1-10 सोमवार, 31 जुलाई, 1972/9 श्रावण, 1894 (शक)
Fifth Series, Vol. XVII, No. 1-10 Monday, July 31, 1972/Sravana 9, 1894 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[पाँचवां सत्र / Fifth Session]

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
0/15.2.84
Parliament Library

[खंड 17 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XVII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 1, सोमवार, 31 जुलाई, 1972/9 श्रावण, 1894 (शक)

No. 1, Monday, July 31, 1972/Sravana 9, 1894 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	Alphabetical List of Members	XIX—XXVII
सभा के पदाधिकारी	Officers of the House	XXVII
भारत सरकार के मंत्री, राज्य मंत्री आदि	Govt. of India—Ministers, Ministers of State, etc.	XXVII—XXIX
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	Members Sworn	1
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary References	1—9
नये मंत्रियों का परिचय	Introduction of New Ministers	9

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1.	डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली के सैक्टर "डी" में पीने के पानी की सप्लाई	Supply of Drinking water in Sector 'D' of DIZ Area, New Delhi ..	9—10
2.	गुजरात में गरीब लोगों के लिए मकान	Houses for Economically weaker section in Gujarat ..	10—12
3.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा दाल आदि खरीदने की प्रणाली	System of Purchase of Pulses etc. by Food Corporation of India ..	12—15

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
4.	हदिल्या में जहाज बनाने का कारखाना स्थापित करने के संबंध में प्रतिवेदन	Report regarding Ship Building Yard at Haldia ..	15

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
5. भूमि की अधिकतम सीमा लगाये जाने से पूर्व भूमि की बड़े पैमाने पर बिक्री और हस्तान्तरण	Large scale sale and transfer of land before imposition of ceiling ..	15—16
6. चीनी का वसूली मूल्य तथा गन्ने के मूल्य में वृद्धि करने के लिए कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश	Levy price of sugar and Recommendation of Agricultural Prices Commission for Increase in Sugarcane Price ..	16
7. खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए नियुक्त की गई समिति का प्रतिवेदन	Report of the Committee to Study Effects of Oral Contraceptive Pill ..	17
8. राज्यों में भूमि बैंकों की स्थापना	Setting up of Land Banks in States	17
9. जवाहर लाल नेहरू के नाम पर युवक केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Youth Centres named after Jawaharlal Nehru ..	18
10. बोवी, वोद्दार, लम्बाड़ी, कोराचा जनजातियों को अनुसूचित जन-जातियों की सूची में शामिल करना	Inclusion of Bovis, Voddars, Lambaris, Korachas in List of Scheduled Tribes ..	18
11. दिल्ली विश्वविद्यालय के ढांचे में परिवर्तन के प्रति दिल्ली विश्व-विद्यालय अध्यापक संघ का विरोध	Delhi University Teachers Association Opposition to changes in Set up of Delhi University ..	19
12. सरसों के तेल के मूल्य में वृद्धि	Increase in Cost of Mustard Oil	19
13. सभी तटीय माल भाड़े की दरों में वृद्धि	Increase in Freight rates on All Coastal Cargoes ..	19—20
14. कार दुर्घटना के शिकार हुये व्यक्तियों के साथ दिल्ली के अस्पतालों में डाक्टरों का व्यवहार	Behaviour of Doctors in Delhi Hospitals with Victims of Car Accident ..	20—21
15. छोटे कृषिकों से संबंधित विकास योजना की प्रगति की गति बढ़ाने के लिए उपाय	Steps to Accclerate Progress of Small Farmers Development Scheme ..	21—22
16. कृषि के क्षेत्र में भारत मिश्र सहयोग पर वार्ता	Talks on Indo-Egypt Cooperation in Agriculture ..	22
17. दिल्ली दुग्ध योजना की डेरी में घी का उत्पदान और उसका परीक्षण	Manufacture of Ghee at DMS Dairy and its testing ..	22
18. भीषण गर्मी से और लू लग जाने के कारण हुई मौतें	Death due to Heat wave and Sun Stroke ..	22—23

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

19. 30 एकड़ से अधिक भूमि तथा 5 एकड़ या इससे कम सिंचित भूमि के स्वामित्व वाले किसानों के राज्य पृथक-पृथक आंकड़े	Breakup of Farmers owning more than 30 acres of Land and 5 acres and less of Irrigated land, State-wise ..	23—24
20. भारत तथा बंगाल देश के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवा	Inland Water Transport Service between India and Bangladesh ..	24

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

2. वर्ष 1971-72 के दौरान राज्य में बहु फसलों के लिए प्रयोगिक परियोजनायें	Pilot Projects for Multiple Cropping in States during 1971-72 ..	25
3. श्वेत कुष्ठ का इलाज	Cure for Leucoderma	25
4. योजनाओं में भाण्डागारों को प्राथमिकता	Priority for Warehousing in the Plans	25—26
5. विट्ठलभाई पटेल हाउस, नई दिल्ली, के निवासियों से जल तथा विद्युत शुल्क की वसूली	Collection of Water and Electricity charges from Residents of Vithalbhai Patel House, New Delhi ..	26
6. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की फील्ड यूनिटों में कर्मचारियों को स्थायी बनाना	Confirmation of Employees in Field Units of NCERT ..	26—27
7. माडल स्कूलों का खोला जाना	Opening of Model School	27
8. वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 में सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना	Declaration of Roads as National Highways for the years 1972-73 and 1973-74..	28
9. परिवार नियोजन के बारे में जनगणना प्रतिवेदन	Census Report on Family Planning	28—29
10. दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम तथा द्वितीय वर्ष की परीक्षा का हटाया जाना	Elimination of Examination in First and Second year by Delhi University	30
11. मद्य निषेध को समाप्त करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से सूचना	Intimation from Maharashtra Government to Scrap Prohibition ..	30
12. दिल्ली विश्वविद्यालय में सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों की वरिष्ठता	Seniority of Teachers of Constituent Colleges in Delhi University ..	30—31

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
13. दिल्ली विश्वविद्यालय की पोस्ट ग्रेजुएट इवनिंग इंस्टीच्यूट में एम० ए० । एम० एस० सी० में आपरेशनल रिसर्च विषय का लागू करना	Introduction of Subject of Operational Research in M. A./M. Sc. in Post-graduate Evening Institute of Delhi University ..	31
14. दिल्ली विश्वविद्यालय की पोस्ट ग्रेज्युएट इवनिंग इंस्टीच्यूट में गणित में रीडरों की नियुक्त	Appointment of Readers in Mathematics in Post Graduate Evening Institute of Delhi University ..	32
15. दिल्ली परिवहन निगम में कन्डक्टरों के रूप में नियुक्त स्नातक तथा उनकी डाक्टरी जांच	Graduates employed as Conductors in DTC and their Medical Examination ..	32—33
16. यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालो से पत्र द्वारा जुर्माना मांगने की योजना	Scheme of sending requisition of Fines through Letters to Traffic offenders ..	33—34
17. वारंगल, आंध्र प्रदेश में जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकीय विश्व-विद्यालय की स्थापना	Setting up of Jawaharlal Nehru Technological University at Warrangal, Andhra Pradesh ..	34
18. मलेरिया उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता	World Health Organisation's Assistance for eradication of Malaria ..	34—35
19. भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में भारत साधु समाज का अभ्यावेदन	Representation of Bharat Sadhu Samaj on Ceiling on Land ..	35
20. मध्य प्रदेश में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा	Imparting Compulsory Primary Education in Madhya Pradesh ..	35—36
21. कृषि मंत्रालय में अधिकारी संघ	Officers' Association under Ministry of Agriculture ..	36
22. द्रुतगामी कार्यक्रम के अधीन आसाम में रोजगारों की व्यवस्था तथा उसके अन्तर्गत राशि का आवंटन	Employment created in Assam under Crash Programme and Allocation therefor ..	36—37
23. द्रुतगामी कार्यक्रम के अधीन ग्रामीणों को दिये गए रोजगार तथा उसके अन्तर्गत राशि का आवंटन	Employment provided under Crash Programme for Rural Employment and Allocation therefor ..	37
24. डी० आई० जेड० एरिया, नयी दिल्ली में पानी के व्यय की समान दर	Water Charges at flat rate in DIZ Area, New Delhi ..	38

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
25. सेक्टर 'डी' डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली के बहु मंजिले क्वाटरों का अलाटमेंट	Allotment of Multi Storeyed Quarters in Sector 'D' of DIZ Area, New Delhi	38—39
26. सेक्टर 'डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली के क्वाटरों में त्रुटियां	Defects in Quarters in Sector 'D' of DIZ Area, New Delhi	39
27. दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम	Delhi Rent Control Act	39
28. गुजरात राज्य में बन्दरगाहों का विकास	Development of Ports in Gujarat State	40
29. निरोध का वितरण और वाणिज्यिक बिक्री	Distribution and Commercial Marketing of Nirodh ..	40—41
30. राष्ट्रीय नेताओं के स्मारक	Memorials of National Leaders	41
31. देश में मलेरिया की वृद्धि	Malaria on the Increase in the country	42
32. चीनी सम्बन्धी नीति की घोषणा	Announcement of Sugar Policy	43
33. सागर विश्वविद्यालय में डा० माखनलाल चतुर्वेदी पीठ	Dr. Makhanlal Chaturvedi Chair in Saugar University	43
34. हिन्दुस्तान लेटेक्स कर्मचारी संघ से अभ्यावेदन	Representation from the Hindustan Latex Employees Union	43—44
35. भारतीय खाद्य निगम दुराचारों के बारे में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी संघ का आरोप और निगम के अध्यक्ष को पदच्युत की मांग करने वाला ज्ञापन	Memorandum from FCI Employees Association alleging Malpractices in FCI and demanding removal of its chairman	44
36. उर्वरकों की दीर्घकालिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन	Assessment of Longterm requirements of Fertilizers ..	44
37. आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं का निर्धारण	Assessment of Housing requirements	44—45
38. केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के ढाँचे में परिवर्तन	Remodelling the Structure of Central Universities ..	45
39. कलकत्ता पत्तन का विकास	Development of Calcutta Port	45—46
40. राष्ट्रीय बीज निगम को घाटा	Loss incurred by National Seeds Corporation	46
41. समूह गृहनिर्माण योजना के अन्तर्गत दिल्ली में पंजीकृत गृह निर्माण समितियां	House Building Socieities registered in Delhi under Group Housing Scheme ..	46—47

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
42. ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों के लिए मकानों की वास्तविक आवश्यकता	Actual requirements of houses for landless workers in Rural Areas ..	47
43. राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों की रचना	Production of University Level Books in States in Regional Languages ..	47—48
44. राष्ट्रीय पूंजी क्षेत्र का विकास	Development of National Capital Region ..	48
45. राष्ट्रीय स्वस्थता 'दल के कर्मचारियों के वेतन मानों का पुनरीक्षण और उनकी सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में मध्यस्थों के पंचाट की क्रियान्विति	Implementation of Arbirators award on service conditions and revision of Pay Scales of Employees of NF Corps ..	48—49
46. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् का गठन करने के लिए विधान	Legislation to set up National Road Safety Council ..	49
47. परिवार नियोजन के लिए विश्व बैंक की सहायता	World Bank Aid for Family Planning	50
48. नई दिल्ली में पानी की अपर्याप्त और अनिश्चित सप्लाई	Inadequate and Uncertain Water Supply in New Delhi ..	50
49. भारतीय खाद्य निगम को पटसन के बोरों के आवंटन में कमी	Reduction in Jute Bag Allotment to FCI..	50—51
50. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कार्यकरण की जांच करने के लिए समिति नियुक्त करना	Inquiry Committee on the Working of Indian Council of Agricultural Research ..	51
51. हरित क्रांति के प्रभाव का अध्ययन	Study of Impact of Green Revolution	51
52. भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों की सप्लाई के बारे में पूर्वी क्षेत्र के राज्यों से शिकायतें	Complaints from States in Easterm Region regarding Supply of Foodgrains from FCI godown ..	52
53. अकाल की स्थिति का सामना करने के लिये उड़ीसा को सहायता	Assistance to Orissa to meet Famine Situation ..	52
54. चौथी योजना में बारानी खेती विकास योजना की प्रगति में तेजी लाने के लिए कार्यवाही	Steps to Asselerate Progress of Dry Farming Development Scheme during IV Plan ..	53—54
55. सीमान्त किसान और खेतिहर श्रमिक परियोजनाओं की क्रियान्विति में प्रगति	Progress in Implementation of Marginal Farmers and Agricultural Labour Projects.	54

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

56. विशाखापत्तनम में बाह्य पत्तन के निर्माण में प्रगति	Progress in Construction of Outer Harbour in Visakhapatnam	55
57. भारत में मलेरिया की वृद्धि	Malaria on the Rise in India	55—56
58. उच्च शिक्षा के बारे में भारत बंगला देश आयोग की स्थापना	Setting up of Indo Bangla Desh Commissions Higher Education	56
59. नई दिल्ली स्थित आर० के० पुरम में क्वाटंरों को आगे किराये पर दिया जाना	Sub-letting of Quarters in R. K. Puram New Delhi	57
60. दिल्ली दुग्ध योजना के पूरे दिन खुले रहने वाले दुग्ध स्टालों में कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का बकाया राशि का भुगतान	Payment of Arrears of Overtime Allowance to Staff of All Day Milk Stalls of DMS ..	57
61. संसद भवन के जलपान गृहों को पूरी मात्रा में दूध की सप्लाई	Full Supply of Milk to Catering Establishments of Parliament House	57—58
62. पश्चिम बंगाल के सूखाग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र	Drought in Rural Areas in West Bengal	59—60
63. कलकत्ता पत्तन के लिए माल	Cargo for Calcutta Port	60—61
64. राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून	Legislation on Land Ceiling in State	61—62
65. देश में क्षेय रोग का उन्मूलन	Eradication of T. B. in the Country	62—63
66 बाघों की संख्या	Tiger Population	63—64
67. पश्चिम बंगाल में बच्चों को होने वाला रहस्यमयरोग	Mystery Disease affecting Children in West Bengal ..	64
68. दिल्ली विश्वविद्यालय में दंगा फसाद	Disturbances in Delhi University	64—65
69. कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्यकरण	Working of National Library, Calcutta	65
70. तमिलनाडु में औद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना	University of Technology in Tamil Nadu ..	65—66
71. दिल्ली में नई पंजीकृत ग्रुप हाउसिंग सहकारी समितियों को विकसित भूमि का आवंटन	Allotment of Developed Land to the Newly Registered Group Housing Co-operative Socieities in Delhi ..	66

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
72. घुमन्तू लोगों के पुनर्वास के लिए उपाय	Steps to Rehabilitate Nomadic People	67—68
73. महाराष्ट्र के गांवों में हरिजनों का समाज से बहिष्करण	Social Boycott of Harijans in Villages of Maharastra ..	68—
74. वर्ष 1972 की गर्मियों के दौरान दिल्ली में पानी की कमी	Water Scarcity in Delhi during Summer (1972) ..	
75. अमरीका से आयात पर निर्भर रहने से मलेरिया रोग में वृद्धि	Dependence on US Import cause of Increase of Malaria Cases ..	70
76. खुलेबाजार में चीनी के मूल्य में वृद्धि	Rise in price of Sugar in Open Market	71
77. कानपुर में औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बनाए गए मकानों पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का कब्जा	Occupation of Houses Constructed under Industrial Housing Scheme at Kanpur by Central Government Employees ..	71—72
78. दिल्ली में अस्पतालों के कर्मचारियों के लिये क्वाटरों का निर्माण	Construction of Quarters for the Hospital, Employees of Delhi ..	72
79. चावल और गेहूं के मूल्य में वृद्धि	Rise in price of Rice and Wheat	72—73
80. प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान	Pay Scales of Primary and Higher Secondary Teachers ..	73
81. शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा संबंधी अध्ययन दल की सिफारिश	Recommendation of Study Group on Urban Property Ceiling ..	73—74
82. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में कुत्ते का एक्सरे	X-Ray of Dog in Safdarjang Hospital New Delhi ..	74—75
83. केरल में सूखा	Drought in Kerala	75
84. पश्चिम बंगाल में कालेजों के विकास पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा खर्च की गई राशि	Amount spent by UGC on Development of Colleges in West Bengal ..	76
85. दिल्ली विश्वविद्यालय के गिरते हुए अध्यापन स्तर के बारे में जांच	Investigation into Deterioriating Teaching Standards of Delhi University ..	76
86. मध्य प्रदेश में जनजातियों के कल्याण हेतु योजनायें	Schemes for Welfare of Tribals in Madhya Pradesh ..	77—78

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

87. गैर-सरकारी चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की सिफारिश — Recommendation of Andhra Pradesh Government for Nationalisation of Private Sugar Factories .. 73

88. राज्य फार्म निगम द्वारा बिहार, आंध्र प्रदेश आदि में फार्म स्थापित किया जाना — Establishment of Farms in Bihar and Andhra Pradesh etc. by State Farms Corporation 78—79

89. गाय और भैंसों का प्रजनन — Breeding of Cows and Buffaloes 79

90. दिल्ली में कालेजों की संख्या बढ़ाने की मांग — Demand for Increasing the Number of Colleges in Delhi .. 79—80

91. मध्य प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए केन्द्रीय योजना में नियत की गई राशि — Amount Earmarked for Elementary Education in Madhya Pradesh out of Central Plan .. 80

92. कनाट प्लेस, नई दिल्ली में यातायात अध्ययन संबंधी प्रतिवेदन — Report on the Traffic Study in Connaught Place, New Delhi .. 80—81

93. केन्द्रीय सड़क कार्यक्रम और मध्य प्रदेश में नई सड़कें बनाने का कार्यक्रम — Central Road Programmes and programmes for New Roads in Madhya Pradesh .. 81

94. मध्य प्रदेश में प्रायोगिक आदिवासी विकास परियोजना — Pilot Tribal Development Project in Madhya Pradesh .. 81—82

95. उत्तर प्रदेश में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना — Opening of New Universities in Uttar Pradesh .. 82—83

96. उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास — Development of Backward Areas in Uttar Pradesh .. 83

97. हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री, नई दिल्ली का विस्तार — Expansion of Hindustan Housing Factory, New Delhi .. 83—84

98. आई० आई० टी० बिल्डिंग, नई दिल्ली में लिफ्ट लगाने के लिए बनाए गए गढ़े — Lift Pits constructed in I. I. T. Building, New Delhi .. 84—85

99. भारतीय नौवहन निगम द्वारा चालित महत्वपूर्ण नौवहन मार्गों पर यातायात में कमी — Fall in Traffic in Important Shipping Liner Routes operated by Shipping Corporation .. 85

100. ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही — Steps for Implementation of Crash Programme for Rural Employment .. 85—86

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
101. सागर विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमान	Pay Scales of Teachers of Saugar University ..	86—87
102. भूतपूर्व संसद् सदस्यों तथा भूतपूर्व मंत्रियों की ओर किराया की बकाया राशि	Arrears of Rent due from Ex-MPs and Ex-Ministers ..	87
103. देश के पूर्वी भाग में दालों के मूल्यों में असाधारण वृद्धि	Abnormal rise in price of Pulses in Eastern Part of country	88
104. पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार की ओर से राज सहायता दर पर चावल, गेहूं तथा अन्य अन्न की मांग	Demand for Rice, Wheat and other cereals from West Bengal, Orissa and Bihar at Subsidized rate ..	88
105. राष्ट्रीय राजपथों से जुड़े हुए व्यापारिक केन्द्र तथा राज्यों की राजधानियाँ	Commercial Centres and State Capitals connected through National Highways ..	89
106. पश्चिम बंगाल को भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई की गई चावल साफ करने की अनुपयोगी मशीनों का बदलने का अनुरोध	Request for Replacement of Unsuitable Rice cleaning Machine supplied by FCI to West Bengal ..	89
107. महाराष्ट्र में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की कमी	Shortage of Nitrogenous Fertiliser in Maharashtra ..	89—90
108. सड़क परिवहन को अधिकार में लेने की जांच करने के लिए पैनल की स्थापना	Panel set up to look into Road Transport take over ..	90—91
109. व्यापक शिक्षा योजना की क्रियान्विति	Implementation of Intensive Education Scheme ..	91
110. संयुक्त राष्ट्र परिवार नियोजन निधि के अन्तर्गत अस्पतालों में प्रसूती वार्डों का विस्तार	Expansion of Maternity Ward in Hospital under UN Family Planning Funds ..	91—92
111 पारादीप पत्तन की माल चढ़ाने उतारने की क्षमता	Cargo handling Capacity of Paradip Port ..	92
112. भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों से वसूली मूल्य में आकस्मिक व्यय का सम्मिलित किया जाना	Inclusion of Incidental Expenses in procurement Price of Foodgrains by FCI ..	92—93

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
114. मध्य प्रदेश के लिए आवास स्थल योजना	Housing Accommodation scheme for Madhya Pradesh ..	93—94
115. क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भोपाल से वैज्ञानिक उपकरणों की चोरी	Scientific Equipment missing from the Regional College of Education, Bhopal ..	94—95
116. भारतीय खाद्य निगम, कानपुर के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by workers of FCI, Kanpur ..	95
117. परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए मोटर गाड़ियों की खरीद	Purchase of Vehicles for Family Planning Programme ..	95—96
118. खाद्य पदार्थ और चटनियों में कोलतार से बने रंग का प्रयोग	Use of Coal Tar Colour in Foods and Sauces ..	97
119. समस्याग्रस्त ग्रामों में ग्रामीण जल सप्लाई योजनायें	Rural Water Supply Scheme in Problem Villages ..	97—98
120. राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिवों का सम्मेलन	Conference of State Health Secretaries	98—99
121. परीक्षा प्रणाली में सुधार	Reform in Examination System	99
122. हल्दिया में जहाज निर्माण कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up a Ship Building Yard at Haldia ..	100
123. मजगांव डाक, बम्बई में मरम्मत किये जा रहे टारसोस तेल टैंकर में विस्फोट	Explosion in Oil Tanker Tarsos undergoing repair at Mazagon Docks, Bombay ..	100
124. चीनी का उत्पादन और उसका मूल्य	Production and Price of Sugar	100—101
125. कलकत्ता में एक नये डेरी फार्म की योजना	Scheme for a new Dairy farm in Calcutta..	101
126. भागलपुर में गंगा पर पुल बनाने के लिए सर्वेक्षण करने हेतु बिहार को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Bihar for Survey for a Bridge over Ganga at Bhagalpur ..	101—102
127. वर्ष 1972-73 में बिहार के लिए उर्वरकों की माँग	Demand for Fertilizer for Bihar during 1972-73 ..	102
128. वर्ष 1971-72 में बिहार को उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Fertilizer to Bihar during 1971-72 ..	102—103
129. भारत-जर्मन कृषि विकास कार्यक्रम का बिहार में कार्यान्वयन	Implementation of Indo-Germans Agricultural Development Programme in Bihar ..	103—104

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

130. चण्डीगढ़ में भारत जर्मन पुस्तक मुद्रणालय	Indo-German Book Printing Press in Chandigarh ..	105
131. नई दिल्ली में एशिया हाउस का निर्माण	Construction of Asia House in New Delhi ..	105
132. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा मल खाद की ढुलाई के लिए आयातित बहुत बढ़िया मोटर गाड़ी का प्रयोग	Use of Imported Limousine by ICAR for Carting Sewage Manure ..	105
133. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के उच्च प्रशासनिक स्तरों पर परिवर्तन	Changes at Higher Administrative Levels of Indian Council of Agricultural Research ..	106
134. विलिंगडन अस्पताल की घटना के बारे में प्रतिवेदन	Report on Willingdon Hospital Incident ..	106
135. दिल्ली में विषाक्त भोजन से हुई मौतें	Deaths due to Poisonous Food in Delhi ..	106
136. पटना में पुल के निर्माण के लिए नियत राशि	Amount Earmarked for Construction of Bridge at Patna ..	107
137. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में हड़ताल	Strike in Safdarjang Hospital, New Delhi ..	107
138. परिवार नियोजन कार्यक्रम से प्राप्त सफलता	Success Achieved by Family Planning Programme ..	107
139. द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षित रोजगार व्यक्तियों को रोजगार देना	Employment of Educated Unemployed under Crash Programme ..	107—108
140. गन्दी बस्तियों में शिशु केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Childrens Centres in Slum Areas ..	108
141. देश में प्रयोग में लाये जाने वाले ट्रैक्टर	Tractors in use in the country	108—109
142. दिल्ली के अस्पतालों के डाक्टरों द्वारा हड़ताल	Doctors' Strike in Delhi Hospitals	110
143. दिल्ली में स्कूली शिक्षा का स्तर	Standard of School Education in Delhi	110
144. अनाज की किस्म में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समान सुधार करने के लिए कार्यवाही	Steps to improve Quality of Foodgrains at par with International Standard ..	111

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

145. अनाज के निर्यात के लिए बातचीत	Negotiations for Export of Foodgrains	112
146. प्रधान मंत्री के लिए निवास स्थान	Residence for the Prime Minister	112
147. राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति	National Cultural Policy	113
149. बड़े पैमाने पर नई किस्मों के अनाज के उगाये जाने के प्रभावों का अध्ययन	Study of Implication of large scale introduction of New Varieties of Foodgrains	113
150. भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से घटिया किस्म के चावल की सप्लाई किये जाने के बारे में पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री का वक्तव्य	Statement of Food Minister of West Bengal Regarding Supply of Substandard Rice from FCI Godown ..	114
151. भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की वसूली और उसको खत्तियों (साइलों) में रखना	Wheat procured by FCI and its Storage in Silos ..	114
152. गेहूं की वसूली	Procurement of Wheat	115
153. गेहूं को लाने ले जाने के लिए माल डिब्बों का उपलब्ध न होना	Non-availability of Wagons for Transportation of Wheat ..	115
154. चीनी पर आंशिक नियंत्रण के कारण चीनी की कीमत में वृद्धि	Increase in price of sugar due to partial control of sugar ..	115—116
155. टीकमगढ़ जिले में घुंघाटाघाट पर जमुना नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण करने के बारे में मध्य प्रदेश का प्रस्ताव	Mrdhya Pradesh Proposal for a bridge over Jamuna River at Ghunghataghat in Tiakmgarh District ..	116
156. कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के अनुरूप गन्ने से निकलने वाली चीनी के आधार पर गन्ने का मूल्य तय करना	Linking of Sugarcane price with Recovery as Recommended by Agricultural prices Commission ..	116
157. मानसून के विलम्ब से आने के कारण बिहार में ग्रीष्म की धान की फसल की हानि	Damage to Summer Paddy Crops in Bihar due to Late Monsoon ..	117
158. सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए उच्च शक्ति प्राप्त आयोग	High Power Commission on Evaluation of CD Programme ..	117
159. दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रतिभा पलायन	Brain Drain from Delhi University	117

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

160. बिहार राज्य से आदिवासी क्षेत्रों के लिये खाद्यान्न के लिए अनुरोध	Request from Bihar State for Food grains for Adivasi Areas	118
161. बिहार में अकालग्रस्त क्षेत्र	Famine-affected Areas in Bihar	118
162. पूर्णिया और सहरसा स्थित कालेजों को मगध विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध करना	Affiliation of Colleges in Purnea and Saharsa to Magadha University ..	118
163. देश में विभिन्न बीमारियों से हुई मौतें	Deaths due to various diseases in the country ..	119
164. बिहार में केन्द्र प्रशासित माडल स्कूलों की स्थापना	Establishment of Centrally administered Model Schools in Bihar ..	119
165. बिहार और पश्चिम बंगाल में कुष्ठ रोग को रोकने के लिए निवारक उपाय	Preventive Measures to check Leprosy in Bihar and West Bengal ..	119—120
166. बिहार में द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्जीनियरों को रोजगार देना	Employment of Engineers under Crash Programme in Bihar ..	120
167. बिहार में छोटे किसानों द्वारा खेती किये जाने वाला क्षेत्र तथा उसके लिए सिंचाई सुविधायें	Area of Land Cultivated by Small Farmers in Bihar and Irrigation Facilities therefor ..	121—122
168. भूमि की नई अधिकतम सीमा निर्धारण के पश्चात् अतिरिक्त भूमि का वितरण	Distribution of Surplus land after New Ceilings on Land ..	122—123
169. भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में राज्यों को केन्द्रीय सरकार के निदेश	Central Directive to States on Ceiling on Land ..	123—124
170. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बेकार मशीनों की खरीद	Purchase of Useless Machinery by D. D. A. ..	124
171. परिवार नियोजन सम्बन्धी जन-गणना रिपोर्ट	Census Report on Family Planning	125
172. दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में कर्मचारियों तथा डाक्टरों के लिए सरकारी क्वार्टरों के आवंटन की व्यवस्था	Provision of Allotment of Government Quarters to Staff and Doctors in Central Government Hosptials in Delhi ..	125—126
173. ग्रामीण जल सम्भरण योजना	Rural Water Supply Scheme	126
174. चीनी मिलों पर गन्ने के मूल्य की बकाया राशि	Arrears of Sugarcane Price Outstanding against Sugar Mills ..	127

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
175. भण्डारण तथा भांडागार को प्राथमिकता देने के लिए भांडागार निगम का उदयपुर में सम्मेलन	Conference of Warehousing Corporation at Udaipur to Accord Priority to Storage and Warehousing ..	127
176. चीनी के उत्पादन में कमी, खपत में वृद्धि और निर्यात पूरा करने के लिए की गई कार्यवाही	Fall in Production, Rise in Consumption of Sugar and Steps taken to feed Export Market ..	128
177. पश्चिम बंगाल में एक शिपयार्ड स्थापित करने के सम्बन्ध में अध्ययन दल	Study Group on Setting up a Shipyard in West Bengal ..	129
178. विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली के भौतिक चिकित्सा विभाग	Physiotherapy Department in Willingdon Hospital, New Delhi ..	129
179. गंगा की घाटी में भूमिगत जल स्रोत	Gangetic Valley as Source of Underground Water Resources ..	129—130
180. गैर-सरकारी फर्म के माध्यम से उर्वरक का वितरण	Distribution of Fertiliser through Private Firm ..	130
181. तेल चुंगी को कोचीन में स्थापित करने की वैकल्पिक योजना	Alternative Scheme for Location of Oil Terminal at Cochin ..	130
183. नौकरी पर आधारित शिक्षा	Job-oriented Education	131
184. सूरजमूखी फूलों के बीजों की खेती	Cultivation of Sun Flower Seeds	131—132
185. बिहार में अकाल की स्थिति के बारे में राज्य की ओर से रिपोर्ट	Report from Bihar Regarding Famine in that State ..	132
186. पटना में गंगा नदी पर सड़क पुल का निर्माण	Construction of Road Bridge over Ganga River at Patna ..	132—133
187. पटना में केन्द्रीय विद्यालय भवनों का निर्माण	Construction of Central School Buildings in Patna ..	133
188. देश के विभिन्न भागों में अकाल	Famine in different parts of Country	133—134
189. अपनी पात्रता से एक दर्जा कम श्रेणी के आवास प्राप्त सरकारी कर्मचारी	Government Employees occupying Government Quarters below one Type ..	134
190. उड़ीसा में बारानी खेती प्रायोजित परियोजना	Dry Famine Pilot project in Orissa ..	135

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

191. उड़ीसा में विश्वविद्यालय की विकास आवश्यकताओं का अनुमान	Assessment of Developmental needs of Universities in Orissa	.. 135—136
192. सफाई कर्मचारियों और मेहतरों के आवास के लिए उड़ीसा सरकार को अनुदान देना	Grant to Orissa Government for Housing of Sweepers and Scavangers	.. 136
193. उड़ीसा में पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए उड़ीसा सरकार को दो गई धन-राशि	Allocation to Orissa Government for Uplift of Backward Tribes in Orissa	.. 137
194. परिवार नियोजन और हिन्दू कोड अधिनियम को सभी सम्प्रदायों में लागू करना	Application of Family Planning and Hindu Code Act to all Communities	.. 138
195. 1968-70 में हुए सहकारिता आन्दोलन की प्रगति की परीक्षा	Review of progress of Cooperative Movement during 1968-70	.. 138—139
196. मई, 1972 में लन्दन में हुए अन्त: सरकारी समुद्री परामर्शदात्री संगठन परिषद् का 28वां अधिवेशन	28th Session of the Council of Inter-Governmental Maritime Consultative Organisation held in London during May, 1972	.. 139
197. हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम	Hindustan Latex Ltd. Trivandrum	.. 139—140
198. खाद्यान्न उत्पादन के मुकाबले प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता	Foodgrains Production vis-a-vis per capita Availability	.. 140
199. म्युनिख में होने वाले ओलिम्पिक खेलों में जिमनास्टिक दल को शामिल करना	Inclusion of Gymnastic Group in Munich Olympics	.. 140
200. राज्यों में काखी केम्पल किस्म की बत्तखों का पालन	Introduction of Kakhi Campell variety of Ducks in States	.. 141
स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	Re. Motion for Adjournment (Query)	141—144
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	.. 144—150
आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तीव्र वृद्धि का समाचार	Reported steep rise in prices of essential commodities	.. 144—150
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	.. 144, 146—148
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Yashwantrao Chavan	.. 144—146, 148—150

विषय	SUBJECT	पृष्ठ / PAGES
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	151—154
उच्चतम न्यायालय (दांडिक अपील, अधिकारिता का विस्तार) संशोधन विधेयक, 1972	Supreme Court (Enlargement of Criminal Appellate Jurisdiction) Amendment Bill, 1972 ..	154
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	As passed by Rajya Sabha	151
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	154—155
सदस्य द्वारा त्याग पत्र (श्री एस० एम० कृष्ण)	Resignation of Member (Shri S. M. Krishna)	155
साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) विधेयक	General Insurance Business (Nationalisations) Bill ..	156—157
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee ..	156—157
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	*Re.* Question of Privilege	157—158
कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1972 पुरःस्थापित	Coking Coal Mines (Nationalisation) Bill—Introduced ..	158
16 मई, 1972 को विलिंगडन अस्पताल में लोक सभा के एक सदस्य के साथ हुई घटना के बारे में वक्तव्य	Statement *Re.* Incident in Willingdon Hospital on 16th May, 1972 relating to a Member of Lok Sabha ..	159—160
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Umashanker Dikshit	159—160
श्री के० हनुमन्तैया द्वारा रेल मंत्री पद से अपना त्याग पत्र देने के बारे में वक्तव्य	Statement by Shri K. Hanumanthaiya *Re.* his resignation as Minister of Railways ..	160—161
भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों पर समझौते के बारे में वक्तव्य	Statement *Re.* Agreement on Bilateral Relations between India and Pakistan ..	161—162
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	162
भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों के समझौते सम्बन्धी वक्तव्य पर विचार का प्रस्ताव	Motion *Re.* Statement on Agreement on Bilateral Relations between India and Pakistan ..	162—174
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Sawarn Singh ..	162
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee ..	164, 166—168

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandrajit Yadav	.. 168—169
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	169
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve	.. 169—171
श्री फ्रैंक एंथनी	Shri Frank Anthony	171
श्री एस० ए० कादर	Shri S. A. Kader	.. 171—172
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Smt. Indira Gandhi	.. 173—174
कार्य-मंत्रणा समिति चौदहवां प्रतिवेदन	Business Advisory Committee Fourteenth Report	175

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अंकिनीड्ड, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस० (अनकपल्ली)
अफजलपुरकर, श्री धर्मराव (गुलबर्गा)
अम्बेश, श्री छत्रपति (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
अहमद, श्री फखरुद्दीन अली (बारपेटा)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मण्डला)
उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनम्बी, श्री आर० पी० (बैल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय)
एंगती, श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रूगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरेना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री आर० सी० (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कंदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कंदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह, डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याण सुन्दरम्, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायर, श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तूरे, श्री अर्जुन श्रीपत (खांमगांव)
कादर, श्री सालेभाई अब्दुल (बम्बई मध्य-दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढरपुर)
कांबले, श्री तुलसीराम दशरथ (लातूर)
काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री बाबूराव जंगलुजी (जालना)
कावड़े, श्री वी० आर० (नासिक)
काहनडोल, श्री जैड० एम० (मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)

कुमारमंगलम्, श्री एस० मोहन (पांडीचेरी)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई-उत्तर-पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केबीचुसा, श्री ए० (नागालैण्ड)
कोत्राशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन्, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन्, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कुष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (हस्कोटे)
कुष्णा कुमारी-जोधपुर, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमती इन्दिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतह सिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी-जयपुर, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (आलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरौना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर-पश्चिम)
गोटखिंडे, श्री अन्नासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोड़हाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करुर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गोयेन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गौहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती बिभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री चाउ चन्द्रेत (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय)
गौडर, श्री जे० एम० (नीलगिरि)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बार्धमान)
चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० बी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्रशेखरप्पा वीरबासप्पा, श्री टी० बी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (द्रूग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्री डी० आर० (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवंतराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चावला, श्री अमरनाथ (दिल्ली सदर)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपेट)

चिन्नाराजो, श्री सी० के० (तिरूपत्तूर)
चेलाचेमी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडवी)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिब (बहरामपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (हौशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइनुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धारा)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटेलाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री बरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)
जुल्फिकार अलीखां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एम० (पीरमार्ड)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० बी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मुलचन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बाँसवाड़ा)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वेंकटराव बाबाराव (नांदेड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेट्टापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री कमल नाथ (बेतिया)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० मोकिन (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० टी० (धारापुरम)
दत्त, श्री वीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दण्डवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)

दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्ण नगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरीची)
दुमादा, क्षी लक्ष्मनन् काकाद्या (दहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बलूर)
देव, श्री शंकर नारायण सिंह (बांकुड़ा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देखमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणी)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी आर० (सूरत)
देसाई, श्री सी० सी० (साबरकंठा)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछली शहर)

ध

धर्म गज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री भाऊसाहिब (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूसिया, श्री अन्नत प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत राव (बापूराव)

न

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फुलबनी)
नायक, श्री बालकृष्ण वेनकन्ना (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन् (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (वाड़मेर)
निंबालक, श्री राजाराम दादा साहेब (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पटनायक, श्री जानकी बल्लभ (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढंढुका)
पटेल, श्री नटवरलाल (मेहसाना)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डमोई)
पटेल, श्री रामूभाई (दादरा तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्णचन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई रावजी भाई (दोहद)
पलोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पस्वान, श्री रामभगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री रामसहाय (राजनन्द गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई हाओकिप, श्री (बाह्य मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगाँव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उसमानाबाद)
पाटिल, श्री चूड़ामन आनन्द (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)

पाराशर, श्री नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्रनगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपेट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्णन (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एस० (सिंह भूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नगिरि)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रताप सिंह, श्री (शिमला)
प्रधान, श्री घनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द्र, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मुकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बड़े, श्री आर० बी० (खारगोन)
बरुआ, श्री वेदव्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बहुगुणा, श्री हेमवतीनन्दन (इलाहाबाद)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेठी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बालतन्डायुतम, श्री के० (कोयम्बटूर)
बासप्पा, श्री कोडाजी (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकारलाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्यचरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतन लाल (दार्जिलिंग)

भ

भंडारे, श्री आर० डी० (बम्बई मध्य)
भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बलिराम (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ भंवर, श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री बशेश्वरनाथ (अजमेर)
भार्गवी तनकप्पन, श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भानसिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गौड्डा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री कमल मिश्र (केसरिया)
मनोहरन, श्री कृष्णन् (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाड़ा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगड़ा)
महाता, श्री देवेन्द्र नाथ (पुरूलिया)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाढ़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड सिंह-रीवा, श्री (रीवा)

मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री वी० (चिदाम्बरम)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिनिमाता अगमदास, श्रीमती (जंजगीर)
मिश्र, श्री एल० एन० (दरभंगा)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (वेगुसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मेनन, श्री वी० के० कृष्ण (त्रिवेन्द्रम)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराव (अमरेली)
मेहता, श्री प्रसन्नभाई (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री किशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बैरकपुर)
मोहम्मद खुदा बख्श, श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसुफ, श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ, श्री (परियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुर)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री देवनन्दन प्रसाद (मुँगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सितामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (माधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगंरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर सिंह, श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राजंगम, श्री एम० (डिंडीगुल)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० वी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उम्मेद सिंह (रायगढ़)
राणा, श्री एम० बी० (भड़ौच)
राधाकृष्णन, श्री एस० (कुड्डलूर)
रामकंवर, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
रामधन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छपरा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
रामस्वरूप, श्री (राबर्ट्सगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टणम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, श्री डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)

राव, श्री जगन्नाथ (छतरपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री डा० वी० के० आर० वर्द्धराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी कुमार (काकीनाड़ा)
रिछारिया, डा० गोबिन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कुड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोडंडारामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिम्हा (चितूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० वेंकट (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायलगूड़ा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्हौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर, बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी भाई, श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लुतफल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री रामसिंह (इंदौर)
वर्मा, श्री सुखदेव सिंह (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चंडीगढ़)
विश्वनाथ, श्री जी० (वन्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मन्डी)
वीरय्या, श्री के० (पुद्दूकोट)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेंकारिया, श्री नांनजी भाई रावजी भाई (जूनागढ़)

श

शंकरदेव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोड़ी)
शंकर दयाल सिंह, (चतरा)
शफकत जंग, श्री (कैराना)
शफी, श्री ए० (चांदा)
शम्भुनाथ, श्री (सैदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री अन्नत प्रसाद (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री रामनारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामानन्द (बिजनौर)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)

शिनाय, श्री पी० रंगनाथ (उदीपी)
शिव चंडिका, श्री (बांका)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुंझुनु)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलौर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चन्द्र (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्कदीव मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० शिब्बन लाल (महाराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना, श्री (मिज़ोर)
सांधी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसंत (अकोल)
साधूराम, श्री (फिल्लौर)
सामन्त, श्री एस० सी (तामलुक)
सामिनाथन, श्री पी० ए० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतूल)
सावन्त, श्री शंकर राव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिन्हा, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिन्हा, श्री आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (हाजीपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया-ग्वालियर, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री मद्दी (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरी)
सुब्रावेलु, श्री के० (मयूरम)
सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरु)
सेकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री ऐरा (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (कोजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्की राज (देहरादून)
सोखी, श्री स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोनार, डा० ए० जी० (रामटेंक)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजाबूर)
सोलंकी, श्री सोमचन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० (मुवत्तुपुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वतन्त्र, श्री तेजासिंह (संगरूर)
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मदुरै)
स्वामी, श्री सिद्ध रामेश्वर (कोप्पल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तैय्या, श्री के० (बंगलौर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपुरी)
हरी सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एस० ढिल्लों

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री के० एन० तिवारी
श्री आर० डी० भण्डारे
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे
श्रीमती शीला कौल
डा० सरदीश राय
श्री इरा सेझियान

सचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्री मंडल के मदस्य

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मन्त्री, सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री	.. श्रीमती इन्दिरा गांधी
कृषि मन्त्री	.. श्री फखरुद्दीन अली अहमद
वित्त मन्त्री	.. श्री यशवन्तराव चह्वाण
रक्षा मन्त्री	.. श्री जगजीवनराम
विदेश मन्त्री	.. श्री स्वर्ण सिंह
निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री	.. श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री	.. श्री एच० आर० गोखले
रेल मन्त्री	.. श्री टी० ए० पाई
इस्पात और खान मन्त्री	.. श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्
संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री	.. श्री राज बहादुर
पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री	.. डा० कर्ण सिंह
औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री	.. श्री सी० सुब्रह्मण्यम्
योजना मंत्री	.. श्री डी० पी० धर

राज्य मन्त्री

संचार मन्त्री	.. श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	.. प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	.. श्री नीतिराज सिंह चौधरी
पूर्ति मन्त्री	.. श्री डी० आर० चह्वाण
योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	.. श्री मोहन धारिया
वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	.. श्री के० आर० गणेश
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	.. श्री आई० के० गुजराल
श्रम और पुनर्वास मन्त्री	.. श्री आर० के० खाडिलकर
इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	.. श्री शाहनवाज खां
पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	.. डा० सरोजिनी महिषी
संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	.. श्री ओम मेहता
गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री	.. श्री राम निवास मिर्धा
विदेश व्यापार मन्त्री	.. श्री एल० एन० मिश्र
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री	.. प्रो० एस० नुरुल हसन
गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	.. श्री कृष्ण चन्द पन्त
सिंचाई और विद्युत मन्त्री	.. डा० के० एल० राव

कम्पनी कार्य मन्त्री	.. श्री रघुनाथ रेड्डी
कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	.. श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री	.. श्री विद्याचरण शुक्ल
कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	.. प्रो० शेर सिंह

उपमन्त्री

कम्पनी कार्य विभाग में उपमन्त्री	.. श्री वेदव्रत बरूआ
विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री	.. श्री ए० सी० जार्ज
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री	.. श्री ए० के० किस्कु
सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री	.. श्री बैजनाथ कुरील
गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री	.. श्री एफ० एच० मोहसिन
संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री	.. श्री जगन्नाथ पहाड़िया
रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री	.. श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री	.. श्री के० एस० रामास्वामी
वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री	.. श्रीमती सुशीला रोहतगी
संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री	.. श्री वी० शंकरानन्द
औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री	.. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री	.. श्री दलबीर सिंह
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री	.. श्री धर्मवीर सिंह
संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री	.. श्री केदारनाथ सिंह
विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री	.. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह
श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री	.. श्री बालगोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री	.. श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 31 जुलाई, 1972/9 श्रावण, 1894 (शक)
Monday, July 31, 1972/Sravana 9, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBERS SWORN

श्रीमती माया रे	....	(रायगंज)
श्री रामसिंह भाई	....	(इन्दौर)

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण जानते हैं कि आज हम दो मास के अवकाश के पश्चात् मिल रहे हैं अतः दुःख के साथ मेरा यह कर्त्तव्य है कि अन्तर्सत्रावादी में हमारे जिन कुछ माननीय सदस्यों का निधन हो गया है उनके बारे में मैं सभा को सूचित करूं।

हम सब को यह जानकर अत्यंत दुःख हुआ कि महाराजाधिराज, भूटान नरेश, जिग्मे दोरजी वांगचूक का 43 वर्ष की आयु में 21 जुलाई, 1972 को नैरोबी में अचानक तथा असमय निधन हो गया।

उनकी विद्वत्तापूर्ण देख-रेख तथा योग्य नेतृत्व में भूटान ने सभी क्षेत्रों में अत्यधिक प्रगति की। वह सच्चे देश भक्त और भारत के सच्चे मित्र थे। भारत के प्रति अपने स्नेह तथा सद्भाव के कारण उन्होंने स्वयं को भारत की जनता का स्नेहभाजन बना लिया था। उनके निधन से भूटान से एक महान् नेता उठ गया तथा भारत ने एक परम मित्र खो दिया। हम भूटान की जनता के दुःख से दुःखी हैं एवं मुझे पूरा विश्वास है कि यहां सभी सदस्यगण उनके माननीय पुत्र, महाराजाधिराज, नरेश जिग्मे सिंग्ये वांगचुक, रानी मां, राज-परिवार के अन्य सदस्य, भूटान सरकार तथा वहां की जनता तक हमारा दुःख पहुंचाने में हमारे साथ होंगे।

श्री इन्दुलाल याज्ञिक, श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी तथा श्री रामानंद दास के निधन का भी मुझे दुःख के साथ उल्लेख करना है।

श्री याज्ञिक गुजरात के अहमदाबाद निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोक-सभा के सदस्य थे। वह वर्ष 1957-70 की अवधि में दूसरी, तीसरी तथा चौथी लोक-सभा के भी सदस्य रहे। कष्टदायक तथा लम्बी बीमारी के पश्चात् 81 वर्ष की आयु में 17 जुलाई, 1972 को अहमदाबाद में उनका निधन हो गया। श्री याज्ञिक कम अधिकार प्राप्त लोगों के प्रख्यात नेता थे। वह निर्भीक तथा स्पष्ट-वादी व्यक्ति थे तथा सदैव राष्ट्र के हित में जुटे रहते थे। वह इस सभा की कार्यवाही में काफी रुचि लेते थे। जब कभी भी वह भाषण देते थे तो उनके भाषण को बहुत ही ध्यान से सुना जाता था। सभा के सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। वह किसी उद्देश्य के साथ बोलते थे तथा केवल ऐसे ही मामलों पर बोलते थे जिन्हें वे समझते थे कि गंभीर हैं। वह अपनी सज्जनता तथा मैत्री-भाव के लिये सदैव स्मरण किये जाते रहेंगे।

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी जम्मू तथा कश्मीर के श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1967-70 में चौथी लोक-सभा के सदस्य रहे। उससे पूर्व वह वर्ष 1951 से 1967 तक राज्य विधान-सभा के सदस्य रहे तथा वर्ष 1953-63 के दौरान जम्मू तथा कश्मीर के प्रधान मंत्री रहे। 15 जुलाई, 1972 को 63 वर्ष की आयु में उनका श्रीनगर में देहावसान हो गया। बख्शी साहिब, जैसा कि हम उन्हें पुकारा करते थे, एक प्रख्यात नेता, महान संगठनकर्त्ता तथा सुयोग्य प्रशासक थे। उन्होंने जम्मू तथा कश्मीर के प्रशासन का कार्यभार ऐसे समय संभाला था जबकि वहां राजनीतिक स्थिति जटिल तथा विस्फोटक थी परन्तु उन्होंने अपने साहस, कठिन परिश्रम एवं योग्य सार्वजनिक सम्बन्धों से राज्य में स्थिरता तथा शाँति स्थापित की तथा वह इसके अनेक क्षेत्रों में प्रगति के लिए उत्तरदायी थे। वह धर्मनिरपेक्षता के देदीप्यमान उदाहरण थे तथा राष्ट्र की एकता के लिये उनकी सेवाओं को सदैव याद किया जायेगा। वह अपने राजनैतिक जीवन के विपर्यय के बावजूद भी राष्ट्रीय एकता की लगन में दृढ़ तथा अविचल थे। वह हमारे निपुण स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्होंने इस सभा की चर्चा में सक्रिय भाग लिया तथा कई कठिन विषयों पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस सभा के सभी सदस्य उनके मित्र थे।

श्री रामानन्द दास वर्ष 1952-57 में पहली लोक-सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उनका निधन कलकत्ता में 16 जुलाई, 1972 को 59 वर्ष की आयु में हो गया। वह एक समाजसेवी तथा मजदूर संघ के नेता थे। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन सम्मेलन में वर्ष 1948 में सान फ्रांसिस्को में तथा वर्ष 1951 में जेनेवा में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने सभा की चर्चा में लाभदायक योगदान दिया।

हम इन मित्रों के निधन पर अत्यन्त शोक प्रकट करते हैं तथा मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक-संतप्त परिवारों तक हमारी संवेदना पहुंचाने में मेरे साथ होगी।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): अध्यक्ष महोदय, महाराजाधिराज भूटान नरेश, जिग्मे दोरजी वांगचुक के आकस्मिक तथा असामयिक निधन पर भारत की जनता अत्यधिक शोकसंतप्त है।

वह दूरदर्शी तथा प्रतिभावान् व्यक्ति थे। वह अपनी प्रजा के कल्याणार्थ विद्वतापूर्ण ढंग से व्यापक हितों का ध्यान रखते थे तथा काफी जागरूक थे। उनकी सूक्ष्मदर्शिता, साहस तथा गतिशीलता के कारण ही, ऊंचे हिमालय में स्थित होने के बावजूद भी, भूटान कई शताब्दियों के बन्धन तोड़कर नये युग में प्रवेश कर सका है।

भूटान का आधुनिकीकरण करने और वहां पर मानवीय स्तर पर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के उनके ध्येय में उन्हें सहयोग देना भारत के लियें गर्व की बात रही है।

कितने दुःख की बात है कि जब वह अपनी अवस्था के पांचवें दशक में चल रहे थे, मृत्यु ने उन्हें आ घेरा। ।भारत के एक महान और सच्चे मित्र, अत्यधिक आर्कषण और गहन मानवता वाले व्यक्ति का निधन हो गया। हम राजमाता, वर्तमान नरेश, रानी मां, राज-परिवार के अन्य सदस्य तथा भूटान की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं।

महाराजाधिराज नरेश, जिग्मे सिंगये वांगचुक के प्रति मैं अपनी सद्भावना प्रकट करती हूं तथा मित्रता और सहयोग का हाथ आगे बढ़ाती हूं। ईश्वर करे भूटान प्रगति करे तथा भारत-भूटान की मित्रता अधिक घनिष्ठ होती रहे।

संसद के इस सत्र के दौरान हमारे स्वाधीनता आन्दोलन की महान् गाथा से लेकर अब तक हुई अनेक घटनाओं की ओर हमारा ध्यान जायेगा तथा हम उन व्यक्तियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी तथा त्याग किया। जिन सहयोगियों के निधन पर आज हम शोक प्रकट कर रहे हैं उनमें से श्री इन्दुलाल याज्ञिक, बख्शी गुलाम मुहम्मद तथा श्री रामानन्द दास उसी युग के हैं। उन्होंने अपना जीवन स्वराज तथा जनता के उत्थान के लिये समर्पित कर दिया।

श्री याज्ञिक पद-दलितों के अनन्य समर्थक थे। अपनी सादगी, प्रयोजन की दृढ़ भावना तथा सशक्त चरित्र द्वारा वह गुजरात के जीवन पर अपना प्रभाव छोड़ गये। वह हमारे स्वाधीनता संग्राम के निपुण सेनानी थे; वह शिक्षाविद्, मजदूर संघ के नेता एवं लेखक भी थे। उनकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं था। वृद्धावस्था में होते हुए भी वह अन्त समय तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय थे। उनके निधन से देश की जनता ने एक महान् नेता खो दिया है।

बख्शी गुलाम मुहम्मद संसद में और समूचे देश में एक चिर-परिचित व्यक्ति थे। वह प्रारम्भिक जीवन से ही, जम्मू और कश्मीर के उदय होने के समय से ही, प्रजातांत्रिक आंदोलन में जुटे रहे तथा जनता के सभी वर्गों के साथ उन्होंने अपना घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करके और संगठित करके अपनी आश्चर्यजनक योग्यता से काश्मीर में अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया था। 10 वर्ष तक राज्य के सर्वेसर्वा के रूप में उन्होंने प्रशासन को गतिशील बनाया तथा आर्थिक विकास के लिये काफी प्रयास किया। धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय शक्ति तथा राष्ट्रीय एकता के प्रति अपनी दृढ़ वचनबद्धता के कारण उनका वहां पर काफी सम्मान था। उनके निधन पर उनके बहुत से सहयोगियों तथा मित्रों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी।

श्री रामानन्द दास ने अनूसूचित जाति के लोगों तथा पश्चिम बंगाल के औद्योगिक मजदूरों की निष्ठापूर्वक सेवा की। बहुत से मजदूर संघ संगठन, यथा–चमड़ा श्रमिक, कोयला खनिज गोदी श्रमिक तथा अस्पताल के कर्मचारी उनसे मार्गदर्शन लिया करते थे।

मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इन दिवंगत आत्माओं के परिवारों के प्रति हमारी गहरी सद्भावना तथा संवेदना प्रकट करें।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैं अपने दल की ओर से स्वयं को भूटान नरेश,जिग्मे दोरजी वांगचुक के असामयिक निधन पर अभिव्यक्त संवेदना में शामिल करता हूं तथा आपसे अनुरोध करता हूं कि शोक-संतप्त परिवार के प्रति संवेदना भेजने में हमको भी शामिल करें।

मैं श्री इन्दुलाल याज्ञिक के निधन पर भी शोक प्रकट करता हूं जो न केवल देश भक्त ही थे अपितु स्वतंत्रता सेनानी और अटल साम्राज्यवाद-विरोधी थे। वह सदैव मौलिक वामपंथी दृष्टिकोण रखते थे। ऐसा उस समय हुआ जब उन्होंने यूरोप की यात्रा की तथा वहां पर स्पेन में फासिस्ट-विरोधी संघर्ष तथा गृह युद्ध हो रहा था। उन्हें फामिस्ट-विरोधी संघर्ष के स्वाधीनता सेनानियों से बहुत प्रेरणा मिली तथा उन्होंने अटल रूप से फासिज्म तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपना दृष्टिकोण रखा। वह सदैव पद-दलितों के अनन्य समर्थक रहे। उन्होंने किसान-सभा के लिये किसानों को संगठित करने में नेतृत्व किया। उस अवधि के दौरान उन्होंने भारतीय साम्यवादी दल के साथ मिल कर पद-दलितों तगा लाखों लोगों के हित में कार्य किया। वह महागुजरात आन्दोलन के महान नेता भी थे तथा जनता के भी एक महान् नेता थे। यद्यपि वह बाद में कांग्रेस में सम्मिलित हो गये, तथापि उनके विचार देश भक्ति से परिपूर्ण तथा मौलिक वामपंथी थे अतः हम उनके देहांत पर अत्यंत शोकाकुल हैं।

बख्शी गुलाम मुहम्मद गरीब परिवार से उठ कर प्रसिद्ध हुए तथा अपने जन्म जात गुणों तथा योग्यताओं के कारण ही वह काश्मीर नेशनल कान्फरेंस के नेता बने। वह 'काश्मीर छोड़ो' आन्दोलन के सर्वोपरि नेता थे। वह कुछ समय तक के लिए काश्मीर के प्रधान मंत्री भी रहे तथा सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अच्छा नाम कमाया। मैं बख्शी गुलाम मुहम्मद के निधन पर शोक प्रकट करता हूं।

श्री रामानन्द दास समाज-सेवी थे। मुझे उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। फिर भी रामानन्द दास के चले जाने से सभी समाज-सेवियों को हानि पहुंची है। मैं उनके निधन पर शोक व्यक्त करता हूं।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि शोक संतप्त परिवारों तक हमारी संवेदना पहुंचायें।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : हमारे दल की ओर से मैं इस सभा में पहले से व्यक्त की गई संवेदना के साथ हूं। श्री इन्दुलाल याज्ञिक, जिनका हमें स्मरण होता रहेगा, प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वह असाधारण प्रतिभा, साहस और सच्चरित्रता वाले व्यक्ति थे। वह पुराने दिनों के कांग्रेसी थे। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि शायद कई लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि पुराने दिनों में इन्दुलाल याज्ञिक गांधी जी के घनिष्ठतम सम्पर्क में आये थे, परन्तु जब गांधी जी के साथ उनका मतभेद हो गया तो उन्हें उनसे अलग होने में भी उन्हें संकोच नहीं हुआ। इस बात का उल्लेख उस दो भाग वाली पुस्तक में है जो उन्होंनें आज से 30 वर्ष से भी पहले लिखी थी। मेरा सूझाव है कि उसे उन व्यक्तयों को पुनः छापना चाहिए जो गांधी वांङमय का प्रकाशन आदि कर रहे हैं। वह भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन की सर्वोत्तम परम्परा वाले व्यक्ति थे और इसलिये उन्होंने सर्वसाधारण के मजदूर आन्दोलन के साथ होने में संकोच नहीं किया। वह अखिल भारतीय किसान संगठन के पथप्रदर्शक थे। वह महागुजरात आन्दोलन के ऐसे नेता थे जिन पर कभी संदेह नहीं किया जाता था। और

जब उन्होंने समझा कि जनता की भलाई के लिये कांग्रेस श्रेष्ठतर उपाय अपना सकती है तो वह पुनः कांग्रेस में सम्मिलित हो गये। अब इस सभा में हम उनकी आवाज नहीं सुन सकेंगे और न ही उनकी उपस्थिति का आभास कर सकेंगे। यह दुर्भाग्य की बात थी कि वह रुग्ण रहे तथा मृतक नहीं वरन् मृत जैसे पड़े रहे परन्तु उनकी भावना जो निर्भीक और साहसी है, उन्हें ऐसी स्थिति में अधिक समय तक न रख सकी और भाग्य ने उन्हें जिस हालत में कर दिया था उससे उन्हें मुक्ति दिलाई। परन्तु इस सभा में हम उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। यदि वह यहां होते तो जिस प्रश्न पर आज जनता में अन्तर्द्वन्द्व हो रहा है उसके सम्बन्ध में उनकी आवाज सुनी जाती और यद्यपि वह काफी वर्षों तक जीने और यश प्राप्त करने के बाद स्वर्गवासी हुए तथापि हमारे लिए वास्तव में यह दुख का विषय है कि अब वह हमारे साथ नहीं हैं।

बख्शी गुलाम मुहम्मद एक अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनके घनिष्ठ सम्पर्क में वर्ष 1952 में मुझे आने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। उनके सम्पर्क से मुझे न केवल यही महसूस हुआ कि कश्मीर में अन्य लोगों की तरह वह भी वहां के स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्रारम्भिक जीवन में ही आये अपितु यह भी मालूम हुआ कि वह जो कोई भी कार्य करते थे उसमें उज्ज्वल मानवता के दर्शन होते थे। अपने राजनैतिक जीवन काल में उन्हें कई उतार-चढ़ाव देखने पड़े। कोई यह सोचकर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण अपना सकता है कि उन्होंने क्या किया अथवा क्या नहीं किया। इस विशेष क्षण में मैं सामरसेट नाम के उपन्यास के एक पात्र के कथन का उल्लेख करना चाहता हूं। यथा—एक कार्य है जिसकी मैं परवाह नहीं करता हूं और वह कार्य ईश्वर का कार्य है जो उसे निर्णय करने के दिन करना है। हम राजनैतिक व्यक्तियों द्वारा किए गये कार्यों के बारे में निर्णय की घोषणा करने के लिए नहीं है परन्तु बख्शी गुलाम मुहम्मद एक उज्ज्वल मानव थे तथा वह मानवता रूपी स्रोत से उत्पन्न सरल उदारता से किसी भी व्यक्ति को अपने हृदय में ग्रहण कर सकते थे। वह जनता के व्यक्ति थे तथा देश की समूची जनसंख्या के साथ थे। वह ऐसे व्यक्ति थे जिनसे समय-समय पर गलतियां हो सकती थीं परन्तु जो कोई उन्हें जानता था वह उनके प्रिय थे। और इसीलिए हम चाहे जैसा राजनैतिक मूल्यांकन करें, क्योंकि वह एक राजनैतिक चरित्र थे, और इस देश की राजनीतिक अवस्था में व्यक्ति के रूप में उन्हें सदैव याद किया जायेगा और जो उनके सम्पर्क में आये वे उनकी स्मृति को संजोते रहेंगे।

मैं श्री रामानन्द दास को भी जानता था क्योंकि मैं पहली लोक-सभा में था जब वह सदस्य थे तथा श्रमिकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के लोगों से सम्बन्धित विषयों के लिए वह प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गए थे। मैंने उनमें मित्रता का व्यक्तित्व पाया जो अपने सक्रिय कार्य में रत था, जहां तक मैं जानता हूं पश्चिम बंगाल में तथा अन्य जिन क्षेत्रों में उन्होंने योगदान किया है वहां उनकी अनुपस्थिति का आभास किया जायेगा।

हमें पता चला है कि भारत के मित्र भूटान नरेश का निधन हो गया है तथा यह उचित ही है कि भारतीय संसद उनके निधन पर शोक और सद्भावना प्रकट करे।

श्रीमन्, मेरी आकांक्षा है कि सम्बद्ध परिवारों के समक्ष हमारे दल तथा समूची संसद् की ओर से संवेदना प्रकट की जाये।

श्री के० मनोहरन् (मद्रास-उत्तर) : मैं अपने दल की ओर से भूटान नरेश के आकस्मिक निधन, श्री इन्दुलाल याज्ञिक के निधन, जो अपनी सादगी, ईमानदारी, एकता तथा सज्जनता के

लिए प्रसिद्ध थे ; बख्शी गुलाम मुहम्मद के निधन, जो अपनी प्रशासनिक प्रतिभा के लिए विख्यात थे और श्री रामानन्द दास के निधन, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं, पर प्रधान मन्त्री एवं आपके द्वारा अभिव्यक्त भावनाओं के साथ हूं। मैं अपने दल की ओर से आपसे अनुरोध करता हूं कि इन दिवंगत आत्माओं के शोक-संतप्त परिवारों के समक्ष हमारी हार्दिक संवेदना प्रकट करें।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Speaker, Sir, when the stream of life comes to a sudden the shock is great. The King of Bhutan and Bakshi Ghulam Mohammed have passed away all of a sudden which has given us a great blow.

As a friend of India, as a son of the Himalayas, the efforts made by the King of Bhutan to protect the borders and the freedom of his country will be remembered. In 1972, when our northern borders were facing a serious crisis and one of our bordering countries posed a serious challenge to us, the King of Bhutan not only maintained his freedom but strengthend the friendly relations with India. That is why the people of India will never forget him.

We have lost Bakshi Ghulam Mohammed. He was a consistent nationalist, a man of action a talented administrator and a true friend.

His demise is a personal loss to many of us. In 1953, when his colleagues had differences with him and opposed the complete merger of Kashmir with India, Bakshi Ghulam Mohammed remained firm like a rock. He went through many ups and downs in his life, but his dedication to the cause of the nation was never disturbed. Whoever came in his contact will remember his outstanding qualities. Recently the people of Jammu and Kashmir lost Pt. Prem Nath Dogra and now the demise of Bakshi Sahib has created a vacuum in the public life which is hardly to be compensated.

On behalf of my party, and myself I wish to express grief on the death of Shri Ramanand Das. May God give peace to these departed souls.

Shri Shyamnandan Mishra (Begusarai). Mr. Speaker, Sir, this institution of ours, our Parliament always starts its business by expressing condolences on the demise of somebody. It is a matter of sorrow for us. But the work of life goes on like this and this live institution also continues to do its works. I express heart-felt condolences to the bereaved families of these departed souls.

I had an opportunity to know some of them very closely and to know and understand the work done by them.

Some of them were even very kindly to me. But it does not appeal to me say more about some and less about some others. I will, be therefore, best contended by saying that we feel sarrow in the death of three gentlemen and express our condolences to the friends and bereaved families.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में यह एक बड़े ही दुःख का अवसर होता है जब हमें अपने कुछ दिवंगत मित्रों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी होती है।

भूटान के महाराजा जिग्में दोरजी की मृत्यु से हमने अपना एक बहुत बड़ा मित्र और हितैषी तथा भूटान ने अपना एक महान नेता खो दिया है। चीन-भारत संघर्ष के समय उन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। आज की भूटान की प्रगति पर उनकी स्पष्ट छाप है। अपने स्वतंत्र दल की ओर से मैं उनके अवसान पर खेद प्रगट करता हूं।

श्री इन्दुलाल याज्ञिक से मेरा परिचय 1957 में हुआ था जब हम दोनों इस सदन में चुन कर आए थे। वह महागुजरात परिषद की ओर से चुनकर आये थें तथा देशभक्त थे। यद्यपि वे वृद्ध थे परन्तु उनमें युवकों जैसा उत्साह था तथा वे हृदय की गहराई से एक उत्कट देश भक्त थे। उनके निधन पर मुझे खेद है।

श्री बख्शी साहब से मैं पिछली लोक सभा में मिला था। और उनके कार्यों को मैंने देखा था। उन्होंने बड़े संकट के समय काश्मीर की बागडोर अपने हाथों में ली थीं और वहां का प्रशासन योग्यता दृढ़ता से चलाया था। वे ऐसे समय में हमें छोड़कर चले गये जबकि उनकी हमें अत्यधिक आवश्यकता थी।

श्री रामानन्द दास से मैं परिचित नहीं हूं परन्तु अपने मित्रों से मुझे पता चला है कि वे एक स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। अपने दल की ओर से मैं दुःखी परिवारों को अपनी संवेदना प्रस्तुत करता हूं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्रीमान, समाजवादी दल की ओर से मैं महामहिम जिग्मे दोरजी, श्री इन्दुलाल याज्ञिक, श्री बख्शी गुलाम मुहम्मद तथा श्री रामानन्द दास के निधन पर मैं हार्दिक संवेदना प्रगट करता हूं।

महामहिम जिग्मे दोरजी अपने देश को आधुनिकता का रूप देने वाले एक महान राष्ट्र निर्माता थे। वे भारत-भूटान मित्रता के प्रतीक थे वे हमेशा इस बात के लिए याद किए जायेंगे कि उनका देश दूसरा देश था जिसने बंगला देश को मान्यता दी थी। आशा है नये महाराजा भी अपने पिता के पदचिन्हों पर चलेंगे और भारत भूटान मित्रता सुदृढ़ बनी रहेगी।

श्री इन्दुलाल याज्ञिक महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। क्या ही अच्छा होता कि वे स्वतंत्रता की 25 वीं वर्ष गांठ तक जीवित रहते। उन्होंने नेता जी के साथ काम किया था तथा वे किसान आन्दोलन के प्रणेता थे। उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों के बीच उस समय एकता स्थापित की थी जबकि बड़ा तनाव का वातावरण था।

बख्शी गुलाम मुहम्मद जीवन भर एक सच्चे भारतीय की तरह जिए और मरे तो एक सच्चे भारतीय की तरह मरे। उन्होंने बड़े नाजुक समय में कश्मीर की स्थिति को संभाला। वे जनता के जनतांत्रिक अधिकारों के आन्दोलन के प्रणेता थे। मैंने उन्हें नजदीक से तब अधिक जाना जब वह समाजवादी पार्टी में आए थे। उन्होंने अपने हृदय की विशालता का परिचय केवल कश्मीर के लिए ही नहीं वरन समस्त भारत के लिए दिया।

श्री रामानन्द दास केवल पिछड़ी जातियों जौर हरिजनों के नेता ही नहीं थे वरन वे उनमें से एक थे जो इन दलित लोगों के हितों के लिए संघर्ष रत रहे।

मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं तथा अपनी तथा अपने दल की ओर से आपसे अनुरोध करता हूं कि संतप्त परिवारों तक हमारा संवेदना संदेश पहुंचा दें।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजीकोड) : मैं भूटान के महाराजा, तथा संसद के अपनी साथी श्री इन्दुलाल याज्ञिक, श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी और श्री रामानन्द दास निधन पर आपके और प्रधान मन्त्री द्वारा प्रकट किए गए उद्‌गारों में अपने को तथा अपने दल को शामिल करता हूं।

भूटान के महाराजा हमारे देश के मित्र थे और उनके निधन के दुःख में मैं भूटानवासियों के साथ हूं।

श्री इन्दुलाल याज्ञिक के साथ मेरा निकट का सम्बन्ध रहा है और मैंने उन्हें बड़ा महान तथा आचरणशील व्यक्ति पाया है। उन्होंने देश की, विशेषकर गुजरात की अनेक प्रकार से सेवा की है।

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी को उनकी कश्मीर सेवाओं के लिए सदैव याद किया जायेगा।

मुझे ज्ञात हुआ है कि श्री रामानन्द दास ने अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की शिक्षा तथा संस्कृति को सुधारने के लिए अनथक प्रयत्न किए थे।

मैं भारत के इन महान सपूतों के निधन पर शोक प्रगट करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि दुःखी परिवारों को हमारी संवेदनाएं पहुंचा दी जाएं।

श्रीमती एम० गोडफ्रे (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय) : अपने ग्रुप की ओर से मैं मित्रों और इस सदन के सदस्यों के निधन पर आपके द्वारा तथा प्रधान मन्त्री द्वारा प्रकट किए गये दुःख में आपके साथ हूं और दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करती हूं।

Prof. S. L. Saksena (Maharajganj) : I express my great sorrow on the sad demise of some of our friends. Shri Indu Lal yajnik was a great leader. He always believed in the freedom of thoughts and wanted to give justice to the poors It is a matter of great sorrow that he is no more between us.

Bakshi Gulam Mohammed was a great administrator and that is why I used to call him Rafi Ahmed Kidwai of Kashmir.

The King of Bhutan was a great friend of ours. His death is a matter of great sorrow. He associated us in the time of great difficulties.

I pay my homage to the departed souls and request you to convey our condolences to the members of the bereaved families.

Shri Kushok Babula (Ladakh) : It is certain that everybody has to die one day, but when that day I heard about the death of Bakshi Gulam Mohamed, I became very sad. He was the man who contributed a lot in the development of Kashmir. I had the occasion to work with him from 1953 to 1964. He was a symbol of national integration.

With these words I pay my homage to late Bakshi Saheb and other departed souls.

श्री त्रिदिब चौधरी (बहरामपुर) : महामहिम भूटान के महाराजा, श्री इन्दुलाल याज्ञिक, श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी तथा रामानन्द दास के निधन के दुःख में मैं आपके तथा सदन के नेता के साथ ही दुःखी हूं।

मुझे किसान आन्दोलन और कार्मिक संघ आन्दोलनों में श्री इन्दुलाल याज्ञिक के साथ काम करने का अवसर मिला है। वे बड़े ही सहज स्वभाव के कार्यकर्त्ता थे। मैं उनकी तथा अन्य दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अपना शोक प्रकट करने के लिए सभा कुछ देर के लिए मौन खड़ी रहे।

इसके पश्चात् सदस्य कुछ देर मौन खड़े रहे

The members then stood in silence for a short while.

नये मंत्रियों का परिचय
INTRODUCTION OF NEW MINISTERS

अध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मन्त्री नए मन्त्रियों का सदस्यों से परिचय कराएंगी।

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिक मन्त्री, गृह मन्त्री, सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा अन्तरीक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं आपके द्वारा अपने दो साथियों श्री टी० ए० पाई रेल मन्त्री, तथा श्री डी० पी० धर योजना मन्त्री का परिचय सभा से कराती हूं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली के सैक्टर 'डी' में पीने के पानी की सप्लाई

*1. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली के सैक्टर 'डी' में 24 घण्टों में केवल 90 मिनट ही पीने का पानी सप्लाई किया जाता है और वह भी अलग-अलग समय पर ;

(ख) पानी 9 घण्टे कब सप्लाई किया गया था जैसा कि 3 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1711 में बताया गया था ; और

(ग) गलत जानकारी देने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) पानी के अपेक्षाकृत अच्छे वितरण के लिए डी० आई० जेड० क्षेत्र के सैक्टर 'डी' के नव निर्मित क्वार्टरों को दो वर्गों में बांटा गया है। इन दोनों ग्रुपों में पानी 3 शिफ्टों में पम्प किया जा रहा है और पम्प चलने के कुल घण्टे भूमिगत टैंक में पानी की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं, जिसमें (इस

टैंक में) पानी नई दिल्ली नगर पालिका की मुख्य नालियों से आता है। पम्प चलने के घंटे पानी की उपलब्धता पर निर्भर होते हुए दिन प्रतिदिन भिन्न होते हैं।

(ख) 15 जनवरी से 14 मार्च, 1972 की अवधि के दौरान, पम्प चलने की प्रतिदिन औसत 8 घण्टे और 46 मिनट अर्थात लगभग 9 घण्टे प्रतिदिन थी जैसाकि अतारांकित प्रश्न संख्या 1711 के उत्तर में बताया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Satpal Kapur : There is a difference between the answer given on April 3 and that given today. According to today's answer, the total figure comes to 6 hours when the total figure according to the answer given earlier comes to 9 hours: I would like to know as to which officer of the Department has misled the House.

Shri Uma Shanker Dikshit : No wrong information has been given. The answer was given on the basis of the position which existed on the 14th and the 15th instant. It was stated that supply is done on the basis of the availability of water in the mains. According to that, the figures come to 8 hrs. 37 minutes and 8 hours 55 minutes between 15-2-1972 to 14-3-72. Between March 15 and April 14, it was 6 hours 23 minutes and between 15-4-1972 to 14-5-1972, it was 5 hours 30 minutes. The shortest period was 4 hours 11 minutes. But after 15th July, it again became 5 hours 5 minutes. This increases or decreases according to the availability of water.

Shri Satpal Kapur : When will this shortage of water in this area and in the whole of Delhi be removed ?

Shri Uma Shanker Dikshit : It is not possible to say anything about the whole city; but in this area, we have constructed a tank of 30 thousand gallons. Previously, its capacity was thousand gallons. One over-head tank of 40 thousand gallon capacity has been added. This will surely increase to facilitate the supply of water in this area. So far as the whole of Delhi and New Delhi is concerned, different schemes are going on for different areas, but after the formation of Master Plan, a consolidated scheme is in progress. We are thinking of sinking tubewells and for that a scheme is under preparation.

गुजरात में गरीब लोगों के लिए मकान

[+]

*2. **श्री प्रभुदास पटेल :**

श्री गिरधर गोमानगो :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख आर्किटेक्टों ने गुजरात में गरीब वर्गों के लोगों के लिए 1,500 रुपये से 3,500 प्रति मकान की लागत से मकानों की व्यवस्था करने के लिए अपनी सेवाओं की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग और आवास तथा नागरीय विकास निगम इसमें सहायता देने तथा इस प्रयोग को अन्य राज्यों में भी करने के लिये सहमत हो गये हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) (क) जी, हां।

जून, 1972 में बड़ौदा में गुजरात हाऊसिंग बोर्ड द्वारा प्रवर्तित लो-कास्ट हाऊसिंग पर वर्कशाप में सम्मिलित होने के लिए देश के प्रमुख वास्तुक आमन्त्रित किए गये थे । उन्होंने कम लागत के मकान बनाने के लिए उपयुक्त डिजाइन तैयार करने के प्रश्न पर विचार विमर्श किया । तत्पश्चात, मामले पर आगे विचार करने के लिए 7 वास्तुकों के एक पैनल की नियुक्ति की गयी है । प्रत्येक वास्तुक को एक नगर सौंप दिया गया है । वास्तुकों को प्रत्येक नगर में भूमि दिखा दी गयी है । एक लाख से अधिक की जनसंख्या के 7 नगरों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है । वे नगर अहमदाबाद, बड़ौदा, नादियाद, राजकोट, सूरत, जामनगर और भावनगर हैं । पैनल को अभी डिजाइनों तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है ।

(ख) क्योंकि गुजरात सरकार द्वारा पैनल की रिपोर्ट अभी प्राप्त की जानी है अतः इसका प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री प्रभुदास पटेल : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में गुजरात का अनुकरण करने वाले और कितने राज्य हैं ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : रिपोर्ट और डिजाइन मिलने के पश्चात् मन्त्रालय इन मामलों की जांच करेगा । यदि लागत कम होगी और डिजाइन अच्छे होगें तो हम निश्चय ही, सम्बन्धित राज्यों के सहयोग से उन्हें अन्य राज्यों में भी लागू करेंगे । क्योंकि राज्यों में यह कार्य करना ही है ।

श्री प्रभुदास पटेल : समाज के निर्बल वर्ग के लिए मकान बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है । अब जबकि राज्य सरकारों के पास कोई निधि नहीं बची है तो क्या सरकार 200 करोड़ रुपए आवर्तक निधि से उनके लिए धन की व्यवस्था करेगी ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : यह आवर्तक निधि लगभग 50 करोड़ रुपए है जो कि निरन्तर आवर्तित होती और बढ़ती रहेगी और इसे 200 करोड़ रुपए होने में प्रर्याप्त समय लगेगा । चौथी योजना के अन्तर्गत अब तक यह निधि 30 करोड़ रुपए तक बढ़ भी गयी है । मैं समझता हूं कि आगामी बजट में इसके लिए और अधिक धन की व्यवस्था की जायगी । परन्तु फिर भी आवास का उत्तरदायित्व राज्यों का होता है । मुख्य उत्तरदायित्व उन्हीं का है ।

श्री गिरधर गोमांगो : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि ऐसी सुविधाएं उड़ीसा में भी दी जा रहीं हैं । यदि हां, तो इस बारे में कितनी केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की गयी है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : सभी राज्यों के साथ समानता का बर्ताव हो रहा है । निस्संदेह रूप में उड़ीसा राज्य के बारे में भी विचार किया जायगा ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : समाज के निम्न वर्गों के लिए सस्ते मकानों की व्यवस्था करते समय क्या सरकार उपलब्ध स्थानीय सामान पर ध्यान रखेगी जोकि इस समय भी उपलब्ध हैं और क्या स्थानीय हालात के अनुरूप ही उनका उपयोग किया जायगा ताकि बने बनाये मकानों पर होने वाले व्ययों को रोका जा सके ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : सीमेन्ट और इस्पात जैसी भवन निर्माण सामग्री जो परिवहन तथा अन्य कठिनाइयों के कारण देर से मिल पाती है उनके स्थान पर स्थानीय तौर पर उपलब्ध इमारती सामान का उपयोग किया जाना चाहिए । इस पहलू पर भी राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया गया है । जहां तक केन्द्रीय सरकार का प्रश्न है हम भी इस पर ध्यान दे रहे हैं । परन्तु मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि कभी-कभी ईंटों के निर्माण में भी कठिनाई होती है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Will the hon. Minister please state in regard to the scheme for low cost houses, whether some survey has been undertaken to assess the number of houses needed in the country and how much would it cost ? Do the government have an idea to build houses in towns which have the population of less than one Lakh and when this work will commence ?

Shri Uma Shanker Dikshit : Sir, it was commenced long ago and still the work is going on. About nine crore flats or residental units would be needed. But according to the prevailing conditions the number may go up further. How long will it take depends upon the speed with which we are able to do the work. Therefore, it is not possible for us to draw any plan for the future.

Shri Hukam Chand Kachwai : What will be the price of these low cost houses ?

Shri Uma Shanker Dikshit : There low cost houses would cost Rs. 10,000/- in cities, whereas in villages and other smaller places the cost would be Rs. 3,000/-.

भारतीय खाद्य निगम द्वारा दाल आदि खरीदने की प्रणाली

*3. **डा० सरदीश राय :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने इस मौसम में चने और दालें खरीदने के बारे में प्रथम तीन ढेरों पर बोली न लगाने की प्रणाली अपनायी थी और तीसरी बोली के बाद ही माल खरीदा था, और

(ख) यदि हां, तो खरीद की यह प्रणाली अपनाये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क)और (ख) : भारतीय खाद्य निगम ने यह कार्यविधि 20 मई, 1972 से शुरू की थी । यह इस उद्देश्य से शुरू की गयी थी ताकि निगम के मन्डी अधिकारी पहले तीन ढेरों की बोलियों को ध्यान में रखकर मंडी दर पर खरीदारी कर सकें । जब निगम के ध्यान में ऐसे मामले आये कि सम्बन्धित पार्टियों द्वारा पहले तीन ढेरों की बोली में जान बूझ कर हेरा-फेरी की जा रही है, तब निगम ने मन्डी अधिकारियों को संशोधित अनुदेश जारी किए जिसके अन्तर्गत उन्हें पहले तीन ढेरों के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

डा० सरदीश राय : मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे आदेशों के जारी करने से पूर्व क्या भारतीय खाद्य निगम ने मन्डियों से माल खरीदने का आदेश जारी किया था जिसका बेईमान व्यापारियों ने लाभ उठाया और कम दामों पर अनाज खरीदा और बाद में जब भाव 150 रुपए से अधिक बढ़ गए, बेईमान व्यापारियों ने उसी माल को ऊंचे दामों पर भारतीय खाद्य निगम को बेचकर लाभ

कमाया । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है और यदि हां, तो यह आदेश किसने जारी किए थे जिससे बेईमान व्यापारियों को लाभ पहुंचा और भारतीय खाद्य निगम को हानि उठानी पड़ी ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैंने अपने उत्तर में पहले ही बता दिया है कि यह प्रणाली दोषपूर्ण पाई गई है । निःसंदेह, माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि भारतीय खाद्य निगम एक स्वायत्त-शासी संस्था है । उसने पहले इस ढंग को अपनाया था परन्तु अब उन्होंने इसे बदल दिया है । हम अपने मंत्रालय में इस पर ध्यान देंगे और देखेंगे कि ऐसे मामलों में सामान्य प्रक्रियाओं का पालन हो ।

डा० सरदीश राय : मेरे प्रश्नों का पूरा उत्तर नहीं दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि यह आदेश किसने जारी किये जिनसे बेईमान व्यापारियों को लाभ पहुंचा और भारतीय खाद्य निगम को हानि हुई । चने और दालों के मूल्य 100 रुपए से 150, 150 से 170 रुपए बढ़ जाने से भारतीय खाद्य निगम को लाखों रुपए की हानि उठानी पड़ी । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे आदेश देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : स्पष्टतः यह आदेश भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय से जारी किये गये थे । मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जिनसे पता चलता है कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप क्रय मूल्य कुछ अधिक थे ; जब प्रक्रिया को बदला गया तब मूल्य कम मूल्यों की तुलना में कम थे । जैसाकि मैंने बताया, सरकार को इस मामले की जानकारी है और हम इस पर ध्यान देंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा दालों की खरीद के मामले में टेंडरों के जारी करने और कोट किए गये भावों के बारे में सामान्य नियमों का पालन किया जाता है, अथवा नहीं, और क्या मन्त्री महोदय के कुछ ऐसे मामलों का पता चला है, जिनमें, उदाहरणार्थ, एक विशेष फर्म, मैसर्स नेतराम अमर सिंह ने टेंडर में 122 रुपए की दर कोट की थी । और इस दर को स्वीकार किया गया था । जबकि एक दूसरी फर्म के द्वारा 8 रु० कम कर अर्थात् 114 रुपए कोट की गई थी । क्या यह सच है कि यह खरीदारी निम्नतम कोट किए गए मूल्य से 8 रुपए पर की गई थी जिसके फलस्वरूप निगम को घाटा उठाना पड़ा ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सरकार इन मामलों की जांच कर रही है । यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया गया तो भले ही वह कोई भी हो, उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह जांच कौन करेगा और इसमें कितना समय लगेगा ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंपा गया है जो इस मामले की जांच कर रहा है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it a fact that apart from this malpractice in the purchase of pulses, there have been allegations of curruption and favouritism in the purchase of mustard oil as well ? Is it a fact that when these allegations were handed over to the Agriculture Minister, he passed it on to the Chairman of Food Corporation of India for comments ? Has C. B. I been told that the employees who have made these allegations publicly, should be given opportunity to submit proofs in support of these allegations ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं इसमें कोई गलत बात नहीं पाता हूं कि जब किसी के विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप लगाए जायें तो उससे मामले की पूछताछ की जाये। इन कागजात से संबद्ध व्यक्ति को इन्हें भेजने में क्या हानि है ? इसका यह अर्थ तो नहीं है कि सरकार मामले में निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं अपनायेगी ? जैसा कि आप जानते हैं आरोपों की स्वतंत्र प्राधिकारियों द्वारा जाँच की जाती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेई.: मेरे प्रश्न के अन्तिम भाग का क्या उत्तर है ? भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों पर सीधे आरोप लगाए गए हैं। एक ज्ञापन प्रधान मन्त्री को भेजा गया है। क्या उन्हें इन आरोपों के समर्थन में साक्ष्य देने का अवसर दिया जायेगा ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यदि प्रत्यक्ष मामला बन जाता है तो सरकार तथ्यों का पता लगाने के लिए सभी प्रयत्न करेगी और संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : कानपुर से हमारी यूनियन ने एक ज्ञापन प्रधान मन्त्री को दिया था। क्या उस पर विचार किया गया है ? उन्होंने उसमें गम्भीर आरोप लगाए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं काफी समय से आपका ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा कर रहा हूं। आप मुझे कहने की अनुमति देंगे कि**एक भूतपूर्व कांग्रेसी मंत्री भारतीय खाद्य निगम में चोरी करता रहा है और पार्टी की निधि के लिए धन इकट्ठा करता रहा है। क्या आप मेरी आवाज बंद कर रहें है। मुझे यही कहना है। आप उनको संरक्षण दे रहे हैं क्यों कि वह आपके साथी रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यहां नामों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। वह इतना कह सकते हैं कि उक्त संस्था के चेयरमैन—इतना ही पर्याप्त है।

श्री एस० एम० बनर्जी : कर्मचारियों द्वारा लगाए गये आरोपों पर विचार करने के स्थान पर वे उनका स्थानांतरण कर रहें हैं क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले की कलई खोल दी है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत से सदस्य बोलने को उत्सुक हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस विषय पर कृपया नियम 193 के अधीन चर्चा का अवसर दें। यदि आपका हिसाब साफ है तो हमें नियम 193 के अधीन चर्चा का अवसर दें ताकि हम इस सभा में सत्य का उद्घाटन कर सकें। हमें पता है कि कैसे एक व्यक्ति** धन इकट्ठा करता रहा है। यह शर्म की बात है।

अध्यक्ष महोदय : वह नाम न लेकर चेयरमैन कह कर उल्लेख कर सकते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, I do not want to make any allegation, but I would like to say that the files containing matters of misappropriation are now being tempered with in the Headquarters office of the Corporation. Please ask C. B. I to take over all such files.

कुछ सदस्य खड़े हुए।

** **कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।**

**Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : मैं और अधिक प्रश्नों की अनुमति नहीं देता क्योंकि समय पहले ही दो मिनट अधिक हो गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया समय का उल्लेख न करें। मैं आरम्भ से ही आपका ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय : मैं जान बूझकर आप से बच रहा था। मैं दूसरों की ओर भी ध्यान देना चाहता हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

हल्दिया में जहाज बनाने का कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

* 4. **श्री बी० के० दासचौधरी :**
श्री प्रियरंजन दासमुंशी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को विशेषज्ञों का यह प्रतिवेदन मिल गया है कि बड़े आकार के जहाज बनाने का कारखाना हल्दिया में स्थापित किया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं। सरकार ने जिस कार्य दल को नियुक्त किया है उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भूमि की अधिकतम सीमा लगाये जाने से पूर्व भूमि की बड़े पैमाने पर बिक्री और हस्तान्तरण

* 5. **श्री ए० के० गोपालन :**
श्री सी० जनार्दन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक राज्यों में भूमि की बड़े पैमाने पर बिक्री और उसका हस्तान्तरण हो रहा है जैसा कि नान-जुडीशियल स्टाम्प-पेपर की बिक्री में होने वाली भारी वृद्धि से प्रकट है ; और

(ख) यदि ह, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि राज्य सरकारों द्वारा पारित किये गये अथवा पारित किए जाने वाले विधेयकों में, उन्हें काफी पहले से लागू करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है ताकि अन्तिम समय पर भूमि के हस्तान्तरण को रोका जा सके ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) उच्चतम सीमा में की गई कमी को पिछली तिथि से लागू करने का प्रश्न 23 जुलाई, 1972 को आयोजित किए गए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में सलाह के लिए प्रस्तुत किया गया था। सम्मेलन में एकमत होकर यह निश्चय किया गया कि संशोधित उच्चतम सीमा नियमों की पिछली तिथि से लागू करना चाहिए, किन्तु वह तिथि 24 जनवरी, 1971 से बाद की नहीं होनी चाहिए। यह निर्णय सभी राज्य सरकारों को मार्गदर्शन के लिए औपचारिक रूप से बता दिया जायेगा।

चीनी का वसूली मूल्य तथा गन्ने के मूल्य में वृद्धि करने के लिए कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश

* 6. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री अर्जुन सेठी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए कारखानों के द्वार पर चीनी के पुनरीक्षित वसूली मूल्य निर्धारित किए हैं, और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार कृषि मूल्य आयोग की इस सिफारिश पर भी विचार कर रही है कि 1972-73 में कारखानों को सप्लाई किये जाने वाले गन्ने के मूल्य में वृद्धि की जाए ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगामी मौसम में चीनी का पर्याप्त उत्पादन हो तथा सम्पूर्ण देश में चीनी के मूल्यों में समानता रहे, और क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) विभिन्न क्षेत्रों के लिए लेवी चीनी के निकासी मूल्य टैरिफ आयोग द्वारा अभिस्तावित लागत अनुसूचियों और बाद में हुई वृद्धि के आधार पर अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन निर्धारित किए गए हैं और इनमें निम्नलिखित बातों को भी ध्यान में रखा गया है :–

(1) इस खण्ड के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गन्ने का निर्धारित मूल्य

(2) चीनी की निर्माण लागत

(3) शुल्क या कर यदि कोई हो जोकि उस पर दिया गया है या दिया जाने वाला है।

(4) चीनी के निर्माण विषयक कारोबार में लगाई गयी पंजी पर उपयुक्त लाभ की प्राप्ति।

(ख) जी हां, 1972-73 के लिए कारखानों द्वारा देय गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते समय, कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों, साथ में चीनी उद्योग, गन्ना उत्पादकों, राज्य सरकारों और अन्य सम्बान्धत हितों के विचारों को ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) इस सम्बन्ध में नीति सरकार के विचाराधीन है।

खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों के प्रभाव का अध्ययन करने के नियुक्त की गई समिति का प्रतिवेदन

* 7. **चौधरी राम प्रकाश :**
श्री मुहम्मद खुदाबख्श :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं तथा उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–3180/72]

राज्यों में भूमि-बैंकों की स्थापना

*8. **श्री के० लकप्पा :**
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे आवास और अन्य सुविधाओं के लिए मास्टर प्लान के आधार पर शहरी भूमि का अधिग्रहण करके भूमि बैंक स्थापित करें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है और इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) और (ख) : आवास और नगर-विकास की एक राष्ट्रीय नीति के विकास पर अप्रैल, 1972 में नई दिल्ली में हुए एक इंटर-डिसिप्लीनरी सेमिनार ने नगरों और कस्बों की बृहत्त योजना की सीमाओं के भीतर नगरीकरण योग्य भूमि की समालीकरण की सिफारिश की थी ताकि नगरीय प्राधिकरणों द्वारा आरम्भ किए गये नगरीकरण तथा विकास कार्यों के परिणामस्वरूप होने वाली भूमि के मूल्यों में वृद्धि का लाभ सम्पूर्ण समुदाय को मिल सके न कि प्राइवेट लोगों को । सेमीनार की सिफारिशों को विचार तथा उचित कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों को भेजा गया था । मामले पर 12 और 13 जुलाई, 1972 को नई दिल्ली में हुए आवास मन्त्रियों के सम्मेलन में और आगे विचार किया गया और सम्मेलन ने भी सभी नगरीकरण योग्य भूमि के समाजीकरण करने की नीति की पुष्टि की है ।

जवाहर लाल नेहरू के नाम पर युवक-केन्द्रों की स्थापना

*9. **श्री रेणुपद दास :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समस्त भारत में जवाहरलाल नेहरू के नाम पर युवक केन्द्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या नेहरू युवक केन्द्र के नाम से पहले से ही युवक केन्द्र चल रहे हैं जिन्हें कांग्रेस दल चला रहा है और यदि हां, तो क्या नए केन्द्र भी उन्हीं के अनुरूप होंगे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) : भारतीय स्वतंत्रता के पच्चीसवें वर्ष के दौरान, भारत सरकार का विचार 100 जिलों में नेहरू युवक केन्द्र स्थापित करने का है तथा चौथी योजना के अन्त तक शेष जिलों में भी ऐसे ही केन्द्रों की स्थापना के कार्य को पूरा करने का विचार है ।

इन युवक केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य 15-25 आयु-वर्ग के युवकों के सभी वर्गों के लिए स्कूल बाहर की शिक्षा का आयोजन तथा कला और खेलों में हिस्सा लेने और उनके खाली समय का उपयोग करने तथा समाज-सेवा के कार्यक्रमों के द्वारा युवकों को सृजनात्मक कार्यकलापों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना है ।

ऐसा पता चला है कि दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू युवक केन्द्र, नाम से एक केन्द्र चल रहा है, किन्तु नेहरू युवक केन्द्र की संकल्पना का देश में विद्यमान किसी भी युवक केन्द्र के आदर्श पर विकास नहीं किया गया है ।

बोवी, वोद्दार, लम्बाड़ी, कोराचा जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना

* 10. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने बोवी, वोद्दार, लम्बाड़ी और कोराचा जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दिए गए सुझाव पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) मैसूर सरकार ने बोवी, वोद्दार और लम्बाड़ी को अनुसूचित आदिमजातियों की सूची में शामिल करने का सुझाव दिया है ।

(ख) यह मामला विचाराधीन है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के ढांचे में परिवर्तन के प्रति दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ का विरोध

* 11. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के ढांचे में किए गए परिवर्तनों का दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ ने विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय के ढांचे में प्रस्तावित परिवर्तन, दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद ने कुलाध्यक्ष की स्वीकृति से नए कानूनों को शामिल करके अपना विद्यमान कानूनों में संशोधन करके किया है । अतः इस विषय पर विचार करना दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों पर निर्भर करता है ।

सरसों के तेल में वृद्धि

* 12. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत दो महीनों में सरसों के तेल के मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरसों के तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) यह वृद्धि मुख्यतः मौसमी है । अब तक के चालू मौसम के दौरान मानसून में विलम्ब तथा अनिश्चितता भी एक कारण है ।

(ग) राज्य व्यापार निगम के भण्डार से आयातित तोरिया प्रदान करके सप्लाई की पूर्ति की जा रही है । 90,000 से एक लाख मीटरी टन तोरिया आयात करने के विषय में भी प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

सभी तटीय माल भाड़े की दरों में वृद्धि

13. **श्री आर० आर० सिंह देव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाज मालिकों ने हाल ही में सभी तटीय माल भाड़े की दरों में वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या नौवहन महानिदेशक ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क)से(ग) : भारतीय तटीय सम्मेलन ने खाद्य-पदार्थों को छोड़ कर शेष सभी प्रकार के स्थोरा पर प्रति भाडा टन 2.50 रुपये की सामान्य वृद्धि की 5 अप्रैल, 1972 को घोषणा कर दी थी और जोकि 20 अप्रैल, 1972 से प्रवृत्त हो गयी थी। यह वृद्धि, जहाज के अधिकारियों को बढ़ी हुई उपलब्धियों और नाविकों का बोनस देने के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए बताई गयी थी। महालेखाकार नौवहन ने सम्मेलन को सूचित किया था कि इस सामान्य वृद्धि से तब तक सहमति नहीं की जा सकती जब तक कि तटीय परिचालन के वित्तीय परिणामों के आधार पर सम्मेलन द्वारा मामले का औचित्य नहीं ठहराया जाता। सम्मेलन ने 31 अगस्त, 1972 तक उक्त वृद्धि का लागू करना स्थगित कर दिया है । सम्मेलन ने उस आधार पर विस्तृत लेख भी पेश कर दिए हैं जिसके अनुसार उसने मौजूदा भाड़ा दरों में 59.3 प्रतिशत की वृद्धि की मांग की है । इस मामले में महानिदेशक, नौवहन की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है ।

कार दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों के साथ दिल्ली के अस्पतालों में डाक्टरों का व्यवहार

* 14 . **श्री डी० के० पंडा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक कार दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों को 30 जून और 1 जूलाई के बीच की रात को पुलिस द्वारा दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में प्राथमिक उपचार और इलाज के लिये ले जाये जाने पर उन अस्पतालों के डाक्टरों ने दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के साथ बडा क्रूर व्यवहार किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बार में तथ्य क्या हैं ; और

(ग) सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशकर दीक्षित) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) कार दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को 30 जून, और 1 जुलाई के बीच की रात को पुलिस द्वारा सफदरगंज अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ले जाए जाने के बारे में समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है ।

(ख) 30 जून और 1 जुलाई, 1972 के बीच की रात को कार दुर्घटनाग्रस्त 10 व्यक्तियों को पुलिस गाड़ी में सफदरगंज अस्पताल लाया गया। पुलिस आमतौर पर महरौली रोड के पूर्वी भाग

में हुए दुर्घटना के मामलों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में ले जाती है और उस सड़क के पश्चिमी भाग में हुए दुर्घटना के मामलों को सफदरजंग अस्पताल में ले जाती है, इसलिए इन मामलों को तत्काल सफदरजंग अस्पताल से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल ले जाया गया दूर्घटना के शिकार 10 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा लगभग 11. 45 अपराह्न पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल के कैंजुएलिटी विभाग में ले जाया गया । काल ड्यूटी पर जो विशेषज्ञ थे, उन्हें तत्काल कैंजुएलिटी विभाग में बुलाया गया और इन सभी मामलों के इलाज और भर्ती का प्रबन्ध किया गया । आवासी कर्मचारियों समेत संस्थान के छः वरिष्ठ विशेषज्ञ इन रोगियों के इलाज की देख रेख के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर थे । इन 10 व्यक्तियों में से 7 गम्भीर रूप से घायल थे और 3 को छोटी मोटी चोटें आयी थीं दो रोगियों का उनकी नाजुक हालत के कारण आपरेशन करना पड़ा । 10 रोगियों में से 2 की बाद में मृत्यु हो गई और 6 को छुट्टी दे दी गई तथा 2 का अब भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज चल रहा है । ड्यूटी पर तैनात डाक्टरों ने तुरन्त एवं सहानुभूतिपूर्ण कार्यवाही की ।

(ग) सफदरजंग अस्पताल में कैंजूएलिटी चिकित्सा अधिकारी द्वारा इन रोगियों का, वहां लाए जाने पर तत्काल इलाज न करने के कारण उस अधिकारी को एक चेतावनी दी गयी है । सभी चिकित्सा अधिकारियों को अनुदेश दिया गया है कि ऐसे मामलों में जहां आपात इलाज की जरूरत हो, पुलिस द्वारा निर्धारित क्षेत्र सीमा पर ध्यान न देते हुए उनका इलाज किया जाना चाहिए । सरकार द्वारा दिल्ली में सभी अस्पतालों के अधिकारियों से यह भी आग्रह किया गया है कि दुर्घटनाओं के कारण आने वाले आपाती इलाज के मामलों में ड्यूटी पर तैनात डाक्टर, ऐसे मामलों विषयक क्रिया प्रणाली सम्बन्धी अन्य औपचारिकतायों की ओर ध्यान दिए बिना, तत्काल इलाज करें ।

छोटे कृषकों से सम्बन्धित विकास योजना की प्रगति की गति बढ़ाने के लिए उपाय

* 15. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या छोटे कृषकों से सम्बनधित विकास योजना के कार्य में चौथी योजना के प्रथम तीन वर्षों में कोई संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या चौथी योजना की शेष अवधि में इस योजना की प्रगति की गति बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) लघु कृषक विकास एजेन्सी योजना एक मार्गदर्शी प्रयोग है, जो 46 चुनींदा परियोजना क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है । अधिकांश परियोजनाएं वर्ष 1970-71 के दौरान स्वीकृत की गई थी और कार्यक्रम का कार्यान्वयन केवल वर्ष 1971-72 से प्रारम्भ किया गया । प्रारम्भिक अवसरों में कई प्रशासनिक तथा संगठनात्मक समस्याएं थीं । इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आयी कठिनाइयों तथा समस्याओं का चौथी योजना के मध्यम कालीन मूल्यांकन में संकेत किया गया है ।

(ख) प्रगति की गति वर्ष 1971-72 में बड़ी आशा की जाती है कि चौथी योजना के शेष वर्षों में काफी तीव्र की जाएगी ।

(ग) योजना की प्रगति का समय-समय पर राज्य सरकार के सहयोग से और राज्य स्तर, मन्त्रालय तथा योजना आयोग की विचार गोष्ठियों एवं बैठकों में पुनरीक्षण किया जा रहा है। एजेन्सियों को कार्यक्रमों के कार्यन्वयन के लिए शिथिलता की अनुमति के सम्बन्ध में आदेश तथा अनुदेश जारी किए गए हैं। राज्य सरकारों को एजेन्सियों के कार्यक्रमों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने की भी सलाह दी गयी है।

कृषि के क्षेत्र में भारत-मिश्र सहयोग पर वार्ता

* 16. **श्री ई० वी० विख पाटिल :**

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए जून, 1972 में भारत और मिश्र में बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

[ग्रंथ मन्त्रालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी-3181/72]

दिल्ली दुग्ध योजना की डेरी में घी का उत्पादन और उसका परीक्षण

*17. **श्री सूर्यनारायण** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा इस समय घी के उत्पादन में चर्बी अथवा किसी अन्य वाह्य पदार्थ का प्रयोग किया जा रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ख) क्या इस घी का परीक्षण सरकार द्वारा मंजूर शुदा किसी प्रयोगशाला में किया जा रहा है और यदि हां, तो परीक्षण कब किया गया था; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं, दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा गाय या भैंस के शुद्ध दूध की चिकनाई अथवा दोनों को मिलाकर घी तैयार किया जाता है।

(ख) तथा (ग) : दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा तैयार किए गए घी का दिल्ली दुग्ध योजना की गुण नियन्त्रण प्रयोगशाला द्वारा नियमित रूप से परीक्षण किया जाता है, जो कि अनुभवी वैज्ञानिकों से पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशाला है। निश्चित मानकों के अनुसार पूरा उतरने पर ही घी को विक्रय के लिए दिया जाता है।

भीषण गर्मी से और लू लग जाने के कारण हुई मौतें

*18. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भीषण गर्मी से और लू लग जाने के कारण गत तीन महीनों में राज्य-वार कितनी मौतें हुई हैं ,

(ख) क्या भीषण गर्मी से हुई मौतों का मुख्य कारण पेय जल की अपर्याप्त सप्लाई था ओर यदि नहीं तो उसके कारण थे; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई रोक थाम की कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है तो वह क्य। है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित)

(क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पलट पर रख दी जायेगी ।

Break-up of farmers owning more than 30 acres of land and 5 acres and less of Irrigated land State-wise

*19. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hari Singh :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of farmers in the various states who own more than 30 acres of land as also the number of those who own 5 acres of irrigated land or less ; and

(b) the annual average income of such farmers and the net profit earned by them ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) A statement showing the estimated number of ownership holdings above 30 acres in area and below 5 acres in area as in 1960-61 is placed on the table of the House. Information is not available separately regarding irrigated land.

(b) The information is not available.

Statement

National Sample Survey

16th Round July, 1960-June, 1961

Estimated number of households (000) owning above 30 acres and less than 5 acres and their percentage to total households (ownership holdings)

State	Above 30 acres		Less than 5 acres	
	House-holds (000)	Percentage	House-holds (000)	Percentage
All India	15,35	2.21	52,491	75.52
Andhra Pradesh	131	2.20	4,690	78.91
Assam	7	0,34	1,727	83.58

State	Above 30 acres		Less than 5 acres	
	House-holds (000)	Percentage	House-holds (000)	Percentage
Bihar	56	0.71	1,125	83.04
Gujarat	127	4.83	1,620	61.60
Jammu & Kashmir	3	0.63	377	79.03
Kerala	12	0.47	2,427	94.65
Madhya Pradesh	282	5.18	2,976	54.67
Tamil Nadu	27	0.44	5,205	88.84
Maharashtra	283	5.94	2,938	61.43
Mysore	131	3.89	2,215	65.79
Orissa	22	0.74	2,328	78.46
Punjab & Haryana	95	2.75	2,444	71.40
Rajasthan	252	8.47	1,506	50.62
Uttar Pradesh	102	0.73	11,120	79.24
West Bengal	4	0.09	4,030	86.43

भारत तथा बंगला देश के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवा

* 20. **श्री निहार लास्कर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा बंगला देश के बीच बरास्ता आसाम अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवा इस बीच आरम्भ कर दी गयी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) : 23 मार्च 1972 के व्यापार करार के अनुच्छेद के अनुसार एक सन्धिपत्र का प्रस्ताव है और वह बंगला देश सरकार के विचाराधीन है ।

वर्ष 1971-72 के दौरान राज्यों में बहु फसलों के लिए प्रायोगिक परियोजनायें

2. **श्री भोला मांझी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में बहु फसलों के लिये अब तक तथा संघ-राज्य क्षेत्रों में वर्ष 1971-72 में आरम्भ की गई 53 प्रायोगिक परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : देश के अन्दर प्रारम्भ की गई 53 मार्गदर्शी परियोजनाओं की एक सूची संलग्न है। **(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी—3182/72)** इन परियोजनाओं का चयन सिंचाई तथा निकासी की समुचित सुविधाओं, सहकारी समितियों, वाणिज्यिक बैंकों, आदानों की आपूर्ति तथा वितरण करने वाले संस्थानों जैसी दृढ़ सेवी संस्थाओं आदि की विद्यमानता तथा संतुलित विकास के लिये आवश्यक अवस्थापना की विद्यमानता जैसे मानदण्डों के आधार पर किया गया है।

मार्गदर्शी परियोजनायें संगठन, भौतिक आदानों, वित्तीय संसाधनों, तकनीकी सहायता तथा विपणन, परिसंस्करण, भंडारण, सड़कों तथा संचार सुविधाओं जैसी अवस्थापना के रूप में बहुफसली कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के प्रदर्शन के उद्देश्य से तैयार की जाती है। प्रत्येक ब्लाक में समेकित कार्यवाही कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में अनुकूली परीक्षण, वैज्ञानिक प्रदर्शन, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सुव्यवस्थित विस्तार सहायता और आपूर्ति तथा ऋण सेवाओं, विपणन सेवाओं और सम्बन्धित गतिविधियों को सुचारु रुप देने के प्रयत्न सम्मिलित हैं। बहु फसली कार्यक्रम के फल-स्वरूप केवल खाद्यानों तथा दालों का ही नहीं बल्कि नकदी फसलों, सब्जियों, फलों, चारे आदि के उत्पादन में भी वृद्धि करना संभव होगा।

श्वेत कुष्ठ का इलाज

3. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि एक 'प्राइवेट' चिकित्सक, डा० जेम्स विलियम ने श्वेतकुष्ठ का इलाज निकाला है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कोई ब्यौरा मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो वह ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय उपमन्त्री (श्री अभिय कुमार किस्कू)

(क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

योजनाओं में भाण्डागारों को प्राथमिकता

4. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों की योजनाओं में भाण्डागारों को प्राथमिकता देने पर विचार किया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किसी राज्य सरकार ने केन्द्र से निवेदन किया था; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) सरकार यह वांछनीय समझती है कि विशेषतया देश के अत्यधिक अधिशेष क्षेत्रों में भाण्डागारों और भण्डारण सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए उच्च अग्रता दी जानी चाहिए। जहां तक राज्य प्लानों का सम्बन्ध है, राज्य प्लानों में उच्च अग्रता देना मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार का कार्य है।

(ख) और (ग) : भाण्डागार सम्बन्धी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य भाण्डागार नियमों द्वारा अपेक्षित धनराशि बराबर आधार पर केन्द्रीय भाडागार निगम और सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा सुलभ की जाती है। विभिन्न राज्य भाण्डागार निगमों में तयशुदा आवश्यकताओं के अनुसार वितरण करने के लिए इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा अपेक्षित धनराशि भारत सरकार सुलभ करती है। राज्य सरकारें सामान्यता इस सम्बन्ध में केन्द्र सीधे पत्र-व्यवहार नहीं करती है।

विट्ठल भाई पटेल हाउस, नई दिल्ली, के निवासियों से जल तथा विद्युत शुल्क की वसूली

5. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विट्ठलभाई पटेल हाउस, नई दिल्ली, के निवासियों से जल तथा विद्युत शुल्क सम्पदा कार्यालय द्वारा वसूल किया जाता है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त राशि का किस आधार पर हिसाब लगाया जाता है; और

(ग) क्या प्रत्येक मास मीटरों को पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक सूट में पानी तथा बिजली की खपत के प्रभारों की गणना मीटर रीडिंग के आधार पर निम्नलिखित दरों के अनुसार की जाती है।

(1) **पानी**

(i) पानी की सप्लाई : 2 रुपये प्रति हजार गैलन

(ii) मीटर का किराया : एक रुपया प्रति मास

(2) **बिजली**

(i) घरेलू सप्लाई : 24 पैसे प्रति यूनिट

(ii) पावर सप्लाई : 13 पैसे प्रति यूनिट

(iii) मीटर का किराया : 50 पैसे प्रति मास प्रति मीटर

(ग) पानी तथा बिजली के मीटरों/उप-मीटरों की मासिक रीडिंग की व्यवस्था उपलब्ध है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की 'फील्ड यूनिटों' में कर्मचारियों को स्थायी बनाना

6. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने वर्ष 1967 में हैदराबाद, बीकानेर तथा शिलांग में क्षेत्रीय कार्यालयों के रूप में तीन 'फील्ड यूनिट' स्थापित किये थे;

(ख) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा नियुक्त प्रवर समिति ने नये कर्मचारियों को नियुक्त किया था और यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है, और

(ग) क्या इन 'फील्ड यूनिटों' के सभी कर्मचारियों की, उनके पाँच वर्ष की सेवा के पश्चात् भी स्थायी नहीं बनाया गया है; और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां। तथापि, इन फील्ड यूनिटों को 30-6-1970 (अपराह्न) से बन्द कर दिया गया था। तथा इन तीनों स्टेशनों पर राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण बीकानेर कार्यालय को जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया है।

(ख) तथा (ग): श्रेणी के अधीन 6 व्यक्तियों तथा श्रेणी 3 और 4 के अधीन 20 व्यक्तियों की नई नियुक्तियां की गई थी। किन्तु इन नये कार्यालयों में अथवा रा० शि० अ० और प्र० परिषद के अन्य कार्यालयों में सभी पुराने कर्मचारियों को खपा लिया गया था। चूंकि यह फील्ड कार्यालय अस्थायी प्रतिष्ठान हैं, अतः पदाधारियों को स्थायी घोषित नहीं किया जा सकता। तथापि ऐसे आदेश जारी कर दिए गए है कि जिन कर्मचारियों की तीन वर्ष से अधिक की लगातार सेवा हो, उन्हें निर्धारित कार्यविधि के अनुसार स्थायिबत् घोषित कर दिया जाए।

माडल स्कूलों का खोला जाना

7. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की देख-रेख में समूचे देश में माडल स्कूल खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्कूलों को केवल जिला मुख्यालयों में ही खोला जायेगा अथवा इन स्कूलों के लिये स्थान ढूंढने के लिए कुछ अन्य स्थलों के बारे में भी विचार किया जायेगा ;

(ग) इन स्कूलों के चयन के लिए कौन-सी एजेन्सी उत्तरदायी है ; और

(घ) क्या स्थानों को छांटने के लिये लोक-सभा के सदस्यों को भी सम्मिलित किया जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क), (ख), (ग) और (घ) प्रत्येक ब्लाक में एक-एक आदर्श प्राथमिक स्कूल और प्रत्येक जिले में एक-एक आदर्श माध्यमिक स्कूल के हिसाब से पर्याप्त संख्या में स्कूल खोलने का प्रस्ताव अभी तैयार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड से विचार-विमर्श करके किया जायेगा।

वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 में सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना

8. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 में देश में नई सड़कों में से "राष्ट्रीय राजमार्गों" को चुनने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो जिन सड़कों का चुनाव करने का विचार है उनके राज्यवार नाम क्या हैं तथा वे कितने-कितने किलोमीटर लम्बी हैं ; और

(ग) क्या इसके लिए देश में पहाड़ी तथा पिछड़े राज्यों को वरीयता दी जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) चतुर्थ योजना में नये राष्ट्रीय राजमार्गों के घोषणा के लिए की गई व्यवस्था के आधार पर, 1971-72 के दौरान कुल लगभग 4,819 किलो मीटर दूरी की कई सड़कों को पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जा चुके थे। अतएव, 1972-73 और 1973-74 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के लिए किन्हीं और सड़कों के चुनाव का अब कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

परिवार नियोजन के बारे में जनगणना प्रतिवेदन

9. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जून, 1972 के 'इण्डियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि 1971 की जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की जनसंख्या की दर सतत बढ़ रही है तथा बढ़ती हुई जनसंख्या पर परिवार नियोजन कार्यक्रमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ; और

(ख) राज्यवार जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है और समीक्षाधीन अवधि में प्रत्येक राज्य में परिवार नियोजन पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

स्वास्थ्य और परियार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री : (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) जी हां। 21 जून, 1972 को इण्डिया एक्प्रैस में जो समाचार छपा था सरकार को उसकी जानकारी है। 1951-61 के दौरान 21.64 प्रतिशत के विरुद्ध 1961-71 के दौरान भारत में जनसंख्या वृद्धि 24.80 प्रतिशत थी। भारत के महापंजीकार ने अभी 1961-71 के दौरान जन्मदर का हिसाब नहीं लगाया है और इसलिए इस आधार पर यह निर्णय करना संभव नहीं है कि क्या जनसंख्या वृद्धि दर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम का कोई प्रभाव पड़ा है। अनुमान है कि मार्च, 1971 तक परिवार नियोजन कार्यक्रम द्वारा कुल 74 लाख जन्म रोके गये हैं।

(ख) 1961-71 के दौरान हुई राज्यवार जनसंख्या वृद्धि दर तथा 1961-71 के दौरान परिवार नियोजन पर किया गया व्यय अनुलग्नक में दिए गए हैं।

विवरण

1961-71 के दौरान राज्यवार जनसंख्या वृद्धि की दरें और परिवार नियोजन पर हुआ व्यय ।

	राज्य	प्रतिशत वृद्धि दर	व्यय (रुपये लाखों में)
1.	आँध्र प्रदेश	20.90	1,393.1
2.	असम	34.71	203.5
3.	बिहार	21.31	686.4
4.	गुजरात	29.39	994.8
5.	हरियाणा	32.23	295.2*
6.	हिमाचल प्रदेश	23.04	अनुपलब्ध
7.	जम्मू एवं कश्मीर	29.65	104.2
8.	केरल	26.29	976.0
9.	मध्य प्रदेश	28.67	1,317.5
10.	महाराष्ट्र	27.45	1,559.0
11.	मणिपुर	37.53	अनुपलब्ध
12.	मेघालय	31.50	4.3**
13.	मैसूर	24.22	819.7
14.	नागालैण्ड	39.88	अनुपलब्ध
15.	उड़ीसा	25.05	805.5
16.	पंजाब	21.70	573.0
17.	राजस्थान	27.83	778.9
18.	तमिलनाडु	22.30	970.8***
19.	त्रिपुरा	36.28	अनुपलब्ध
20.	उत्तर प्रदेश	19.79	1,955.0
21.	पश्चिम बंगाल	26.87	864.4

टिप्पणी :—*व्यय के ये आंकड़े 1966-67 से 1970-71 की अवधि के लिए है । इससे पूर्व अवधि (1961-62 से 1965-66 तक) के आंकड़े पंजाब में शामिल हैं ।

**व्यय के ये आंकड़े केवल 1970-71 वर्ष के लिए हैं । इससे पूर्व अवधि (1961-1970) के आंकड़े असम राज्य में शामिल हैं ।

***व्यय के ये आंकड़े 1966-67 से 1970-71 तक की अवधि के हैं । इससे पूर्व अवधि (1961-66) के आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम तथा द्वितीय वर्ष की परीक्षा का हटाया जाना

10. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह निर्णय किया है कि प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में कोई परीक्षा नहीं होगी तथा परीक्षा केवल अन्तिम वर्ष में होगी ;

(ख) यदि हां, तो अपने आप अगली कक्षा में जाने सम्बन्धी ऐसी प्रक्रिया के लागू करने में क्या औचित्य है जिसके परिणामस्वरूप अन्तिम वर्ष में बहुत बड़ी संख्या में छात्र फेल हो जायेंगे ; और

(ग) क्या भारत के किसी अन्य विश्वविद्यालय में भी ऐसी प्रथा अपनाई गई है तथा इस निर्णय के पूर्व क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श लिया गया था और क्या इससे शिक्षा के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) विश्वविद्यालय ने इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

मद्यनिषेध को समाप्त करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से सूचना

11. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में मद्यनिषेध समाप्त करने सम्बन्धी अपने निर्णय की सूचना केन्द्र को दे दी है ;

(ख) क्या किसी अन्य राज्य ने ऐसे ही निर्णय के बारे में केन्द्र को सूचना दी है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) मद्यनिषेध के कारण राज्य को हो रही हानि की पूर्ति करने के लिये इस समय जो केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार को दी जा रही है उसमें से कितनी सहायता की बचत होगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामा स्वामी) : (क) और (ख) : जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों की वरिष्ठता

12. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि दिल्ली विश्व-विद्यालय के सम्बद्ध कालेजों के जो अध्यापक दिल्ली विश्वविद्यालय की सेवा में नियुक्त हुए थे उन्हें

कालेजों में उनके सेवा-काल के लिये वरिष्ठता प्रदान नहीं की जाती है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) ऐसे अध्यापकों की संख्या कितनी है जो सम्बद्ध कालेजों से विश्वविद्यालय में आये हैं और इस कारण से उनको हानि हुई है ; और

(ग) इन अध्यापकों को वरिष्ठता प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किस कार्यवाही पर विचार कर रहा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास इस विषय में कोई सूचना नहीं है। तथापि, दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों की वरिष्ठता को विश्वविद्यालय के कानून तथा कार्य-परिषद् द्वारा उनके अधीन समए-समय पर निर्धारित किए गए सिद्धांतों के अनुसार सुनिश्चित किया जाता है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विश्वविद्यालय की 'पोस्ट ग्रेजुएट इवनिंग इंस्टीच्यूट में एम० ए०/एम० एस० सी० में' आपरेशनल रिसर्च विषय का लागू करना

13, **श्री डी० के० पंडा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय की 'पोस्ट ग्रेजुएट इवनिंग इंस्टीच्यूट' में एम०ए०/एम० एस० सी० में 'अपरेशनल रिसर्च' विषय लागू नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या 'आपरेशनल रिसर्च' विषय उद्योग, रक्षा तथा व्यावहारिक विज्ञान में लागू होता है ; और क्या दिल्ली में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे व्यापारिक प्रबन्धकों तथा अन्य कर्मचारियों की यह भारी मांग है कि 'इवनिंग इंस्टीच्यूट' में इस विषय को लागू किया जाय ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) स्नातकोत्तर सायंकालीन संस्थान में गणित की एम० ए०/एम० एस० सी० परीक्षा के पाठ्यक्रमों में 'आपरेशनल रिसर्च' विषय ऐच्छिक पेपरों में से एक है। तथापि सांयकालीन संस्थान में विद्यार्थियों को आपरेशनल रिसर्च' में एम० ए० /एम० एस० सी० परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका कारण यह है कि व्यावहारिक रूप से सभी प्रार्थियों को दिन की कक्षाओं में ही खपाया जाता है।

(ख) तथा (ग) : 'आपरेशनल रिसर्च' की तकनीकी तथा सिद्धान्तों को उद्योग रक्षा तथा कुछ प्रयुक्त विज्ञानों की समस्याओं में उपयोगी ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है परन्तु भारत में आपरेशनल की तकनीकों को बहुत ही सीमित हद तक उपयोग में लाया जा रहा है। विश्वविद्यालय दिल्ली में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे व्यापारिक प्रबन्धकों तथा अन्य कर्मचारियों की इस भारी मांग से कि सांयकालीन संस्थान में इस विषय को लागू किया जाए अवगत नहीं है।

दिल्ली विश्वविद्यालय की ' पोस्ट-ग्रेज्युएट इवनिंग इंस्टीच्यूट ' में गणित में रीडरों की नियुक्ति

14. **श्री धनशाह प्रधान** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि जिन अध्यापकों ने ' आपरेशन रिसर्च ' में पी० एच० डी० की है उन्हें हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय की पेपोस्ट ग्रेज्यूएट इवनिंग इंस्टीच्यूट ' में गणित में ' रीडरों ' के रूप में नियुक्त किया गया है ;

(ख) क्या 'आपरेशन रिसर्च' में पी० एच० .डी० अध्यापकों को विश्वविद्यालय की प्रातः-कालीन कक्षाओं में, गणित के रीडरों के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसी नियुक्तियों में समानता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है। फिर भी दिल्ली विश्व-विद्यालय ने यह स्पष्ट किया है कि यह कहना गलत है कि विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर सांयकाल संस्थान के गणित विभाग में प्रायोगिक अनुसंधान में पी० एच० डी० प्राप्त अध्यापकों की हाल ही में उपचारों के पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि दिन सांयकाल की कक्षाओं में प्रायोगिक अनुसंधान में एम० ए०/एम० एस० सी० की डिग्री तथा इससे सम्बन्धित विषयों में से किसी एक में पी० एच० डी० प्राप्त किसी भी व्यक्ति को उपाचार्य के पद पर नियुक्त नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन निगम में कंडक्टरों के रूप में नियुक्त स्नातक तथा उनकी डाक्टरी जांच

15. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन ने हाल ही में कुछ स्नातकों को कन्डक्टरों के रूप में नियुक्त किया है और यदि हां, तो साक्षात्कार के लिए बुलाये गये चुने गये और नियुक्त किए गये लोगों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या इन बेरोजगार स्नातको को चिकित्सा अधिकारियों के हाथों उस समय परेशानी के कटु अनुभव का सामना करना पड़ा जब वे डाक्टरी जांच के लिए गये तथा जांच के दिनों में शाम के 5 बजे तक प्रतीक्षा करने के पश्चात् उनकी डाक्टरी जांच को किन्ही अन्य तारीखों के लिए स्थगित कर दिया गया ; और

(ग) यदि हां, तो जिन लोगों को परेशानी हुई उनको असुविधा न हो, यह सुनिश्चत करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां। कन्डक्टरों के पद पर नियुक्ति के लिए 323 स्नातक साक्षात्कार के लिये बुलाये गये थे और उनमें से 176 चुने गये हैं। इन चुने गये व्यक्तियों में से प्रशिक्षण परीक्षण पास करने वाले 45 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र जारी किये जा रहे हैं।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम का चिकित्सा बोर्ड प्रतिदिन अपराह्न में आमतौर पर लगभग बीस प्रत्याशियों की डाक्टरी जांच करता है। परन्तु, एक दिन डाक्टरी जांच के लिए काफी अधिक प्रत्याशी बुला लिए गये थे और बीस के बाद के उम्मीदवारों को अन्य दिनों डाक्टरी जांच के लिये आने के लिए कहा गया।

(ग) इस बात का निश्चय कर लिया गया है कि भविष्य में डाक्टरी जांच हेतु केवल उतने प्रत्याशी ही बुलाये जाएंगे जिनकी डाक्टरी बोर्ड द्वारा सुविधा से जांच की जा सकेगी।

यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों से पत्र द्वारा जुर्माना मांगने की योजना

16. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा अन्धाधुन्ध चालान करने के परिणामस्वरूप दिल्ली के न्यायालयों में निपटाने के लिए बहुत से मामले (लगभग एक लाख) अभी तक अनिर्णीत पडे हैं, क्योंकि मजिस्ट्रेट अक्सर बदलते रहते हैं ;

(ख) इन मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ;

(ग) क्या यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को मौके पर पकड़ने के लिए दिल्ली में और चलते-फिरते मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित किये जा रहे हैं ; और

(घ) क्या सरकार यातायात पुलिस द्वारा यातायात के सभी नियमों का उल्लंघन करने वालों को एक निश्चित तारीख तक पत्र द्वारा जुर्माने की मांग करने की पुरानी योजना, जैसी कि दिल्ली में पहले होता था, को पुन: चालू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि यह सही नहीं है कि यातायात सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन के लिये दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा अन्धाधुन्ध चालान किए जाते हैं।

(ख) ऐसे मामलों से निपटने के लिए कश्मीरी गेट पर चार नियमित यातायात न्यायालय कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, 90,000 अनिर्णीत यातायात मामले तीस हजारी के अठारह न्यायालयों को सौंप दिए गए हैं।

(ग) यह मामला दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

(ग) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 130 के अन्तर्गत न्यायालयों के पास दोषों के निर्णय करने की शक्तियां है। अतएव उस जुर्माने को सूचित करना न्यायालयों का काम है जोकि दोषी स्वयं न्यायालय में पेश होने की बजाय मनीआर्डर द्वारा भेज सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास, अपना दोष स्वीकार कर लेने के बाद, न्यायालय को मनीआर्डर द्वारा जुर्माने की रकम भेजने का विकल्प रहता है।

बारंगल, आन्ध्र प्रदेश में जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय की स्थापना

17. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस वर्ष के अन्त तक आन्ध्र प्रदेश के बारंगल में जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना स्वीकृत कर दी है और यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश में पहले से चल रहे विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध वर्तमान कोई कालेज भी इस नए विश्वविद्यालय से भी सम्बद्ध किए जायेंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो नया विश्वविद्यालय किस रूप में कार्य करेगा तथा वहां पर किस प्रकार के विषयों का शिक्षण दिया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) बारंगल में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार की योजना अभी तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है। राज्य सरकार ने अभी तक विश्वविद्यालय के लिए कोई विशिष्ट नाम सूचित नहीं किया है।

योजना के अनुसार, प्रस्तावित विश्वविद्यालय राज्य के सभी इंजीनियरी कालेजों को संघटक एककों के रूप में शामिल करेगा और उनको नई पाठ्यचर्या निर्धारित करने, नई अध्यापन पद्धति का तैयार करने और उसका विकास करने तथा उद्योग से निकट सम्पर्क स्थापित करने के लिए शैक्षिक स्वायत्तता प्रदान करेगा। इसमें विविध कार्यक्रमों के जरिए इंजीनियरी शिक्षा में नवीनता और उत्पादकता लाने की भी व्यवस्था है।

(ख) हालांकि मूल योजना में यह परिकल्पना है कि नये प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय में सभी इंजीनियरी कालेजों को शामिल करना चाहिए, किन्तु राज्य सरकार ने बाद में यह स्पष्ट किया है कि सीधे तौर से राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन तीन इंजीनियरी कालेजों को प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय के अन्तर्गत नहीं लाया जाएगा। इस स्पष्टीकरण के अनुसार प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय में राज्य के वे पांच इंजीनियरी कालेज शामिल होंगे, जो केवल इस समय विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध है।

मलेरिया उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता

18. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मलेरिया के मूल कारणों का उन्मूलन करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता लेने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो भारत को अब तक इस सम्बन्ध में किस प्रकार की सहायता दी गई है ; और

(ग) देश में मलेरिया उन्मूलन कार्य के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से सरकार का और क्या उपाय करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित): (क) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन भारत सरकार के तकनीकी विशेषज्ञ तथा राज्य मलेरिया उन्मूलन विषयक समस्याओं पर विचार करने के लिये सक्षम हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में भारत साधु समाज का अभ्यावेदन

19. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत साधु समाज के सचिव ने प्रधान मन्त्री तथा राज्यों के मुख्य मन्त्रियों से यह अनुरोध किया है कि भूमि की अधिकतम सीमा का सम्बन्ध व्यक्तिगत भूमि से है तथा मटों मस्जिदों, मन्दिरों तथा गिरजाघरों की भूमि को इस प्रस्तावित विधि में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) धार्मिक, धर्मार्थ और शिक्षा-न्यासों को छूट देने का प्रश्न 23 जुलाई, 1972 को हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलम में परामर्श के लिए रखा गया था। सम्मेलन ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय किया है कि धार्मिक, धर्मार्थ और सार्वजनिक प्रकार के शिक्षा-न्यासों के मामले में राज्य सरकारें अपनी इच्छानुसार अधिकतम सीमा में छूट दे सकती हैं। यह निर्णय मार्गदर्शन के लिए समस्त राज्य सरकारों को औपचारिक रूप से भेजा जाएगा।

मध्य प्रदेश में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

20. **श्री मार्तण्य सिंह : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सम्पूर्ण राज्य में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस द्रुत कार्यक्रम पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए अपना वित्तीय सहयोग भी दिया है और इस पर कितना खर्च आयेगा ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) : मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1961, जिसमें अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है, पहले से लागू है। 4 और 5 मई, 1972 को नई दिल्ली में आयोजित शिक्षा सचिवों और शिक्षा निदेशकों के सम्मेलन की सिफारिश के अनुसरण में राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में 6 से 11 वर्ष तक की आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 1975-76 तथा 11 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 1980-81 तक प्राथमिक शिक्षा को राज्य व्यापी बनाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है।

मध्य प्रदेश की इस प्रस्तावित योजना पर योजना आयोग और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के परामर्श से विचार किया जायेगा।

कृषि मंत्रालय में अधिकारी संघ

21. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने भारतीय खाद्य निगम कार्यकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी संघ नाम का कोई अधिकारी संघ है ;

(ख) क्या इस अधिकारी संघ को प्रबन्ध और सरकार ने मान्यता प्रदान की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) इस समय भारतीय खाद्य निगम में 17 एसोसियेशनें/यूनियन कार्य कर रही हैं।

(ख) इनमें से किसी भी एसोसियेशन/यूनियन को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है।

(ग) मान्यता प्रदान न करने के कारण इस प्रकार हैं :–

(1) निगम की नीति एक उद्योग के लिए एक मान्यता प्राप्त यूनियन को बढ़ावा देने की है ;

(2) यह निगम की स्वीकृत नीति है कि बहुत प्रतिनिधित्व पंजीकृत ट्रेड यूनियन को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए जिनकी सदस्यता सभी ग्रेड के लोगों के लिए हो और किसी विशिष्ट वर्ग के हित तक सीमित न हो।

(3) भारतीय खाद्य निगम के अधिकांश कर्मचारियों में खाद्य विभाग से स्थानान्तरित कर्मचारी है, जो कि खाद्य निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 के अनुसार जब तक औपचारिक रूप से स्थानान्तरित नहीं हो जाते है तब तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी बने रहेंगे।

द्रुतगामी कार्यक्रम के अधीन आसाम में रोजगारों की व्यवस्था तथा उसके अन्तर्गत राशि का आवंटन

22. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971-72 के दौरान द्रुतगामी कार्यक्रम के अधीन आसाम में कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार दिए गए और

इस अवधि के लिए कितनी राशि स्वीकृति की गई थी और कितनी व्यय की गयी तथा जिले-वार 1972-73 के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृति की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : प्रत्येक परियोजना में काम में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या तथा उन्हें काम में लगाए जाने की अवधि भिन्न-भिन्न है। इसलिए रोजगार के बारे में सूचना श्रमदिनों के रूप में एकत्र की जाती है । असम सरकार ने वर्ष 1971-72 में 19.80 लाख श्रमदिनों का रोजगार सूचित किया है। इसके लिए 81.49 लाख रुपए का व्यय सूचित किया गया है। राज्य को 112.50 लाख रुपए के नियतन के मुकाबले में 107.04 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की गई थी। 12.50 लाख रुपये प्रति जिले की दर से वर्ष 1972-73 के लिए असम सरकार का नियतन 125 लाख रुपये है।

द्रुतगामी कार्यक्रम के अधीन ग्रामीणों को दिए गए रोजगार तथा उसके अन्तर्गत राशि का आवंटन

23. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्रुतगामी कार्यक्रम के द्वारा राज्यवार 1971-72 के दौरान कितने लोगों को रोजगार दिए गए और इस अवधि में कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ख) वर्ष 1972-73 के लिए राज्यवार द्रुतगामी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) प्रत्येक परियोजना में काम में लगाए गए श्रमिकों की संख्या तथा उन्हें काम में लगाए जाने की अवधि भिन्न-भिन्न है। इसलिए पैदा किए गए रोजगार के बारे में सूचना श्रमदिनों के रूप में एकत्र की जाती है। 1971-72 में धनराशि का आवंटन, जारी की गई प्रशासनिक मंजूरियां, किया गया व्यय तथा पैदा किया गया रोजगार दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3183/72]

(ख) वर्ष 1972-73 के लिए 49.965 करोड़ रुपये का परिव्यय सुलभ किया गया है, जिसमें से 48.465 करोड़ रुपये की धनराशि विभिन्न राज्य सरकारों तथा केन्द्र-शासित क्षेत्रों के प्रशासनों में आवंटित की गई है। विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों को आवंटित की गई राशि को दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3183/72]** राज्यों को इस धनराशि का एक चौथाई भाग अर्थात् प्रथम तिमाही किश्त अप्रैल, 1972 में दी गई थी। प्रायोगिक गहन ग्राम रोजगार परियोजना के लिए 1.50 करोड़ रुपये की धनराशि अलग रखी गई है। यह परियोजना 15-59 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले सभी व्यक्तियों, जिन्हें इस प्रकार के रोजगार की आवश्यकता है, को शारीरिक श्रम रोजगार उपलब्ध करने के लिए बनाई गई है। परियोजना का कार्यान्वयन 15 राज्यों में आरम्भ किया जा रहा है तथा इस पर नवम्बर, 1972 से कार्य आरम्भ हो जाएगा।

डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली में पानी की व्यय की समान दर

24. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेक्टर डी—डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली के निवासियों से पानी का खर्च 5 रुपये प्रतिमास की समान दर से लिया जाता है ;

(ख) क्या 5 रुपये प्रतिमास व्यय उचित है, जबकि उन्हें 24 घन्टों में से केवल 90 मिनट पानी दिया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार जल दरों को संशोधित करने तथा इस सेक्टर में मीटर लगाने के लिये क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ताकि किरायेदार वास्तविक खपत के अनुसार ही भुगतान कर सकें ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : सरकारी रिहायशी स्थानों के लिए जहाँ सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा व्यक्तिगत पानी के मीटर उपलब्ध नहीं किये गये हैं, पानी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा इकट्ठा प्राप्त किया जाता है तथा निवासियों को बांटा जाता है । पिछले वर्ष के दौरान इकट्ठी सप्लाई पर हुये वास्तविक खर्च के आधार पर सामान दर पर प्रभार प्रतिवर्ष निर्धारित किये जाते हैं । नवनिर्मित रिहायशी स्थानों के मामले में, पानी को समान दर का प्रभार उसी प्रकार के टाइप के वास के लिये, लिए जा रहे फ्लेट दरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है । वसूल की गई कुल राशि तथा पहले वर्ष में हुये वास्तविक व्यय के बीच अन्तर को अगले वर्ष के लिये दर निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाता है । तदनुसार इन फ्लैटों के लिये जल प्रभार की दर को संशोधित भी किया जा सकता है ।

इन फ्लैटों में पानी के व्यक्तिगत मीटर उपलब्ध करने के प्रश्न पर सम्बन्धित स्थानीय निकाय को पहले ही लिख दिया गया है और उनके साथ मामले पर कार्यवाही की जायेगी ।

सेक्टर 'डी' डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली के बहुमंजिले क्वार्टरों का अलाटमेंट

25. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेक्टर डी—डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली के नव निर्मित बहुमंजिल क्वार्टर नवम्बर, 1971 में सरकारी कर्मचारियों को अलाट किये गये थे, लेकिन अलाटमेंट के नौ महीने बाद भी क्षेत्र का संतोषजनक विकास नहीं हुआ ;

(ख) क्या वहां अब तक भी सड़कों पर बत्तियां नहीं लगायी गयी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्षेत्र का विकास करने तथा किरायदारों की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) से (ग) क्वार्टर 25 अगस्त, 1971 से 7 जनवरी, 1972 के बीच विभिन्न तारीखों को आवंटित

किये गये थे। जहां तक सड़कों, नालियों, चहारदीवारी और कच्चे पानी की सप्लाई से सम्बन्धित निर्माण कार्यों का सम्बन्ध है, क्षेत्र का विकास अंशतः हुआ है। लॉज आदि के घास लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

जहां तक गलियों में बिजली लगाने का संबंध है, वह नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा उपलब्ध की जानी है, जिसके पास आवश्यक धन-राशि जमा करा दी गई है। मामले पर नई दिल्ली नगर पालिका को प्रभावशाली ढंग से लिखा जा रहा है।

सेक्टर 'डी' डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली के क्वार्टरों में त्रुटियां

26. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेक्टर डी—डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली के बहुमंजिले क्वाटरों के किरायदारों ने इन्क्वायरी आफिस को कई बार शिकायत की है कि टाइप III क्वाटरों के चिप वाले भाग हैं घटिया और उस पर पालिश करना जरूरी है लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस पर कब तक कार्यवाही करेगी ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) चिप्स के फर्शों की घटिया पालिश के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन पर ध्यान दिया है और दोषों को दूर कर दिया गया।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम

27. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में किरायेदार की परिभाषा बदलने सम्बन्धी संशोधनों के सुझाव देने हेतु नियुक्त समिति के सुझावों पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) किस समय तक प्रस्तावित दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक को इस सदन में विचारार्थ पेश किये जाने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री(श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) से (ग) : दिल्ली रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम, 1958 के संशोधन के प्रश्न पर विचार करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई विभागीय समिति ने 21 सितम्बर, 1970 को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें उनकी सिफारिशें हैं। यह रिपोर्ट निर्माण और आवास मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्यों को उनकी टिप्पणियों तथा सुझावों के लिए 12 अक्तूबर, 1971 को भेजी गई है, जिनकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है। उनकी टिप्पणियां आने पर ही निर्धारित पद्धति के अनुसार आगे आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

गुजरात राज्य में बन्दरगाहों का विकास

28. **श्री प्रभूदास पटेल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न चेम्बर आफ कार्मस के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों की बैठक गुजरात राज्य में बन्दरगाहों के विकास के प्रश्न पर विचार करने के लिये गुजरात में हुई थी, यदि हां, तो क्या निर्णय लिये गये ;

(ख) क्या गुजरात में बन्दरगाहों की स्थिति अच्छी नहीं जबकि इन बन्दरगाहों में आयात और निर्यात का कार्य होता है ;

(ग) इन बन्दरगाहों के विकास हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) क्या इस मामले पर विचार करने के लिये कोई समिति स्थापित की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। यह निश्चय किया गया था कि दो समितियां बनाई जांय जो निम्नलिखित का अध्ययन करें :

(1) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात राज्य में पत्तनों की विकास आवश्यकता, और

(2) राज्य सरकार के पत्तन संगठन का प्रशासकीय ढांचा

(ख), (ग) और (घ): गुजरात राज्य दो छोटे पत्तनों के विकास के कार्यकारी प्रभार से संबंधित है ने इस प्रयोजन के लिए चौथी योजना में लगभग 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जिसमें पोरबन्दर का सर्वऋतु पत्तन के रूप में विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन लगभग 7 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। विकास के मुख्य मदों में कर्ष नाव और बजरों की अधिप्राप्ति उत्तरी की को परिचालन में लाने के लिए सहायक पत्तन सुविधाओं की व्यवस्था, भावनगर के पत्तन पर पड़ाव कार्य के लिए नया स्थान, बेदी में प्रवाह की ओर की सुविधाओं का विस्तार और ओखा और भावनगर पत्तनों में कटर सक्शन निकर्षक की प्राप्ति और निकर्षण कार्य शामिल है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पत्तनों के हालात अच्छे हैं। राज्य सरकार का उक्त (क) में उल्लिखित दो समितियों को बनाने का प्रस्ताव है।

"निरोध" का वितरण और वाणिज्यिक बिक्री

29. **डा० सरदीश राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में उत्पादित "निरोध" के वितरण और वाणिज्यिक बिक्री का कार्य विदेश नियंत्रित फर्मों के हाथ में है ; और

(ख) यदि हां, तो वितरण करार की शर्तें तथा फर्मों के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) निरोध वाणिज्यिक वितरण योजना के अन्तर्गत निरोध वितरण के लिए उपभोक्ता माल बेचने वाली

छः कम्पनियां नियुक्त की गई हैं। समझा जाता है कि इनमें से पांच कम्पनियों का विदेशों से भी काफी लेन-देन चलता है।

(ख) इन छः कम्पनियों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. ब्रुक बाण्ड इंडिया लिमिटेड।
2. हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड।
3. इंडिया टोबेक्को कम्पनी लिमिटेड।
4. लिम्पटन इन्डिया लिमिटेड।
5. टाटा आयल मिल्स कम्पनी लिमिटेंड।
6. यूनियन कारबाइड (इंडिया) लिमिटेड।

मैसर्स यूनियन कारबाइड इंडिया लिमिटेड के साथ हुए करार की एक प्रति संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3184/72]** इसी प्रकार के करार अन्य कम्पनियों के साथ किए गये हैं।

राष्ट्रीय नेताओं स्मारक

30. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में राज्यवार वे स्थान कौन-कौन से हैं जहां नेता जी सुभाषचन्द्र बोस, सर्वश्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी के जून, 1972 तक स्मारक स्थापित किये गये और उन पर कितना-कितना व्यय हुआ; और

(ख) निकट भविष्य में स्थापित किये जाने वाले ऐसे स्मारकों की क्या विशेषता है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) भारत सरकार द्वारा दिल्ली में स्थापित किए गये स्मारक तथा उन पर जून, 1972 तक किया गया अनुमानित व्यय निम्नलिखित है :—

	जून, 1972 तक किया गया व्यय लाख रुपयों में
महात्मा गांधी का स्मारक	
राजघाट पर समाधि	64.29
गांधी स्मृति	57.63
श्री जवाहरलाल नेहरू का स्मारक	
शान्तिवन	63.54
नेहरू संग्रहालय तथा लायब्रेरी	10.91
श्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक	
विजय घाट	27.09

भारत सरकार ने एक गैर-सरकारी निकाय को दिल्ली से बाहर का आजाद हिन्द फौज के सिपाहियों के स्मारक के लिये जिसमें मोयरंग में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की कांसे की प्रतिमा भी सम्मिलित है। 50,000 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया था।

भारत सरकार के पास इन राष्ट्रीय नेताओं के स्मारकों के बारे में कोई सूचना नहीं है जोकि गैर-सरकारी निकायों, स्थानीय निकायों या राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न राज्यों में स्थापित की गई होगी।

(ख) भारत सरकार द्वारा निकट भविष्य में इन नेताओं का ऐसा कोई स्मारक स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

देश में मलेरिया की वृद्धि

31. **श्री बी० के० दास चौधरी :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में कीटनाशक औषधियों की अपर्याप्त सप्लाई तथा कार्यक्रम के पर्यवेक्षण में ढील के कारण पिछले तीन वर्षों से मलेरिया बढ़ता आ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी राज्य-वार मुख्य बातें क्या हैं और देश भर में राज्य-वार इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) और (ख) : निःसंदेह कुछ राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान मलेरिया की घटनाओं में मामूली वृद्धि देखने में आई है। इस सम्बन्ध में यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि अपने प्रारम्भ होने के 19 वर्षों बाद, यह कार्यक्रम वर्तमान स्थिति में महामारी की दृष्टि से देश के अत्यधिक कठिन भागों की समस्याओं से जूझ रहा है। इसके लिए बी० एच० सी० और मलाथिओन नामक नये कीटनाशकों का प्रयोग भी शुरू कर दिया गया है जो प्रचलिन डी० डी० टी० की अपेक्षा कई गुना अधिक खर्चीला है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि कीटनाशकों की अपर्याप्त सप्लाई के कारण मलेरिया में वृद्धि हुई है। वैसे, कुछ क्षेत्रों में पर्यवेक्षण में कुछ ढील की बात देखने में आई है। सुधारात्मक उपाय बरतने के लिए तुरन्त प्रयत्न किये गये हैं।

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान राज्यों में आक्रामक चरण वाले एककों की संख्या अधिकतम है। 1971 में देश में पता लगाये गये कुल रोग प्रभावी मामलों का लगभग 85 प्रतिशत इन्हीं राज्यों में है। 1972-73 के दौरान यथा समय छिड़काव किये जा सकने के लिए राज्यों को कीटनाशी डी० डी० टी० की सप्लाई करने हेतु 1971 में इसे अग्रिम रूप में प्राप्त कर लिया गया था। ऐसे कतिपय एकक क्षेत्रों में जहां वेक्टर डी० डी० टी० के प्रति सहिष्णु पाया गया वहां बी०एच० सी० का उपयोग किया जा रहा है और महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों की कतिपय बस्तियों में जहां वेक्टर डी० डी० टी० और बी० एच० सी० दोनों के प्रति सहिष्णु पाया गया वहां आर्गोनोफासफोरस कम्पाउण्ड 'मलाथिओन' प्राप्त किया जा रहा है तथा इसकी सप्लाई की जा रही है।

चीनी सम्बन्धी नीति की घोषणा

32. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी सम्बन्धी नीति की घोषणा कर दी है अथवा करने का विचार है जो कि सामान्य परिस्थितियों में कम से कम 3 वर्ष से 5 वर्ष तक लागू रहेगी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) : इस मामले पर विचार-विमर्श अन्तिम दौर में चल रहा है और निर्णय होने पर उसकी घोषणा कर दी जाएगी ।

Dr. Makhanlal Chaturvedi chair in Saugar University

33. **Shrimati Sahodrabhai Rai :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government have established Dr. Makhanlal Chaturvedi Chair in Saugar University ;

(b) whether University Grants Commission has given 50 per cent financial grant to this 'chgir' while approving the Readership of National Poetry under it ;

(c) whether M. Ps., Legislators and Associations have made a strong demand for the provision of cent per cent grant to this 'chair' ; and

(d) the action being taken by the University Grants Commission in this regard ?

The Minister of Education Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) to (d) : The University Grants Commission at its meeting held in May 1972, approved a proposal of the Saugar University to name the Professorship in Hindi (a post included in the Fourth Five Year Plan of the University) as Dr. Makhanlal Chaturvedi Chair and to the creation of a post of Reader specialising in Nationalistic poetry. The Commission's assistance for the Chair was on 100% basis and for the Reader on 50% basis. Subsequently on receipt of representations the Commission agreed to provide 100% assistance for the Readership also as the post was to be attached to the Chair. The decision in this regard has already been communicated to the University.

हिन्दुस्तान लेटैक्स कर्मचारी संघ से अभ्यावेदन

34. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान लेटैक्स कर्मचारी संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) : माननीय सदस्य का संकेत शायद हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड के कर्मचारियों के वेतनमानों/मजदूरी में संशोधन के सम्बन्ध में इस यूनियन के अभ्यावेदन की ओर है । चूंकि इस कम्पनी के प्रबन्धकों और कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों में इस प्रश्न पर कोई समझौता नहीं हो सका है इसलिए "समझौते की शर्तों" के अनुसार अब इस विषय को पंच फैसले के लिए सौंपने का प्रस्ताव

किया गया है। इस विषय को पंच फैसले के लिए सौंपने की स्वीकृति देने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

भारतीय खाद्य निगम में कदाचारों के बारे में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी संघ का आरोप और निगम के अध्यक्ष को पदच्युत की मांग करने वाला ज्ञापन

35. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी संघ से इस आशय का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें भारतीय खाद्य निगम में कदाचारों का आरोप लगाया गया है और निगम के अध्यक्ष को पदच्युत करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) जी हां।

(ख) सरकार इस मामले की जांच कर रही है।

उर्वरकों की दीर्घ-कालिन आवश्यकताओं का मूल्यांकन

36. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरित क्रान्ति के विस्तार के संदर्भ में उर्वरकों की दीर्घ-कालिन आवश्यताओं का मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो आयात पर अधिकाधिक हुए बिना इन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : जी हां। समय-समय पर विभिन्न विशेषज्ञों तथा समितियों ने देश में उर्वरक को दीर्घ-कालीन मांग का अध्ययन किया है। नवीनतम विकासों के आधार पर वास्तविक योजना तैयार करने के लिए दीर्घ-कालीन मांग का लगातार पुनरीक्षण किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के उप महानिदेशक की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति भी आजकल दीर्घ-कालीन मांग का अध्ययन कर रही है।

दीर्घ-कालीन मांग के आधार पर सरकार देश के विभिन्न भागों में अतिरिक्त उर्वरक के उत्पादन को संगठित करने के लिए उपाय करती है।

आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं का निर्धारण

37. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** :
श्री बसन्तराव पुरुषोत्तम साठे :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी दस वर्षों के लिए ग्राम्य और शहरी आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में

सरकार ने क्या अनुमान लगाये हैं और इन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कितना धन खर्च करने का विचार है ; और

(ख) प्रति एकक निर्माण लागत कम करने के लिए यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है तो वह क्या है ।

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) समस्या का अध्ययन, पांचवी पंचवर्षीय योजना बनाने के सम्बन्ध में योजना आयोग में किया जा रहा है ।

(ख) निर्माण की लागत को कम करने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं तथा जिनके उठाये जाने का प्रस्ताव है, वे ये हैं; (i) परम्परागत निर्माण-सामग्री में सुधार करना/उसका उत्पादन बढ़ाना, तथा नवीन निर्माण सामग्री में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देना और (ii) डिजाइनों तथा निर्माण तकनीक में सुधार के लिए अनुसन्धान तथा अन्वेषण करना और वर्तमान सामग्री के स्थान पर लगाने के लिए सस्ती भवन सामग्री तैयार करना ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के ढांचे में परिवर्तन करना

38. **चौधरी राम प्रकाश :**
श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम के प्रतिमान के अनुरूप केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के ढांचे में परिवर्तन लाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह योजना समस्त केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में वर्ष 1972 में अन्त तक लागू की जायेगी ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस योजना की विशेष बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) : सरकार का आम तौर पर गजेन्द्रगडकर समिति द्वारा विश्वविद्यालयों के अभिशासन पर अपनी रिपोर्ट में ली गयी सिफारिशों तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 में की गई व्यवस्थाओं के आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, विश्व-भारती तथा जवाहर लाल विश्वविद्यालय के अधिनियमों में संशोधन करने का विचार है । इस कार्य के वर्ष 1973-74 के दौरान पूरा होने की सम्भावना है ।

कलकत्ता पतन का विकास

39. **चौधरी राम प्रकाश :**
श्री मुहम्मद खुदा बख्श :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन की गत 10 वर्षों से पूर्ण रूप से उपेक्षा की जा रही है ;

(ख) क्या कलकत्ता पत्तन के कर्मचारियों के लिए वहां कोई काम नहीं है और वे अधिकांश समय तक बेकार रहते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) : यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में यातायात की कमी के कारण, कलकत्ता पत्तन में इसके एक तिहाई श्रमिकों को काम देने में असमर्थ रहा है ।

राष्ट्रीय बीज निगम को घाटा

40. **चौधरी राम प्रकाश :**
श्री मुहम्मद खुदा बख्श :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय बीज निगम को अत्यंत अधिक घाटा हो रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस घाटे को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं, राष्ट्रीय बीज निगम वर्ष 1968-69 में 25.05 लाख रुपये की हानि के अलावा पिछले पांच वर्षों से लाभ कमा रहा है ।

(ख) वर्ष 1968-69 में हानि, बीज उद्योग में आय व्यापारिक मन्दी विपणन प्रणाली में परिवर्तन, बीज उद्योग में अपर्याप्त विपणन परिज्ञान और प्राकृतिक आपदाओं जैसे बहुत से कारणों से हुई थी । निगम ने हानि को पूरा करने के लिए अपने मूल्यांकन पर आधारित उत्पादन कार्यक्रमों का युक्तिकरण एवं विविध सूत्रीकरण और देशव्यापी विपणन और वितरण के कुल कार्य का सृजन करने सहित आवश्यक कदम उठाए हैं ।

समूह गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत दिल्ली में पंजीकृत गृह निर्माण समितियां

41. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूह गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत दिल्ली में पंजीकृत समितियों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या है ; और

(ख) उन समूह गृह निर्माण समितियों के नाम क्या हैं जो दिल्ली में प्रथम पारी भूमि के आवंटन के योग्य है और इन समितियों को क्या प्राथमिकताएं दी गई है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) 130 विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3185/72]** 34 और समितियां भी हैं जो मई, 1961 से पूर्व पंजीकृत हुई थी । उन्हें ग्रुप हाउसिंग के आधार पर भूमि के आवंटन को चुनने के लिए विकल्प दे दिया गया है ।

(ख) निम्नलिखित छः समितियों को उनके साथ पहले किए गये वादों को ध्यान में रखते हुए, पहले लाट में भूमि का आवंटन किया जा रहा है ।

1. तारा सहकारी आवास निर्माण समिति,
2. नव केतन सहकारी आवास निर्माण समिति,
3. कालका जी बैस्ट फ्रेंन्ड्ज सहकारी आवास निर्माण समिति,
4. प्रेस एसोसिएशन सहकारी आवास निर्माण समिति,
5. बिजिनेस तथा प्रोफेशनल वोमेन सहकारी ग्रुप आवास निर्माण समिति, तथा
6. यमुना सहकारी आवास निर्माण समिति,

शेष सभी अन्य समितियों को भूमि के आवंटन पर उनकी पंजीकरण की तिथि के अनुसार विचार किया जायेगा ।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों के लिए मकानों की वास्तविक आवश्यकतायें

42. **श्री के० लकप्पा :**
श्री सी० टी० दण्डपाणी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने समस्त राज्यों से अनुरोध किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों के लिए मकानों की वास्तविक आवश्यकताओं के बारे में रिपोर्ट जून से पहले दी जाए ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य से प्राप्त सूचनाओं के मुख्य ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार को पूर्ण विश्वास है कि श्रमिकों को 15 अगस्त, 1973 तक मकान बनाने के लिए भूमि दे दी जाएगी ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी, हां ।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की केन्द्रीय क्षेत्र की नई योजना के अन्तर्गत विभिन्न सरकारों से अब तक प्राप्त मांगों का ब्यौरा मोटे-तौर पर संलग्न विवरण में दिया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–3186/72]**

(ग) स्कीम को सारे देश में यथा सम्भव शीघ्र लागू करने के लिए उसके कार्यान्वयन में तेजी लाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों की रचना

43. **श्री के० लकप्पा :**
श्री प्रसन्नाभाई मेहता :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों की रचना

के बारे में अधिकांश राज्यों की असन्तोषजनक प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में खेद और चिन्ता व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां यह प्रगति धीमी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : भारत सरकार विश्वविद्यालय स्तर की प्रादेशिक भाषाओं में लिखी जाने वाली पुस्तकों की धीमी प्रगति से अवगत है। राज्य सरकारों के परामर्श से समय-समय पर इसमें सुधार के उपाय किए गए हैं।

विभिन्न राज्यों में पुस्तक निर्माण की प्रगति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। **ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०– 3187/72]**

राष्ट्रीय पूंजी क्षेत्र का विकास

44. **श्री के० लकप्पा :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र शासित क्षेत्र दिल्ली और इसके आसपास के हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में राष्ट्रीय पूंजी क्षेत्र के विकास का समन्वय करने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड गठित किया है ; और

(ख) इस बोर्ड से राज्यों को सहायता मिली है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी, हां।

(ख) हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश सरकारों के नगर आयोजना विभागों के सहयोग से केन्द्रीय नगर तथा ग्राम्य आयोजना संगठन ने क्षेत्र के लिये एक ड्राफ्ट प्लान तैयार किया है। राज्य सरकारों ने क्षेत्र के सम्पूर्ण क्षेत्र में रखते हुए इस क्षेत्र में आने वाले अपने सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए विकास योजना तैयार करने के लिए उपाय हेतु नगर आयोजना प्रभाग स्थापित किए है। ये नगर आयोजना प्रभाग क्षेत्रीय नगरों की बृहत योजनाएँ बनाने, सड़कों के विकास, जल-सप्लाई, नालियां तथा बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी उपाय करने जैसे विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में आवी कार्यवाही केन्द्रीय नगर एवं ग्राम आयोजना संगठन के साथ मिलकर कर रहे हैं। इससे भूमि की अवैध सौदेबाजी तथा दिल्ली की ओर आने वाले मार्गों पर अव्यवस्थित नगर विकास को रोकने में सहायता मिली है।

राष्ट्रीय स्वस्थता कोर दल के कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण और उनकी सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में मध्यस्थों के पंचाट की क्रियान्विति

45. **श्री आर० पी० दास** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राष्ट्रीय स्वस्थता दल के कर्मचारी अपने वेतनमानों का पुनरीक्षण और अपनी सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में मध्यस्थों के पंचाट को शीघ्र क्रियान्वित करने की मांग कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के अनुदेशकों की केवल इस मांग का मामला मध्यस्थ के विचाराधीन है कि उन्हें राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में हस्तान्तरित करने से पहले उनके वेतन मानों को बेहत्तर बनाया जाए।

(ख) मध्यस्थ के अधिनिर्णय प्राप्त होते ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् का गठन करने के लिये विधान

46. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् का गठन करने हेतु विधान बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में सलाह देने के लिये किसी अध्ययन दल से भी अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) : इस देश में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का अध्ययन करने और निवारक उपाय सुझाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त सड़क सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन दल ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों की सिफारिशें भी की है :—

(i) देश भर में स्थायी आधार पर सड़क सुरक्षा क्रियाकलापों के नियोजन और निदेशक के लिये, एक संसदीय अधिनियमन द्वारा सांविधिक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् का गठन किया जाये।

(ii) सड़क सुरक्षा का कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के कार्यों को समन्वित करने के लिये राज्य सड़क सुरक्षा परिषदों को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् के पूरक के रूप में बनाया जाये।

(iii) जिलों में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित सरकारी और गैर-सरकारी निकायों के क्रियाकलापों में समन्वय लाने के लिए जिला सुरक्षा परिषदों का गठन किया जाये।

(iv) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् के संचालन के लिये एक अव्य-पथन सड़क सुरक्षा निधि का निर्माण किया जाये और इसके साधन सदस्यों के शुल्क दान, केवल अपने इस्तेमाल के लिये केन्द्रीय सड़क निधि राजस्व के 20 प्रतिशत का अपसरण और मोटर गाड़ियों की बीमा किस्तों के 10 प्रतिशत अंशदान से तैयार किये जायें।

(v) राज्यों के सभी सार्वजनिक निर्माण विभागों और बड़े-बड़े शहरों के नगर निगमों पालिकाओं में यातायात इंजीनियरी डिवीजन स्थापित किये जाएं। ये डिवीजन राज्य सड़क सुरक्षा परिषदों की आवश्यक सामग्री से सहायता करने के अलावा, मौजूदा स्थितियों को सुधारने के लिये और नई सड़कों और स्थानों पर सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था करने के लिए उनके मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अन्तर्गत कार्य करेंगी।

दल की सिफारिशें विचाराधीन है।

परिवार नियोजन के लिए विश्व बैंक की सहायता

47. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक का अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ तथा स्वीडन संयुक्त रूप से भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रमों के समर्थन में एक विस्तृत अनुसंधानोन्मुख परियोजना के लिये 18 लाख डालर दे रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो गर्भवती महिलायों तथा छोटे बच्चों के लिये अतिरिक्त आहार की व्यवस्था करने के लिये इस परियोजना में सम्मिलित किये गये राज्यों और जिलों के क्या नाम हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) स्वीडन सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने मिलकर उत्तर प्रदेश और मैसूर राज्यों की जनसंख्या परियोजनाओं के लिए 3 करोड़ 18 लाख डालर की सहायता देना स्वीकार किया है ।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य में गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के लिए पोषण कार्यक्रम राय-बरेली जिले के एक खण्ड में चलाने का प्रस्ताव है ; जबकि मैसूर राज्य में यह कार्यक्रम चित्रदुर्ग जिले में कार्यान्वित किया जाएगा ।

नई दिल्ली में पानी की अपर्याप्त और अनिश्चित सप्लाई

48. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** :
श्री हरी सिंह :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 21 जून, 1972 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस आशय के समाचार को देखा है जिसमें नई दिल्ली नगरपालिका के चेयरमैन ने नई दिल्ली के निवासियों को पानी की अपर्याप्त और अनिश्चित सप्लाई के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को दोषी ठहराया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी, हां ।

(ख) मामले पर नई दिल्ली नगर पालिका को लिखा गया है और जांच पड़ताल की जा रही है ।

भारतीय खाद्य निगम को पटसन के बोरों के आवंटन में कमी

49. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को पटसन के बोरों के आवंटन में कमी कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके मासिक आवंटन में कितनी कमी की गई है और इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कार्यकरण की जांच करने के लिए समिति नियुक्त करना

50. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कार्यकरण की जांच करने के लिए समिति मनोनीत की है ; और

(ख) यदि हां, यह समिति कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में नियुक्तयों तथा कार्मिक नीतियों का पुनर्विलोकन करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(i) आत्महत्या करने से पहले डा० शाह द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के महानिदेशक को दिनांक 5 मई, 1972 को लिखे पत्र में उल्लिखित विवरणों तथा घटनाओं की जांच पड़ताल करना।

(ii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, उसके अधीन कार्य करने वाले संस्थानों और केन्द्रों में नियुक्तियों तथा कार्मिक नीतियों का पुनर्विलोकन करना तथा उनके सुधार हेतु उपाय सुझाना।

(iii) अन्य ऐसे सम्बन्धित मामलों पर विचार करना जो समिति की राय में प्रभावशाली सिफारिशें करने में उनके लिए सहायक सिद्ध हो सकें।

(ख) समिति का गठन दिनांक 1 जुलाई, 1972 से लगभग 6 महीने की अवधि के लिए किया गया है।

हरित क्रान्ति के प्रभाव का अध्ययन

51. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न जिलों में हरित क्रान्ति के प्रभाव का अध्ययन आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित अध्ययन का सीमा-क्षेत्र और स्वरूप क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों की सप्लाई के बारे में पूर्वी क्षेत्र के राज्यों से शिकायतें

52. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र के कतिपय राज्यों से इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से सप्लाई होने वाले खाद्यान्न मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पश्चिमी बंगाल से भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई किए गए चावल की किस्म संतोषजनक न होने के बारे में कुछेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

(ख) सप्लाई किए जाने वाले चावल की किस्म में सुधार करने के लिए आवश्यक पग उठाए जा रहे हैं । इनमें ये शामिल हैं :—

(क) सुपुर्दगी से पूर्व निरीक्षण ;

(ख) भण्डारण और सफाई की बेहतर सुविधाएं ;

(ग) अवमानक स्टाक को अलग रखना ; और

(घ) चुनींदा प्रेषण स्थानों पर संयुक्त निरीक्षण ।

अकाल की स्थिति का सामना करने के लिए उड़ीसा को सहायता

53. **श्री डी० के० पंडा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष जून और जुलाई के महीने में उड़ीसा को अपने राज्य में अकाल की स्थिति का सामना करने के लिए राहत और अन्य वित्तीय तथा सामाग्री के रूप में क्या सहायता दी गयी है; और

(ख) राज्य सरकार ने क्या मांग प्रस्तुत की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : भारत सरकार ने राज्य में आवश्यक राहत उपाय जारी रखने के लिए अप्रैल-जून, 1972 की अवधि हेतु केन्द्रीय सहायता के प्रयोजनार्थ खर्च की उच्चतम सीमा के रूप में 3.05 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की थी । बाद में राज्य सरकार ने जुलाई-अक्तूबर, 1972 की अवधि के लिए राहत उपाय जारी रखने हेतु एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था । इस राहत उपायों पर लगभग 16 करोड़ रुपए की राशि व्यय होनी थी । एक केन्द्रीय दल ने जून,1972 के पहले सप्ताह में राज्य का दौरा किया था । इस दल को स्थल पर स्थिति का जायजा लेना और केन्द्रीय सहायता का हिसाब लगाना था। दल की सिफारिशें अन्तिम रूप से तैयार हो चुकी है और सरकार के विचाराधीन है ।

भारत सरकार ने तदर्थ ऋण सहायता के रूप में 3 करोड़ रुपए की राशि और कृषि आदानों के लिए अल्पकालीन ऋण के रूप में 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकार की है । वर्ष के अन्य दौरान केन्द्रीय सरकार पूल से 55,000 मी० टन चावल आवंटित किया गया है । इस खाते में राज्य सरकार की सारी मांग पूरी की गयी है ।

चौथी योजना में बारानी खेती विकास योजना की प्रगति में तेजी लाने के लिए कार्यवाही

54. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल बारानी खेती विकास योजना में कोई प्रगति नहीं हुई है ;

(क) क्या बारानी खेती योजनाओं के लिए आवंटित अधिकांश धन व्यय नहीं किया गया है और यदि हां, तो इस योजना की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार योजना की प्रगति में तेजी लाने के लिए कार्यवाही कर रही है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं । बारानी कृषि मार्गदर्शी परियोजनाएं प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण के रूप में है । इसे समस्त परियोजनाओं में लागू किया जा रहा है ।

(ख) योजना की देर से स्वीकृति तथा परियोजना कर्मचारियों की देर से नियुक्त के फलस्वरूप वर्ष 1970-71 के दौरान निधि से अधिकांश मांग का उपयोग नहीं किया जा सका । इस प्रकार 1.00 करोड़ रुपए के प्रावधान में से 0.45 करोड़ रुपए की निर्मुक्ति की गयी थी । वर्ष 1971-72 के दौरान 1.87 करोड़ रुपए बजट प्रावधान में से 1.46 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गयी थी । इसके अतिरिक्त संस्थागत वित्त से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव की गई ।

(ग) जी हां । योजना की प्रगति तीव्र करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई सुधारक अपनाये गये हैं । । सभा-पटल पर प्रस्तुत किए गये विवरण में इसका उल्लेख कर दिया गया है ।

विवरण

योजना की प्रगति को तीव्र करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1. अनुमोदित प्रतिमान के अनुसार, दूसरे वर्ष से दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा स्रोतों से की जाती है । वर्ष 1970-71 के दौरान प्रारम्भ की गयी नौ परियोजनायें वर्ष 1971-72 के दौरान दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था नहीं कर सकी और इस प्रकार परियोजनाओं के कार्य को क्षति पहुंची । राज्य सरकारों की प्रार्थना पर जनवरी 1972 में भारत सरकार द्वारा ऋण प्रदान किया गया था और इससे योजना को गति मिली ।

2. कुछ राज्य सरकारें मृदा संरक्षण कार्यों को चालू नहीं कर सकीं चूंकि बारानी क्षेत्रों के कृषक इन कार्यों के लिए प्रर्याप्त मात्रा में ऋण प्राप्ति के पात्र नहीं थे । अतः राज्य सरकारों को स्थायी कार्यों मृदा संरक्षण कार्यों को "राज्य कार्यों" के रूप में प्रारम्भ करने का अधिकार दे दिया गया है । इसके इन कार्यों को कार्यान्वित करने में सहायता मिली है ।

3. केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा योजना की वार्षिक स्वीकृति प्राप्त करने में काफी समय लगता था और यह धीमी प्रगति का मुख्य कारण था । योजना की शेष अवधि अर्थात वर्ष 1972-73 तथा वर्ष 1973-74 के लिए अब संस्वीकृति जारी की जा रही है ।

4. भारत सरकार ने चुनींदा जिलों में बारानी कृषि टेक्नोलौजी के वर्तमान स्तरों का अध्ययन करने तथा प्रयोगशालाओं और अनुसन्धान संस्थाओं में विकसित नवीनतम जानकारी और टेक्नोलौजी के प्रकाश में उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया है ।

5. प्रत्येक मार्गदर्शी परियोजना में कार्यक्रम तथा भावी सम्भाव्ताओं के नक्शे तैयार कर लिए गए हैं, जिनमें अनुसंधान केन्द्रों सहित विकास के अन्तर्गत प्राप्त अनुसन्धान निष्कर्ष, विकास क्षेत्रों में तत्काल प्रयोग के लिए उपलब्ध अनुसन्धान निष्कर्ष और वर्ष 1972-73 के दौरान तथा उसके आगे के वर्षों के लिए प्रस्तावित विकास नीति भी नीहित है । ये नक्शे वर्ष 1972-73 तथा उसके आगे के वर्षों के लिए परियोजना के कार्यान्वित कार्यक्रम के आयोजन मार्गर्शन का कार्य करेंगे ।

सीमान्त किसान और खेतिहर श्रमिक परियोजनाओं की क्रियान्वित में प्रगति

55. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

5 (क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल सीमान्त किसान और खेतिहर श्रमिक परियोजनाओं को क्रियान्वित में कोई संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) चौथी योजना के शेष दो वर्षों में इन परियोजनाओं की प्रभावी क्रियान्वित सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) : सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिकों की विकास की योजना एक मार्गदर्शी परियोजना है और इसे देश के 41 चुनींदा परियोजना क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है । इस उद्देश्य के लिए स्थापित अधिकांश अभिकरणों का वर्ष 1970-71 के अन्त में तथा शेष का वर्ष 1977-72 के दौरान पंजीकरण किया गया था । इस प्रकार कार्यक्रम की क्रियान्वित वर्ष 1971-72 में ही प्रभावी रूप से हुई है । प्रारम्भ में अनेक प्रशासनिक तथा संगठनात्मक समस्याएं थीं । वर्ष 1971-72 के अन्त में प्रगति की रफ्तार तेज हुई और चौथी योजना के शेष वर्षों में इसकी गति तेज होने की संभावना है ।

(ग) केन्द्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर योजना की प्रगति का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जा रहा है । इस पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप अभिकरणों को स्थानीय अवस्थायों के अनुकूल और अधिक लचीली पद्धति अपनाने की अनुमति दी गयी है । राज्य सरकारों को भी अभिकरणों के लिए अपेक्षित साहाय्य प्रदान करने की सलाह दी गयी है ।

विशाखापत्तनम में वाह्य पत्तन के निर्माण में प्रगति

56 . **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम में वाह्य पत्तन के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) यह निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) 17-7-72 के अनुसार परियोजना कार्यों का 15 प्रतिशत पूरा हो चुका है । 55 प्रतिशत संघटक कार्य निविदा पर दे दिया गया है और कार्य प्रगति पर है तथा कार्यों का शेष 30 प्रतिशत अभी शुरू करना है ।

(ख) 17-7-72 तक परियोजना पर 16.63 करोड़ रुपए व्यय किया गया है ।

(ग) परियोजना की मई, 1974 तक पूरा होने की संभावना है ।

भारत में मलेरिया की वृद्धि

57 . **श्री ई० वी० विश्व पाटिल :**

श्री वी० मायावन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मलेरिया के उन्मूलन के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या भारत दक्षिण पूर्व एशिया के उन देशों में से है जहां मलेरिया वृद्धि पर है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) देश में मलेरिया उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :—

1 . चौथी योजना के दौरान राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को एक शत प्रतिशत-सहायता दी जाने वाली केन्द्र पुरोनिधानित योजना बनाया गया है । इस योजना के अन्तर्गत वचनबद्ध स्तर के व्यय के अतिरिक्त परिचालन व्यय को भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। आक्रामक और सेमकितचरण वाले एककों के सम्बन्ध में राज्यों को भेजी गयी सामग्री और उपस्करों की लागत भी भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है । राज्यों के मुख्यालय मण्डल स्तर कर्मचारियों के खर्च के लिए भी आंशिक सहायता दी जाती है ।

2 . उन क्षेत्रों को जो रखरखाव चरण में पहुंच गए हैं प्राथमिक स्वास्थय सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।

3 . 1970 में एक भारतीय वैज्ञानिक के नेतृत्व में अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा इस कार्यक्रम का गहन मूल्यांकन किया गया । उनकी सिफारिशें कार्यक्रम के सभी पहलुओं पर जिनमें तकनीकी, प्रशासकीय और संभार तंत्र विषयक आदि सम्मिलित है, विस्तृत रूप से

आधारित थी। भारत सरकार ने इन सिफारिशों को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है और इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

4. विभिन्न राज्यों को जो अभी भी आक्रामक चरण में है, यथा समय कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए उसकी खरीद हेतु पहले ही कदम उठाये गये हैं।

5. चौथी योजना के दौरान आक्रामक और समेकित चरण वाले एककों में पुरानी और बेकार गाड़ियों को धीरे-धीरे नई गाड़ियों में बदल दिया जायेगा।

6. उन क्षेत्रों में जहां रोगबाहक मच्छरों में डी० डी० टी० और वी० एच० सी० दोनों के प्रतिरोधी शक्ति पैदा हो गयी है वहां वैकल्पिक कीटनाशक मलेथियन का उपयोग किया जा रहा है।

7. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1971-72 से नगर मलेरिया योजना को अनुमोदित सहायता स्वरूप के अनुसार शत प्रतिशत सहायता वाली केन्द्र पुरो-निधानित योजना के रूप में आरम्भ किया गया है। आरम्भ में यह योजना 23 चुने गए कस्बों में आरम्भ की गयी थी। और चालू वित्तीय वर्ष में इसे पांच और कस्बों में शुरू करने का विचार है।

(ख) जी हां, पिछले चन्द वर्षों में।

उच्च शिक्षा के बारे में भारत बंगला देश आयोग की स्थापना

58. **श्री ई० वी० पाटिल :**
श्री पीलू मोदी :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शिक्षा के बारे में भारत-बंगला देश आयोग की स्थापना की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के मुख्य उद्देश्य क्या होंगे और इस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) : भारत और बंगला देश के शिक्षा मन्त्रियों के बीच 10 जून, 1972 को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया था कि उच्च शिक्षा पर द्विराष्ट्रीय बंगला देश-भारत संयुक्त आयोग का गठन किया जाएगा, और शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए, उसकी बैठकें समय-समय पर बंगला देश तथा भारत में होंगी। आशा है कि चालू वर्ष में उक्त आयोग का गठन हो जायेगा।

नई दिल्ली स्थित आर० के० पुरम में क्वार्टरों को आगे किराये पर दिया जाना

59. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री सरकारी क्वार्टरों में बड़े-बड़े व्यापारियों, जो किरायेदार हैं, द्वारा टेलीफोन लगाने के बारे में 31 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8043 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलाटियों द्वारा पूरा मकान अथवा उसका एक भाग बड़े-बड़े व्यापारियों को आगे किराये पर देने से पूर्व सरकार से अनुमति लेना तथा ऐसे व्यक्तियों द्वारा टेलीफोन लगवाने से पूर्व औपचारिक रूप से अनुमति लेना आवश्यक बनाने के लिए सम्पदा निदेशालय के समक्ष क्या कठिनाइयां है ; और

(ख) आर० के० पुरम के सैक्टर 7 में बड़े-बड़े व्यापारियों द्वारा ऐसे कितने टेलीफोन लगवाये गये हैं जहां अलाटियों द्वारा क्वार्टरों को आगे किराये पर देने के लिए सरकार से अनुमति ली गई थी और जहां यह अनुमति नहीं ली गई थी ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) वर्तमान आदेशों के अनुसार वह सरकारी कर्मचारी, जिसे सामान्य पूल से वास आवंटित किया जाता है, सामान्य पूल से वास के पात्र अन्य सरकारी कर्मचारी के साथ अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए निर्णय के अनुसार पात्र श्रेणी के व्यक्ति के साथ इसे शेयर कर सकता है। सरकारी कर्मचारी वास को बड़े-बड़े व्यापारियों के साथ शेयर नहीं कर सकता अथवा व्यापारी को पूरा मकान या उसका एक भाग उप-किराए पर नहीं दे सकता। अवैध रूप से आगे किराए पर दिये जाने की जिन मामलों में शिकायतें प्राप्त होती हैं उनकी जांच की जाती है तथा आवंटी के विरुद्ध आवंटन नियमों के दण्डांत्मक-उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार वर्तमान पद्धति में संशोधन करना वांछनीय नहीं समझा जाता।

(ख) सामान्य पूल वास के अनधिकृत दखलकार किसी गैर-सरकारी व्यक्ति द्वारा रामकृष्ण पुरम के सैक्टर VII में टेलीफोन लगाने का कोई मामला सम्पदा निदेशालय के ध्यान में नहीं आया है।

दिल्ली दुग्ध योजना के पूरे दिन खुले रहने वाले दुग्ध स्टालों में कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की बकाया राशि का भुगतान

60. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **कृषि** मंत्री दिल्ली दुग्ध योजना के पूरे दिन खुले रहने वाले दुग्ध स्टालों के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते के भुगतान के बारे में 26 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7717 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : मामला अभी विचाराधीन है।

संसद भवन के जलपान गृहों की पूरी मात्रा में दूध की सप्लाई

61. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **कृषि** मंत्री संसद् भवन के जलपान गृहों को पूरी मात्रा में दूध की सप्लाई के बारे में 29 मई, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 1030 के उत्तर के सम्बन्ध

में यह बताने की कृपा करेंगे कि संसद् भवन में रेलवे और काफी बोर्ड स्थापनाओं को पूरी मात्रा में दूध की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए इस बीच क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : टी बोर्ड, काफी बोर्ड और रेलवे द्वारा संसद् भवन में चलाई जा रही तीनों कैन्टीनों की दूध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, दिल्ली दुग्ध योजना निम्नलिखित कदम उठा रही है :—

(1) वर्ष भर उनकी दूध की सामान्य दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तीनों कैन्टीनों को मानकित दूध के आधे लीटर की 10 बोतलें रोजाना सप्लाई करने के लिये दूध के टोकन जारी कर दिये गये हैं। सारे वर्ष रेलवे कैन्टीन को मानकित दूध की आधे लिटर की 10 बोतलें रोजाना सप्लाई करने के लिये एक और प्राधिकृत-पत्र जारी कर दिया गया है।

(2) इसके अतिरिक्त, संसद के अधिवेशन के दौरान, तीनों कैन्टीनों को मानकित दूध की आधे लिटर की 10 बोतलों की रोजाना सप्लाई करने के लिये दूध के टोकन जारी कर दिये गये हैं ;

(3) काफी बोर्ड और टी बोर्ड की कैन्टीनें, पेशगी अदायगी करके दिल्ली दुग्ध योजना से सीधे भी दूध खरीदती हैं। इस सुविधा का अभी रेलवे कैन्टीन ने लाभ नहीं उठाया है ; और

(4) इसके अतिरिक्त दिल्ली दूग्ध योजना ने तीनों कैन्टीनों को पृथक-पृथक मानकित दूध की आधे लिटर की 20 बोतलों के लिये प्राधिकृत-पत्र जारी कर दिये हैं। कैन्टीनों द्वारा टोकन लेने की प्रतीक्षा की जा रही है।

पश्चिम बंगाल के सूखाग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र

62. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सूखा पड़ने से पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों को भारी क्षति हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो जिला-वार अनुमानतः कितने क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा और खाद्यानों तथा वाणिज्यिक फसलों की जिला-वार कुल कितनी हानि हुई ; और

(ग) पश्चिम बंगाल में सूखे के संकट का सामना करने के लिए अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक योजनायों की मुख्य बातें क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। चालू वर्ष के दौरान पश्चिमी बंगाल के कई भाग सूखे से प्रभावित हुए हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें राज्य सरकार द्वारा बतायी गयी सूचना दी गई है।

(ग) (1) **दीर्घकालीन उपाय** कृषि, सिचाई, स्वास्थ्य और सम्बद्ध क्षेत्रों में पंचवर्षीय योजनाओं के विकास कार्यक्रमों से भविष्य में सूखे की उग्रता बहुत ही कम हो

जाएगी। विशेषतया सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन जोकि राज्य में चल रहा है, पुरुलिया, वांकुरा और मिदनापुर जिलों की 4.05 करोड़ रुपये की 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के लिये चुना गया है। ग्रीष्म चावल की खेती के लिए लघु सिंचाई के विशेष कार्यक्रम के लिए एक परियोजना भी तैयार की गई है।

(2) **अल्पकालीन उपाय** केन्द्रीय अध्ययन दल की सिफारिशों पर केन्द्रीय सहायता के प्रयोजनों के लिए सूखा सहायता पर खर्च करने हेतु निम्नलिखित उच्चतम सीमा कर ली है। इस दल ने जून, 1972 में राज्य का दौरा किया था :—

(1)	राहत विषयक मदे	4.70 करोड़ रुपये
(2)	ऋण विषयक मदे	2.15 करोड़ रुपये
	जोड़	6.85 करोड़ रुपये

राज्य सरकार ने टैस्ट राहत कार्य खोलने, मुफ्त सहायता बांटने, पीने का पानी सप्लाई करने आदि के लिए उपाय किये हैं। उन्होंने उर्वरक, मवेशी, ट्यूब वैल लगाने और अन्य कृषि प्रयोजनों के लिए ऋण के रूप में 2.97 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।

इस बीच में, वित्त मन्त्रालय ने एक करोड़ रुपये का ऋण दिया है और कृषि मन्त्रालय ने कृषि आदानों के लिए अल्पकालीन ऋण के रूप में एक करोड़ रुपये का अन्य ऋण मंजूर किया है। इस राशि के खर्च की प्रगति और स्वीकृत सहायता की राशि से उपयोग की दृष्टि के और सहायता देने पर विचार किया जाएगा।

विवरण

पश्चिमी बंगाल में हाल ही के सूखे से जिलावार प्रभावित अनुमानित क्षेत्र, नष्ट हुई खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलों का कुल मूल्य

(मूल्य लाख रुपयों में क्षेत्र हजार एकड़)

जिला	अस (शरद चावल)		बारो (ग्रीष्म चावल)		पटसन	
	क्षेत्र	मूल्य	क्षेत्र	मूल्य	क्षेत्र	मूल्य
24 परगना	66	298	17		100	549
नादिया	206	1,031	19		179	797

जिला	अस (शरद चावल)		बारो (ग्रीष्म चावल)		पटसन	
	क्षेत्र	मूल्य	क्षेत्र	मूल्य	क्षेत्र	मूल्य
मुर्शिदाबाद	172	566	10	राज्य सरकार के	202	766
बर्दवान	78	281	20	पास जिलावार	23	116
वीरभूम	132	303	25	ब्यौरा नही है।	1	सू०न०
बांकुरा	131	34	2	कुल अनुमानित	2	सू०न०
मिदनापुर	174	66	10	क्षति लगभग	21	121
हुगली	42	469	87	12.36 करोड़	37	293
हावड़ा	7	33	4	रुपये है।	9	41
जलपईगुड़ी	51	सू०न०	सू०न०		10	सू०न०
दार्जिलिंग	11	सू०न०	सू०न०		1	21
मालदा	172	254	5		56	313
पश्चिमी दीनाजपुर ..	282	356	5		55	530
कूचबिहार	15	सू०न०	सू०न०		—	34
पुरुलिया	11	सू०न०	1		नग	सू०न०

सू० न० राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया।

नग नगण्य

कलकत्ता पत्तन के लिए माल

63. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 25 जून, 1972 के 'स्टेट्समैन', कलकत्ता के पृष्ठ 1 पर "कलकत्ता पत्तन में आवश्यक मात्रा में माल का न आना" (कलकत्ता पोर्ट येट टू गेट ड्यू शेयर आफ कारगो) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) कलकत्ता पत्तन की आर्थिक सक्षमता में सुधार करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं ; और

(घ) क्या पत्तन में वर्तमान सुविधाओं का भी वांछित सीमा तक उपयोग नहीं किया जा रहा है ; और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) : कलकत्ता पत्तन में माल की यातायात 1964-65 में 110 लाख टन थी जबकि 1970-71 में घटकर यह 60 लाख टन रह गई, यद्यपि इसमें 1971-72 में 73 लाख टन यातायात होने से कुछ सुधार हो गया था। इसके कारण पत्तन आयुक्तों की वित्तीय स्थिति पर विशेष प्रभाव हुआ था जिन्हें गत कुछ वर्षों से काफी घाटा हो रहा था। पत्तन की आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 1968-69 से 1973-74 वर्षों के लिए नदी निकर्षण और देख रेख की लागत का 80 प्रतिशत वहन करने के लिए अपनी सहमति प्रकट की है।

अन्य पत्तनों पर, वे मुख्य वस्तुए जोकि यातायात के विकास में सहायक हुई है इस प्रकार है :—तेल, उर्वरक और कच्ची धातुएं है और जिन्हें गहरे डुबाव वाले पोतों या खुले वाहकों में ले जाना होता है।

खाद्य पदार्थों के आयात और कोयले के निर्यात में पत्तन के अलावा कलकत्ता में यातायात की कमी का मुख्य कारण पत्तन में प्रविष्ट होने वाले पोतों के डुबाव और लम्बाई पर पाबंदी है। 1973 के अन्त तक हल्दिया में नई गोदी प्रणाली चालू होने के बाद, कलकत्ता अधिक बड़े जहाजों को वहन करने के लिए योग्य हो जाएगा और खुले स्थोरा के तेजी से उतारने चढ़ाने की सुविधाओं की व्यवस्था कर सकेगा। इसके होने से और फरक्का परियोजना के चालू होने तथा क्षेत्र में नया तेलशोधक कारखाना और अन्य उद्योगों की स्थापना से आशा है कि पत्तन यातायात में काफी वृद्धि होगी और पत्तन की आर्थिक आत्मनिर्भरता में सुधार आयेगा।

राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून

64. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन से राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र है जिनके विधान मण्डलों ने भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधेयक पारित कर दिये हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य विधान मण्डलों द्वारा पारित किये गये विधेयकों की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहाँ पर भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी नया अधिनियम पहले से लागू है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भूमि जोत की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा (पैप्सू क्षेत्र), हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब (पैप्सू क्षेत्र), राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, दादर और नगर हवेली, मणिपुर तथा त्रिपुरा में विधान बनाए गए हैं। केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों के पश्चात् बिहार ने भूमि की सीमा को कम करने के लिए विधान बनाया है। मध्य प्रदेश में भी एक विधेयक पारित हो गया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3188/72]**

(ग) भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में नए अधिनियम बनाने का कार्य केरल तथा पश्चिम बंगाल में जारी है।

Eradication of T. B. in the Country

65. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hari Singh :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the total number of persons in the country and the number of fresh cases of tuberculosis reported every year and the number of persons who die of tuberculosis ;

(b) the total number of tuberculosis clinics ot present in the country with the locations thereof and the number of beds in each of them ;

(c) the total number of beds required for proper treatment of tuberculosis patients ; and

(d) the urgent and long term schemes for eradicating tuberculosis in the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku :) (a) The number of Tuberculosis patients in the country is estimated to be about 8 million. As Tuberculosis is not a notifiable disease, not all the Tuberculosis patients diagnosed and put under treatment in various Medical and Health institutions and by General Practitioners are reported. It is, however, estimated that nearly 8 to 9 lakhs Tuberculosis patients are diagnosed and put under treatment every year. The exact number of annual deaths in the population due to Tuberculosis is not precisely known as it is not a notifiable disease. It is, however, estimated that the death rates are 80 tto 100 per one lakh population.

(b) A statement is attached. [Placed in the Library. See No. LT-3189/72].

(c) Under the National Tuberculosis Programme stress is being laid for the expansion of the domiciliary treatment of Tuberculosis patients and to provide the District Tuberculosis Centres in each of the Districts of the country. Further, since Tuberculosis can be treated with protent onti-Tuberculosis drugs in the patient's home as effectively as in an institution, it is not necessary to provide institutional beds for treatment of all Tuberculosis patients diagnosed in a period. It has been envisaged that only acutely ill and toxic patients or those suffering from some complications etc. only need admission in a Tuberculosis hospital/institution for their in-patient treatment. During the 4th Plan it has been proposed to establish 2,500 Tuberculosis beds in the States/Union Territories.

(d) The National Tuberculosis Control Programme is a Centrally Sponsored Scheme during the Fourth Five Year Plan with 100% Central assistance to the State and Union Territory Governments. The Programme provides for establishment/upgrading of District Tuberculosis Centres, establishment of Tuberculosis Isolation beds and supply of anti-Tuberculosis drugs to the Tuberculosis centres for effective treatment of Tubereculosis patients throughout the country.

BCG Vaccination in age group of below 20 years of age is being done as a preventive measure. The District Tuberculosis Centres serve as vases to carry out case finding, treatment and BCG Vaccination Programme throughout the Districts in collaboration with the existing health and medical institutions.

Steps are also being taken for the expansion of the BCG Vaccine Laboratory, Guindy for the production of freeze dried vaccine in larger quantities.

Grant-in-aid and free anti-Tuberculosis Drugs are also given to Voluntary Tuberculosis Institutions.

In addition, grants are given to the Tuberculosis Association of India for the maintenance of New Delhi Tuberculosis Centre and Lala Ram Sarup Tuberculosis Hospital, Mehrauli and for the maintenance of reserved beds at the Lady Linlihgow Sanatorium, Kasauli.

बाघों की संख्या

66. **श्री निहार लास्कर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रतिवर्ष बाघों की संख्या में कमी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो बाघों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) चीतों और सिंहों की तुलना में इस समय बाघों की संख्या कितनी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क)प्राकृतिक विशेषज्ञों की राय है कि देश में बाघों की कमी होती जा रही है । इस बारे में पहले कोई गणना नहीं की गई है, अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि प्रत्येक वर्ष चीतों की संख्या कम होती जा रही है ।

(ख) बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए नीचे लिखे कदम उठाए गए हैं :—

(1) सितम्बर, 1970 से बाघों की खालों के निर्यात पर देश में प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

(2) बाघों की आबादी वाले सभी राज्यों में पहली जुलाई, 1970 से 5 वर्ष की विभिन्न अवधि के लिए बाघों को मारने पर पूरा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

(3) हाल ही में व्यापार एवं चर्म संस्कार और अन्य संरक्षण साधनों को नियंत्रित करने के लिए व्यापक बनाने का विचार है ।

(4) सारे देश में बाघों की संख्या तथा वितरण के मूल्यांकन के लिए देश में विस्तृत रूप के पहली बार बाघों की गणना की गई है ।

(5) देश में बाघों के संरक्षण के लिए एक परियोजना तैयार करने के लिए डा० करण सिंह की अध्यक्षता में 11 सदस्यों का एक टास्कफोर्स गठित किया है ।

(ग) अप्रैल-मई, 1972 के दौरान की गई बाघों की गणना का 'परिणाम अभी कुछ राज्यों से आने की प्रतीक्षा की जा रही है । देश में बाघों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है । पिछले समय में

चीतों की गणना नहीं की गई है और इसलिए उनकी संख्या का पता नहीं है। सन् 1968 के दौरान जब पिछली गणना की गई थी तब गिर के जंगलों में शेरों की संख्या 177 थी। तब से शेरों की कोई गणना नहीं की गई है।

पश्चिम बंगाल में बच्चों को होने वाला रहस्यमय रोग

67. **श्री एच० एम० पटेल :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों में बहुत से बच्चों की "रहस्यमय छूत के रोग" के कारण मृत्यु हो गई;

(ख) क्या इस बारे में सरकार का ध्यान दिनांक 13 जून, 1972 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ग) क्या भारत सरकार को राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट मिली है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय):(क) और (ख) : सरकार ने इस आशय के समाचार देखे हैं।

(ग) और (घ) : राज्य सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों ने सूचित किया है कि मुर्शिदाबाद के जिले के जंगीपुर उप-खण्ड के बच्चों में एक अजीब ज्वर जन्य रोग फैल गया। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के एक जानपदरोगविज्ञान दल तथा स्कूल आंव ट्रामिकल मेडिसिन के एक दल ने यहां पर जांच की है तथा प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों से अन्तिम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में दंगा-फसाद

68. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में हाल ही में भारी दंगा-फसाद हुआ था जब छात्रों द्वारा वाइस चाँसलर और प्रो० वाइस चाँसलर का घेराव किया गया था,

(ख) क्या विश्वविद्यालय ने उन छात्रों की डिग्रियां, जो अनुशासनहीनता के मामलों से सम्बद्ध, थे वापस लेने की धमकी दी है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं।

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र-संघ कार्यालय के बाहर छात्रों के दो दलों में 4 मार्च, 1972 को टकराव हुआ था। टकराव के पश्चात्, छात्रों का एक दल कुलपति के पास गया और कुलपति तथा

समकुलपति का घेराव करके यह मांग की कि संघ के कार्यालय को तुरन्त मोहरबन्द कर दिया जाए। इस छात्र संघ दल ने 6 मार्च, 1972 को फिर कुलपति तथा समकुलपति का घेराव किया।

(ख) कुलपति द्वारा नियुक्त जांच-समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विश्वविद्यालय ने छात्रों के विरुद्ध कारण बताओं नोटिस जारी किया। इन नोटिसों के उत्तर प्राप्त होने पर कुलपति ने विश्व-विद्यालय के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया कि तीन छात्रों को सदाचरण के कारण माफ कर दिया जाए तथा छः छात्रों को चेतावनी दे दी जाये।

(ग) छात्रों में अनुशासन बनाये रखने की दृष्टि से विश्वविद्यालय के कुलपति को उपयुक्त कार्यवाही करने का अधिकार होता है।

कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्यकरण

69. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 मई, 1972 के 'टाइम्स आफ इन्डिया में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि हाल ही में कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्यकरण में अत्यधिक खराबी आ गई है ;

(ख) क्या इस समाचार के आधार पर सरकार ने राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्यकरण का अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : प्रेस रिपोर्ट में उल्लिखित सभी मामलों से सरकार परिचित है। डा० वी० एस० झा की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रीय पुस्तकालय की कार्य पद्धति का अध्ययन किया है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर चालू योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए विस्तृत योजनागत योजनाएं तैयार की गई हैं। इनमें से कुछ योजनाएं संस्वीकृत कर दी गई है और कार्यान्वित की जा रही है। शेष योजनाओं पर कार्रवाई की जा रही हैं और शीघ्र ही इनको लागू किया जाएगा। इन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन, निदेशक की नियुक्ति और स्वायत्व प्रबंध बोर्ड के गठन से यह आशा की जाती है कि पुस्तकालय और अच्छी तरह से कार्य करेगा।

तमिलनाडु में औद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना

70. **श्री मुहम्मद खुदा बख्श** : क्या **शिक्षा समाज और कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार का विचार औद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस विश्वविद्यालय की आवश्यकता के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वीकृति दे दी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हाँ ।

(ख) प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है ।

दिल्ली में नई पंजीकृत ग्रुप हाउसिंग सहकारी समितियों को विकसित भूमि का आवंटन

71. **श्री मुहम्मद खुदा बख्श** :
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में नई पंजीकृत ग्रुप हाउसिंग सहकारी समितियों को विकसित भूमि का आवंटन करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सरकार ने इन समितियों को भूमि के आवंटन के लिए नियम और विनियम भी बनाए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो नियमों की मुख्य बातें क्या हैं और विकसित भूमि के लिये लिया जाने वाला अनन्तिम मूल्य क्या है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी, हां । अर्थ विकसित भूमि का आवंटन किया जायगा ।

(ख) और (ग) : दिल्ली में ग्रुप हाउसिंग सहकारी समितियों को भूमि के आवंटन की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) एक एकड़ में 50 एपार्टमेन्ट के आधार पर आवंटन किया जायगा, जिसमें 15 प्रतिशत तक कमी बेशी हो सकती है ।

(2) आवंटन इस शर्त पर होगा कि किसी फ्लैट/कमरे का फर्शी क्षेत्रफल 2,000 वर्ग फुट से अधिक नहीं होगा ।

(3) आवंटन, समितियों के पंजीकरण की तारीख के अनुसार इस शर्त पर किया जायगा कि वे दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली प्रशासन द्वारा मांग किए जाने पर इस उद्देश्य के लिए निर्धारित अवधि के अन्तर्गत भूमि का मूल्य जमा करा दें ।

प्रत्येक समिति से ली जाने वाली कीमत भूमि के अर्जन तथा विकास आदि की लागत पर निर्भर करेगी । इस समय समितियों को भूमि का आवंटन 45 रुपये प्रतिवर्ष गज के हिसाब से किया जाता है ।

घुमन्तु लोगों के पुनर्वास के लिए उपाय

72. **श्री पम्पन गोण्डा :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कुछ ऐसे वर्ग है जो अपने परिवारों के साथ आजीविका की तलाश में जगह-जगह घूमते रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका 'राज्य-वार' ब्यौरा क्या है और उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख) : यह सत्य है कि भारत में कुछ खानाबदोश या अर्थ-खानाबदोश जनजातियां हैं । राजस्थान में गाडिया लोहार हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं और लोहे का सामान बना कर अपनी जीविकोपार्जन करते हैं । अन्य राज्यों के बारे में ऐसी जनजातियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है । अनधिसूचित, खानाबदोश तथा अर्थ-खानाबदोश जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं मुख्यत: तीसरी पंचवर्षीय योजना से पिछड़ी जातियों से सम्बन्धित केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ की गई थी । यह समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रशासित की जा रही हैं । उनके कल्याण के लिए आरम्भ की जा रही विभिन्न योजनाएं अनुलग्नक में दी गई हैं ।

विवरण

अनधिसूचित, खानाबदोश तथा अर्थ-खानाबदोश जनजातियों से संबंधित केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजनाएं

1. **शिक्षा**

(1) छात्रवृत्तियां, वृत्तियां और शिक्षण तथा परीक्षा शुल्क देना ।
(2) मध्याह्न भोजन देना ।
(3) आश्रम विद्यालय/रिहायशी विद्यालय/विशेष विद्यालय ।
(4) होस्टलज (भवनों समेत) बोर्डिंग सम्बन्धी अनुदान ।
(5) स्वयं सेवी अभिकरणों को (शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए) सहायता ।

11. **अन्य योजनाएं**

(क) **कृषि**

(1) बैलगाड़ी, हल, छकड़ा और बैल देना ।
(2) छोटी सिंचाई के साधन (जिसमें सिंचाई के कूप भी शामिल हैं)
(3) बेकार भूमि का सुधार ।
(4) समोच्च बांध बांधना ।
(5) कोआप्रेटिव फार्मिग सोसाइटीज ।
(6) कृषि भूमि की खरीद के लिए सहायता ।

(ख) **पशुपालन/मुर्गी पालन**

(ग) **घरेलू उद्योग**

1. उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र/औद्योगिक प्रशिक्षण ।
2. औद्योगिक सहकारी समितियां ।
3. वृत्तियां, आर्थिक सहायता तथा प्रशिक्षार्थियों को ऋण ।
4. दस्तकारी केन्द्र ।

(घ) **सहकारिताएं**

(ङ) **पुनर्वास/कोलोनाइजेशन/हाउसिंग**

(च) **सामुदायिक कल्याण केन्द्र/ बालवाड़ी/ संस्कार केन्द्र**

(छ) **चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य**

1. पेय-जल के कुएं
2. दाई प्रशिक्षण

महाराष्ट्र के गांवों में हरिजनों का समाज से बहिष्कार

73. **श्री भान सिंह भौरा :**
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में महाराष्ट्र में पूना के निकट कुछ गांवों में हरिजनों का समाज से बहिष्कार करने के समाचार प्राप्त हुए थे ।

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इन समाचारों के बारे में कोई जांच की है और यदि हां, तो क्या लक्ष्य प्राप्त हुए हैं ।

(ग) क्या राज्य सरकार ने हरिजनों के विरुद्ध इस प्रकार के विशेष बहिष्करण का आयोजन करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ;

(घ) यदि हां, तो की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकनें के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री० के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) : महाराष्ट्र सरकार ने बताया है कि मई, 1972 में राजनीतिक विवाद के कारण पूना जिले में इंदापुर तालुका के बवाडा गांव में, जो जिला परिषद के चुनाव के लिए एक आरक्षित स्थान है, सामाजिक बहिष्कार की कुछ घटनाएं हुई थीं । उस आरक्षित स्थान के लिए दो राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार नामित कर रखे थे । एक दल ने दूसरे दल से अपने उम्मीदवार को हटाने के लिए कहा । प्रतिपक्षी दल द्वारा अपने उम्मीदवार को न हटाए जाने के कारण, कहा जाता है कि बवाडा गांव में सुवर्ण हिन्दुओं ने महार कृषि मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया ।

महाराष्ट्र के राज्य वित्त मंत्री के दखल दिए जाने पर दोनों दलों का विवाद हल हो गया और महार कृषि मजदूरों को फिर से काम पर लगा लिया गया।

तनाव की अवधि में गांव में एक पुलिस दल तैनात कर दिया गया था।

स्वतन्त्र गवाह न मिलने के कारण बहिष्कार का आयोजन करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

(ङ) राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है और प्राप्त होने पर उसे सभा के पटल पर रख दिया जायगा।

वर्ष 1972 की गर्मियों के दौरान दिल्ली में पानी की कमी

74. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली गर्मियों के दौरान दिल्ली में पानी की भारी कमी रही थी; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार के संकट से बचने के लिये सरकार का विचार कौन से दीर्घकालिक और अल्पकालिक उपाय करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हां। पिछली गर्मियों के दौरान दिल्ली के कतिपय भागों में पानी की कमी महसूस की गई थी।

(ख) अल्पकालिक उपायों के रूप में दो योजनाएं चलाई गई हैं जो क्रियान्विति के विभिन्न चरणों में हैं :—

(1) छः 'रैने वैल' निर्माणाधीन है इनमें से दो का निर्माण कार्य 1973 के ग्रीष्म में पूरा हो जाएगा और शेष का कार्य क्रमिक रूप से 1974 तक पूरा हो जायेगा। इन कुओं से प्रतिदिन 1 करोड़ 50 लाख गैलन पानी मिलेगा।

(2) वजीराबाद जल शोधन संयंत्र से प्रतिदिन एक करोड़ गैलन पानी की सप्लाई बढ़ाने का विचार है तथा मुख्य-वाहक-नल का कार्य प्रगति पर है।

दीर्घकालिक उपायों के रूप में, दिल्ली के लिए रामगंगा स्रोत से प्रतिदिन 10 करोड़ गैलन पानी की सप्लाई बढ़ाने का विचार है। इस योजना के लिए भूमि अर्जित करने के लिए कार्यवाही शुरु कर दी गई है इसके अतिरिक्त निम्नलिखित योजनाओं के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

(क) दिल्ली को पानी की सप्लाई करने वाली हरियाणा-नहरों में पानी के रिसने को कम करना।

(ख) हरियाणा और उत्तर प्रदेश से ताजा पानी के लिए गन्दे पानी का आदान-प्रदान।

(ग) उत्तर प्रदेश में तेहरी बांध से जल की पूर्ति।

(घ) उत्तर प्रदेश में लस्कर बांध प्रायोजना से जल की पूर्ति।

(ङ) हिमाचल प्रदेश में डाडाहू बाँध प्रायोजना से जल की पूर्ति। रावी-व्यास नदियों के फालतू पानी से दिल्ली के लिए पानी।

अमरीका से आयात पर निर्भर रहने से मलेरिया रोग में वृद्धि

75. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जुलाई, 1972 के 'पेट्रियट' में अमरीका से आयात पर निर्भर रहने के फलस्वरूप मलेरिया रोग में वृद्धि 'कास्ट आफ डिपेंडिंग औन यू० एस० इम्पोर्ट, मलेरिया केसिस आन इनक्रीज़' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हाँ। सरकार ने इस समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार को देखा है।

(ग) निस्संदेह कुछ राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान मलेरिया की घटनाओं में मामूली वृद्धि देखने में आई है। इस सन्दर्भ में यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि अपने प्रारम्भ होने के 19 वर्षों बाद यह कार्यक्रम वर्तमान स्थिति में महामारी की दृष्टि से देश के अत्यधिक कठिन भागों की समस्याओं से जूझ रहा है। इसके लिए बी० एच० सी० और मलाथिओन नामक नये कीटनाशकों का प्रयोग भी शुरू कर दिया गया है जो प्रचलित डी० पी० टी० की अपेक्षा कई गुणा अधिक खर्चीला है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि कीटनाशकों की अपर्याप्त सप्लाई के कारण मलेरिया में वृद्धि हुई है। वैसे, कुछ क्षेत्रों में पर्यवेक्षण में कुछ ढील की बात देखने में आई है। सुधारात्मक उपाय बरतने के लिए तुरन्त प्रयत्न किए गये हैं।

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्यों में आक्रामक चरण वाले एककों की संख्या अधिकतम है और 1971 में देश में पता लगाये गये कुल रोग प्रभावी मामलों का लगभग 85 प्रतिशत इन्हीं राज्यों में हैं। 1972-73 के दौरान यथा समय छिड़काव किए जा सकने के लिए राज्यों को कीटनाशी डी० डी० टी० की सप्लाई करने हेतु 1971 में इसे अग्रिम रूप से प्राप्त कर लिया गया था। ऐसे कतिपय एकक क्षेत्रों में जहां वेक्टर डी० डी० टी० के प्रति सहिष्णु पाया गया वहां बी० एच० सी० का उपयोग किया जा रहा है और महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों की कतिपय बस्तियों में जहां वेक्टर को डी० डी० टी० और बी० एच० सी० दोनों के प्रति सहिष्णु पाया गया वहां आगोनोफासफोरस कम्पाउण्ड 'मलाथिओन' प्राप्त किया जा रहा है और उसकी सप्लाई की जा रही है। आशा है कि बी० एच० सी०, डी० डी० टी० और मलाथिओन की स्वदेशी सप्लाई लगभग 6,000 टन 75 प्रतिशत wdp. होगी। 1971-72 में शेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए डी० डी० टी० 75 प्रतिशत रूस तथा अमरीका से मंगवाया गया। 1972-73 में कुल आयात रूस से किया जा रहा है। आयात में कमी करने के लिए स्वदेशी माल की मात्रा बढ़ाने के निरन्तर प्रयत्न किए जा रहे हैं।

खुले बाजार में चीनी के मूल्य में वृद्धि

76. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुले बाजार में चीनी का मूल्य अभी भी तीन रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो मूल्य को कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या आंशिक नियंत्रण लागू कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इतने असाधारण विलम्ब के पश्चात् यह निर्णय लिये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां। यह मूल्य पहली जुलाई, 1972 से अधिकांश स्थानों पर चल रहा है ।

(ख) जब तक चीनी का पर्याप्त उत्पादन नहीं होता जिससे उसकी मांग पूरी हो जाए तब तक इन्हीं कई कारणों से चीनी का बाजार मूल्य अधिक रहने की आशा हैं। तथापि, घरेलू उपभोक्ता को कुछ राहत पहुंचाने की दृष्टि से उसकी आवश्यकता का उचित भाग सांविधिक आंशिक नियन्त्रण की योजना के अधीन उचित मूल्य पर सुलभ किया जा रहा है।

(ग) जी हां, पहली जुलाई, 1972 से ।

(घ) इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है । सांविधिक आंशिक नियन्त्रण से पूर्व उद्योग स्वैच्छा से पहली जनवरी, 1972 से तात्कालीन जरूरतों और घरेलू उपभोक्ताओं में उचित मूल्य की दुकानों से उचित मूल्य पर वितरण करने के लिए मासिक निर्मुक्ति का 60 प्रतिशत 150 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर (उत्पादन शुल्क रहित) देने के लिए सहमत हो गया था। सांविधिक आंशिक नियन्त्रण केवल इसलिए लागू करना पड़ा था जबकि उद्योग के एक वर्ग ने 30 जून, 1972 के बाद स्वैच्छिक प्रबन्धों को जारी रखने में अनिच्छा व्यक्त की और सरकार के पास कोई वैकल्प नहीं रह गया था।

कानपुर में औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बनाए गए मकानों पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का कब्जा

77. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3,000 प्रति रक्षा कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों के बारे में, जो कानपुर में औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बनाये गये मकानों में रह रहे हैं, कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या राज्य सरकार को इस आशय के कोई आदेश दे दिये गये हैं कि वह उनसे मकान खाली न कराए अथवा उनसे टूट-फूट का हर्जाना वसूल न करें ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख) : निम्न दो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार के विचाराधीन हैं :–

(i) सुरक्षा ज़ोन के अन्तर्गत आने वाले मकानों की रक्षा मन्त्रालय को बिक्री ; और

(ii) सुरक्षा ज़ोन के बाहर के मकानों का निम्न आय वर्ग आवास योजना को हस्तांतरण जिन्हें राज्य सरकार बाद में वर्तमान दखलकारों को बेच सकती है।

(ग) राज्य सरकार को यह भी सलाह दी गई है कि इस मामले में औपचारिक निर्णय होने तक वर्तमान दखलकारों को उनके मकानों से न निकालें अथवा उनसे दण्डात्मक प्रभारत वसूल न करें।

दिल्ली में अस्पतालों के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

78. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अस्पतालों के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो 1972 में कितने क्वार्टर बनाए जायेंगे ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने क्वार्टर बनाये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है।

(ख) 188 क्वार्टर बनाने के लिए निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ग) 188

दिल्ली के अन्य अस्पतालों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

चावल और गेहू के मूल्य में वृद्धि

79 **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1972 से जून, 1972 की अवधि में खुले बाजार में चावल और गेहूं के मूल्यों में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यों को कम करके उचित स्तर पर लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) मूल्यों में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति को रोकने और उनको नीचे लाने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं :-

(1) राज्य सरकारों को गेहूं का उदार आवंटन करना ;

(2) राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे विशेषतया दुर्गम क्षेत्रों में सरकारी वितरण प्रणाली में वृद्धि करें और उसको सुदृढ़ बनाएं ;

(3) राज्यों को पर्याप्त स्टाक तैयार करने के लिए खाद्यान्नों का प्रेषण सुनिश्चित करना।

प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान

80. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्रों के अध्यापकों सहित प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों को बेहतर बनाने के लिए और क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कोई वेतन आयोग गठित किए जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) शिक्षा राज्य के होने के कारण स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मानों में सुधार करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। स्कूलों के अध्यापकों के वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में कोठारी आयोग की सिफारिशों को राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिया गया है। संघीय क्षेत्र प्रशासनों ने सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार अधिकांश राज्यों ने कोठारी आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है। दिल्ली, अंडमान तथा निकोबार द्वीप-समूह, लक्कादीप, मिनीकोय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूहों, पांडिचेरी तथा गोवा दमन और दीव के स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मान हाल ही में संशोधित किए गए हैं।

(ख) इस प्रयोजन के लिए वेतन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत सरकार द्वारा स्थापित तीसरा वेतन आयोग, स्कूलों के अध्यापकों सहित, संघीय क्षेत्रों के कर्मचारियों के वेतन-मानों तथा सेवा-शर्तों पर विचार कर रहा है, क्योंकि वे केन्द्रीय सरकार अथवा संघीय क्षेत्र प्रशासन के सीधे नियंत्रण में हैं।

शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिश

81. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्ययन दल ने पांच सदस्यों के परिवार के लिए पांच लाख रुपए के मूल्य की शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की थी ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस सत्र में इस आशय का कोई विधान पेश करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ।

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) से (ग) : नगरीय सम्पत्ति की सीमा पर अध्ययन दल की रिपोर्ट अप्रैल, 1972 में सरकार को पेश की गई थी । रिपोर्ट पर विस्तृत विचार करने के लिए सरकार द्वारा इसे मन्त्रियों के एक दल को सौंप दिया गया है । दल की विभिन्न सिफारिशों पर सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के पश्चात् रिपोर्ट के छपवाने तथा उचित कानून बनाने के लिए दोनों बातों पर कार्यवाही की जायेगी ।

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में कुत्ते का एक्स-रे

82. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अस्पतालों में एक्स-रे फिल्मों की कमी है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि एक्स-रे फिल्मों के संकट के बावजूद सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में गम्भीर स्थिति के रोगियों के एक्स-रे लेने के बजाय कुत्ते के एक्स-रे लिये गए ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या है और क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच कराई है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : एक्स-रे फिल्मों का कोई संकट नहीं है । इस समय सफदरजंग अस्पताल में नियमित कार्य समय में हर रोज किए जाने वाले एक्स-रे परीक्षणों की औसत संख्या 273 है जिनमें 400 एक्स-रे फिल्मों की खपत होती है और आपातकाल में 57 एक्स-रे परीक्षणों में 86 एक्स-रे फिल्मों की खपत होती है । एक्स-रे फिल्मों के अभाव के कारण एक्स-रे परीक्षण के लिए भेजे गये किसी भी मरीज को इनकार नहीं किया गया ।

एक कुत्ते का एक्स-रे सफदरजंग अस्पताल में स्थित विकलांग विज्ञान के केन्द्रीय संस्थान में रविवार 28 मई, 1972 को लिया गया था । यह एक्स-रे संस्था के निदेशक के आदेश पर किया गया था क्योंकि कुत्ते को कोई असाधारण जन्मजात रोग था । एक्स-रे द्वारा इस नैदानिक संदेह की पुष्टि करने के लिए निदेशक कुत्ते को एक्स-रे विभाग में ले गये और वहां उन्होंने स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को जन्म से ही अपने स्थान से हटे हुए उस कुत्ते के कूल्हे के रोग लक्षण दिखाये तथा उसकी तुलना मनुष्यों में साधारणतः उत्पन्न हो जाने वाली ऐसी स्थिति से की । मनुष्यों में, उनका खड़े ढांचा होने के कारण, जोड़ों का यह खिसकना दूसरी ही स्थिति में होता है । एक्स-रे से यह पुष्टि हो गयी कि कुत्ते का डिसलोकेशन जन्मजात है जो, निदेशक की राय में किसी अनुसंधान पत्र में प्रकाशन के लिए एक उत्तम केस होगा ।

विकलांग विज्ञान की केन्द्रीय संस्था स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए विकलांग विज्ञान की एक शिक्षण और अनुसंधान संस्था है । जब से इस संस्था का प्रारम्भ हुआ है तभी से यह कई वर्षों से विकलांग विज्ञान में अनुसंधान का केन्द्र है । प्रारम्भ में इसने जन्मजात विरूपांगता पर कार्य किया और तत्पश्चात मनुष्यों में अस्थि सुषिरता (ओस्टेयोपोरोसिस) जैसी अन्य विकलांगताओं को भी अपने कार्य क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया और अस्थि अर्बुदों आदि का व्यापक अध्ययन भी शुरू कर दिया । इससे पहले भी इस विभाग में कई बार पशुओं के, जिनमें कुत्ते भी शामिल हैं, कतिपय प्रयोग करने के बाद एक्स-रे किये गये । इस कुत्ते का एक्स-रे लेने का मुख्य उद्देश्य संस्था में अब तक संकलित मनुष्यों के एक्स-रे चित्रों और इस कुत्ते के एक्स-रे चित्र की सहायता से दोनों प्रकार के कूल्हे के जोड़ों का शरीर रचना सम्बन्धी तुलनात्मक अध्ययन करना था ।

सफरदजंग अस्पताल में हृदय वक्ष सर्जन द्वारा भी कुत्तों पर प्रयोग किए गए हैं और विवृत हृद सर्जरी तथा पम्पों की सम्भावना कितनी है यह देखने के लिए मनुष्यों पर प्रयास करने से पहले सर्व प्रथम कुत्तों पर ही प्रयास किया गया था । इस अवसरों पर भी यदा कदा एक्स-रे किये गये । अतः इसी मामले में कुत्ते के कूल्हे का एक्स-रे लेना कोई अकेली घटना नहीं वरन् कुत्तों और अन्य पशुओं पर विकलांग विज्ञान के केन्द्रीय संस्था द्वारा किए जा रहे नियमित अनुसंधान और शिक्षण कार्यक्रम का एक अंश था ।

स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक द्वारा की गई जांच का निष्कर्ष यह है कि कुत्ते का एक्स-रे इसलिए लिया गया था ताकि कूल्हे के जन्मजात जोड़ों की खिसकन के मामले में श्वान जाति के पशुओं और मनुष्यों की तुलनात्मक शरीर रचना का अध्ययन किया जा सके और इस अस्पताल में पहले भी पशुओं के जिनमें कुत्ते भी आ जाते हैं इसी प्रकार के एक्स-रे चित्र खीचे जाते रहे हैं ।

केरल में सूखा

83. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत ग्रीष्म ऋतु में केरल में सूखा पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो उससे कितनी हानि हुई है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल को सहायता की कोई पेशकश की थी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राज्य सरकार ने केरल में सूखे की किसी स्थिति के बारे में सूचित नहीं किया है यद्यपि मानसून के देर से आने के कारण कुछ हद तक फसलें प्रभावित हो सकती हैं ।

(ख) इस समय हानि की मात्रा बताना जल्दबाजी होगी ।

(ग) राज्य सरकार ने सूखा सहायता के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग नहीं की है ।

पश्चिम बंगाल में कालेजों के विकास पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा खर्च की गई राशि

84. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल में कालेजों के विकास पर कितनी धनराशि व्यय की गई ;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल में कालेज अध्यापकों के वेतन के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ; और

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार कालेज तथा विश्वविद्यालय अध्यापकों की सेवाओं की सुरक्षा के लिए कोई अधिकार प्राप्त करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में कालेजों को उनके विकास कार्यक्रमों के लिए पिछले तीन वर्षों में कुल 1.11 करोड़ रुपए के अनुदान दिए गए थे। इस अवधि के दौरान कालेज के अध्यापकों के वेतन-मानों में परिशोधन के कारण इन कालेजों को 3.49 लाख रुपए की राशि के कुल अनुदान की अदायगी की गई थी।

(ग) विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों की सेवाशर्तों से सम्बन्धित मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यालयों तथा कालेजों की अभिशासन समिति के विचाराधीन हैं। इस समय यह बताना कठिन है कि यह समिति अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करेगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय के गिरते हुए अध्यापन स्तर के बारे में जांच

85. **श्री अरविन्द नेताम :**
श्री माधुर्य हालदार :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विश्वविद्यालय के गिरते हुए अध्यापन स्तर की जांच के लिए कोई आयोग स्थापित करने की मांग प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में जनजातियों में कल्याण हेतु योजनाएं

86. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय चल रही वे विभिन्न योजनाएं कौन सी हैं जिनके द्वारा केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश में जनजातियों के कल्याण के लिए राज्य की सहायता कर रही है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार का विचार 1972-73 में कितनी धनराशि खर्च करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : एक विवरण पत्र सभा के पटल पर रखा जाता है ।

(ख)	केन्द्रीय क्षेत्र	167.35 लाख रुपए
	राज्य क्षेत्र (योजना परिव्यय)	275.00 लाख रुपए

विवरण

मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अन्तर्गत अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

साधारण क्षेत्र

1. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां ।
2. लड़कियों के छात्रावास ।
3. आदिम जाति विकास खंड ।
4. सहकारिता ।
5. आदिम जाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण ।

राज्य क्षेत्र

शिक्षा

1. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां ।
2. मध्याह्न भोजन ।
3. ट्यूशन और बोर्ड परीक्षा फीसों की प्रतिपूर्ति ।
4. छात्रावास ।
5. आश्रम स्कूल ।
6. पुराने छात्रावासों में साज सामान ।
7. स्कूल भवनों इत्यादि का निर्माण ।
8. साधारण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अतिरिक्त वजीफे ।
9. युवक कल्याण कार्यक्रम ।
10. हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पुस्तकालय और साइंस के उपकरण ।
11. मैट्रिकोत्तर छात्रावास ।
12. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ।

आर्थिक विकास

1. व्यवसायिक प्रशिक्षण ।
2. कृषि विकास योजना ।
3. प्रशिक्षण-एवं-उत्पादन केन्द्रों का विस्तार ।

स्वास्थ्य, आवास और अन्य योजनाएं

1. पीने के पानी के कुएं ।
2. प्रचार योजनाएं ।
3. स्वयंसेवी एजेन्सियों की सहायता ।
4. कानूनी सहायता ।
5. आदिमजातियों के लोगों को रोजगार सुविधाएं ।

गैर-सरकारी चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की सिफारिश

87. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सिफारिश की है कि यथासम्भव सभी गैर-सरकारी चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) अब तक ऐसी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य फार्म निगम द्वारा बिहार, आंध्र प्रदेश आदि में फार्म स्थापित किया जाना

88. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फार्म निगम ने बिहार और आन्ध्र प्रदेश में फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इनमें कब से काम आरम्भ हो जायेगा ; और

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी ऐसे फार्म स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) बिहार तथा आन्ध्र प्रदेश में फार्मों की स्थापना सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर ली गई है बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित स्थान उपयुक्त पाये जायें ।

(ख) फार्मों की सम्भाव्यता रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । विशद अध्ययन के उपरान्त, यदि इन स्थानों को उपयुक्त पाया गया तो फार्मों की स्थापना शीघ्र होने की संभावना है । फार्मों के स्थापित हो जाने की निश्चित तिथि अभी नहीं बतायी जा सकती ।

(ग) जिन राज्यों में फार्म नहीं हैं, वहां फार्मों की स्थापना के औचित्य पर तथा ऐसे फार्मों की स्थापना के लिये उपयुक्त स्थलों के सम्बन्ध में सुझाव देने के प्रश्न पर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा नागालैंड सरकार से विचार विमर्श किया जा रहा है।

गाय और भैंसों का प्रजनन

89. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देहातों में लोगों के आर्थिक जीवन में सुधार करने के लिए गाय और भैंसों के प्रजनन की दिशा में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : सरकार हमारी गाय और भैंसों की कम उत्पादकता और उनमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता के नियम में पूर्ण रूप से सजग है। अतः संकर-प्रजनन पर बल देते हुए हमारी राष्ट्रीय प्रजनन नीति का नवीकरण किया गया है। प्रारम्भ किए गए प्रस्तावित कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रजनन कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

1. गाय और भैंसों के साथ उच्च कोटि के वीर्य से प्रजनन में लिए कृत्रिम गर्भाधान तकनीकों का अधिकाधिक प्रयोग करना।

2. विदेशी नस्लों के तरल और जमे हुए वीर्य से संकर प्रजनन कराना।

3. कम उम्र के सांडों की वास्तविक जनन-शक्ति का पता लगाने और केवल ऐसे चुनीदा सांडों के प्रयोग तथा बहुवर्धन को सुनिश्चित करने की जिनकी प्रजनन सम्बन्धी श्रेष्ठता की जांच करके उसकी पुष्टि हो चुकी है, के लिए एक सन्तति परीक्षण योजना तैयार करना।

4. देशीय और विदेशी नस्लों के उच्च कोटि के पशुओं द्वारा उत्पादित वीर्य का अधिकाधिक तथा अधिक दक्षता से उपयोग करने को सुनिश्चित करने के लिए जमे हुए वीर्य केन्द्रों की स्थापना करना।

5. जमे हुए वीर्य तथा बढ़िया विदेशी जमे प्लाजम के उत्पादन के लिए विदेशी नस्ल के पशुओं का आयात करना ताकि बाद में वे संकर प्रजनन और नस्ल सुधारने की गतिविधियों में सम्भवतः सहायक सिद्ध हो सकें।

दिल्ली में कालेजों की संख्या बढ़ाने की मांग

90. **श्री अरविन्द नेताम** :
श्री एस० सी० सामन्त :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कालेजों की संख्या बढ़ाने की बड़ी मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) (क) और(ख) : दिल्ली विश्वविद्यालय को 1972-73 के शैक्षणिक वर्ष से दो नए कालेज खोले जाने के संबंध में दिल्ली प्रशासन से एक प्रस्ताव मिला है। दिल्ली प्रशासन को सूचित किया गया है कि कानूनी आवश्यकताओं को पूरा होने तक इन कालेजों को खोले जाने की कार्रवाई शुरू करें। नए कालेजों को खोलने के बारे में विश्वविद्यालय के पास और कोई आवेदन विचाराधीन नहीं है।

मध्य प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए केन्द्रीय योजना में नियत की गई राशि

91. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 की केन्द्रीय योजना में मध्य प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

(ख) इन कार्यक्रमों की मुख्य बातें क्या हैं और उनको क्रियान्वित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस कार्यक्रम के अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) : शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने–प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार को केन्द्रीय आयोजना की योजना के अधीन, 3,600 अध्यापकों, 30 प्राथमिक स्कूल निरीक्षकों की नियुक्ति हेतु, 1,08,918 बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और लेखन सामग्री देने, 1,08,918 अतिरिक्त बच्चों को मध्याह्न भोजन देने, 57 मिडिल स्कूलों में कार्य अनुभव शुरू करने और 1,14,000 रु० की राशि के उपस्कर और वर्कशेड तथा 3,630 कक्षाओं के कमरों के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को स्वीकृति दी गई है। यह भी बताया गया है कि 1972-73 के दौरान कार्यान्वित किए जाने वाले इन अतिरिक्त कार्यक्रमों के लिए 2,16,00,000 रुपए की राशि राज्य को उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

चूँकि स्वीकृति केवल 10 जून, 1962 को ही जारी की गई है तथा इस वर्ष का शैक्षिक सत्र अभी अभी हुआ है, अतः कार्यक्रम में उपलब्ध किए गए परिणामों का मूल्यांकन करने का अभी समय नहीं है।

कनाट प्लेस, नई दिल्ली में यातायात अध्ययन संबंधी प्रतिवेदन

92. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली विकास मंत्रणा समिति ने कनाट प्लेस में यातायात अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर लगभग किस तारीख तक कार्यवाही की जायेगी ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट समिति द्वारा सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय सड़क कार्यक्रम और मध्य प्रदेश में नई सड़कें बनाने का कार्यक्रम

93. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क कार्यक्रम के कार्य को तेज करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) वर्ष 1972-73 में मध्य प्रदेश में अन्तर्राज्यीय और आर्थिक महत्त्व की नई सड़कें बनाने का क्या कार्यक्रम है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा । गया देखिए संख्या एल० टी०--3190/72]**

(ख) अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त तथा दस्युग्रस्त क्षेत्र में कुछ सड़कों के संबंध में मध्य प्रदेश से सम्बन्धित चौथी योजना में अनुमोदित कार्यक्रम में 171.50 लाख रुपये की कुल लागत के नये कार्य शामिल किये गये हैं । इन कार्यों के लिए राज्य सरकार को प्रति वर्ष धन दिया जाता है । 1972-73 के लिए बजट में 29.10 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

मध्य प्रदेश में प्रायोगिक आदिवासी विकास परियोजना

94. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासियों के आर्थिक विकास के लिये मध्य प्रदेश में प्रायोगिक आदिवासी विकास परियोजनाएं स्थापित की गई हैं ;

(ख) अब तक उनके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) आदिवासियों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए उक्त परियोजनाओं के कार्यकरण को तेज करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां । आदिवासियों के आर्थिक विकास के लिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई 6 मार्गदर्शी आदिवासी विकास परियोजनाओं में से दो मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के कोन्ता तथा दन्तेवाडा तहसीलों में हैं । उनकी मुख्य बातें निम्न-लिखित हैं :—

(1) मूल उद्देश्य आर्थिक विकास के कोर कार्यक्रम का पता लगाना तथा संकेन्द्रित रूप में कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना है ।

(2) इन परियोजना प्लानों की संरचना में सामाजिक आर्थिक तथा पारिस्थितिक विन्यास में स्थानीय विभिन्नता का ध्यान रखने तथा स्थिति की गति का भी ध्यान रखने के लिये काफी लचीलापन है क्योंकि यह कार्यक्रम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आगे बढ़ता है। कृषि मन्त्रालय द्वारा दिये गये व्यापक मार्ग-दर्शनों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं स्थानीय स्तर पर तैयार की जाती हैं।

(3) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत 'आदिवासी विकास एजेन्सी' नामक एक समिति पंजीकृत की गई। बस्तर जिले का कलक्टर इसका अध्यक्ष है और अतिरिक्त जिलाधीश के पद का एक अधिकारी इसका परियोजना अधिकारी है। आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न विशेष परियोजना स्कीम तथा चल रहे कार्यक्रम समेकित रूप से क्रियान्वित किये जायेंगे, जिससे एक आदिवासी क्षेत्र के उसी कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के लिये कई एजेन्सियां कार्य न करें। जिला प्रशासन की सामान्य प्रशासनिक मशीनरी को, जिसे कि एजेन्सी के कुछ कर्मचारियों द्वारा सहायता की जायेगी, योजनाओं का कार्यान्वयन करना है।

राष्ट्रीय स्तर पर इन परियोजनाओं का मार्ग दर्शन, समन्वय तथा पर्यवेक्षण करने के लिये निदेशक की अध्यक्षा में एक लघु आफीसर ओरियन्टिड यूनिट बनाया गया है, जिसकी सहायता अवर सचिव तथा न्यूनतम पूरक कर्मचारियों द्वारा की जाती है।

(ख) ये परियोजनाएं केवल चालू वित्तीय वर्ष के दौरान से ही कार्य कर रही हैं और उनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करना अभी सम्भव नहीं है। आदिवासी विकास एजेन्सियों का पंजीकरण, परियोजना अधिकारियों तथा आवश्यक कर्मचारियों आदि की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण जैसी प्रारम्भिक व्यवस्थाएं पूर्ण की गई हैं। प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये परियोजना प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) (1) परियोजना आदिवासी विकास एजेन्सियों के लिये अनुदानों की स्वीकृति की शर्तों के अन्तर्गत परियोजनाओं के क्रिया-कलापों की प्रगति के सम्बन्ध में सामयिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।

(2) एजेन्सी में कृषि मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि सम्मिलित किया जाता है। एजेन्सी की बैठकें कम से कम तीन महीने में एक बार करनी होती है। उनके कार्य को बढ़ाने के लिये इन बैठकों तथा कृषि मन्त्रालय के प्रतिनिधि द्वारा समस्याओं के मौके पर मूल्यांकन करने के लिए परियोजनाओं के दौरों के माध्यम से एजेन्सियों को लगातार मार्ग दर्शन दिये जायेंगे।

(3) एजेन्सियों के कार्य को बढ़ाने की तत्काल समस्या के सम्बन्ध में निदेशक (आदिवासी विकास) का अगले महीने के दौरान बस्तर जिले का दौरा करने का विचार है।

उत्तर प्रदेश में नये विश्वविद्यालयों की स्थापना

95. **श्री आर० के० सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में नये विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा और प्रस्तावित नये विश्वविद्यालय किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधान परिषद में उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में एक विधेयक पेश किया है। इसके अनुसार नैनीताल, टेहरी-गढ़वाल, श्रीनगर, अल्मोड़ा तथा देहरादून में विश्वविद्यालय के कार्यालयों और आहातों की व्यवस्था है। विश्वविद्यालय के आहातों तथा मुख्यालयों की अन्तिम स्थिति राज्य विधान सभा द्वारा विधेयक की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर निर्णय किए जाने के बाद ही प्रकट होगी।

उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास

96. **श्री आर० के० सिंह** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के कुछ क्षेत्रों को भी पिछड़े हुए क्षेत्र घोषित किया गया है ; और

(ग) इन घोषित किए गए पिछड़े क्षेत्रों को क्या सहायता दी जा रही है और वहां पर किये जा रहे विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री, नई दिल्ली का विस्तार

97. **श्री आर० के० सिंह** :

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री, नई दिल्ली का विस्तार करने और उसे आधुनिक रूप देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और यह कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जाएगा और कब तक पूरा हो जाएगा ; और

(ग) उक्त फैक्ट्री के विस्तार और उसको आधुनिक बनाने के कार्यक्रम पूरे हो जाने के पश्चात् उससे क्या लाभ होने की संभावना है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) से (ग) : जी,हां। हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री के विस्तार तथा आधुनिकीकरण की योजना की मुख्य विशेषताएं ये हैं :—

(i) फैक्ट्री में वर्तमान प्रक्रियाओं का मानकीकरण आधुनिकीकरण तथा उन्हें युक्तियुक्त बनाना।

(ii) बड़े पैमाने पर पूर्वविरचित मकानों के लिए आधुनिक किफायती तरीकों का विकास।

(iii) नवीनतम पूर्व विरचना के तरीकों और जलवायु संबन्धी परिस्थिति की अनुकूलता तथा लोगों की रहन-सहन की विशेष आदतों तथा उनकी सामाजिक तौर पर स्वीकार्यतया को ध्यान में रखते हुऐ बहुत ही किफायती डिजाइन का विकास।

(iv) बड़े पैमाने पर उत्पादन, उच्चत्तम क्वालिटी तथा पूरी हुई संरचनाओं में अधिकतम किफायत प्राप्त करने के तरीकों को अपना कर पूर्व विरचित इमारतों के निर्माण के लिए फैक्ट्री में वर्तमान उपलब्ध सुविधाओं को कारगर बनाना।

(v) पूर्व विरचित मकानों के बड़े खण्डों के उत्पादन के लिए अतिरिक्त संयंत्र लगाना।

(vi) फैक्ट्री में एक डिजाइन कक्ष स्थापित करना ; तथा

(vii) बम्बई तथा मद्रास में स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन करके इसी प्रकार की फैक्ट्रियां लगाना।

कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम–कन्ट्री प्रोग्राम 1972-79 से सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है। यह आशा की जाती है कि प्रोग्राम 1973-74 में आरम्भ हो जायगा तथा इसको पूर्ण होने में इसके पश्चात् दो वर्ष लगेंगे।

कार्यक्रम के परिणामस्वरूप (1) पूर्व विरचित घटकों तथा मकानों के उत्पादन में वृद्धि (2) मकानों के लागत में कमी (3) पहले से अच्छी क्वालिटी और (4) निर्माण की गति में अपेक्षाकृत तेजी आयेगी।

आई०आई० टी० बिल्डिंग, नई दिल्ली में लिफ्ट बगाए गए गढ़े

98. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० आई० टी०, दिल्ली की 9 मन्जिली मुख्य इमारत में लिफ्टों के गढ़े नक्शे के अनुसार नहीं हैं और इस समय लगयी गई लिफ्टों से 50,000 रुपए की हानि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) : 1965 वर्ष के अन्त में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने लिफ्टों के लिए निविदा (टेन्डर) आमन्त्रित किए थे, उस समय बहुमंजिले भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। उस समय प्रत्येक लिफ्ट-कार के ढांचे के लिए चबूतरे के क्षेत्रफल की 20 वर्ग फुट की परिकल्पना की गयी थी। बाद में, लिफ्ट के लिए पूरा हो जाने पर संरचनात्मक तथा वस्तु कला के कारणों से उपलब्ध क्षेत्रफल 20 वर्ग फुट से कम

रह गया । अतः लिफ्ट के चबूतरे के क्षेत्रफल में कमी की गयी तथा प्रत्येक कार के क्षेत्रफल को भी, जिसे आठ व्यक्तियों को ले जाने के लिए तैयार किया गया था, समायोजित किया गया । क्षेत्रफल में की गयी यह कमी केवल 0.8 वर्ग फुट है और इस प्रकार से यह कमी कार की यात्रियों को ले जाने की क्षमता को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है ।

लिफ्टों के अन्य घटकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । दिल्ली प्रशासन के लिफ्ट निरीक्षक ने इन लिफ्टों का निरीक्षण किया तथा उन्हें सही रूप में पाया ।

जहाँ तक वित्तीय पहलुओं का सम्बन्ध है, लिफ्टकारों के क्षेत्रफल में इस थोड़े से परिवर्तन के फलस्वरूप फर्मों से उनके अन्तिम बिलों से लगभग 2,000 रुपए की वसूली की गयी ।

इन करारों को 1969-70 वर्ष के लेखों का परीक्षण करते समय म० ले० के० रा० की लेखा-परीक्षा पार्टी द्वारा भी देखा गया था । संस्थान का उत्तर संतोषजनक होने के कारण आडिट पैरे को निकाल दिया गया था ।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा चालित महत्वपूर्ण नौवहन मार्गों पर यातायत में कमी

99 . **श्री एम० कमामुतु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम द्वारा चालित सभी महत्वपूर्ण नौवहन मार्गों पर यातायात में कमी हुई है ;

(ख) यातायात में कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) चालू वर्ष में निगम की आय पर इसका किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख): जी हां। प्रतियोगिता के कारण भारत से पटसन जैसे लाभकारी माल, नए ए० आई० डी० वचनबद्धता बन्द हो जाने और पी० एल० 480 कार्यक्रम के कटने के कारण अमरीका से भारत को कपास और अन्य मदों के आवागमन में सामान्य गिरावट आयी है ।

(ग) चूंकि चालू वित्तीय वर्ष के केवल तीन महीने ही व्यतीत हुए हैं अतः इस समय यह सही रूप से बताना संभव नहीं है कि उक्त बात इस वर्ष में निगम की आय को किस हद तक प्रभावित करेगा ।

ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही

100 . **श्री एम कतामुतु** : क्या **कृषि** मन्त्री ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम की प्रगति के बारे में 20 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 665 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं की कारगर रूप में क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) : ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत स्कीमों का कारगर कार्यान्वित सुनिश्चित करने के लिए चालू वर्ष में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम ये हैं :—

(1) वर्ष 1972-73 में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों को मार्च, 1972 में परिचालित किए गए थे ।

(2) वर्ष 1971-72 में उनके द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाओं के प्रकार की परियोजनाएं मंजूर करने की शक्ति राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रशासनों को प्रत्यायोजित की गई है । अब राज्य सरकारों को केवल मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भेजना होता है ।

(3) प्रथम तिमाही की किश्त की धनराशि अप्रैल, 1972 के द्वितीय सप्ताह में दे दी गयी थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वर्ष 1971-72 के अन्त और वर्ष 1972-73 के आरम्भ बीच के काम की निरन्तरता में रूकावट न पड़े । द्वितीय तिमाही की किश्त राज्य सरकारों द्वारा यह सूचना भेजने कि पहली किश्त की धनराशि का दो तिहाई भाग व्यय हो गया है और उन सभी परियोजनाओं जिनका काम शुरू हो गया है, का ब्यौरा भेजने पर दी जाएगी ।

(4) परियोजनाओं के पर्यवेक्षण के लिए क्षेत्र कर्मचारियों की लागत, वर्ष 1971-72 में निर्धारित किये गये परियोजनाओं की कुल लागत के 3 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत तक हो सकती है ।

(5) परिसंपत्तियों का स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए सामग्री उपकरणों आदि पर प्रारम्भ में अपेक्षित किए गए व्यय के मुकाबले में अब अधिक व्यय किया जा सकता है । इसके अलावा सामान्य नियम के तौर पर, 30,000 हजार रुपए से कम लागत के निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किए जा सकते हैं ।

(6) श्रमिकों को उनके द्वारा किए जाने वाले काम के अनुसार निर्धारित दरों पर मजदूरी दी जाएगी ।

Pay-scales of Teachers of Saugar University

101. **Shrimati Sahodrabhai Rai** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the teachers of the Saugar University have been granted new pay scales as recommended by the University Grants Commission ;

(b) the action taken by the said Commission in regard to payment of the arrears ; and

(c) the directives issued to the Government of Madhya Pradesh in this regard ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) to (c) : The Government of Madhya Pradesh has agreed to implement the revised salary scales recommended by the University Grants Commission for college and University teachers, with effect from 1. 7. 1969.

Assistance for the implementation of the scheme is given by the Government of India (and not by the University Grants Commission) at the rate of the additional expenditure.

The Madhya Pradesh Government has so far not sought Central assistance specifically for revision of scales of pay in the Universities in the State. Information regarding adoption of the revised scales in Sagar University is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

भूतपूर्व संसद सदस्यों तथा भूतपूर्व मन्त्रियों की ओर किराए की बकाया राशि

102. **श्री एम० कल्यामुतु** : **क्या निर्माण और आवास** मन्त्री 1 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4447 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व संसद सदस्यों तथा भूतपूर्व मन्त्रियों में से किसी ने इस बीच बकाया राशि का भुगतान किया है तथा सरकारी आवास को खाली किया है ;

(ख) क्या उनमें से बाकी व्यक्तियों ने आवास को खाली करने उसे अपने पास रखने की इच्छा व्यक्त की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इच्छा व्यक्त की है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) श्री कंसारी हालदार, भूतपूर्व संसद सदस्य ने वास को खाली कर दिया है और बकाया सारी राशि अदा कर दी है ।

निम्नलिखित भूतपूर्व संसद सदस्यों ने उनको आवंटित किया गया वास खाली कर दिया है परन्तु उनके कुछ राशि अभी भी बकाया है :—

सर्वश्री

1. जे० एन० हजारिका
2. नरदेव स्नातक
3. राम चरण
4. स्वर्गीय० बी० एन० अन्तानी
5. एम० पुरकायस्थ
6. ए० क्यू० अन्सारी
7. मेघ राज जी
8. भानु प्रकाश सिंह
9. आर० के० अमीन
10. डी० वी० सिंह
11. जे० वी० मुथ्याल राव

भूतपूर्व मन्त्री श्री एन० आर० कृष्ण को आवंटित वास, स्टेट फार्म्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के नाम पर नियमित कर दिया गया है ।

(ख) तथा (ग) : वास को खाली करने की इच्छा किसी ने सूचित नहीं की है । तथापि, एक भूतपूर्व संसद सदस्य (श्रीमती पद्मावती देवी) ने चिकित्सा आधार पर वास को छः महीने रखने का अनुरोध किया था परन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया, और एक भूतपूर्व मन्त्री (श्री मोहम्मद यूनुस सलीम) ने छः मास के लिए वास को रखने का अनुरोध किया है जो अभी विचाराधीन है ।

देश के पूर्वी भाग में दालों के मूल्यों में साधारण वृद्ध

103 . **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विशेष कर देश के पूर्वी भाग में दालों के मूल्य में असाधारण वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या मूल्यों में वृद्धि करने में सटोरियों तथा बड़े व्यापारियों का हाथ है ; और

(ग) यदि हां, तो दालों के मूल्यों के वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) व्यापारियों द्वारा सट्टे बाजी के लिए जमाखोरी के अलावा, चालू वर्ष के दौरान दालों के मूल्यों में बढ़ोतरी के लिए मुख्यत: निम्नलिखित तथ्य जिम्मेदार हैं :—

(1) हाल ही के वर्षों में देश में दालों की पैदावार में मन्दता ।

(2) देश के कुछ भागों में सूखे, भारी वर्षा, बाढ़ों और तूफानों से 1971-72 की खरीफ फसलों की क्षति ।

(3) पूर्वी राज्यों में मानसून-पूर्व (मार्च-मई,1972) वर्षा न होना और 1972-73 में दालों की पैदावार में प्रत्याशित कमी ।

(4) मानसून का देरी से शुरू होना ।

(ग) दीर्घकालिक उपाय के रूप में सरकार ने दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए कई पग उठाएं हैं जैसे कि अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती, पैकेज तरीकों को अपनाना, बहुफसली कार्यक्रम में दालों की अल्प अवधि की फसलों की खेती, अरहर, मुंग उरद आदि की उन्नत किस्मों की खेती करना है ।

पश्चिम बंगाल, उडीसा और बिहार की ओर से राज सहायता दर पर चावल, गेहूं तथा अन्य अन्न की मांग

104 . **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार राज्य सरकारों ने सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राज-सहायता दर पर सप्लाई करने के लिए कुल कितने चावल, गेहूं और अन्य अन्न की मांग की है ; और

(ख) अब तक तथा 15 जून, 1972 तक राज्य सरकारों की ये मांगें कहां तक पूरी की गई ?

कृषि मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सम्बन्धित राज्य सरकारों से सूखा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान सप्लाई करने के लिए कोई विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) जनवरी से जून, 1972 की अवधि के दौरान राज्यों के विवरण सम्बन्धी आवश्यक-ताओं को पूरा करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों की चालू निर्गम मूल्यों पर खाद्यान्न आवंटित करने की मांग को पूरा कर दिया गया है ।

राष्ट्रीय राजपथों से जुड़े हुए व्यापारिक केन्द्र तथा राज्यों की राजधानियां

105. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक देश में सभी महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्रों तथा राज्यों की राजधानियों को राष्ट्रीय राजपथों से जोड़ दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : सड़कों का कुछ मानदंडों के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाते हैं अर्थात वे देश भर में से होने चाहिए उन्हें विदेशी राजमार्गों को जोड़ना चाहिए, उन्हें बड़े-बड़े पत्तनों तथा बड़े-बड़े औद्योगिक या पर्यटक केन्द्रों से मिलाना चाहिए, उन्हें राज्यों की राजधानियों को मिलाना चाहिए और उन्हें सामरिक आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आर्थिक विचार धाराओं पर भी बल दिया जाता है । साधनों की उपलब्धता से ही सड़कों की लम्बाई का निश्चय होता है जिन्हें राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित किया जा सकता है । सभी राज्यों की राजधानियां अब राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी हुई है । जहां तक सम्भव है, महत्वपूर्ण औद्योगिक समूह और पर्यटन केन्द्र तथा बड़ी पत्तन और कुछ महत्वपूर्ण व्यापार केन्द्र भी राष्ट्रीय राज मार्ग से मिले होते हैं ।

पश्चिम बंगाल को भारतीय खाद्य निगम द्वारा, सप्लाई की गयी चावल साफ करने की अनुपयोगी मशीनों को बदलने का अनुरोध

106. **श्री अजीत कुमार साहा :**
डा० रानेन सेन :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के पश्चिम बंगाल सरकार का यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई की गई चावल साफ करने की अनुपयोगी मशीनों को बदल दिया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की कमी

107. **श्री अण्णासाहिब गोट खिंडे** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की कमी है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से अमोनियम सल्फेट और यूरिया की अधिक सप्लाई करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां , तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : जी हां । खरीफ 1972 के मौसम के दौरान महाराष्ट्र राज्य में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की कुछ कमी पायी गयी है तथा राज्य सरकार ने भारत सरकार से इन उर्वरकों की अधिक आपूर्ति का अनुरोध किया है । देशी उत्पादकों द्वारा अपना वायदा पूरा न करने के कारण कमी हुई है ।

(ग) महाराष्ट्र राज्य में उर्वरक की आपूर्ति-स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) अप्रैल, 1972 में आयोजित पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान राज्य के लिए उर्वरकों की आपूर्ति की योजना बनाते समय, यह निश्चय किया गया था कि खरीफ 1972 में राज्य को केन्द्रीय उर्वरक पूल से 8,000 मीटरी टन नाइट्रोजन की आपूर्ति की जाएगी । किन्तु अप्रैल से जून तक की तिमाही के दौरान, केन्द्रीय उर्वरक पूल से राज्य को 12,480 मीटरी टन नाइट्रोजन की आपूर्ति की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त, जुलाई से सितम्बर तक की तिमाही के दौरान, राज्य को 23,238 मीटरी टन नाइट्रोजन और आवंटित किया गया है ।

2 सरकार ने उत्पादकों से अमोनियम सल्फेट के उत्पादन का 30 प्रतिशत भाग पूल द्वारा पुनः आवंटित करने के लिए ले लिया है । इसमें से 1,800 मीटरी टन नाइट्रोजन राज्य को आवंटित किया जा रहा है ।

3 अत्यावश्यक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया गया है जिसमें उत्पादकों को वैधानिक रूप से बाध्य किया गया है कि वे क्षेत्रीय सम्मेलन में किए गए अपने वायदों के अनुसार उर्वरक सप्लाई करें ।

सड़क परिवहन को अधिकार में लेने की जांच करने के लिए पैनल की स्थापना

108. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** :
श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन को अधिकार में लेने के मामले की जांच करने के लिये दिल्ली, मध्य प्रदेश, मैसूर, पंजाब और राजस्थान के प्रतिनिधियों का एक पैनल बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कृत्य क्या हैं तथा पैनल अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी वर्तमान प्रक्रियाओं के अध्ययन हेतु और इसमें ऐसे राष्ट्रीयकरण को शीघ्र करने हेतु संशोधन की सिफारिश करने के लिए आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, मैसूर, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, दिल्ली के संघीय राज्य क्षेत्र तथा विधि और

न्याय तथा नौवहन और परिवहन के केन्द्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों की एक समिति गठित की गई। समिति को मोटर गाड़ी अधिनियम में संशोधन करने हेतु उड़ीसा सरकार द्वारा किये गये कुछ प्रस्तावों की जांच करके उनके संबंध में रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है।

समिति को 15 अगस्त, 1972 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

Implementation of Intensive Education Scheme

109. **Shri Jagan Nath Mishra :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the names of the districts for which "Intensive Education Scheme" has been sanctioned and the names of districts out of them where the said scheme has been implemented ;

(b) whether the Central grant is being given to them ; and

(c) If so, the district-wise grant in 1972-73 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Following four Districts have been selected for the Scheme of Intensive Educational District Development Projects.

State	*Districts*
Bihar	Darbhanga
Maharashtra	Jalgaon
Mysore	Bellary
Punjab	Sangrur

The scheme is yet to be sanctioned. However, surveys and advance action programmes have been sanctioned in all the four districts.

(b) Central grants have been given for surveys and advance action.

(c) No grant has so far been released during 1972-73.

संयुक्त राष्ट्र परिवार नियोजन निधि के अन्तर्गत अस्पतालों में प्रसूति वार्डों का विस्तार

110. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र परिवार नियोजन निधि के अन्तर्गत अस्पतालों में प्रसूति वार्डों का विस्तार करने के लिये एक करोड़ डालर की राशि तथा प्रसवोत्तर कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था करने के लिये 10 लाख डालर की व्यवस्था की जा रही थी ;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता माँगी है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य ने कितनी-कितनी सहायता मांगी है तथा सरकार ने इस पर क्या निर्णय किया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनौपचारिक रूप से बतलाया है कि वे भारत के विभिन्न अस्पतालों में प्रसूति वार्डों का विस्तार करने के लिये प्रथम वर्ष में एक करोड़ डालर देने के लिये तैयार हैं और बाद के वर्षों में इस रकम में वृद्धि करते रहेंगे । विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता का उपयोग करने के सम्बन्ध में एक योजना तैयार की जा रही है । इस योजना को अन्तिम रूप दे दिये जाने पर, इसकी क्रियान्विति के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । प्रसवोत्तर कार्यक्रम के लिये सरकार को सहायता का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

पारादीप पत्तन की माल चढ़ाने उतारने की क्षमता

111. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन न्यास ने पत्तन की माल उतारने-चढ़ाने की क्षमता बढ़ाने के लिये 40 करोड़ रुपये की लागत की एक योजना प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा सरकार ने इस पर क्या निर्णय किया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख) : पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पारादीप पत्तन के विकास के लिए पारादीप पत्तन न्यास ने लगभग 49 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव किया है । प्रस्तावों में लौह अयस्क और सामान्य स्थोरा की बढ़ी हुई यातायात से निपटने के लिए पत्तन की क्षमता बढ़ाने, नये बन्दरगाह जलयान की प्राप्ति और पत्तन नगर क्षेत्र के विकास की व्यवस्था है । पांचवी पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम के निर्माण के संबंध में इन प्रस्तावों पर विस्तार से विचार किया जाएगा ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के वसूली मूल्य में आकस्मिक व्यय का सम्मिलित किया जाना

112. **श्री दिनेश जोरदर :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किये जाने वाले खाद्यानों के वसूली मूल्य में 25 प्रतिशत आकस्मिक व्यय सम्मिलित होता है ;

(ख) इस भारी अनोत्पादक व्यय के क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार उपभोक्ता पर तथा छोटे उत्पादकों पर पड़े इस भारी भार को कम करने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पो० शिन्दे) : (क) और (ख) : भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गये कुल प्रासंगिक खर्चों में खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, सम्भाल, भण्डारण, संचलन, वितरण और वफर स्टाक बनाने की कुल लागत शामिल होती है। अधिप्राप्त किए गये खाद्यान्नों के आधार पर अधिप्राप्ति-मूल्य की प्रतिशतता के रूप में प्रासंगिक खर्चे 22 प्रतिशत और 31 प्रतिशत के बीच है। भारतीय खाद्य निगम को अधिप्राप्ति संबंधी खर्च को पूरा करना होता है। निगम को खरीद/बिक्री कर, राज्य सरकारों के प्रशासनिक प्रभार, मंडी प्रभार और बोरियों की लागत जैसे विभिन्न मदों के भार को विनियमित करने का अधिकार नहीं है। जहां तक खाद्यान्नों को सम्भालने और उनके भण्डारण प्रभार का संबंध है, मुख्य भार ब्याज का भुगतान करने और खाद्यानों की परिरक्षण-लागत के कारण है। खाद्यान्नों के संचलन और वितरण पर हुये खर्च में मुख्यतः खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए देय भाड़ा शामिल है। निगम को खाद्यान्नों का बफर स्टाक तैयार करना है जिसमें ब्याज और भण्डारण प्रभार के रूप में पर्याप्त खर्च निहित है और ये खर्चे भी प्रासंगिक खर्चों में शामिल है।

(ग) प्रासंगिक खर्पों की बराबर समीक्षा की जा रही है ताकि इनमें यथा सम्भव कटौती की जा सके।

मध्य प्रदेश के लिए आवास स्थल योजना

114. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के आवास और नगरीय विकास निगम ने मध्य प्रदेश की आवास स्थल योजना को मंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर पूर्व क्षेत्र अर्थात् रीवां और सिंधी जिलों के लिए इस कार्यक्रम की मुख्य बातों का जिलेवार ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख) : जी, हां। आवास और नगर विकास निगम ने भोपाल सुधार न्यास को आवास सम्बन्धी एक योजना की स्वीकृति 14 मार्च, 1972 को दी है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :

संक्षिप्त विवरण		कुल ऋण	दी गई राशि	ब्याज की दर	ऋण की प्रस्तावित किस्तें
वर्ग	बिक्री के प्लाट				निम्नलिखित तिथि को या उसके बाद
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के हेतु योजना-46		39 लाख रु०	5 लाख रु०	2%	1-4-72 8 लाख रुपये
निम्न आय वर्ग	135				1-10-72 12 लाख रुपये
मध्यम आय वर्ग	153				1-4-73 8 लाख रुपये
उच्चतर आय वर्ग	16				1-10-73 6 लाख रुपये
दुकानें	301				1-4-74 2 लाख रुपये
सिनेमा	1				1-10-74 2 लाख रुपये
	652				1-4-75 1 लाख रुपये
					कुल योग 39 लाख रुपये

2. निम्नलिखित योजनाओं की स्वीकृति के लिये कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा 31 जुलाई, 1972 को विचार किए जाने का प्रस्ताव है :—

(1) मध्य प्रदेश आवास मंडल की जबलपुर के लिये आवास योजना ।

(2) मध्य प्रदेश आवास मंडल की शाहपुरा, भोपाल के लिये आवास योजना ।

3. इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित योजनाओं को सम्बन्धित अधिकारियों के परामर्श से जांच की जा रही है और उन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(1) ग्वालियर सुधार न्यास की आवास सम्बन्धी योजना ।

(2) इन्दौर-सुधार न्यास की आवासीय भूखण्डों के विकास की योजना ।

(3) रायपुर सुधार न्यास की आवासीय भूखण्डों के विकास तथा मार्कीट बनाने की योजना ।

क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भोपाल से वैज्ञानिक उपकरणों की चोरी

115. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित क्षेत्रीय शिक्षा कालेज की यूनेस्को द्वारा सप्लाई किये गये बहुमूल्य वैज्ञानिक उपकरणों में आधे उपकरण चोरी हो गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) रा० शै० अ०प्र०प० द्वारा की गई जांच से भोपाल स्थित क्षेत्रीय शिक्षा कालेज में यूनेस्को द्वारा सप्लाई किए गए कुल 9,000/- रुबल (75,000/-रु० लगभग) के उपस्कारों में से लगभग 1,500 रुपये की राशि के उपस्कर कम पाए गए हैं ।

(ख) इस मामले की जांच करने के लिये रा० शै० अ० प्र० प० ने पिछले वर्ष निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति स्थापित की थी ।

1. प्रो० रईस अहमद
   भौतिकी विभागाध्यक्ष,
   अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,
   अलीगढ़ — अध्यक्ष

2. डा० एस० दयाल,
   भौतिकी विभागाध्यक्ष,
   आ० डी० एण्ड डी० जे कालिज,
   मुँगेर (बिहार) — सदस्य

तथा

3. प्रो० डी० शर्मा
विज्ञान शिक्षा विभाग,
रा० शै० अ० प्र० प०, नई दिल्ली सदस्य

समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भोपाल के प्रिन्सिपल को समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिये कहा गया है। इस मामले में जिम्मेदारी निर्धारित करने की कार्रवाई भी रा० शै० प्र० प० द्वारा की जा रही है।

भारतीय खाद्य निगम, कानपुर के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

116. **श्री झारखंडे राय :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम, कानपुर के कर्मचारियों ने 27 जून, 1972 की शाम को कानपुर स्थित कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) कर्मचारियों ने भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष को तथाकथित भ्रष्टाचार के लिए हटाने और उसके बाद उनके विरुद्ध जांच करवाने की मांग की थी।

(ग) सरकार मामले की जांच कर रही है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए मोटर गाड़ियों की खरीद

117. **श्री झारखंडे राय :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए मोटर-गाड़ियों की खरीद के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से कोई सहायता प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता प्राप्त हुई और कितनी मोटर गाड़ियां खरीदी गई; और

(ग) प्रत्येक राज्य को उनमें से कितनी मोटर गाड़ियां दी गई ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : 1969-70 में हस्ताक्षरित रुपया करार के अधीन अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय सहायता एजेन्सी ने छः करोड़ रुपये का अनुदान देना स्वीकार किया था। जिसमें से 3 करोड़ 82 लाख रुपये परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये 1,540 वाहन खरीदने के लिये थे। इस राशि में से वर्ष 1970-71 में इस सहायता एजेन्सी से 1,076 वाहनों की लागत के रूप में दो करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं।

करार में दिए गए 1,540 वाहनों में से 1971-72 तक 1,376 वाहन प्राप्त हो चुके हैं । इन वाहनों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य	वाहनों की सप्लाई		
	1969-70	1970-71	1971-72
1. आन्ध्र प्रदेश	64	30	18
2. असम	—	—	6
3. बिहार	67	32	12
4. गुजरात	41	2	16
5. हरियाणा	16	8	8
6. हिमाचल प्रदेश	—	—	—
7. जम्मू एवं कश्मीर	—	2	3
8. केरल	18	27	4
9. मध्य प्रदेश	17	4	13
10. महाराष्ट्र	130	69	—
11. मैसूर	2	6	1
12. उड़ीसा	64	49	8
13. मेघालय	—	—	—
14. पंजाब	19	24	5
15. राजस्थान	106	56	—
16. तमिलनाडु	21	81	10
17. उत्तर प्रदेश	39	146	33
18. पश्चिम बंगाल	42	49	6
19. दिल्ली	1	1	—
	647	586	143

खाद्य-पदार्थ और चटनियों में कोलतार से बने रंग का प्रयोग

118. **श्री पुरुषोतम काकोडकर :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्थापित केन्द्रीय खाद्य मानक समिति ने खाद्य पदार्थों और चटनियों में कोलतार से बने रंग के प्रयोग के बारे में चिन्ता प्रकट की है ;

(ख) क्या केन्द्रीय खाद समिति ने यह सिफारिश की है कि कोलतार से बने रंगों को भारतीय मानक संस्था के चिन्ह अंकित होने पर ही बेचा जाय ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) कोलतार से बने जिन रंगों के उपयोग करने की मनाही है उनके खाद्य पदार्थों और चटनियों में प्रयोग किये जाने के बारे में केन्द्रीय खाद्य मानक समिति को जानकारी है ।

(ख) जी हां ।

(ग) सरकार ने केन्द्रीय खाद्य मानक समिति की सिफारिश को सिद्धान्ततः मान लिया है तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली में संशोधन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

समस्याग्रस्त ग्रामों में ग्रामीण जल सप्लाई योजनाएं

119. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थायी असुविधाओं वाले क्षेत्रों में ग्रामीण जल सप्लाई योजनाओं में सुधार के लिए राज्यों को धन उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है ;

(ख) इस कार्य के लिए कुल कितनी राशि की आवश्यकता होगी ; और

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 27,000 समस्याग्रस्त गांव उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) ग्राम जलपूर्ति कार्यक्रम को गतिशील बनाने की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत 1972-73 में ग्रामों में पेय जल के निश्चित और सुरक्षित साधनों के लिये राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की बीस करोड़ रुपये

तक की जलपूर्ति योजनायें मोटे तौर से निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही है :—

(i) वे गांव जिनमें उचित दूरी पर (लगभग एक मील तक) पेय जल के निश्चित स्रोत नहीं हैं ।

(ii) वे गांव जिन्हें जलपूर्ति के विद्यमान् साधनों के सुरक्षा और सुधार की आवश्यकता है यदि वे ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां हैजा स्थानिकमारी के रूप में हो, अथवा नहरुआ ग्रस्त हों अथवा जिनमें अन्य कारण विद्यमान हों जैसे क्लोराइड, खारीपन या लोहा अधिक मात्रा में होना ।

(iii) वे ग्राम जहां समाज के कमजोर-वर्गों के लोगों जैसे आदिवासी, हरिजन आदि के लिए पेय जलपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ।

इस कार्यक्रम के अधीन कार्यान्वित के लिये शुरू की गई योजनाओं का खर्च वहन करने के लिये राज्यों और संघ-शासित क्षेत्रों को शतप्रतिशत वित्तीय सहायता दी जायेगी ।

(ख) उपलब्ध अनुमानों के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक दुर्गम क्षेत्रों में स्थिति 1,24,645 गांवों के लिए पेय जल की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता होगी । मोटे हिसाब से 670 करोड़ रुपये के खर्च करने की जरूरत पड़ेगी ।

(ग) जी हां । आशा है चौथी योजना के अन्त तक दुर्गम क्षेत्रों स्थित 28,830 गांवों को पेय जल की सुविधायें मिल जायेंगी ।

राज्य सरकारों के स्वास्थ्य सचिवों का सम्मेलन

120. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 जून, 1972 को नई दिल्ली में राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिवों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) क्या सम्मेलन ने बड़े पैमाने पर पुरुषों की नसबन्दी की सिफारिश की थी और परिवार नियोजन कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर पुरुषों की नसबन्दी से कितनी सहायता मिली ; और

(ग) उक्त सम्मेलन में अन्य किन विषयों पर चर्चा की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां । राज्य स्वास्थ्य सचिवों, प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारियों राज्य परिवार नियोजन अधिकारियों तथा जन शिक्षा और प्रचार अधिकारियों का एक सम्मेलन 6 से 8 जून, 1972 को हुआ था ।

(ख) जी हां । नसबन्दी आपरेशनों की संख्या 1970-71 में 13 लाख 20 हजार से बढ़कर 1971-72 में 21 लाख 60 हजार हो गई । अन्तिम संख्या में से 7 लाख 56 हजार नसबन्दी आपरेशन 1971-72 के दौरान कुछ राज्यों में प्रयोगात्मक आधार पर आयोजित किए गए । वृहद् शिविरों किए गए ।

(ग) इस सम्मेलन में जिन अन्य विषयों पर विचार किया गया वे इस प्रकार हैं :—

1. परिवार नियोजन कार्यक्रम की जानकारी तथा उसके प्रतिग्रहण के बीच की खाई को पाटने के लिए आवश्यक कदम ।

2. परिवार नियोजन कार्यक्रम में स्वैच्छिक संगठनों का अधिकाधिक सहयोग ।

3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि के कार्य में सुधार के लिए उपाय ।

4. सघन जिलों और चुनींदा क्षेत्र कार्यक्रम योजनाओं के कार्य में सुधार के लिए उपाय ।

5. गर्भाशयी गर्भरोधक कार्यक्रम का पुनः प्रचलन तथा इसे सुदृढ़ करना ।

6. प्रसवोत्तर कार्यक्रम ।

7. प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम ।

8. कार्यक्रम कार्मिकों का प्रशिक्षण ।

परीक्षा-प्रणाली में सुधार

121. **श्री मनोरंजन हाजरा** :
श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं कालेज कर्मचारी संगठन संघ द्वारा मई, 1972 में जबलपुर में हुए उनके अखिल भारतीय सम्मेलन में परीक्षा प्रणाली में सुधारों के बारे में जो सिफारिशें की गई थी, उनकी ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विभिन्न समितियां, जनवरी, 1971 में भारत व श्रीलंका के अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा में परीक्षाओं पर सेमिनार, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त परीक्षा-समिति तथा यू० एस० एड०, यू० एस० राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित भौतिक, रसायनिक तथा जीव-विज्ञान पर द्विराष्ट्रीय सम्मेलन ने वर्तमान परीक्षा प्रणाली में सुधार सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया है । इन समितिओं/समिनारों/सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा प्रणाली को संशोधित करने के लिए सरकार, विश्वविद्यालय के अध्यापकों के परामर्श से प्रस्ताव तैयार कर रही है । परीक्षाओं में अनुचित तरीकों के प्रयोग की समस्या से सम्बन्धित सभी संगत पहलुओं पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में भारत और श्रीलंका के अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड के संयुक्त सहयोग से एक नामिका (पैनल) की स्थापना की है ।

हल्दिया में जहाज निर्माण कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव

122. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री समर गुह :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में जहाज निर्माण कारखाना स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क)और (ख) : हल्दिया में एक शिपयार्ड स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि इस प्रश्न का वहन अध्ययन करने हेतु सरकार द्वारा संगठित कार्यकारी दल ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

मजगांव डाक, बम्बई में मरम्मत किये जा रहे 'टारसोस' तेल टैन्कर में विस्फोट

123. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जून के महीने में मजगांव डाक, बम्बई में मरम्मत किए जा रहे 'टारसोस' टैन्कर में हुए एक विस्फोट में लगभग 30 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और लगभग 30 अन्य घायल हो गये थे ;

(ख) क्या यह आरोप लगाया गया है कि जलयान को मरम्मत के लिए समुचित रूप से प्रमाणित नहीं किया गया था ; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त दुर्घटना के बारे में कोई जांच की है और यदि हां, तो तत्सम्बंधी निष्कर्ष क्या है ; और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां । विस्फोट में 30 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और जो व्यक्ति घायल हुए उनकी कुल सख्या 21 है ।

(ख) ऐसा कोई आरोप प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) इस समुद्री दुर्घटना में व्यापार पोत परिवहन अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने औपचारिक जांच का आदेश दे दिया है ।

Production and Price of Sugar

124. **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri Madhuryya Haldar :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on production of per 40 kilograms sugar, State-wise ;

(b) the price of per 40 kilograms sugar in the market ; and

(c) the action being taken to remove this vast difference between the cost of production and its sale price ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Sugar produced ,by vacum pan sugar factories is packed in begs of one quintal each ; hence the calculations are made in terms of a quintal. The attached statement [Placed in the Library. *See* No. **LT-3191/72**]gives the zone-wise cost of production per quintal based on notified minimum cane price which includes in all cases an element of Rs. 10.50 per quintal towards return on capital.

(b) The wholesale prices of open market sugar in five important cities as on the 27th July, 1972, ranged between Rs. 318 to Rs. 355/- per quintal (inclusive of excise duty) as shown below:—

Delhi	.. Rs. 355/-	
Kanpur	Rs. 318/-	
Calcutta	Rs. 293/-	(on 7-7-72—latest available).
Bombay	... Rs. 341/-	
Madras	.. 320/-	

(c) Under the policy of partial control, the notified prices are fixed on the basis of the minimum notified sugarcane prices and are applicable only to the sugar supplied by the factories, which is 63.5 per cent of the monthly release ; the balance 36.5 per cent of the monthly release is sold by the factories in the open market. The higher price which the factories secure from the sale of open market sugar is mainly intended to compensate themselves for actual payment of a higher cane price than the minimum cane price notified. The fall in production of sugar this year has tended to further widen the gap between the notified prices and open market prices.

Scheme for a new Dairy from in Calcutta

125. **Shri Ishwar Chaudhry** :
Shri Madhuryya Haldar :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have approved a scheme to start a new dairy farm in Calcutta ;

(b) if so, the amount of expenditure likely to be incurred on this new dairy farm ; and

(c) the time by which the said dairy farm is to start functioning ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) to (c) : No Sir, there is no proposal to start new dairy farm in Calcutta. However, there is a proposal to establish a Second Dairy Plant at Calcutta for enlarging milk distribution programme to Calcutta city under the 618 World Food Programme Project at an estimated cost of Rs. 4.00 crores.

Financial Assistance to Bihar for Survey for a Bridge over Ganga at Bhagalpur

126. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the Government of Bihar have sought financial assistance from the Centre to conduct a survey for construction of a bridge on the River Ganga at Bhagalpur ;

(b) if so, the quantum thereof ;

(c) whether a very strong demand was mada in the Bihar Vidhan Sabha in regard to construction of a bridge on the Ganga River at Bhagalpur and the Minister concerned gave an assurance to approach the Centre for assistance ; and

(d) if so, the time by which Bihar is likely to get assistance from the Centre in regard to conducting a survey for construction of a bridge on the Ganga River at Bhagalpur ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) No such request has been been received so far.

(b) Does not arise.

(c) The State Government who are primarily concerned with this issue, have not brought any such situation to the notice of the Govt. of India.

(d) Does not arise.

Demand for Fertilizer for Bihar during 1972-73

127. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government of Bihar have made a demand to the Central Goverment for the supply of fertilizer with a view to achieve the farget fixed for 1972-73 in the field of Agriculture ;

(b) if so, the extent of demand made by Bihar Government and the extent to which it is being met by the Government ; and

(c) whether any new scheme has also been formulated by Government to meet the complete for fertilizer made by Bihar Government, and if so, the solient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) (a) and (b) : Yes, Sir. During the Zonal Conference held in May, 1972 a deficit of 21,780 tonnes of N was recorded for Kharif, 1972 and also deficits of 57,400 tonnes of N and 4,400 tonnes of P_2^05 for Rabi, 1972-73, after taking into account the availabilities from domestic manufacturers. These deficits were to be met by the Central Government to the extent imported stocks were available.

During the quarter ending April-June, 1,364 tonnes of N and 274 tonnes of P have already been supplied and for the quarter July-September 26,657 tonnes of N 3,766 tonnes of P_2^05 have been allotted to the State for supply during that quarter.

(c) Government have not started any new scheme. But steps have been taken to ensure that the manufactures supply the quantities to the Sate as per their commitments. An order under Section 3 of the Essential Commodities Act has been promulgated by the Government of India to this effect. Government have also taken over 30% of the domestic pruduction of Ammonium Sulphate, which will be reallotted to Bihar by the Central Fertilizer Pool, as per the requirements of the State.

Supply of Fertizer to Bihar during 1971-72

128. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government could not supply full quantity of fertilizers asked for by the Government of Bihar in 1971-72 ; and

(b) if so, the demand of Bihar Government and the quantum of fertilizers supplied by the Central Government in 1971-72 ; and

(c) whether due to short supply of fertilizers Bihar Government have failed to achieve its agricultural target, and if so, the reasons therefor and the solution thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b) : Yes Sir. The requirements of the State Government for 1971-72, from the Central Fertilizer Pool were 60,310 tonnes of N and 2,4840 tonnes of P_2^05 while the actual supplies were 44,040 tonnes of N and 11,417 tonnes of P_2^05. The shortfall was mainly because of the difficulties in the import of fertilisers and dislocation caused in the Eastern Sector due to refugee movement.

(c) It is not possible to state precisely whether agricultural targets have been adversely affected only because of the short supply of fertilizers, because there are many factors which contribute to the success of agricultural programmes, *e.g.* availability of improved seeds, pesticides and adequate water supply, attractive prices for the agricultural commodities. However, the figures available as given below reveal that there was only a minor shortfall in achieving the targets of some of agricultural production programmes in the State :

1. **Area covered under H. V. V. Programme**

(000 Hectares)

Crop	Target	Anticipated Achievement	% Achievement
Wheat	722	1,000	140
Paddy	416	400	82
Maize	101	101	100

2. **Multiple Cropping Programme**

Target	Anticipated achievement	
175	175	100%

3. **Agricultural Production**

Commodity	Unit	Target	Anticipating Achievment	
(a) Foodgrains	Lakh tonnes	101.00	95.00	94%
(b) Sugarcane (gur)	,,	6.87	6.50	95%
(c) Oilseeds	,,	1.50	1.20	80%
(d) Jute	Lakh bales	9.00	8.42	94%

Implemention of Indo-Germans Agricultural Development Programme in Bihar

129. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Indo-German Agricultural Development Programme has been implemented in limited area only in Bihar ;

(b) if so, the benefit which accrued to farmers therefrom and the expenditure incurred thereon by the middle of 1972 ; and

(c) if so, the time by which Government propose to implement the said programme in Champaran, Chapra and Muzaffarpur districts and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No, Sir, the question of taking up a multi-purpose agirl. Development Programme in Chhota Nagpur region of Bihar State has been under discussion with the W. German Govt. for sometime. Final views of the German Govt. are not yet known.

Hawever, under the world-wide Freedom From Hunger Campaign sponsored by the F 9 of the United nations, a few agriculture development projects have been taken up in the State of Bihar with assistance received by the Indian FFHC Society, set up by the Ministry of Agriculture, from two non-government voluntary organisations in West Germany. Essential details regarding these projects are as under :—

S. No.	Name of Project	Name of the donor	Quantum of assistance
			(Rs. in lakhs)
1	Indo-German Agriculture Development Project, Distt. Ranchi, Bihar, Simdega,	Central Agency West Germany	74.39
2	Development of Irrigation facilities in Sasram Bhahua area of Distt. Shahabad, Bihar.	Central Agency West Germany	20.50
3	Food for Work Programme for the Development of Irrigation Facilities in Pratappur Block of Distt. Hazaribagh.	—do—	23.00
4	Minor Irrigation Programme in Bihar through the Bihar Relief Committee.	—do—	1.22
5	Food for Work Water Development Project in 8 Distts, of Bihar.	Misereore, W. Germany	8.68
6	Agricultural Development Project for Majheria Refugee Settlement, Bettiah, Distt. Champaran, Bihar.	—do—	4.13
7	Integrated Agricultural Development of Adhaura Plateau in Bihar.	—do—	1·82
8	Farmers' Education and Training Programme at Chianki, Distt. Daltonganj, Bihar.	—do—	1.24

(b) A statement showing the items of work undertaken and the expenditure incurred till the middle of 1972 in respect of FFHC projects mentioned above is placed on the Table of the House. [Placed in the Library. *See* No. LT-3192/72]

(c) There is no such programme under consideration.

चण्डीगढ़ में भारत-जर्मन पुस्तक मुद्रणालय

130. **श्री राम कंवर बेरवा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जून, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चण्डीगढ़ में भारत-जर्मन पुस्तक मुद्रणालय रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में बन्द पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी हां ।

(ख) प्रेस में छपी रिपोर्ट में बात बढ़ा-चढ़ा कर बताई गई है ।

नई दिल्ली में 'एशिया हाउस' का निर्माण

131. **श्री राम कंवर :**
श्री हरी सिंह :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जून, 1972 के 'स्टेट्समैन' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने भारत सरकार को उसकी अनुमति के बिना नई दिल्ली में 'एशिया हाउस' का निर्माण आरम्भ करने के लिए 'नोटिस' दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी हां ।

(ख) भवन के प्लान के शीघ्र अनुमोदन के लिए नई दिल्ली नगरपालिका को मामले पर लिखा गया है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा मल-खाद की ढुलाई के लिए आयातित बहुत बढ़िया मोटर-गाड़ी का प्रयोग

132. **श्री राम कंवर :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जून, 1972 के 'मदरलैंड' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा एक नई आयातित बहुत बढ़िया मोटर-गाड़ी का प्रयोग मल-खाद ढोने में किया जा रहा है ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सरकारी रिकार्ड की छान-बीन करने पर समाचार सही नहीं पाया गया ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के उच्च प्रशासनिक स्तरों पर परिवर्तन

133. **श्री राम कंवर :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पक्षपात और भाई-भतीजावाद की शिकायतों के परिणामस्वरूप इनके उच्च प्रशासनिक स्तरों पर अनेक परिवर्तन किए गए हैं ; और

(ख) इनका स्वरूप क्या है ; और

(ग) क्या इन परिवर्तनों से प्रशासन के विरुद्ध भविष्य में कोई शिकायत नहीं रहेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

विलिंगडन अस्पताल की घटना के बारे में प्रतिवेदन

134. **श्री राम कंवर :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विलिंगडन अस्पताल की घटना के बाद, जिसमें एक संसद-सदस्य भी अन्तर्ग्रस्त था, राजधानी के सभी मुख्य अस्पतालों के कर्मचारियों ने हड़ताल करने की धमकी दी थी ;

(ख) क्या इस घटना के सम्बन्ध में नियुक्त की गई जांच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) : यह प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

Deaths due to Poisions Food in Delhi

135. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether various types of diseases are spreading due to poisions foodstuffs, drinks and water-pollution in Delhi ;

(b) the number of persons who died because of poisons food and drinks in Delhi during the last six months ; and

(c) the steps taken by Government to check it and the member of persons prosecuted ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Plauning (Shri A. K. Kisku) : (a) No such instances have come to the notice of the Government.

(b) No death occuring due to consumption of poisons food drink has been reported during the last six months except liquor poisioning cases.

(c) Does not arise.

Amount Earmarked for Construction of Bridge at Patna

136. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

Whether any amount has been earmarked for the construction of the Ganga bridge at Patna during the Fifth Five Year Plan ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : It is too early to say anything about the Fifth Five-Year Plan at this stage. As it is, the Government of India are committed to provide to the State Government a non-Plan loan to meet 50% of the expenditure on this during the Fourrh Plan period only, subject to a maximum of Rs. 4.50 crores, the entire balance being met by the State Government.

Strike in Safdarjang Hospital, New Delhi

137. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the reasons for the strike of the employees of Safdarjang Hospital, New Delhi ;

(b) the number of patients who died as a result of this strike ;

(c) whether Government have received any such complaints ; and

(d) whether indiscipline is increasing day by day among the Hospital employees in Delhi?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) to (d) : The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Success Achieved by Family Planning Programme

138. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the State-wise details of the success achieved by the Family Planning programme ;

(b) whether any State Government of any particular section of society is opposed to family planning ; and

(c) if so, the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) Statements I and II showing the state-wise percentages of couples currently protected by different methods and estimates of birth rates from population census during 1951-60 and from the Sample Registration Scheme are laid on the Table, [Placed in the Library. *See* No. LT-3193/72].

(b) All State Governments are implementing the Family Planning Programme and there is no organised opposition to it from any section of society.

(c) Does not arise.

Employment of Educated Unemployed under Crash Programme

139. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state whether there is any crash programme under the consideration of Government to attract the educated unemployed to the field of agriculture ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : There is no crash programme under the consideration of Government to attract the educated unemployed to the field of agriculture. The crash programme for rural employment is intended to provide employment to unskilled rural population, though some educated unemployed may also get employed under this scheme for exercising supervisory functions. The Department of Agriculture has a scheme for establishment of Agro-Services centres to provide self-employment to technical personnel. The State Bank of India also has a scheme for advancing loans to agricultural graduates for purposes of cultivation.

गन्दी बस्तियों में शिशु केन्द्रों की स्थापना

140. **श्री गिरिधर गोमांगो :**

श्री वी० मयावन :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अरविन्द शताब्दी समारोह के एक भाग के रूप में इस वर्ष के अन्त से पूर्व गन्दी बस्तियों में 16 शिशु केन्द्र स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कार्यक्रम की अन्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) : जी हां। ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

देश में प्रयोग में लाये जाने वाले ट्रैक्टर

141. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त देश में अनुमानतः कुल कितने ट्रैक्टरों का प्रयोग किया जा रहा है ; और

(ख) इस बारे में राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : सन् 1966 के दौरान पशुधन गणना के अनुसार देश में राज्यवार ट्रैक्टरों की संख्या संलग्न विवरण के अनुसार 54,012 थी। हाल ही में 11वां पंचवर्षीय पशुधन गणना संदर्भ तिथि 15 अप्रैल, 1972 रही है। यह कार्य विभिन्न राज्यों में पूर्णता की विभिन्न अवस्था में है। अखिल भारतीय स्तर पर महत्वपूर्ण मदों के अनन्तिम आंकड़े वर्ष 1972 के अन्त तक उपलब्ध होने की आशा है।

विवरण

1966 पशुधन गणना के अनुसार ट्रैक्टरों की संख्या

राज्य संघ / राज्य क्षेत्र	1966
आन्ध्र प्रदेश	2,911
असम	834

राज्य संघ / राज्य क्षेत्र	1966
विहार	2,132
गुजरात	3,248
हरियाणा	4,850
जम्मू तथा कश्मीर	104
केरल	418
मध्य प्रदेश	2,513
महाराष्ट्र	3,274
मैसूर	2,595
नागालैण्ड	9
उड़ीसा	667
पंजाब	10,643
राजस्थान	4,195
तमिलनाडु	3,278
उत्तर प्रदेश	10,139
प० बंगाल	1,548
अण्डमान तथा निकोवार द्वीपसमूह	
चंडीगढ़	12
दादरा तथा नगर हवेली	6
दिल्ली	406
गोवा दमन द्वीप	127
हिमाचल प्रदेश	33
लकादीव मिनीकोय तथा अमिनदीवी द्वीप समूह	
मणिपुर	6
नेफा	
पांडीचेरी	52
त्रिपुरा	9
सम्पूर्ण भारत	54,012

दिल्ली के अस्पतालों में डाक्टरों द्वारा हड़ताल

142. **श्री राम सहाय पाण्डे :**

श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुछ अस्पतालों के डाक्टरों ने हाल ही में हड़ताल की थी जिससे जनता को बहुत असुविधा हुई ;

(ख) यदि हां, तो डाक्टरों द्वारा हड़ताल करने के क्या कारण थे ;

(ग) सरकार ने हड़ताल से सम्बन्धित मामलों को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या जनता के हितों के विरुद्ध अवैध हड़ताल करने के लिए डाक्टरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में स्कूली शिक्षा का स्तर

143. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष दिल्ली उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता गत अनेक वर्षों की तुलना में बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है ; और

(ग) क्या शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है जिससे भविष्य में पास होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता बढ़ सके ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) मार्च/अप्रैल, 1972 में हुई परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पिछले वर्षों की अपेक्षा कम थी ।

(ख) जी, हां । इसके कुछ प्रमुख कारण यह हैं :—

(1) दिल्ली प्रशासन द्वारा 1968 के वर्ष में सभी कक्षाओं में शत प्रतिशत उत्तीर्ण किया जाना ।

(2) कक्षाओं 6, 7, 9, तथा 10 में सभी फेल छात्रों की पहली बार पूरक परीक्षा लेना तथा 1971 में उन्हें उदारतापूर्वक उत्तीर्ण करना ।

(3) परीक्षा पत्रों की पद्धति में परिवर्तन तथा मूल्यांकन के स्तर में विभिन्नताएं ।

(ग) शिक्षा तथा परीक्षा परिणामों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए दिल्ली प्रशासन तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोनों द्वारा ही कदम उठाए जा रहे हैं ।

अनाज की किस्म में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समान सुधार करने के लिए कार्यवाही

144. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, अब जब देश में अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, अनाज की किस्म में सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही की है जिससे उसका मुकाबला अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनाज से किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो अनाज की किस्म में सुधार करने के लिए किसानों को शिक्षा देने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या देश में मवेशियों की नस्ल सुधारने के लिए किसानों को शिक्षा देने हेतु कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को तीव्र किया जा रहा है । भारत में अब तक जनित किस्मों के गेहूं का रंग शर्बती तथा दाना काफी सख्त है । इनकी रोटियां काफी अच्छी बनती हैं और भारतीय उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं द्वारा इसे काफी पसन्द किया जाता है । मक्का के क्षेत्र में, प्रोटेनिया, शक्ति, तथा रतन नामक तीन लाइसिन तत्व से समृद्ध किस्में सन् 1971 के दौरान वाणिज्यिक कृषि के उद्देश्य से निर्मुक्त की गई थी । चावलों की प्रोटीन समृद्ध एवं लम्बे दाने की किस्में और ज्वार, बाजरा तथा कदन्न की प्रोटीन तथा लाइसिन समृद्ध किस्में विकसित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में हाल ही में किये गये अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि शर्बती सोनारा, हीरा, के–65, के–67 तथा के–68 किस्मों का आंटा रोटी, बिस्कुट तथा पेस्ट्री बनाने के लिये अच्छा है और इनसे भारत के बैकरी उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जायेगी ।

(ख) केन्द्रीय खाद्य टेक्नोलौजिकल अनुसंधान संस्थान, मैसूर तथा राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में खाद्यान्नों की श्रेष्ठता का अध्ययन किया जा रहा है । ये संस्थान खाद्यान्नों के मानव शरीर के लिये उपयोगी विभिन्न तत्वों के गुणों का विश्लेषण करते हैं । उनसे प्राप्त सम्बन्धित जानकारी समय-समय पर पत्रिकाओं तथा 'इन्डियन फार्मिंग' तथा खेती भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, इन्डियन जनरल न्यूट्रीसन एंड डायेटिक्स (कोयम्बटूर), जनरल आफ ग्रेन टेक्नोलौजी (हापुड़) जैसे प्रकाशनी, राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों, समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है तथा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा अन्य राज्य कृषि विश्व विद्यालयों में संगठित किये जाने वाले कृषक मेलों तथा वार्षिक प्रतिवेदनों तथा अखिल भारतीय समन्वित फसल सुधार परियोजना के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले सम्मेलनों तथा विचार गोष्ठियों द्वारा इनका प्रचार किया जाता है ।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत पशु विज्ञान से सम्बन्धित अनुसंधान संस्थानों तथा विभिन्न राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों के अपने विस्तार विभाग हैं । ये पशुपालक कृषकों को प्रशिक्षण तथा उन्हें पशुओं के उत्तम प्रजनन का शिक्षण देने के लिये प्रदर्शनों की व्यवस्था करते हैं । अधिकांश राज्यों के पशु पालन विभाग भी इस कार्य के लिये पशुधन प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं ।

अनाज के निर्यात के लिए बातचीत

145. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाज के निर्यात के लिए किसी देश/पार्टी से बातचीत पूरी हो गयी है और कोई समझौता हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या भारतीय अनाज का आयात करने के इच्छुक कुछ देशों से अभी भी बातचीत चल रही है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : बंगला देश को सहायता के रूप में सप्लाई किए गए खाद्यान्नों और राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रति वर्ष बढ़िया किस्म के बासमती चावल की निर्यात की गयी थोड़ी मात्रा के अलावा, खाद्यान्नों के निर्यात के लिए कोई करार नहीं हुआ है ।

नेपाल को विशेष प्रबन्धों के अधीन गेहूं और गेहूं के पदार्थों की थोड़ी मात्रा निर्यात करने की इजाजत है ।

भारतीय खाद्य निगम के स्टाक में मक्का का निर्यात कर विदेशों से यूरिया खरीदने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

प्रधान मंत्री के लिए निवास-स्थान

146. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के लिए नई दिल्ली में उपयुक्त निवास-स्थान के निर्माण हेतु किसी योजना को अन्तिम रूप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रधान मन्त्री के लिए नये निवास-स्थान के निर्माण के प्रस्ताव को फिलहाल अस्थगित रखने का निर्णय किया गया है ।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति

147. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पी० गंगा देव :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति बनाने का है, और

(ख) यदि हां, तो क्या देश में सांस्कृतिक नीति बनाने की तुरन्त आवश्यकता है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बड़े पैमाने पर नई किस्मों के अनाज के उगाये जाने के प्रभावों का अध्ययन

149. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बड़े पैमाने पर नई किस्मों के अनाज के उगाये जाने के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के विशेष अध्ययन के लिये अनेक योजनाओं को स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या 40,000 डालर (2.92 लाख रुपये) की परियोजना का वित्त पोषण संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किया जायेगा और यह परियोजना पांच गेहूं उत्पादक राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुने हुए अनुसन्धान संस्थानों के द्वारा क्रियान्वित की जायेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : भारत में "बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों की नई किस्मों के उगाए जाने के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों" के अध्ययन से सम्बन्धित एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सार्वभौमिक अनुसन्धान परियोजना का आयोजन करने के लिए भारत सरकार सहमत हो गई है, जिस परियोजना के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 40,000 डालर अनुदान दिया जाएगा । उसका उद्देश्य अधिक उत्पादनशील किस्मों के प्रचलन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले आर्थिक और सामाजिक प्रभावों और परिवर्तन प्रौद्योगिकी से होने वाले सम्बद्ध सामाजिकार्थिक परिवर्तनों का पता लगाना है । भारत के गेहूं उत्पादक क्षेत्रों के पांच जिलों अर्थात् मुज्जफरनगर (उत्तर प्रदेश), फिरोजपुर (पंजाब), करनाल (हरियाणा), टीकमगढ़ (मध्य-प्रदेश) और कोटा (राजस्थान) में चुनींदा अनुसन्धान संस्थानों के माध्यम से अध्ययन करने का प्रस्ताव है । यह अध्ययन इन क्षेत्रों के चुनींदा ग्रामों में कृषक परिवारों और अन्य परिवारों के नमूने से विस्तृत जानकारी इकट्ठी करके किया जाएगा ।

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से घटिया किस्म के चावल की सप्लाई किये जाने के बारे में पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री का वक्तव्य

150. **श्री समर मुखर्जी :**
डा० रानेन सेन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से घटिया किस्म के और सड़े हुए चावल की सप्लाई के बारे में पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में 14 जून, 1972 के कलकत्ता के एक दैनिक पत्र, 'अमृत बाजार पत्रिका' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कथित समाचार में पश्चिमी बंगाल के खाद्य मंत्री द्वारा दिये गये किसी 'वक्तव्य' का उल्लेख नहीं है । इसमें यह कहा गया है कि मंत्री महोदय ने 'घटिया' किस्म के गेहूं और चावल के वितरण पर आपत्ति की है ।

(ख) इस मामले पर पश्चिमी बंगाल के खाद्य मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया गया था और भारतीय खाद्य निगम द्वारा पश्चिमी बंगाल सरकार को सप्लाई किए जाने वाले चावल की किस्म सुधारने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं । इसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

1. सुपुर्दगी से पूर्व निरीक्षण ;
2. भण्डारण तथा सफाई करने की बेहतर सुविधाएं ;
3. अवमानक स्टाक को अलग रखना ; और
4. चुनींदा प्रेषण स्थानों पर संयुक्त निरीक्षण ।

Wheat Procured by F. C. I. and its Storage in Silos

151. **Shri Nathu Ram Ahirwar :**
Shri Shrikrishan Modi :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the quantity of wheat procured this year from different States was less or more than the target and the percentage thereof ;

(b) whether the procured wheat was stored in the silos ; and

(c) if not, the action being taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) There was no "target" as such for wheat procurement this year. The actual quantity procured, which is of the order of 5 million tonnes, is, however, less than the quantity expected to be procured.

(b) The procured wheat is kept in various types of storage including silos.

(c) Does not arise in view of (b) above.

Procurement of Wheat

152. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of wheat procured by the Food Corporation of India this year like previous years ;

(b) the quantity out of that procured through Coorporative Societies and that procured direct from the traders ;

(c) whether Government have received complaints to the effect that while procuring wheat direct, the employees of the Food Corporation purchased wheat from the traders and not from the farmers ; and

(d) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The Food Corporation of India has procured 49.94 lakh tonnes of wheat during the current season according to reports available on 27-7-1972.

(b) The Corporation is purchasing wheat as a measure of price support from the cultivators either directly or through Cooperatives and other parties agents. No stock of wheat are purchased from the traders. Details of stock purchased by the Food Corporation of India through the Cooperative Societies are being compiled.

(c) No such specific complaint has been received.

(d) Does not arise.

Non-availability of Wagons for Transportation of Wheat

153 **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether, as in previous years, this year also sufficient number of wagons are not available for the transportation of wheat ;

(b) whether foodgrains are lying in open on railway stations at various places due to shortage of wagons ; and

(c) whether Government are aware of the position and if so, the action being taken by them in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The supply of wagons for transportation of wheat this year has been better than last year, except during the monsoon period when foodgrains necessarily have to be loaded in covered wagons.

(b) Foodgrain bags stacked at the railway stations for despatch by specials are covered with polythene sheets and/or tarpaulins to avoid damage due to exposure.

(c) Periodical meetings are held with the concerned Zonal Railways and the Railway Board for programming the movement of foodgrains and for exploring the possibilities of maximising supply of wagons for stepping up the movement of foodgrains so as to meet the increasing demands of recipient States.

Increase in Price of Sugar due to Partial Control of Sugar

154. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the prices of sugar have registered a heavy increase during the last six months ;

(b) whether partial control of sugar and high prices of sugar in the open market have been responsible therefor ; and

(c) if so, whether Government would consider to decontrol the sugar and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) It is true that during the last six months there has been steady increase in the open market prices of sugar.

(b) No, Sir. The rise in the market prices attributable largely to the fall in the estimated production of sugar during 1971-72.

(c) The sugar policy for the year 1972-73 is under consideration.

Madhya Pradesh Proposal for a Bridge over Jamuna River at Ghughataghat in Tikamgarh District

155. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh have sent a proposal in May last to construct a bridge at Ghughataghat over the Jamuna River in Tikamgarh District ; and

(b) the action being taken in this regard ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b) : Presumably the Hon'ble Member is having in mind the proposal submitted by the Government of Madhya Pradesh for substituting the work relating to the improvement of the Madhya Pradesh portion of the Talbent-Ghungtaghat-Mohangarh-Bangaon-Bamouri-Lidhoura road (including a bridge over Jamuna at Ghungtaghat) in place of work relating to the improvement of the Madhya Pradesh portion of the Limbdi-Thandla Inter-State road approved for 100% load assistance under the Central Aid Programme of State Roads of inter-State or Economic Importance for promoting inter-State communications between Madhya Pradesh and Gujarat in January 1971. This proposal is being examined taking into account the views of the Government of Gujarat received recently.

कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के अनुरूप गन्ने से निकलने वाली चीनी के आधार पर गन्ने का मूल्य तय करना

156. **श्री हरि किशोर सिंह :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने वर्ष 1972-73 के लिए 8 रुपए प्रति क्विंटल के ऊंचे मूल्य की सिफारिश की है जो कि गन्ने से 9 प्रतिशत चीनी की वसूली के आधार पर है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 1972-73 के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के बारे में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें विचाराधीन है ।

मानसून के विलम्ब से आने के कारण बिहार में ग्रीष्म की धान की फसल की हानि

157. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसून के विलम्ब से आने के कारण विशेषकर बिहार में ग्रीष्म की धान की फसल की हुई हानि का कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार का विचार प्रभावित कृषकों की क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग): राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए उच्च शक्ति प्राप्त आयोग

158. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए इस बीच एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसके निर्देश पद क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रतिभा पलायन

159. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय से लगातार प्रतिभा पलायन होता रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की यदि कोई प्रतिक्रिया हो तो वह क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) : दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 1971-72 के दौरान विदेशों में अच्छी नियुक्तियां प्राप्त करने के लिए केवल चार अध्यापकों ने विश्वविद्यालय छोड़ा । विश्वविद्यालय में अध्यापकों की कुल संख्या 500 के लगभग होने के कारण इसे प्रतिभा पलायन नहीं कहा जा सकता ।

Request from Bihar State for Foodgrains for Adivasi areas

160. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Bihar State has sought assistance from the Centre for foodgrains for Adivasi areas ; and

(b) if so, the reaction of the Central Government thereto and the names of the areas where the said foodgrains will be distributed and the quantity thereof to be supplied by the Centre to the State as also the time by which it is likely to be supplied ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) : Although, no formal proposal has yet been received, the State Government has been requested to indicate the foodgrain requirements for the Adivasis. After receipt of their reply, necessary action will be taken.

Famine Affected Areas in Bihar

161. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the drought affected areas in Bihar State this year for which request has been made to Central Government to declare them as famine affected areas ;

(b) the names of districts whose areas have been declared as famine affected areas ; and

(c) the criteria adopted by Government for declaring such areas as famine affected areas ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The Central Government has not received any request from the Bihar Government to declare any area in that State as famine affected area ;

(b) The question does not arise.

(c) Each State Government has its own criteria for declaring scarcity areas as famine affected areas and these criteria are prescribed in the State Famine Codes, Scarcity Manuals, etc.

पूर्णिया और सहरसा स्थित कालेजों को मगध विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध करना

162. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पूर्णिया और सहरसा स्थित कालेजों को मगध विश्वविद्यालय के साथ संबंद्ध करने के बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

देश में विभिन्न बीमारियों से हुई मौतें

163. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में जून, 1972 तक देश में, राज्यवार हैजे कैंन्सर, जठर आत्म शीघ्र(गैस्ट्रोएण्ट्राइटिस) में कितनी मौतें हुईं;

(ख) क्या स्थिति का मुकाबला करने के लिए राज्यों को केन्द्र से कोई सहायता दी गई थी, और

(ग) यदि हाँ, तो किस प्रकार की सहायता दी गई थी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू): (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बिहार में केन्द्र प्रशासित माडल स्कूलों की स्थापना

164. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के प्रत्येक जिले में केन्द्र प्रशासित माडल स्कूलों की स्थापना करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) : प्रत्येक ब्लाक में एक एक आदर्श प्राथमिक स्कूल और प्रत्येक जिले में एक-एक आदर्श माध्यमिक स्कूल के हिसाब से पर्याप्त संख्या में स्कूल खोलने का प्रस्ताव अभी तैयार किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड से विचार विमर्श करके किया जायेगा ।

बिहार और पश्चिम बंगाल में कुष्ठ रोग को रोकने के लिए निवारक उपाय

165. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में और विशेषकर बिहार और पश्चिम बंगाल में कुष्ठ रोग बढ़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर बिहार तथा पश्चिम बंगाल में रोग को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं, और पहले ही इस रोग से ग्रस्त रोगियों को ठीक करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) समस्त जनसंख्या के पूर्ण सर्वेक्षण और जांच तथा पुनर्सर्वेक्षण के अभाव में यह कहना कठिन है कि कुष्ठ रोग बढ़ रहा है। तथापि इस क्षेत्र में वर्तमान रोकथाम के तरीकों और रोगियों की चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध होने के कारण अधिकाधिक कुष्ठ रोगी इलाज के लिए आ रहे हैं, इससे शायद यह गलत धारणा बन गई है कि कुष्ठ रोग वृद्धि पर है।

(ख) देश में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में यह एक केन्द्र चालित योजना है जिसके अन्तर्गत राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को शत प्रतिशत सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम में कुष्ठ रोग नियंत्रण एक सर्वेक्षण शिक्षा एवं उपचार केन्द्रों की स्थापना करने तथा कुष्ठ रोग उप-केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें कुष्ठ रोग नियंत्रण करने की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में अभी तक 227 कुष्ठ रोग नियंत्रण और 1,423 सर्वेक्षण शिक्षा एवं उपचार केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, 37 स्वैच्छिक संगठन जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय शाखाओं के 5 नियंत्रण केन्द्र भी शामिल हैं स्थापित किये गए हैं। अभी तक 8 करोड़ 93 लाख जनसंख्या को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया है और 10.28 लाख (1027742) कुष्ठ रोगियों को इलाज के लिये दर्ज किया जा चुका है।

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार राज्य में अभी तक 24 कुष्ठ रोग नियंत्रण एकक, 15 सर्वेक्षण शिक्षा एवं उपचार केन्द्र और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा 3 नियंत्रण केन्द्रों की स्थापना की गई है। अभी तक इस राज्य में 33 लाख 90 हजार जनसंख्या को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा चुका है और 69,482 रोगियों को इलाज के लिये दर्ज किया जा चुका है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल राज्य में अभी तक 25 कुष्ठ रोग नियंत्रण केन्द्र स्थापित किए गये हैं। 37 लाख 50 हजार जनसंख्या को इसके अन्तर्गत लाया गया है और 74,303 रोगियों को इलाज के लिये दर्ज किया गया है।

बिहार में द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत इंजीनियरों को रोजगार देना

166. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि चार सौ इंजीनियर और डिप्लोमा वाले उपस्थिति नामावली में दिहाड़ी के आधार पर काम में लगाए गए हैं। स्नातक इन्जीनियरों को 12 रुपए और डिप्लोमा वालों को 10 रुपए प्रतिदिन की दर से मजदूरी दी जाती है।

बिहार में छोटे किसानों द्वारा खेती किये जाने वाला क्षेत्र तथा उसके लिये सिंचाई सुविधायें

167. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में कितना ऐसा वास्तविक क्षेत्र है जिसमें छोटे किसान कृषि करते हैं तथा उन्हें विद्युत द्वारा सिंचाई सहित सिंचाई को पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : बिहार के छोटे किसानों द्वारा खेती किए गए वास्तविक क्षेत्र के सम्बन्ध में, जहां कि उन्हें पूरी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं, जानकारी उपलब्ध नहीं है। चालू योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत, बिहार में छोटे किसानों (जिनके पास 1 से 2 हैक्टार के मध्य जोते हैं) के लिए तीन परियोजनाएं और सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों (जिनके पास 1 हैक्टार से कम जोत है) के लिए 2 परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इन परियोजनाओं में छांटे गएं भागीदारों को कुए-खोदने, नलकूप, इत्यादि स्थापित करने में सहायता दी जा रही है। इन परियोजनाओं में मई, 1972 के अंत तक छांटे गये छोटे/सीमान्त कृषकों द्वारा स्थापित किए गये लघु सिंचाई कार्यों (खुदाई के कुएं, नलकूपों पम्पसेटों और अन्य लघु सिंचाई कार्यों) की संख्या निम्न प्रकार है :–

परियोजना	स्थापित किये लघु सिंचाई कार्यों की संख्या
लघु कृषक विकास एजेन्सी, चम्पारन	416
,, ,, पटना	159
,, ,, पूर्निया	3,333
सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक, परियोजना रांची	100
,, ,, शाहाबाद	—

संस्थागत ऋण सहित छोटे किसानों द्वारा लघु सिंचाई कार्यों को स्थापित करने का मोटा अंदाजा, भूमि विकास बैंको द्वारा पेशगी ऋणों की मात्रा से भी देखा जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाए गए भारत में सहकारी आन्दोलन (1969-70) से सम्बन्धित सांख्यिकी विवरणों के

के अनुसार, बिहार, भूमि में विकास बैंकों से ऋण लेने वालों की संख्या और राशि निम्न प्रकार थी :–

जोतों का आकार	ऋण लेने वालों की संख्या	राशि (रुपये लाखों में)
1 हैक्टार तक	675	18.66
1 से 2 हैक्टार	945	35.71
2 से 4 हैक्टार	990	54.96

सी०एल०एम०बी० द्वारा 3.17 करोड़ रुपये का जो कुल ऋण पेशगी दिया गया, उसमें 1.74 करोड़ रुपये लघु सिंचाई के कार्यों के लिए थे ।

भूमि की अधिकतम नई सीमा निर्धारण के पश्चात् अतिरिक्त भूमि का वितरण

168. **श्री सी० जनार्दनन ।**
श्री ईश्वर चौधरी ।

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि की अधिकतम सीमा कम करने सम्बन्धी प्रस्तावित नये विधानों के परिणामस्वरूप वितरण के लिए कितनी अतिरिक्त भूमि उपलब्ध हो जाएगी;

(ख) राज्य सरकारों का विचार इस अतिरिक्त भूमि को किस प्रकार वितरित करने का है;

(ग) क्या अतिरिक्त भूमि का वितरण करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने राज्यों को कोई निदेश दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० अण्णासाहिब शिन्दे) : (क) भूमि की अधिकतम सीमा को कम करने के लिए अधिकांश राज्यों ने अभी विधान बनाना है । अतः भूमि की अधिकतम सीमा कम होने पर उपलब्ध होने वाले संभावित क्षेत्र की मात्रा का अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

(ख) से (ग) : द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में यह सुझाव दिया गया था कि अधिकतम सीमा लागू होने के फलस्वरूप ली गई भूमि के निपटारे के मामले में, निजी खेती के लिए पुर्नग्रहण की गई भूमि के कारण विस्थापित काश्तकारों, अलाभदायक जोत वाले किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए । यह भी प्रस्ताव रखा गया था कि जहां तक सम्भव हो निपटारा सहकारी आधार पर किया जाना चाहिए । चूँकि अतिरिक्त भूमि के वितरण का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है अतः राज्यों को कोई निदेश जारी करने का प्रश्न नहीं होता । फिर भी, विभिन्न राज्यों द्वारा बनाया गया विधान साधारणतः सिफारिशें पर ही आधारित होता है ।

भारत सरकार ने भी राज्य सरकारों को सलाह दी थी कि भूमि के वितरण के समय अनुसूचित तथा जनजाति के सदस्यों को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए । दिनांक 23 जुलाई, 1972 को आयोजित मुख्य मंत्रियों ने सिफारिश की है कि अतिरिक्त भूमि के वितरण के मामले में भूमिहीन कृषि मजदूरों को और विशेषकर अनुसूचित तथा जनजातियों से संबन्धित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । औपचारिक रूप से सभी राज्य सरकारों को मार्गदर्शन के तौर पर इस निर्णय के विषय में अवगत करा दिया जायेगा ।

भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में राज्यों को केन्द्रीय सरकार के निदेश

169. **श्री सी० जनार्दनन :**
श्री बी० वी० नायक :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि की अधिकतम सीमा को कम करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने राज्यों को कोई निदेश दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : भूमि सुधार राज्य का विषय है । इसलिए राज्यों को निदेश देने का प्रश्न नहीं होता है । फिर भी केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सलाह के अनुसार राज्य-सरकारों को कुछ मार्ग दर्शन भेजे गये हैं । केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की मुख्य सिफारिशें थी कि परिवार में जोत की अधिकतम सीमा पूर्ण रूप से लागू की जानी चाहिए । जहां परिवार के सदस्यों की संख्या पांच से अधिक हो जाती है वहां परिवार के पांच सदस्यों से अधिक प्रत्येक सदस्य को अतिरिक्त भूमि रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, बशर्ते वाह्य भूमि सीमा जोत की अधिकतम सीमा की दूनी हो । पांच सदस्यों के परिवार के लिए 10 से 54 एकड़ क्षेत्र के अन्तर्गत जोत की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, जिसे विशेष मामलों में छूट दी जा सकती है और ऐसी छूट यंत्रीकृत फार्मों तथा सुप्रबन्धित फार्मों के पक्ष में वर्तमान राज्य कानूनों को वापस लेना चाहिए ।

अन्य दूसरी रियायतों के बारे में 14 अप्रैल, 1972 को मुख्य मंत्रियों ने इस मामले पर विचार विमर्श किया और बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित राय दी :—

(1) चाय, काफी, रबर, इलायची कोको के रोपण के पक्ष में छूट जारी रखी जानी चाहिए।

(2) भूदान यज्ञ समिति, सहकारिता बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, केन्द्रीय या राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा धारण भूमि पर छूट बनी रहनी चाहिए । वैसे ही औद्योगिक या गैर कृषि प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक उद्यमों द्वारा धारण भूमि को भी भूमि-सीमा कानून से छूट होनी चाहिए;

(3) पंजीकृत सहकारिता कृषि समितियों के मामले में यह स्वीकृति किया गया था कि इस आशय से किसी सदस्य की जोत की सीमा की गणना करते समय सहकारी समिति में उसका हिस्सा तथा उसकी अन्य भूमि को ध्यान में रखते हुए छूट दी जा सकेगी ।

(4) कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विद्यालयों, कृषि स्कूलों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा धारित भूमि को अधिकतम भूमि सीमा कानून से छूट दी जानी चाहिए।

(5) धार्मिक, शैक्षणिक या धार्मिक न्यासों के विषय में यह स्वीकार किया गया था कि सिर्फ सार्वजनिक स्वरूप के वास्तविक न्यास विशेष व्यवहार के अधिकारी हैं। इनको या तो वार्षिकी दी जाये अथवा उद्देश्यों के लिए न्यास का सर्जन किया जाये। वे बेकार न हो, उन्हें सुनिश्चित करने के लिए कुछ अन्य उपयुक्त प्रबन्ध किए जाये। शौर्यता पुरस्कार के विषय में यह स्वीकार किया गया था कि आजादी से पूर्व अनुदान की भूमि को छूट दी जानी चाहिए। आजादी से पूर्व अनुदान छूट का सतत बनाये रखने के प्रश्न पर पुनः विचार किया जायेगा। उद्यानों के विषय में आम राय यह थी कि किसी व्यक्ति की जोत की अधिकतम सीमा 2 हैक्टर या उद्यान के अन्तर्गत वास्तविक क्षेत्र, जो भी कम हो, बढ़ाई जा सकेगी। कुछ मुख्य मंत्रियों का विचार था कि बारानी खेती के लिए उद्यानों के अन्तर्गत क्षेत्र को संगणित करके अधिक छूट दी जा सकती है। उद्यानों के सम्बन्ध में जोत भूमि सीमा लागू करने में जो भारी कठिनाइयां हैं, राज्य सरकारें भारत सरकार के साथ पुनः इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श करेगी।

(6) यह भी स्वीकार किया गया कि सभी अन्य छूटों को वापस लिया जाना चाहिए।

जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी मामले पर मुख्य मन्त्रियों न सम्मेलन में 23 जुलाई, 1972 को विचार विमर्श किया गया। मुख्य मंत्रियों का निष्कर्ष विचाराधीन है और यथा शीघ्र अन्तिम निर्णय लेने पर राज्य सरकारों को मार्ग दर्शन भेज दिया जायेगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बेकार मशीनों की खरीद

170. **श्री बक्शी नायक** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जून, 1972 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिया गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बेकार मशीनों की खरीद से बहुत बड़ी धनराशि का अपव्यय हुआ है ; और

(ख) क्या सरकार ने समाचार पत्र में दिये अपव्यय के विभिन्न विवरणों की जांच की है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : "डी० डी० ए० की मशीनों पर मकड़ी के जाले" शीर्षक के अन्तर्गत रिपोर्ट गलत सूचना पर आधारित प्रतीत होती है। इसका खण्डन दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा किया गया था। यह खण्डन 14 जून, 1972 के स्टेट्स मैन में छपा था।

परिवार नियोजन सम्बन्धी जनगणना रिपोर्ट

171. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :**

श्री विश्वनाथ झुंनझुनवाला :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुई जनगणना के आंकड़ों से यह पता चला है कि परिवार नियोजन पर बहुत बड़ी धनराशि व्यय करने के उपरान्त भी देश में अन्तिम दशाब्दि में जनसंख्या वृद्धि तीव्रतम गति से हुयी है ;

(ख) क्या सरकार ने उन कारणों की जांच की है जिससे ऐसी स्थिति पैदा हुई है ;

(ग) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है कि देश में कुछ वर्गों के बीच परिवार नियोजन प्रणालियां किस सीमा तक प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुई है ; और

(घ) इस स्थिति का सामना करने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री०ए०के० किस्कू) : (क) हाल ही में की गई जनगणना के आंकड़ों से पता चला है कि 1961–71 के दौरान जनसंख्या वृद्धि की दर 24.80 प्रतिशत रही जो कि पिछली दशाब्दियों की दर से अधिक है। परिवार नियोजन कार्यक्रम सघन रूप से मार्च, 1965-66 से आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के फलस्वरूप मार्च, 1971 तक लगभग 74 लाख जन्मों के रोके जाने का अनुमान है। वृद्धि की दर इस जनगणना से मालूम हुई दर से कही अधिक होती।

(ख) जी नहीं। यह तभी सम्भव हो सकेगा जब जनगणना प्राधिकारियों द्वारा जन्म, मृत्यु और प्रवास की दरें निकाल ली जाएंगी।

(ग) और (घ) : देश के विभिन्न भागों में हुए अध्ययनों से पता चला है कि परिवार नियोजन विधियों को जनता के सभी वर्ग अपना रहे हैं। वैसे यह देखा गया है कि मुख्यतः समाजार्थिक असमानताओं, पर्याप्त साधनों और संचार सुविधाओं की कमी के कारण जनता के विभिन्न वर्गों में परिवार नियोजन कार्यक्रम कहीं अधिक कहीं कम अपनाया गया है। जनता के सामाजिक रूप से पिछड़े हुये वर्गों को परिवार नियोजन कार्यक्रम के अपनाने की प्रेरणा देने के लिये विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में कर्मचारियों तथा डाक्टरों के लिए सरकारी क्वार्टरों के आवंटन की व्यवस्था

172. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों ने आवासीय सुविधा प्रदान किये जाने सम्बन्धी अपनी मांग पर बल देने के लिये हाल ही में हड़ताल की थी ;

(ख) क्या राजधानी में केन्द्रीय सरकार द्वारा परिचालित अस्पतालों के कर्मचारियों तथा डाक्टरों को सरकारी क्वार्टर आवंटित करने की कोई व्यवस्था है ;

(ग) यदि हां, तो श्रेणीवार कुल कितने कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर दिये गये हैं तथा कितने कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित नहीं किए गए हैं ; और

(घ) क्या क्वार्टरों के निर्माण के लिए कोई सम्भावित योजना बनाई गयी है ; यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है और सभी कर्मचारियों की आवश्यकताएं कब तक पूरी हो जाने की आशा है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

ग्रामीण जल सम्भरण योजना

173. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय के हाल ही के मूल्यांकन के अनुसार देश के लगभग 1,52,475 ग्रामों में पानी उपलब्ध नहीं है और उनमें से 90,000 ग्रामों में तो एक मील की दूरी तक अथवा 50 फीट की गहराई तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं है ;

(ख) क्या चौथी योजना में गांवों में पानी की सप्लाई में लिए 123.5 करोड रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या चारों पंचवर्षीय योजनाओं के समग्र प्रयासों के फलस्वरूप केवल 29,000 गांवों को ही हानिरहित पीने योग्य पानी की सप्लाई उपलब्ध होगी ; और

(घ) यदि हां, तो शेष 1,23,000 ग्रामों के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह अनुमान लगाया गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 28,830 ग्रामों को साफ पेय जल की सुविधाएं मिल जायेंगी ।

(घ) दुर्गम क्षेत्रों में स्थित शेष ग्रामों में जलपूर्ति की समुचित व्यवस्था करने के लिए मोटे हिसाब से 670 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी । जल पूर्ति राज्य का विषय है और चौथी योजना अवधि में उन्हें केन्द्रीय सहायता समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में क्रमश: 70 प्रतिशत और 30 प्रतिशत के हिसाब से दी जा रही है । राज्य सरकारों पर इस बात के लिए जोर डाला गया है कि वे जहां तक सम्भव हो अपने वित्तीय स्रोतों के अनुकूल अपनी राज्य योजनाओं में पर्याप्त प्रावधान की व्यवस्था करें जिससे यथा सम्भव अधिक से अधिक ऐसे ग्रामों के लिए पानी की व्यवस्था हो सके । इसके अलावा इस वर्ष त्वरित ग्राम जलपूर्ति की एक केन्द्रीय योजना प्रारम्भ की की गई है जिसके अन्तर्गत राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को शत प्रतिशत अनुदान के आधार पर 20 करोड़ रुपये तक की योजनाओं की मंजूरी दी जा रही है ।

चीनी मिलों पर गन्ने के मूल्य की बकाया राशि

174. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों के कहने पर तथा सरकार की अनुमति से रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने वाणिज्यिक बैंकों को ऐसे निदेश दिये हैं कि चीनी कारखानों की नकद ऋण सीमाओं को दो खातों- गन्ना मूल्य भुगतान खाता और सामान्य खाता में विभाजित कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था के उपरान्त भी किन-किन चीनी मिलों पर गन्ने के मूल्य की बड़ी-बड़ी राशियां बकाया हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्य का तुरन्त भुगतान सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारत के रिजर्व बैंक ने सरकार के सुझाव पर 27 नवम्बर, 1971 को अनुसूचित बैंकों को अनुदेश जारी किए कि वे चीनी कारखानों को सुलभ ऋण सुविधाओं का विभाजन करें जिससे इस राशि का पर्याप्त अनुपात गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए निर्धारित किया जा सके ।

(ख) एक विवरण जिसमें उन चीनी मिलों (राज्यवार) के नाम दिए गए हैं जिन्होंने 15 जून, 1972 को 10 लाख रुपये या इससे अधिक गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का भुगतान करना था, सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–3194/72]**

भंडारण तथा भांडागार को प्राथमिकता देने के लिए भांडागार नियम का उदयपुर में सम्मेलन

175. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर में भांडागार निगम के अखिल भारतीय सम्मेलन में राज्य सरकारें अपनी योजनाओं में भाण्डारण तथा भाण्डागार को प्राथमिकता देने के लिये सहमत हो गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या हरितक्रान्ति की उपलब्धियों को बनाये रखने के लिए सरकार के पास भांडागारों के विकास में समन्वय लाने के लिए कोई वैकल्पिक योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो वैकल्पिक योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) उदयपुर में जून, 1972 में हुआ सम्मेलन केन्द्रीय और राज्य भान्डागार निगमों के कार्यकारियों का था और न कि राज्य सरकार से प्रतिनिधियों का था । राज्य भाण्डागार निगमों को यह सलाह दी गयी थी कि वे अपनी-अपनी राज्य सरकार से राज्य प्लेनों में भाण्डागार बनाने के प्रश्न को उचित अग्रता दिलाने के बारे में सम्पर्क स्थापित करें ।

(ख) और (ग) : सरकार ने भाण्डागारों के समन्वित विकास की दिशा में योजनाएं तैयार की हैं । इन योजनाओ में चालू योजना के दौरान अतिरिक्त भाण्डागार सुविधाओं की व्यवस्था, कुछ राज्यों में जहां भाण्डागार सम्बन्धी सुविधाएं सुलभ नहीं की गई हैं वहां सुलभ करने के प्रस्ताव, प्रयत्नों की अवहेलना / दोहरेपन को रोकने के लिए केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर समन्वित समितियां स्थापित करना, राज्य भाण्डागार निगमों को वित्तीय सहायता, आदि देने की व्यवस्था है ।

चीनी के उत्पादन में कमी, खपत में वृद्धि और निर्यात पूरा करने के लिए की गई कार्यवाही

176. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी का उत्पादन, वर्ष 1969-70 के 42.6 लाख टन के अधिकतम उत्पादन से घटकर, वर्ष 1970-71 में 37.6 लाख टन तथा वर्तमान फसल (1971-72) में 31 लाख रह गया है ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान चीनी की खपत तीव्रता से बढ़कर 25 लाख टन से 40 लाख टन हो गई है ; और

(ग) यदि भाग (क) तथा (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार का देश की मांग तथा निर्यात को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) चीनी की खपत और उत्पादन के पिछले तीन वर्षों के आंकड़े नीचे दिए जाते हैं :—

(आंकड़े लाख मी० टन में)

वर्ष		उत्पादन	खपत
1969-70		42.62	32.61
1970-71		37.40	40.25
1971-72	(अनुमानित)	31.00	38.40

(ग) चालू वर्ष की घरेलू खपत की जरूरतों और निर्यात के लिए एक लाख मी० टन चीनी रखने के बाद वर्ष 1972-73 मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) के लिए लगभग 5 लाख मी० टन चीनी बच जाने की सम्भावना है । इस वर्ष अत्यधिक गर्मी पड़ने और देर से वर्षा होने के कारण वर्ष 1972-73 में गन्ने की अनुमानित पैदावार इस वर्ष की पैदावार से केवल थोड़ी अधिक हो सकती है । सरकार चीनी बनाने के लिए गन्ने की अधिकतर सप्लाई प्राप्त करने के उपायों पर विचार कर रही है और इस बारे में नीति निर्णयों की शीघ्र घोषणा कर दी जाएगी ।

पश्चिम बंगाल में एक शिपयार्ड स्थापित करने के सम्बन्ध में अध्ययन दल

177. **डा० रानेन सेन :**
श्री वेंकारिया :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में एक शिपयार्ड स्थापित करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या ऐसा निर्णय करने के पश्चात् सरकार ने उड़ीसा के पक्ष में अपना मत परिवर्तित कर दिया था ;

(ग) क्या इस बारे में मूल्यांकन करने के लिये एक स्थल अध्ययन दल दोनों ही स्थानों पर भेजा गया था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और क्या निर्णय किया गया है,

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ) : सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के हल्दिया स्थान पर एक शिपयार्ड स्थापित करने के प्रश्न पर गहन अध्ययन करने के लिये संगठित कार्य दल ने सरकार को अभी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है। हल्दिया में शिपयार्ड स्थापित करने के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है ।

विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में भौतिक चिकित्सा विभाग

178. **डा० रानेन सेन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली के बाहरी रोगी भौतिक चिकित्सा विभाग में रोगियों की उपस्थिति काफी बढ़ गई है और वहां कार्य करने वाले कर्मचारी आवश्यकता से कम हैं ;

(ख) क्या विभाग में स्थानाभाव के कारण बहुत भीड़ रहती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों की संख्या तथा स्थान को बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए०के० किस्कू) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

गंगा की घाटी में भूमि-गत जल स्रोत

179. **डा० रानेन सेन** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल-विज्ञान विशेषज्ञों का मत है कि गंगा की घाटी में कृषि संबन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए असीमित जल-स्रोत हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गंगा तथा उसकी सहायक नदियों पर बांध बनाने की बजाय पर्याप्त संख्या में नलकूप लगाने के लिए भी कोई प्रयास किए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह): (क) तथा (ख) जी नहीं। किन्तु यह सत्य है कि गंगा की घाटी में पर्याप्त भूमिगत जल संसाधन उपलब्ध है। उपलब्ध भूमिगत जल संसाधनों के विकास के लिये तीव्र प्रयत्न किये जा रहे हैं। घाटी में प्रत्येक वर्ष लगभग 1.20 लाख नलकूप तथा खुदाई के कुंवे खोदे जा रहे हैं।

गैर-सरकारी फर्म के माध्यम से उर्वरक का वितरण

180. **डा० रानेन सेन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उत्पन्न किए जाने वाले उर्वरक का अधिकांश भाग रेली ब्रादर्स, शा वैलस तथा पेरी कम्पनी द्वारा वितरित किया जाता है जो कि बड़े-बड़े विदेशी तथा भारतीय व्यापारियों के नियंत्रण में है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें उक्त वितरण का अधिकार देने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं। सहकारी संस्थायें देश में तैयार हुए 50% से भी अधिक उर्वरकों का वितरण करती हैं। परन्तु, कुछ विनिर्माताओं ने उपरोक्त गैर-सरकारी फर्मों के, जो कि अन्य विनिर्माताओं के वितरकों के अतिरिक्त अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट और मिश्र उर्वरकों की भी उत्पादक हैं, माध्यम से अपने उत्पादन के एक भाग के वितरण का कार्य उन्हें सौंपा है।

(ख) चूंकि विनिर्याताओं को गैर-सरकारी या सहकारी किसी भी व्यापारिक माध्यम से अपने उत्पादन का विपणन करने की स्वतंत्रता है, अतः सरकार द्वारा इन गैर- सरकारी फर्मों को वितरण का अधिकार देने का प्रश्न ही नहीं होता। फिर भी, उर्वरकों के कुल उत्पादन में सहकारी और अन्य संस्थागत अभिकरणों का प्रतिशत निर्धारित करने के प्रश्न पर अब एक समिति विचार कर रही है।

तेल-चूंगी को कोचीन में स्थापित करने की वैकल्पिक योजना

181. **श्री के० मालन्ना** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना स्थित केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र ने सरकार को प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में कोचीन पत्तन के आसपास के द्वीपों के लोगों के सुझावानुसार तेल-चुँगी को कोचीन में स्थापित करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां। केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र पुना ने विभिन्न वैकल्पित स्थानों के आधार पर लिये गये नमूना अध्ययनों के बाद सिफारिश की है कि बालघट्टी और बल्लारपट्ट के बीच निकर्षणार्थ पश्चिमी और तेल से सीमाकर की स्थापना की जाए। इस योजना से स्थानीय लोगों की मांगें पूरी हो जाएंगी।

(ख) पत्तन न्यास के परामर्शदाता इंजीनियरों ने प्रारम्भिक रिपोर्ट तैयार कर ली है जिसमें परियोजना के मोटेतौर पर आयाम, लगभग कुल लागत और परियोजना की समाप्ति का समय कार्यक्रम सूचित किया गया है। सरकार इसकी जांच कर रही है।

नौकरी पर आधारित शिक्षा

183. **श्री के० मालन्ना** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नौकरी पर आधारित शिक्षा प्रणाली अपनाने सम्बन्धी विचाराधीन प्रस्तावों पर सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग): शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर कई राज्य सरकारें तथा विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन कर रहे हैं ; जिससे देश की विकासात्मक आवश्यकताओं को देखते हुए उन्हें और अधिक व्यावहारिक तथा उपयोगी बनाया जा सके। स्कूल स्तर पर 'कार्य अनुभव' को पाठ्यचर्या के अंग के रूप में समाविष्ट किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पाठ्यचर्या में विद्यमान असंतुलन को ठीक करना है ; जो सैद्धान्तिक अध्ययन पर जोर देना चाहता है। 15 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का अभिप्राय सामान्य प्रकृति का है। वास्तविक व्यावसायिक पाठ्यक्रम साधारणतया माध्यमिक स्तर के बाद ही पढ़ाए जाते हैं। ऐसे पाठ्यक्रम इस समय या तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध हैं या पोलिटेक्निकों अथवा विश्वविद्यालयों में औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए कुछ विश्वविद्यालयों में प्रथम डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा में विकास कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में इंजीनियरी के डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में विविधता लाने के हेतु तथा उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनुस्थापित करने के लिए कदम उठाए जा चुके हैं। पाठ्यक्रमों में विविधता लाने वाले कार्यक्रमों को राज्य की योजनाओं द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष पाठ्यक्रमों का गठन भी किया जा रहा है। जहां तक उन छात्रों का संबंध है, जो स्कूल स्तर पर ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनके लिए विचार किया जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों के लिए देश में कुछ पाठ्यक्रम पहले ही से विद्यमान हैं। विभिन्न व्यापारों में नौकरी के अवसर देखते हुए ही इनका विस्तार किया जाएगा।

सूरजमुखी फूलों के बीजों की खेती

184. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सूरजमुखी फूलों के बीजों की खेती तथा उपयोग के बारे में प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) रूस से प्राप्त की गई सूरजमुखी की चार किस्मों पर किये गये अनुसंधान परीक्षणों से पता चला है कि सूरजमुखी के उत्पादन की अच्छी संभाव्यताएं हैं। तदनुसार, सूरजमुखी के उत्पादन के तीव्र विकास के सम्बन्ध में क्रमबद्ध कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिये तकनीकी योग्यता

तैयार करने के उद्देश्य से वर्ष 1971-72 के दौरान 11 राज्यों में 833 हैक्टार क्षेत्र पर सूरजमुखी के प्रदर्शन की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित की गई थी। प्रदर्शनों के सम्बन्ध में आदानों की लागत पूरी करने के लिये कृषकों को प्रति हैक्टार 300 रुपये तक केन्द्रीय सहायता दी गई।

वर्ष 1971-72 के दौरान किये गये प्रदर्शनों से पता चला है कि इस फसल के सम्बन्ध में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा मैसूर राज्यों में किसानों की प्रतिक्रिया काफी अनुकूल है। तदनुसार, इन तीन राज्यों में चौथी योजना के शेष दो वर्षों में कार्यान्वयन के लिये सूरजमुखी के विकास को एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्वीकृत की गई है, जिसका उद्देश्य वर्ष 1971-72 के दौरान 1,60,000 हैक्टार क्षेत्र तथा वर्ष 1973-74 के अंत तक 3,50,000 हैक्टार क्षेत्र में फसल को बढ़ाने का उद्देश्य है। इन राज्यों तथा अन्य राज्यों में, जहां इस फसल की सम्भाव्यता है, प्रदर्शन किये जायेंगे।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

(क) कृषकों को उपचारित बीजों के छोटे किट तथा साहित्य बिना किसी लागत के सप्लाई करना,

(ख) प्रदर्शन करने के लिये प्रति हैक्टार 300 रुपये की राज-सहायता।

(ग) विस्तार कार्य के लिये विशेष कर्मचारियों की व्यवस्था करना। इस सम्बन्ध में दो वर्षों के दौरान अनुमानित 92 लाख रुपये का सारा व्यय भारत सरकार द्वारा पूरा किया जाना है।

Report from Bihar regarding Famine in that State

185. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a state of famine similar to that of 1967 is prevailing in Bihar due to failure of rains ;

(b) if so, whether Government of Bihar have sent any report to the Central Government in this regard, if so the main features thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agricultulture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) No, Sir.

(b) & (c) : No report has been received from the State Government so far.

Construction of road bridge over Ganga River at Patna

186. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the Public Works Minister of Bihar had some talks with him in Delhi in regard to road bridge over Ganga river proposed to be constructed in Patna ;

(b) if so, the main features thereof ; and

(c) the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes Sir.

(b) & (c) : The Public Works Minister, Bihar, discussed mainly the question of classification of certain roads in the State as National Highways. In this connection he also desired that Patna-Muzaffarpur-Sonebarsa road may be declared as National Highway so that the bridge across the Ganga at Patna which the State Government are taking up may become a National Highway project. It was explained to the State Public Works Minister that as the funds available in the Fourth Plan for making now additions to the existing National Highway system had already been fully earmarked for schemes approved earlier, it was not possible now to consider any fresh demands protected by the Bihar Public Works Minister. Such fresh requests could be considered only at the time of formulating proposals for the Fifth Five-Year Plan. As it is, the Government of India are at present committed only to provide to the State Government for the proposed bridge over Ganga at Patna a non-Plan loan to meet 50% of the expenditure during the Fourth Plan period, subject to a maximum of Rs. 4.50 crores, the balance being met by the State Government from their own resources.

Construction of Central School Buildings in Patna

187. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme for the construction of buildings for two Central Schools in Patna town, the capital of Bihar, if so, the salient features thereof ;

(b) whether Government have also selected the sites for both the Schools, if so, the location thereof ; and

(c) the time which buildings of the Schools are likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri D. P. Yadav) (a) to (c) : There is at present only one Central School in Patna which is functioning in a rented building. Preliminary plans for construction of a building have been prepared by the CPWD but the sanction for the construction could not be issued so far for want of a suitable site. The Government of Bihar are considering the allottment of sites for two schools one in Kankar Bagh Colony and the other at the Polo Ground area. After the land is allotted steps will be taken to construct the school buildings. Normally it takes about two years to complete construction of buildings after the allotment of sites.

Famine in different Parts of Country

188. **Shri Ramavatar Shasri** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether many part of the country have reached the stage of famine due to failure of rains there ;

(b) if so, the broad outlines in regard to drought and famine-affected States ;

(c) whether the concerned State Governments have sent to the Central Government the details in regard to state of famine, if so, the main features thereof ; and

(d) the reaction of the Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No report about the existence of famine conditions has been received from any of the State Governments/Union Territory Administrations. However, drought/scarcity conditions have been reported so far by the Governments of Orissa, Rajasthan, West Bengal, Gujarat, Tripura and

Manipur. Drought relief operations have continued from last year in Andhra Pradesh, Mysore and Maharastra.

(b) to (d) : A statement indicating the broad outlines of drought conditions in the affected States is attached. [Placed in the Library. *See* No. LT-3195/72]

During 1972, on receipt of reports of drought/scarcity conditions from the concerned States, Central Teams visited the States of Orissa, West Bengal and Rajasthan and submitted their reports. All these reports have since been accepted and are being implemented except the report relating to Orissa which is under consideration.

अपनी पात्रता से एक दर्जा कम श्रेणी के आवास प्राप्त सरकारी कर्मचारी

189. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से सरकारी कर्मचारी अपनी पात्रता की श्रेणी से नीचे की श्रेणी के आवासों में रह रहे हैं ;

(ख) क्या उन्हें उच्च श्रेणी के आवास देने का प्रस्ताव किये जाने पर भी वे वर्षों तक उस उच्च श्रेणी के आवासों में नहीं जाते तथा इससे गैर अलाटियों को बड़ी परेशानी हो रही है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार का विचार ऐसे अलाटियों से बाजार-किराया वसूल करने अथवा कोई अन्य कड़ा दण्ड देने का है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी, हां ।

(ख) 1 जून, 1972 से पूर्व के आवंटन नियमों के उपबन्धों के अनुसार, निम्न टाइप वास के दखल में सरकारी कर्मचारी, पात्र टाइप के आवंटन या आवंटन की पेशकश को अस्वीकार कर सकते थे तथा अपने दखल के वास को रख सकते थे परन्तु 6 मास की अवधि के लिए उन पर पात्र टाइप के वास के आवंटन के लिए रोक लगा दी जाती थी । निम्न टाइप के रिहायशी वास को रखने पर इस प्रकार उन्हें आवंटित या पेश किये गए रिहायशी वासों के सम्बन्ध में मूल नियम-45-ए के अधीन, उनसे छः मास की अवधि के लिए लाइसेंस फीस या उनके पहले दखल में लिए गए रिहायशी वास के सम्बन्ध में अदा की जाने जाली लाइसेन्स फीस, इसमें जो भी अधिक हो, ली जाती थी । यह नियम 1-6-1972 से संशोधित कर दिया गया है, तथा वे सरकारी कर्मचारी जो निम्न टाइप के क्वार्टर के दखल में हैं, बिना किसी जुर्माने के उसे रख सकते हैं, यदि वे अपने आवेदन पत्र में उसे रखने का विकल्प दें । अन्य मामलों में, जहां सरकारी कर्मचारी पात्रवास/निम्न टाइप के वास के आवंटन में अपनी अभिरूचि दिखाएं, तो उन द्वारा आवंटन या आवंटन की पेशकश को अस्वीकार किए जाने पर, उन्हें आवंटन वर्ष की शेष अवधि के दौरान, इस प्रकार आवंटित या पेश किए गए क्वार्टरों के बारे में मूल नियम 45-ए के अधीन लाइसेंस फीस या पहले से उनके दखल में रिहायशी वासों के सम्बन्ध में अदा किए जाने वाली लाइसेंस फीस, इसमें जो भी अधिक हो, अदा करनी होगी ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

उड़ीसा में बारानी खेती प्रायोजित परियोजना

190. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में मयूरभंज जिले के सब डिवीजनल वामनघाटी में मालदा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में बारानी खेती प्रायोजित परियोजना की स्थापना की दिशा में अब तक कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक किस प्रकार का कार्य हाथ में लिया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने उड़ीसा में वर्ष 1972-73 के लिए बारानी खेती हेतु कोई राशि आवंटित की है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त राशि तथा सम्बन्धी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) परियोजना जनवरी, 1972 में प्रारम्भ हुई थी। वर्ष 1971-72 के दौरान नई तकनीकी का प्रदर्शन करने के लिए गेहूं और सरसों पर 22 प्रदर्शन किए गए। बारानी खेती तकनीकी में 25 किसान और 5 विस्तार व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। 14 जल उपयोग निर्माण कार्य और जल एकत्रित करने के लिए नालियों के लिए प्राक्कलन तैयार किए गए।

(ग) और (घ): राज्य सरकार का वर्ष 1972-73 के लिए 7.88 लाख रुपए की राशि का अनुदान के रूप में आवंटन करने के लिए प्रस्ताव अभी अभी प्राप्त हुआ है और उसकी जांच की जा रही है।

उड़ीसा में विश्वविद्यालय की विकास आवश्यकताओं का अनुमान

191. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उड़ीसा के उत्कल, बरहामपुर तथा सम्बलपुर विश्वविद्यालयों की वर्ष 1976 के अन्त तक की अवधि की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं का कोई अनुमान लगाया है ; यदि हां, तो किस सीमा तक अनुमान लगाया गया है और इस अवधि में इन विश्वविद्यालयों के लिए अलग-अलग कितनी-कितनी राशि नियत की गई है।

(ख) क्या इन विश्वविद्यालयों के लिए वर्ष 1966 से 1971 तक की अवधि के लिए अलग-अलग नियत की गई धनराशि का पूरा-पूरा उपयोग किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो यह धन किस प्रकार के विकास कार्यों में उपयोग किया गया ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ग): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उड़ीसा के विश्वविद्यालयों की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं का

मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त की गयी निरीक्षण समिति की सिफारिशों पर 1966-67 से 1973-74 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित धनराशियां आवंटन की थी :—

बरहामपुर	54.25 लाख रुपए
सम्बलपुर	57.00 लाख रुपए
उत्कल	92.00 लाख रुपए

सम्बलपुर तथा उत्कल विश्वविद्यालयों के मामले में विनिधान में शामिल की जाने वाली योजनाओं को स्वीकार कर लिया गया है, और बरहामपुर के मामले में शामिल की जाने वाली योजनाओं को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है । इन तीन विश्वविद्यालयों की विभिन्न परियोजनाओं के लिए दिए गए विनिधान का विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—3196/72]**

(ख) अनुदानों की उपयोगिता से सम्बन्धित स्थिति का पता विश्वविद्यालयों से परीक्षित लेखे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्राप्ति के पश्चात ही चलेगा । आयोग ने निरीक्षण समितियों की सिफारिशों द्वारा शामिल की जाने वाली योजनाओं के लिए इन तीनों विश्वविद्यालयों को 1966-67 से 1971-72 के दौरान निम्नलिखित अनुदानों की अदायगी की है :—

बरहामपुर	24.82 लाख रुपए
सम्बलपुर	27.59 लाख रुपए
उत्कल	62.32 लाख रुपए

सफाई कर्मचारियों और मेहतरों के आवास के लिए उड़ीसा सरकार को अनुदान देना

192. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत सफाई कर्मचारियों और मेहतरों के लिए आवासों का निर्माण करने हेतु उड़ीसा सरकार को कोई सहायता अनुदान दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितना धन दिया गया था ; और

(ग) इन आवासों का निर्माण किन स्थानों पर किया गया था अथवा किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख) : हां । यह इन जातियों के रहन-सहन तथा काम करने की दशाओं में सुधार के लिए केन्द्रीय प्रवर्तित संयुक्त योजना के अधीन दिया गया था ।

(ख) अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से मागी गई है और प्राप्त होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

उड़ीसा में पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए उड़ीसा सरकार को दी गई धनराशि

193. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की अत्यन्त पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की पिछड़ी जाति योजना के अन्तर्गत कोई धनराशि उड़ीसा को दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं की मोटी रूपरेखा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में कितना धन दिया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख) : पिछड़े वर्ग योजना के केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन पूर्णतया अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण हेतु आवंटन किया जाता है, न कि केवल "अधिक पिछड़े वर्गों" के लिए। पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए योजनाएं और आवंटन निम्न प्रकार है :—

आवंटन

(रुपये—लाखों में)

	1969-70	**1970-71**	**1971-72**
1. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	1.00	1.09	1.41
2. लड़कियों के छात्रावास	6.70	4 30	3.75
3. आदिवासी विकास खण्ड	110.00	85.50	88.00
4. परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण	1.50	1.00	1.00
5. सहकारिता	12.00	7.50	7.50
6. अनुसंधान तथा प्रशिक्षण	1.50	1.40	1.40
योग	132.70	100.79	100.06

परिवार नियोजन और सभी सम्प्रदायों में हिन्दू कोड अधिनियम लागू करना

194. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मन्त्रालय ने जैसा कि 1971 की जनगणना से पता चलता है, बहुसंख्यक हिन्दू सम्प्रदाय की अपेक्षा अल्पसंख्यक धार्मिक सम्प्रदायों की तीव्र वृद्धि के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जनगणना से पता चलता है कि देश में परिवार नियोजन असफल रहा है ; और

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए, सरकार हिन्दू कोड अधिनियम को सभी सम्प्रदायों पर लागू करने के बारे में विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कू): (क) और (ख): 1971 की जनगणना के अनुसार, 1961-71 के दशक में अल्पसंख्यक सम्प्रदायों की वृद्धि दर हिन्दुओं की अपेक्षा ऊंची रही है। तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि देश में परिवार नियोजन असफल हो गया है। जैसा कि 1961 की जनगणना से पता चलता है 1951-61 के दशक में भी जबकि परिवार नियोजन कार्यक्रम ना के बराबर सा था विभिन्न सम्प्रदायों की वृद्धि दर भिन्न भिन्न थी तथा अल्पसंख्यक सम्प्रदायों की वृद्धि दर ऊंची थी। यह कार्यक्रम तीव्र गति से केवल 1965-66 से ही आरम्भ हुआ। परिवार नियोजन के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1971 तक कुल केवल 74 लाख जन्म रोके गए। इस कार्यक्रम का जिसे वस्तुतः सभी सम्प्रदायों ने अपनाया है, 1961-71 के दौरान विभिन्न सम्प्रदायों की असमान वृद्धि दर पर कोई विशेष प्रभाव पड़ भी नहीं सकता था।

विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों में जनसंख्या वृद्धि दर जन्म, मृत्यु और प्रवास की दरों के अतिरिक्त एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन की दर का कुल निष्कर्ष होता है। जनगणना अधिकारियों ने 1961-71 दशक के लिए अभी जन्म और मृत्यु दरों का हिसाब नहीं लगाया है।

(ग) एक विवाह और बहु विवाह से अलग-अलग परिवारों के आकार में भिन्नता तो आ सकती है किन्तु किसी सम्प्रदाय की वृद्धि दर पर, जो उस सम्प्रदाय में 15-45 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं की कुल संख्या को देखकर, निकाली जाती है इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए अन्य सम्प्रदायों पर हिन्दु कोड अधिनियम लागू करने से उनकी वृद्धि दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1968-70 में हुए सहकारिता आन्दोलन की प्रगति की पुनरीक्षा

195. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मन्त्रालय का ध्यान 1968-69 तथा 1969-70 के दौरान सहकारिता

आन्दोलन में हुई प्रगति के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा की गई हाल की पुनरीक्षा की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने भारत के सहकारिता आन्दोलन में अब भी व्याप्त कुछ कमियों की ओर संकेत किया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : जी हां ।

मई 1972 में लन्दन में हुये अन्तःसरकारी समुद्री परामर्शदात्री संगठन परिषद् का 28वां अधिवेशन

196. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 मई से 26 मई, 1972 तक लन्दन में हुये अन्तःसरकारी समुद्री परामर्शदात्री संगठन परिषद् के 28वें अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें तेल तथा अन्य हानिकारक पदार्थों द्वारा जल समुद्री दूषण की समस्याओं की चर्चा की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बात क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क)और (ख) : जी हां ।

(ग) 1973 में समुद्री जल दूषण के संबंध में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लिये जाने वाले विषयों की चर्चा और अनुमोदन कर दिया गया था । इन में जहाजों से गिरने वाला तेल, अधिक मात्रा में तरल पदार्थ तथा सूखे हानिकारक पदार्थों और जिनका संबंध डिजाइन निर्माण और उपकरण से है क्या पैकटों या पात्रों में ले जाये गये हानिकारक पदार्थों द्वारा अथवा जहाज से गिरे मल जल और कूड़े कचरे के कारण होने वाले जल-दूषण को रोकने संबंधी अधिनियम शामिल हैं । तेल दूषण हताहतों के मामलों में अबाध समुद्री के बारे में हस्तक्षेप से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय महा सम्मेलन में और तेल के अतिरिक्त दूसरे हानिकारक पदार्थों के कारण हुये जलदूषण की स्थिति में तेल दूषण क्षति (1969) संबंधी सिविल देयता के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में तथा सागर क्षेपण महासम्मेलन (यदि मानवीय वातावरण संबंधी स्टाकहोल्म सम्मेलन बुलाया गया तो) में शामिल सिद्धान्तों के विस्तार के प्रश्न पर 1973 से होने वाले सम्मेलन में विवादार्थ दूसरा अनुमोदन भी कर दिया गया । नीति निदेशकों पर नवम्बर, 1972 में होने वाले परिषद् के अगले सत्र में विचार किया जायेगा ।

हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम

197. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के संशोधित वेतनमान सम्बन्धी विवाद मध्यस्थता के लिए सौंप दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो मई, 1972 में उनको मामला सौंपने के बावजूद मध्यस्थ की नियुक्ति में देरी किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) : वेतन मानों में संशोधन के लिए हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड के कर्मचारियों की मांग अभी पंच फैसले के लिए नहीं सौंपी गई है। इस विषय को पंच फैसले को सौंपने के लिए हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड के प्रबन्धकों ने भारत सरकार की अनुमति मांगी है। इस विषय पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

खाद्यान्न उत्पादन के मुकाबले प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता

198. **श्री दशरथ देव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि हाल के वर्षों में देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के बावजूद खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्ता उसी अनुपात में नहीं बढ़ी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) प्रति व्यक्ति कम उपलब्धता के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : खाद्यानों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता आन्तरिक उत्पादन के अलावा, आयात की मात्रा और जनसंख्या की वृद्धि समेत कई तथ्यों पर निर्भर करती है। खाद्यान्नों के आयात में कमी/बन्द होने और जनसंख्या में वृद्धि को देखते हुए, प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि आन्तरिक उत्पादन की तरह उसी अनुपात में नहीं हो सकती है। तथापि, प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1969 के 162.7 किलोग्राम से बढ़कर 1971 में 170.4 किलोग्राम प्रति वर्ष हो गई है।

म्युनिख में होने वाले ओलिम्पिक खेलों में जिमनास्टिक दल को शामिल करना

199. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्युनिख ओलिम्पक खेलों में भारतीय जिमनास्टिक दल को शामिल करने से मना कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार आगामी म्युनिख ओलिम्पिक खेलों में भारतीय जिमनास्टिक दल को शामिल करने के मामले पर विचार करेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) : अखिल भारतीय खेलकूद परिषद्, जो भारत सरकार को खेलकूद सम्बन्धी मामलों पर सलाह देती है, ने सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद जिमनास्टिक ग्रुप को म्युनिख ओलिम्पिक के लिए भारतीय दल को शामिल करने की सिफारिश नहीं की थी। इसका मुख्य कारण, जो परिषद् को प्रतीत हुआ, यह था कि ओलिम्पिक जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के योग्य बनने के लिए जिमनास्टिक के स्तर में अभी और सुधार होना चाहिए। भारत सरकार ने यह सिफारिश मान ली है।

राज्यों में कारवी केम्पल किस्म की बत्तखों का पालन

200. **श्री दशरथ देव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कारवी केम्पल नामक नयी किस्म की बत्तखों की संख्या में वृद्धि हो रही है जो अधिकांश स्थानीय बत्तखों की 150 अण्डे प्रति वर्ष देने की क्षमता के मुकाबले 500 अंडे दे सकती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस किस्म की बत्तखों को सरकार द्वारा अन्य राज्यों में चलाये जा रहे मुर्गी पालन केन्द्र में भी पालने के लिए कोई कदम उठा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां । इंग्लैण्ड से आयातित कारवी केम्पल नामक बत्तखों की एक नई नस्ल की केरल में पूर्ण रूप से वृद्धि हो रही है । बत्तखों के छोटे बच्चे अक्तूबर-नवम्बर, 1971 में ही लाए गए थे अतः उनके अंडा देने की क्षमता को अभी निर्धारित नहीं किया जा सका है । फिर भी, आपूर्ति करने वाली फर्म का दावा है कि इस नस्ल की बत्तख प्रति वर्ष 300 अंडे दे सकती है ।

(ख) जी हां । इस नस्ल की बत्तखें आन्ध्र प्रदेश, असम, हरियाणा और जम्मू तथा कश्मीर राज्यों को भी भेजी गई हैं । वर्तमान बत्तख प्रजनन फार्मों में काफी बत्तखें हो जाने पर इस नस्ल के बत्तखों को अन्य राज्यों में भी भेज दिया जायेगा ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

(प्रश्न)

RE : MOTION FOR ADJOURNMENT

(Query)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न है । नियम 56 के अन्तर्गत मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है कि देश में संकट की स्थिति है ....

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने इस आशय का स्थगन प्रस्ताव दिया है कि देश में मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण संकट की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और अत्यधिक बेरोजगारी की स्थिति हो गई है....

अध्यक्ष महोदय : इस पर मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया है (**व्यवधान**) । स्थगन प्रस्ताव सदा निरन्तर रहने वाली स्थिति के बारे में नहीं किया जा सकता है । यदि कोई आकस्मिक घटना हो तो उस पर स्थगन प्रस्ताव किया जा सकता है । (**व्यवधान**)

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । क्या इस संबंध में आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सभी सदस्यों को, जो इसमें भाग लेना

चाहते हैं, बोलने का अवसर प्रदान नहीं कर सकता है ? पिछले एक वर्ष से मूल्यों में जो वृद्धि हुई है और अनाज की कीमत में दोगुनी तक जो वृद्धि हुई है, इसको देखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस समस्या को हल करने के लिये हमारा योगदान किस तरह से हो सकता है, मैं समझता हूं कि इस पर सर्वप्रथम चर्चा की जानी चाहिये ।

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior) : Sir, I rise on a point of order. The purpose of Call Attention Motion is to get information from the Government. But we want to censure the Government on account of its failure to check the rising prices. Therfore, an adjournment motion may be allowed in this regard and time may be fixed for that.

We have seen the statement of the Finance Minister and we want to censure the Government for its failure.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (आलीपुर) : मेरा भी आपसे अनुरोध है कि मूल्यों की स्थिति पर चर्चा की जाये । श्री ज्योतिर्मय बसु ने अपने स्थगन प्रस्ताव में मूल्य, अकाल, बेरोजगारी और कई अन्य चीजें शामिल की हैं । अतः वह स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि स्थगन प्रस्ताव में एक ही मामले पर चर्चा होनी चाहिये । मेरे सहयोगी श्री बनर्जी ने केवल मूल्यों में वृद्धि के प्रश्न पर स्थगन प्रस्ताव रखा है और ऐसा ही प्रस्ताव श्री बाजपेयी का भी है । अतः श्री ज्योतिर्मय बसु के स्थगन प्रस्ताव की बजाय इन दो में से एक को लिया जाना चाहिये । यदि आप स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो फिर भी मूल्यों में वृद्धि के प्रश्न पर विस्तृत चर्चा के लिये हमें कुछ समय दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव के लिए मैंने इस पर विचार किया है लेकिन यह जिस रूप में दिया गया था, उसे स्वीकार करने के लिये मैं सहमत नहीं हूं । परन्तु इस पर किसी चर्चा के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । कार्य मंत्रणा समिति में आप इस पर निर्णय ले सकते हैं ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : हम आपके विनिर्णय का आदर करते हैं लेकिन आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस पर पुनर्विचार करें । यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है ।

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक शीघ्र ही होने जा रही है और वह इस बारे में निर्णय ले सकती है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : एक महीने में ही वस्तुओं के थोक मूल्यों में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि है । केवल खाद्यान्नों के मूल्य में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । यह विषय मूल्यों में वृद्धि के बारे में है । आप सरकार को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं । कृपया बैठ जाइये ।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : Sir, when you have admitted the Call Attention Motion, it is evident that the situation is very serious. We want to censure the Government for which adjournment motion is given. All the Opposition parties have urged to allow it.

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । स्थगन प्रस्ताव के रूप में इसको लिया जाना सम्भव नहीं क्योंकि यह एक व्यापक विषय है । नियमित वाद-विवाद में आप इस पर चर्चा कर सकते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप स्थगन प्रस्ताव को इस तरह अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। आपको नियमों के अनुसार चलना होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बता दिया है कि आप इस पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं एक साधारण प्रक्रिया संबंधी प्रश्न को उठाना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई अवसरों पर जब ऐसे मामलों को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अथवा स्थगन प्रस्ताव के रूप में उठाया जाता है, तो हमारा यह अनुभव रहा है कि स्थगन प्रस्ताव को सदैव ही अस्वीकार कर दिया जाता है और उसी विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। हमारा विचार इस मामले में सरकार की निन्दा करना है।

अध्यक्ष महोदय : आप निन्दा का प्रस्ताव ला सकते हैं।

श्री के० मनोहरन (मद्रास उत्तर) : इस मामले की महत्ता और गम्भीरता को देखते हुए क्या आप कृपया इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिये दिन नियत करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही बता दिया है कि आज दोपहर को मैंने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : शिमला समझौते पर चर्चा करने के लिये तो आपने कार्य-मंत्रणा समिति की प्रतीक्षा नहीं की थी। अब आप कार्य मंत्रणा समिति की बात कर रहे हैं। अभी यहीं पर स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आप स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर रहे हैं, अथवा नहीं ? मैं स्पष्ट निर्णय जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं इस पर स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : देश को जिस कठिन समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और उसके प्रति अध्यक्ष महोदय द्वारा जो कठोर रुख अपनाया गया है, हम उसका विरोध करते हैं। इस सदन में जिस प्रकार की प्रक्रिया का आप अनुसरण कर रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं है।

तत्पश्चात् श्री ज्योतिर्मय बसु, श्री अटल बिहारी बाजपेयी, श्री श्यामनन्दन मिश्र और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।

Shri Jyotirmoy Bosu, Shri Atal Behari Vajpayee, Shri Shyamnandan Mishra and some other hon. Members then left the House

श्री समर गुह (कन्टाई) : देश के बड़े हिस्से में भुखमरी की स्थिति है और खाद्यान्नों के बढ़ते हुए मूल्यों को आप अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय नहीं मानते हैं तथा इस पर चर्चा के लिये हमें अवसर नहीं देते हैं। हम सभी बाहर जा रहे हैं।

(तत्पश्चात् श्री समर गुह सभा भवन से बाहर चले गये ।)
(Shri Samar Guha then left the House)

श्री एस०एम०बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्थगन प्रस्ताव के लिये यह उचित मामला है क्योंकि हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि मई और जून के महीनों में थोक मूल्य सूचकांक में 3.1 की वृद्धि हुई है और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में मई से जुलाई, 1972 तक वृद्धि हुई है। यह हाल ही की घटना है और हम पहले के समय की चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसका सम्बन्ध अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय से है अर्थात् आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में असामान्य वृद्धि और इसे रोकने में सरकार की असफलता। यही मेरा और श्री वाजपेयी जी का भी स्थगन प्रस्ताव है। मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य सुनने के पश्चात् ही आप स्थगन प्रस्ताव की स्वीकार्यता के बारे में विचार करें। तब तक के लिये इसे स्थगित रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय पहले ही दे दिया है। यह बड़े खेद की बात है कि कुछ लोगों ने अपने जो विचार बना लिये हैं कि उन्हें इस तरह का कार्य करना है, तब वे किसी कारण को नहीं सुनते हैं। स्थगन प्रस्ताव के लिये निर्धारित नियम हैं। स्थगन प्रस्तावों की स्वीकार्यता के बारे में मैंने और मेरे पूर्वाधिकारियों ने इसी सभा में ही पिछले 15 अथवा 20 वर्षों के दौरान अनेक विनिर्णय दिये हैं। इसी तरह, इस विषय पर अन्य विधान सभाओं में विनिर्णय दिये गये हैं। स्थगन प्रस्ताव के लिये कई शर्तों को पूरा करना होता है जैसे यह अत्यावश्यक हो, निश्चित हो और यह सतत रहने वाली घटना न हो। मूल्यों में वृद्धि की घटना सदैव रहने वाली है। हमने इस पर पिछले वर्ष, पिछली लोक सभा में, और वर्तमान लोक सभा में पिछले सत्र में चर्चा की है। इस पर दोबारा चर्चा हो सकती है। यदि विरोधी दल सरकार के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो वह इस पर नियमित रूप से निन्दा प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, जिस पर चर्चा करना अस्वीकार नहीं किया जायेगा। इस तरह की जो बातें यहां होती हैं उसके लिए मुझे अत्यन्त दुख है। अन्ततः, मुझे नियमों के अनुसार ही चलना होता है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तीव्र वृद्धि का समाचार

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमन्, मैं वित्त मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक तथा खाद्य पदार्थों समेत आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तीव्र वृद्धि का समाचार और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही।"

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : अभी हाल में मूल्यों पर जो दबाव पड़ा है वह एक चिन्ता का विषय बन गया है और आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं विशेष खाद्यसामग्री के मूल्यों में वृद्धि के

सम्बन्ध में और उसके परिणामस्वरूप खासतौर से निम्न और मध्यम आय वाले वर्गों की हुई कठिनाइयों के बारे में भी उतना ही चिन्तित हूं जितना कि यह सम्मानित सदन चिन्तित है। अखिल भारतीय औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (आधार 1949=100) मई, 1972 में (नवीनतम उपलब्ध आंकड़े) 6.3 प्रतिशत बढ़कर 2.38 हो गया है। जबकि मई 1971 में इसका स्तर 2.24 था। उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक जून, 1970 से मई, 1971 की अवधि के दौरान काफी स्थिर रहा है परन्तु इसके बाद उसमें वृद्धि हुई और वह नवम्बर, 1971 में 2.39 पर पहुंच गया। अगले तीन महीनों में इसकी प्रवृत्ति नीचे की ओर रही और फरवरी, 1972 का सूचक अंक 2.35 था। मार्च, 1972 से उसमें फिर ऊपर की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति आई और मई, 1972 में सूचक अंक दिसम्बर, 1971 के स्तर से कुछ ऊपर निकल गया। चूंकि थोक मूल्यों में विशेषकर खाद्य वस्तुओं के थोक मूल्यों में मई, 1972 से वृद्धि होती रही है और इस लिए यह बहुत संभव है कि जून और जुलाई के उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक में (जब वह उपलब्ध होगा) इसी प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई देगी।

उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक देश के 50 केन्द्रों के औद्योगिक सूचक अंकों से सीधे तैयार किया जाता है और खुदरा मूल्यों के सूचक अंक राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु-बार संकलित नहीं किए जाते। तथापि खुदरा मूल्य पूरी तरह थोक मूल्यों पर आधारित रहते हैं और थोक मूल्यों की समीक्षा से पता चलता है कि चालू दबाव मुख्य रूप से मई, 1972 के पहले सप्ताह से ही बढ़ना शुरू हुआ है। मूल्यों में जून और सितम्बर, 1971 के दौरान पहले जो वृद्धि हुई थी वह मुख्य रूप से मौसमी कारणों से हुई थी और वह अगले नौ सप्ताहों में बहुत कुछ सुधर गयी थी, परन्तु इसके बाद फिर नए सिरे से दबाव पड़ा जिसके कारण चीनी के उत्पादन में कमी होने की आशंका थी। शीतकालीन वर्षा में देरी हो जाने के कारण भी बाजार के रूप पर कुछ असर हुआ।

हाल में जो मूल्य में वृद्धि हुई है उसका कारण मौसमी दबाव है जो कि मई के प्रारम्भ से ही अपना असर दिखाने लगे थे। 6 मई से 15 जुलाई, 1972 के बीच, थोक मूल्य सूचक अंक में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खाद्य वस्तुओं के-सूचक अंक में कुल मिलाकर 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इन वस्तुओं में भी, अनाज में 8.9 खाद्य तेलों में 11,3 और चीनी तथा अन्य सम्बद्ध वस्तुओं में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, वर्ष के इस भाग में खाद्य वस्तुओं पर कुछ दबाव पड़ना स्वाभाविक है। किन्तु इस बार मानसून के शुरू होने में देरी हो जाने से और सूखे की स्थिति बनी रहने के परिणाम स्वरूप ये मौसमी कारण अधिक प्रबल हो गये हैं। इसके अलावा पहले जैसी आशा की गयी थी उसके विपरीत, 1971-72 में अनाज पैदावार में वृद्धि नहीं हुई और ऐसा प्रतीत होता है कि 1971–72 के दौरान बाढ़ और सूखे की स्थिति से हुए नुकसानों के फलस्रूप खासतौर से मोटे अनाजों के उत्पादन में काफी कमी हुई है। इस प्रकार मूल्यों के सामान्य स्तर में जो वृद्धि हुई है उसका मूल कारण कृषि जन्य वस्तुएं हैं जिनकी उपलब्धि कम हुई है। जैसे मोटे अनाज, दालें और चीनी तथा संबंधित वस्तुएं, जिनके मूल्य वर्ष में काफी अधिक बढ़ गए है उदहरणार्थ, ज्वार में 15.8 प्रतिशत, बाजरे में 39.4 प्रतिशत, दालों में 25.3 प्रतिशत और चीनी तथा सम्बद्ध वस्तुओं में 38.4 प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई है।

साथ ही, हाल के मूल्यों के दबाव का कपास के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इनमें 2.5 प्रतिशत की कमी हुई है और सूती वस्त्रों के मूल्यों में घटने की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

उपर्युक्त कारणों के अलावा जिनके फलस्वरूप यह मूल्य वृद्धि हुई है, पिछले वर्षों के दौरान बंगला देश के शरणार्थियों के आने और पाकिस्तान के साथ मुठभेड़ हो जाने के कारण, मुद्रा-उपलब्धि में काफी वृद्धि हुई है। इस मुद्रा विस्तार का असर देर-सवेर महसूस होना ही था। दूसरी ओर, अनाजों के आयात में वर्ष प्रतिवर्ष कमी होती रही है और जनवरी, 1972 से रियायती तौर पर होने वाला आयात बन्द हो गया है।

जैसा कि सम्मानित सदन को मालूम है, जनवरी, 1970 से, जबकि अनाज, तेलहन और खाद्य तेलों के लिए दिए जाने वाले बैंक ऋणों पर नियन्त्रण कड़ा कर दिया गया था, एक काफी प्रतिबन्धात्मक मुद्रा नीति अपनाई जा रही है। हाल ही में गुजरात में मूंगफली के लिए दिए जाने वाले बैंक ऋणों पर और भी अंकुश लगा दिए गए हैं। मुद्रा सम्बन्धी मांग को उचित सीमाओं में रखने के लिए, सरकार आयोजना-भिन्न व्यय में किफायत कर रही है और राज्य सरकारों को कह दिया गया है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट न लें और एक चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अपने बकाया ओवर ड्राफ्टों को साफ कर दें। इसके जलावा अन्य कई प्रशासनिक उपाय भी किए गए हैं। जनवरी, 1972 में भारतीय खाद्य निगम को यह निर्देश दिया गया था कि वह तत्कालीन मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए खुले बाजार में गेहूं की बिक्री शुरू कर दें; निगम महत्वपूर्ण स्थानों पर (दालों सहित) अनाज की बिक्री के लिए बिक्री केन्द्र भी खोल रहा है। इसी प्रकार, सरकार ने जनवरी, 1972 में चीनी की मिलों के साथ एक स्वैच्छिक व्यवस्था की थी कि वे चीनी के उत्पादन का 60 प्रतिशत भाग उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों की दूकानों के माध्यम से नियत दरों पर बेचेंगे, इस व्यवस्था को 1 जुलाई, 1972 से कानूनी आधार दे दिया गया है।

जहां तक समाज के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों को (दाल-भिन्न) अनाजों की पर्याप्त उपलब्धि की सुनिश्चित व्यवस्था करने का सम्बन्ध है। सरकार एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली चला रही है, जो कि 25,000 से भी अधिक उचित मूल्यों की दूकानों के माध्यम से संचालित होती हैं। राज्यों से उपलब्ध सूचनाओं से पता चलता है कि इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाजों की बिक्री हाल के महीनों में बढ़ गई है। इस समय सरकार के पास 90 लाख टन से अधिक अनाज का भंडार है राज्य और सरकारों को यह अनुदेश दे दिए गए हैं कि वे इस सार्वजनिक वितरण ऋण प्रणाली का विस्तार शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में और कर दें।

अर्थव्यवस्था अनेक प्रमुख क्षेत्रों में मांग और पूर्ति के संतुलन पर आधारित है। अन्ततोगत्वा इस समस्या का समाधान कृषि और उद्योग दोनों के क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि में ही निहित है, और इसके लिए आयोजन बद्ध विकास के माध्यम से पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। जहां तक पहली बात का संबंध है, इसके लिए सरकार बीजों की नई और संकर किस्मों का विकास करके उत्पादकता और पैदावार बढ़ाने के लिए दीर्घकालीन उपाय करती रही है। आशा है, इन उपायों के फलस्वरूप उत्पादन में होने वाली घटा बढ़ी कम हो जाएगी और मूल्यों में स्थिरिता आ जाएगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे दुख है कि कोई संनोषजनक उत्तर देने अथवा समाज विरोधी तत्वों द्वारा जमाखोरी अथवा मुनाफाखोरी को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं अथवा करेगी, हमें बताने के बजाए वित्त मन्त्री ने कहा है :

" अन्ततोगत्वा इस समस्या का समाधान कृषि और उद्योग दोनों के क्षेत्रों में उत्पादन की

वृद्धि में ही निहित है, और इसके लिए आयोजना बद्ध विकास के माध्यम से पूरा प्रयत्न किया जा रहा है।"

यह बड़े खेद की बात है कि जब हम अपनी स्वतंत्रता की 25 वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं फिर भी कीमतों में कोई कमी नहीं हुई है। लोग भूखे मर रहे हैं। बिहार और कुछ अन्य स्थानों में पहले से ही खाद्यान्न के लिए लूट मार हो रही है। और पुलिस को लाठी चार्ज तथा गोलियां चलानी पड़ रही है।

वस्तुतः यह आश्चर्य की बात है कि इसके लिए सरकार ने अब तक कोई प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की है। हमने इस सदन में यह राय प्रकट की है कि इस व्यापार को समाज विरोधी तत्वों के पंजों से मुक्त किया जाए और खाद्यान्न का थोक व्यापार राज्य तंत्र को सौंप दिया जाय। दिल्ली में और अन्य महानगरों में खुले बाजार में चीनी का मूल्य 3.40 रुपए और 3.60 रुपए प्रति किलो है और कुछ अन्य स्थानों पर चीनी का मूल्य 4 रुपए प्रति किलो तक है।

सब्जियों की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। मछली, मांस, अंडा अर्थात् प्रत्येक वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है। यदि मन्त्री महोदय स्वयं बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए जाएं, तब उन्हें पता चलेगा कि कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है।

जब सरकार को यह बताया गया कि चीनी की कीमत में वृद्धि हो रही है, तो, खुले बाजार में चीनी की कीमत के बारे में कोई प्रभावी कार्यवाही करने के बजाए, उन्होंने चीनी का कोटा कम कर दिया जो राशन की दूकानों में सामान्य व्यक्ति को दिया जा रहा था। यह बड़ी शर्मनाक बात है कि चीनी की कीमत कम करने के बजाए कोटा कम कर दिया गया है और वह चीनी जमाखोरों और मुनाफाखोरों को ऊंचे मूल्यों पर जनता को बेचने के लिए दे दी गई है।

अन्य वस्तुएं जैसे डालडा, सरसों का तेल और अन्य तेलों की कीमत में वृद्धि हुई है जिसे वित्त मन्त्री ने स्वयं स्वीकार किया है।

सरकार द्वारा इस सदन में अपनी असफलता स्वीकार करने के बाद भी उन्होंने यह कहा है कि इस असफलता के लिए जिम्मेदार सूखे की स्थिति और बंगला देश के शरणार्थियों के जाने के बाद ही कीमतों में वृद्धि हुई है।

मैं जानता चाहता हूं कि क्या सभी विरोधी दलों ने सरकार से अनुरोध किया है कि अनाज की वसूली से लेकर वितरण तक का समस्त कार्य उसे अपने हाथ में ले लेना चाहिए। सरकार ने इसे अपने हाथों में क्यों नहीं लिया है, इस बारे में सरकार को क्या कहना है।

मैं वित्त मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली में कुछ लोग जो अनाज, चावल, चीनी आदि की चोर, बाजारी करते हुए पाए गए हैं, क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया है और दंडित किया गया है ? किसी एक भी कर्ल्क को दंड नहीं दिया गया है हम जानना चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों को और राहत मिलेगी, संयुक्त परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष जो मन्त्रिमंडल सचिव हैं ने अन्तरिम राहत देने

के बारे में सरकारी कर्मचारियों की मांग को अस्वीकार कर दिया है । हमें उनके इसी रवैए के कारण समित की वैठक छोड कर आना पड़ा था । सरकार को पूर्ण ईमानदारी के साथ उनको अन्तरिम राहत देनी चाहिए ।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार जमाखोरों के नियन्त्रण से समूचा खाद्यान्न व्यापार अपने हाथ में ले लेने को तैयार है और क्या जमाखोरों को दन्ड दिया जाएगा अथवा क्या किसी व्यक्ति को इस सम्बन्ध में दन्ड दिया गया है ।

वायदे के व्यापार पर प्रतिन्बध लगाया गया है परन्तु फिर भी यह अवैध रूप से चल रहा है, परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हुई है । मुझे आशा है कि मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया जायगा ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य ने अपने संपूर्ण वक्तव्य में थोक व्यापार पर अधिक जोर दिया है, इस सम्बन्ध में हमने स्वीकार किया है कि सिद्धान्तः हम थोक व्यापार अपने नियन्त्रण में ले लेंगे ।

जहां तक मूल्यों में वृद्धि का प्रश्न है, यह अधिकतर खाद्यान्न के क्षेत्र में हुई है, ज्वार बाजरा और दालों के मूल्यों में अधिक वृद्धि हुई है, मोटा अनाज पैदा करने वाले कुछ राज्यों में गत दो तीन वर्षों से सूखा की स्थिति व्याप्त है जिसके परिणामस्वरूप हमें कठिनाई उठानी हो रही है । केवल थोक व्यापार अपने नियन्त्रण में ले लेने से ही काम नहीं चलेगा ।

वस्तुतः खाद्यान्न के थोक व्यापार का कार्य भारतीय खाद्य निगम की देख-रेख में हो रहा है हमने यह काय धीरे-धीरे हाथ में लिया है और इसके लिए किसी को दोष देना ठीक नहीं है, जहां तक वितरण व्यवस्था का प्रश्न है, इसके लिए 1,25,000 दूकानें कार्य कर रही हैं । हम राज्य सरकारों को भी यह कार्य और आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं । जमाखोरी के विरूद्ध भी हमने कार्यवाही की है । रिजर्व बैंक आफ इन्डिया भी इस सम्बन्ध में कार्य कर रहा है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली में किसी व्यवित को दन्ड दिया गया है । यहां चीनी 4 रुपए प्रति किलो बिक रही है । यह आप स्वयं बाजार में जाकर देख सकते हैं, मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले मंहगाई भत्ते में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है । इस बारे में उनका क्या कहना है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : महंगाई भत्ते में वृद्धि करने के सम्बन्ध में एक निर्धारित फार्मूला है, जब सूचकांक निर्धारित बिन्दु पर पहुंच जायेगा, मंहगाई भत्ते में वृद्धि स्तर हो जायगी ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : If you compare the Statements of the hon. Minister which he delivered on 16th Nov., 1971 and today, you will find no difference. May I know whether the Government regards if as its duty only to make such statements and do nothing. In his statement the hon. Minister has stated that the ultimate solution lies in increasing production both in the agricultural and industrial sector and this is being attempted through planned development. No one denies the need of increassng production, But may I know the reasons why the industrial production increased only by 1.5 per cent when the target was 7 per cent.

The hon. Minister's statement does not revising hope. The price increase shows the failure of the Government in this field. They have no solution even to stabilies the prices.

The salaried employees are affeeted whenever there is price increase. The value of a rupee has decreased to paisa 25. The hon. Minister talks of wholesale prices but the common man is concerned with retail prices only. The prices of wheat have increased but all the profits are being taken away by intermediaries surprising by the Super Bazar is selling goods at high prices in comparison to market rates-

Although the concept of fair-price shops come under State subject, but the hon. Minister's will admit that to-day common man is not getting essential goods at fair prices. I want to know what the hon. Minister is doing in this direction. Although I am not against Government's taking over trade in foodgrains but may only submission is to adopt realistic approach in the production and distribution of foodgrains.

May I know whether deficit financing is the cause of price increase. In the fourth plan deficit financing has crossed its limitation. If the money comes out in this way then the price will definitly increase.

The Finance Minister should give assurance to the employees that recommendations of the Pay Commission will be implemented with retospective effect. Will the hon. Minister take steps to make available necessary items at subsidised rates to employees having salary less than Rs. 300 ?

Shri K. D. Malaviya (Domariaganj) ; The lengthy debate in the call attention motion takes all the times and we cannot get time to express ourselves. It is injustice for us. We should also be given time.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य मेरे इस कथन से सहमत हैं कि इस समस्या का समाधान कृषि और औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में है, वे मेरे इस कथन से भी सहमत हैं कि नारे लगाने से कोई समस्या हल नहीं होती है, मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति से हम सभी चिन्तित हैं, हमें उन कारणों को जानना चाहिए जिनसे हमे घाटे की अर्थव्यवस्था का आश्रय लेना पड़ता है, हमने गत वर्ष प्राकृतिक विपदाओं का सामना करने के लिए घाटे की अर्थव्यवस्था में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी, परन्तु बाढ़, अकाल आदि के कारण प्रत्येक राज्य से इसकी मांग आने लगी थी, इसलिए परिस्थितियों में इसका भी आश्रय लेना पड़ता है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : घाटे की अर्थव्यवस्था का आश्रय अनुत्पादकता के लिए नहीं लिया जाता है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : क्या अकाल के कारण भूख से मरते हुए व्यक्ति को इस आधार पर सहायता न दी जाये कि उससे हम कुछ भी उत्पादन नहीं कर रहे हैं ? घाटे की अर्थव्यवस्था का आश्रय राजनैतिक तथा आर्थिक मजबूरियों से लिया जाता है । पूर्वी बंगाल से शरणार्थियों का आना तथा पाकिस्तान के साथ युद्ध राजनैतिक मजबूरी है ।

मैं वितरण व्यवस्था के संबंध में माननीय के सुझावों से सहमत हूं, सरकार इस बारे में यथा-संभव कार्यवाही कर रही है । मैं बताना चाहता हूं कि सरकार जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : क्या मैं जान सकता हूं कि देश में फुटकर मूल्यों का पता लगाने के लिए कोई व्यवस्था की गई है ? हमें बाजार जाने पर यह पता लगा है कि फुटकर मूल्य और थोक मूल्य में कोई संबंध नहीं है। फुटकर मूल्य अधिक ऊँचे हैं।

जब चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकर करने का प्रश्न उठा था तो सरकार ने इस माँग को अस्वीकार कर दिया था। अब चीनी के मूल्य बढ़ने के लिये फुटकर व्यापारियों को दोष देना तथा बड़े एकाधिकारियों को छोड़ देना जनता के आंखों में धूल झोकना सरल है।

मंत्री महोदय ने बताया है कि खाद्यान्नों तथा अत्यावश्यक वस्तुओं का थोक व्यापार सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना संभव नहीं है। यह सर्वविदित है कि निर्माता कम उत्पादन करके कृत्रिम अभाव पैदा करते हैं ताकि वस्तुओं के मूल्य बढ़ जायें। परन्तु इस वमाक में निर्माताओं द्वारा पैदा की जाने वाली वस्तुओं के कृत्रिम अभाव के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, देश में हो रही जमाखोरी के बारे में सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1962 और 1972 के बीच थोक वस्तुओं के मूल्यों में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका अर्थ है कि रुपये का मूल्य कम होकर 50 पैसे रह गया है, क्या मंत्री महोदय ने इसका उल्लेख किया है ? यदि सरकार बड़े व्यापारियों पर नियंत्रण रखती तो संभवतया आज यह स्थिति पैदा नहीं होती।

सरकार को अत्यावश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए तथा वितरण की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। वितरण की समुचित व्यवस्था एकाधिकार तथा जमाखोरी पर नियंत्रण रखकर की जा सकती है। यही मेरा सरकार से अनुरोध है अन्यथा देश का भविष्य अंधेरे में पड़ जायेगा।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा है केवल अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं उनके कुछ विचारों से सहमत हूं।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : The prices of cloth have not decreased in comparison to the fall in prices of cotton. No doubt the expenditure on Bangla Desh had a impact on the prices of commodities. But for the last 22 years prices have increased by 135 per cent which cannot be called seasonal. The foreign monopolists are contributing for the rise in prices of commodities of daily use. So the Government should take over their work of distribution as is being done in the case of production. Also production and consumption of commodities of daily use should be taken in the public sector. The number of Fair price shops opened in Delhi should also be increased-

The Government should state the steps being taken to take over the work of distribution and bringing in this production of essential commodities under the public sector. Besides this what steps the Government is taking to make available cheap cloth to the poor?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जहां तक उचित दर की दुकानों का प्रश्न है, सरकार ने इनकी संख्या बढ़ाने को कहा है, इसके अतिरिक्त मोटा कपड़े बनाने के बारे में कपड़ा मिलों पर कुछ शर्तें लागू हैं। इसको भी उचित दर की दुकानों के द्वारा वितरण करने का प्रयास किया जा रहा है। अन्य बातों के संबंध में वे योजना मंत्री के साथ बातचीत कर सकते हैं।

चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान चण्डीगढ़ के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी प्रमाणित लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : मैं चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ के वर्ष 1970 71 सम्बन्धी प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-3170/72]

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 का प्रतिवेदन, निक्षेप बीमा अधिनियम, 1970, बम्बई का प्रतिवेदन और वर्ष 1972-73 के दौरान केन्द्रीय सरकार के बाजार ऋणों के परिणाम दर्शाने वाला विवरण

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

(1) दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (1972 का संख्या 5), जो राष्ट्रपति द्वारा 22 जून, 1972 को प्रख्यापित किया गया था ।

(2) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1972 (1972 का संख्या 6) जो राष्ट्रपति द्वारा 14 जुलाई, 1972 को प्रख्यापित किया गया था ।

(3) आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (1972 का संख्या 7), जो राष्ट्रपति द्वारा 15 जुलाई, 1972 को प्रख्यापित किया गया था ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-3171/72]

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित दस्तावेजों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :-

(एक) सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन ।

(दो) बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तीन) पंजाब नेशनल बैंक के 31 दिसम्बर, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चार) बैंक आफ बड़ौदा के 31 दिसम्बर, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(पांच) युनाइटेड कामर्शियल बैंक के 31 दिसम्बर, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन ।

(छः) कनारा बैंक के 31 दिसम्बर, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(सात) युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन ।

(आठ) देना बैंक के 31 दिसम्बर, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(नौ) सिन्डीकेट बैंक के 31 दिसम्बर, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(दस) युनियन बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ग्यारह) इलाहाबाद बैंक के 31 दिसम्बर, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(बारह) इण्डियन बैंक के 31 दिसम्बर, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तेरह) बैंक आफ महाराष्ट्र के 31 दिसम्बर, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चौदह) इंडियन औवरसीज बैंक के 31 दिसम्बर, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रदिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-3172/72]

(2) निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निक्षेप बीमा निगम, बम्बई, के 31 दिसम्बर, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के कार्य सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-3173/72]

(3) वर्ष 1972-73 के दौरान केन्द्रीय सरकार के बाजार ऋणों के परिणाम दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-3174/72]

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : मैं डा० के० एल राव की ओर से देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-3175/72]**

भारतीय खाद्य निगम, 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा भारतीय राज्य बीमा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :–

(1) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-3176/72]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :-

(एक) भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1 जुलाई, 1970 से 30 जून, 1971 तक की अवधि के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का 1 जुलाई, 1970 से 30 जून, 1971 तक की अवधि सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-3177/72]

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : मैं स्थायी सिन्धु आयोग के 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुए वर्ष सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3178/72]

उच्चतम न्यायालय (दांडिक अपील, अधिकारिता का विस्तार,) संशोधन विधेयक, 1972

Supreme Court (Enlargment of Criminal, Appellate Jurisdiction) Amendment bill, 1972

सचिव : मैं उच्चतम न्यायालय (दाण्डिक अपील अधिकारिता का विस्तार) संशोधन विधेयक, 1972, राज्य सभा द्वारा 3 जून, 1972 को पास किए गए रूप में, सभा-पटल पर रखता हूं ।

विधेयकों पर अनुमति
ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पिछले सत्र के दौरान पास किए गए तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 9 विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं ।

(1) विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर कराना तथा दस्तावेजों का पेश किया जाना) विधेयक, 1972 ।

(2) औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 1972 ।

(3) वास्तुविद विधेयक, 1972 ।

(4) प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 1972 ।

(5) छावनी (नाटक नियंत्रण विधियों का विस्तार) संशोधन विधेयक, 1972 ।

(6) सिकन्दराबाद और औरंगाबाद छावनी गृह किराया नियंत्रण कानून (निरसन) विधेयक, 1972 ।

(7) खाद्य अपमिश्रण निवारण (कोहीमा और मोकोकचुंग जिलों पर विस्तार) विधेयक, 1972।

(8) कराधान विधि (जम्मू-कश्मीर पर विस्तार) विधेयक, 1972।

(9) अवक्रय विधेयक, 1972।

मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पिछले सत्र के दौरान पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 10 विधेयकों की राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत प्रतियां भी सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) साधारण बीमा (आपात उपबन्ध) संशोधन विधेयक, 1972।

(2) राष्ट्रीय सेवा विधेयक, 1972।

(3) संविधान (29वां संशोधन) विधेयक, 1972।

(4) संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1972।

(5) दिल्ली भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1972।

(6) दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 1972।

(7) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक,1972।

(8) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 1972।

(9) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,1972।

(10) दिल्ली सहकारी सोसाइटी विधेयक, 1972।

सदस्य द्वारा त्याग पत्र
RESIGNATION OF MEMBER

(श्री एस० एम० कृष्ण)

अध्यक्ष महोदय : मैं मभा को सूचित करता हूं कि मैसूर के माण्डया निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा में निर्वाचित सदस्य श्री एस० एम० कृष्ण ने 22 जून, 1972 से लोक सभा में अपने स्थान से त्याग पत्र दे दिया है।

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) विधेयक
GENERAL INSURANCE BUSINESS (NATIONALISATION) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय का बढ़ाना

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा जनसमुदाय के सर्वाधिक हितों में साधारण बीमा कारबार के विकास को सुनिश्चित करके वित्तीय आवश्यकताओं की अधिक अच्छी तरह पूर्ति करने तथा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि अर्थ-व्यवस्था के प्रचलन के परिणामस्वरूप धन का ऐसा संकेन्द्रण न हो जो सर्वसामान्य के अहित में हो, भारती बीमा कम्पनियों तथा अन्य विद्यमान बीमाकर्ताओं के उपक्रमों के अंशों के अर्जन तथा अन्तरण का, ऐसे कारबार के विनियमन और नियंत्रण का तथा तत्सम्बद्ध अथवा तदानुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत समय को 21 अगस्त, 1972 तक बढ़ाती है।"

श्री दिनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : प्रतिवेदन लगभग पूरा हो गया था और अब अन्त में इसको प्रस्तुत करने के लिए समय को क्यों बढ़वाया जा रहा है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व श्री जे० आर० डी० टाटा तथा कुछ अन्य बड़े व्यापारी प्रधान मंत्री से मिले थे और क्या ये संयुक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर पर्दा डालने के लिए प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए नियत समय को बढ़ाना चाहते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध के लिए कोई कारण तो अवश्य बताये जाने चाहिएं अन्यथा मेरा दल इस समय सीमा के बढ़ाये जाने का विरोध करता है। इसका तात्पर्य है कि सरकार इस विधेयक को इस सत्र में प्रस्तुत करना ही नहीं चाहती। क्या इस समिति को अपना कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया था ? इस सम्बन्ध में अनेक प्रकार की अफवाहें उड़ रही है। देश में कुछ व्यक्ति इस विधेयक को बहेखाते में डालना चाहते हैं। हमें इसके कारण बताये जाने चाहिएं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I am also opposed to this extension of time. If there are some geniune reasons for seeking this extension of time it is not necessary that the time be extended up to 21st August, 1972. Actually the time should be extended up to the first day o the next session so that there could be discussion on the Bill. I respect some guilty intention of the Government in this regard. The time should be entended up to the first day of the next session otherwise it must not be extended at all.

श्री दरबारा सिंह : इस महीने की 27 तारीख को समिति की बैठक हुई थी जिसमें कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया था कि इसको स्थगित कर दिया जाना चाहिये क्योंकि संविधान के 25 वें संशोधन के पश्चात् यह प्रथम विधेयक है। इस विधेयक को संयुक्त समिति द्वारा संशोधित रूप में स्वीकृत करने तथा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने से पूर्व समिति द्वारा इस पर पूर्ण रूप से विचार किया जाना चाहिए। इसे स्थगित करने का और कोई कारण नहीं है। हमने समिति की अनेक बैठकों का आयोजन किया और साक्ष्य देने के लिए 13 संगठनों को बुलाया था। हर स्तर के लोगों ने इस

संबंध में साक्ष्य दिया । अतः यह कहना गलत होगा कि इसको किन्हीं और कारणों से स्थगित किया जा रहा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कभी कहा गया है कि कुछ सदस्यों द्वारा सुझाव दिए जाने के फल-स्वरूप सम्पूर्ण समिति ने इसे स्थगित करने का निर्णय किया था । किन्तु यह प्रतिवेदन बहुत असन्तोष जनक है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैंने इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में यह विरोध प्रगट किया है कि देश में लोगों में यह विचार नहीं उत्पन्न होना चाहिए कि संयुक्त समिति के सदस्य श्री जे० आर० डी० टाटा तथा अन्य बड़े व्यापारियों के इशारे पर इस विधेयक पर चर्चा स्थगित करना चाहिते हैं ।

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री० एच० आर०गोखले) : सरकार इस विधेयक को इसी सत्र में ही पारित करने के लिए बहुत इच्छुक हैं और इसे आगमी सत्र के लिए स्थगित करने का हमारा कोई विचार नहीं है यह सही है । कि 24 वें और 25 वें संविधान संशोधन विधेयकों को पास करने के पश्चात् यह प्रथम विधेयक है जिसे पारित करना है । इसलिए इसके सारे उपबन्धों और प्रावधानों की पूरी जांच करना आवश्यक है जिससे इसमें कोई त्रुटि न रहने पाए । यही कारण है कि इस पर विचार के लिए कुछ और अधिक समय की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह कि :

"कि यह सभा जनसमुदाय के सर्वाधिक हितों में साधारण बीमा कारबार के विकास को सुनिचिश्त करके वित्तीय आवश्यकताओं की अधिक अच्छी तरह पूर्ति करने तथा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि अर्थव्यवस्था के प्रचलन के परिणाम-स्वरूप धन का ऐसा संकेन्द्रण न हो जो सर्वसामान्य के अहित में हो, भारतीय बीमा कम्पनियों तथा अन्य विद्यमान बीमाकर्त्ताओं के उपक्रमों के अंशों के अर्जन तथा अन्तरण का ऐसे कारबार के विनियमन और नियन्त्रण का तथा तत्सम्बद्ध अथवा तदानुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत समय को 21 अगस्त, 1972 तक बढ़ाती है" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE : QUESTION OF PRIMILAGE

अध्यक्ष महोदय : श्री अजीत कुमार साहा एक संक्षिप्त वक्तव्य दें ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : इस पर मध्याह्न भोजन के पश्चात् चर्चा की जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : साधारणतया औपचारिक विधान कार्य को मध्याह्न भोजन से पूर्व ही समाप्त कर दिया जाता है ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : इस पर मध्याह्न भोजन के पश्चात् ही विचार किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : हमने इस सम्बन्ध में आज प्रातः ही चर्चा की थी । माननीय सदस्य आसनसोल से यात्रा कर रहे थे कि कुछ पुलिस के व्यक्तिओं ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया । उन्होंने यह मुझे बतायी है । मैं इस मामले की रिपोर्ट देने के लिए मन्त्री महोदय के पास भेज रहा हूं । उसके उपरान्त मैं माननीय सदस्य को सदन में इस मामले पर वक्तव्य देने की अनुमति दूंगा ।

कोक कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक

COKING COAL MINES (NATIONALISATION) BILL

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि लोहे तथा इस्पात की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति के लिए आवश्यक कोक कोयले के स्रोतो की सुरक्षा, संरक्षण और उनके वैज्ञानिक विकास की प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ कोक कोयला खानों तथा भट्टी प्लाँटों का पुनर्गठन और पुर्ननिर्माण की दृष्टि से प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोक कोयला खानों के मालिकों के अधिकार, हक और हित का तथा ऐसे कोक भट्टी प्लाटों के मालिकों के अधिकार,हक और हित का, जो उक्त कोक कोयला खानों में हैं अथवा उनसे सम्बन्धित हैं, अर्जन और अन्तरण का तथा तत्सम्बद्ध या तदानुषंगिक विषयों का उपलब्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए । "

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोहे और इस्पात की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति के लिए आवश्यक कोक कोयले के स्रोतों की सुरक्षा, संरक्षण और उनके वैज्ञानिक विकास की प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ कोक कोयला खानों तथा कोक भट्टी प्लाटों का पुनर्गठन और पुर्ननिर्माण की दृष्टि से प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोक कोयला खानों के मालिकों के अधिकार, हक और हित का तथा ऐसे कोक भट्टी प्लाँटों के मालिकों के अधिकार, हक और हित का, जो उक्त कोक कोयला खानों में अथवा उनसे सम्बन्धित हैं, अर्जन और अन्सरण का तथा तत्सम्ब्रद्ध या तदानुषंगिक विषयों का उपलब्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री शाहनवाज खां : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

16 मई, 1972 को विलिंगडन अस्पताल में लोक सभा के एक सदस्य के साथ हुई घटना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE*: INCIDENT IN WILLINGDON HOSPITAL ON16th MAY, 1972 RELATING TO A MEMBER OF LOK SABHA

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : इस सदन को याद होगा कि 16 मई, 1972 को विलिंगडन अस्पताल में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उस अस्पताल में कुछ कर्मचारियों ने इस सदन के माननीय सदस्य के साथ हाथापायी की। उसी दिन इस सदन में उस घटना पर बहस हुई थी। मैंने सदन को सूचित किया था कि सभी तथ्यों का पता लगाने और इस घटना के लिए निश्चित रूप से जिम्मेदारी तय करने के हेतु इस मामले को जिला मजिस्ट्रेट दिल्ली को जांच-पड़ताल करने के लिए भेज रहा हूं।

तद्नुसार, जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी जांच शुरू कर दी थी ; उन्होंने सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे दिल्ली के मुख्य समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। इसमें यह निवेदन किया गया था कि जिस किसी व्यक्ति को इस घटना की व्यक्तिगत रूप में जानकारी है, वह उनसे मिले ताकि जिला मजिस्ट्रेट उनका बयान दर्ज कर सके। तीन व्यक्तियों ने जिला मजिस्ट्रेट की सार्वजनिक सूचना के फलस्वरूप अपने-अपने बयान दिए। अस्पताल अधिकारियों ने ऐसे 30 व्यक्तियों की सूची दी जिन्हें सम्भवतः इस घटना की व्यक्तिगत रूप से जानकारी थी। जिला मजिस्ट्रेट ने भी उस अहात का निरीक्षण किया जहां पर यह घटना घटी थी।

इस बीच मुझे विलिंग्डन अस्पताल कर्मचारी संघ की संघर्ष समिति के सदस्यों से एक पत्र मिला था जिसमें संघर्ष समिति के सदस्यों ने 16 मई को घटित दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के प्रति खेद व्यक्त किया था। उन्होंने यह भी लिखा था कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही जांच पड़ताल से कोई लाभ नहीं होगा और उन्होंने यह भी लिखा था कि उनको इस मामले में मेरे द्वारा किया गया निर्णय स्वीकार्य होगा। इस सभा के माननीय सदस्य श्री सी० पी० शैलानी द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय को लिखे गए पत्र की एक प्रतिलिपि मुझे मिली थी। माननीय सदस्य ने लिखा था कि उन्होंने इस मामले के सभी पहलुओं पर बारीकी से विचार किया और इस घटना से उन्हें खेद हुआ। उन्होंने इस तथ्य पर संतोष व्यक्त किया कि विलिंगडन अस्पताल के कतिपय कर्मचारियों ने जो कुछ घटित हुआ उसके लिए हार्दिक खेद प्रकट किया है। उन्होंने अदारणीय अध्यक्ष से अनुरोध किया था कि वे भारत सरकार को यह सलाह दें कि इस मामले में आगे और कोई कार्यवाही नहीं की जाय तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली इन्क्वायरी समाप्त कर दी जाय। इस परिस्थित को देखते हुए, श्रीमान्, मैं यह घोषित करने के लिए आपकी अनुमति चाहूंगा कि माननीय सदस्य तथा विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारियों की इच्छाओं का आदर करते हुए यह निश्चय किया गया है कि दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस मामले में और आगे इन्क्वायरी करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारी ही नहीं, बल्कि सभी अन्य संस्थानों के कर्मचारी भी लोकतंत्र में सभी नागरिकों के प्रति सद्व्यवहार के महत्व और मूल्य को समझेंगे। माननीय सदस्य ने इस मामले में जो सहिष्णुता की भावना दिखाई है उसके लिए भी मैं आभारी हूं।

मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि मैंने आपात विभाग के कार्य की जाँच करने और उसमें सुधार करने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के अपर महानिदेशक को भेजा था।

उन्होंने जांच पूरी की और विस्तृत सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इनको मन्त्रालय में विचार करने और अस्पताल प्राधिकारियों से परामर्श करने के बाद स्वीकार कर लिया गया। और 23 जून, 1972 को तद्नुसार अनुदेश जारी किये गये। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय की आपात वार्डों का अकस्मात निरीक्षण करने की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया है। मुझे बताया गया है कि हाल के निरीक्षणों के दौरान अधिकारियों ने देखा है कि अब सुधार है। मुझे विश्वास है कि सुधार करने की इस प्रकार की प्रवृत्ति कायम रखी जायेगी और आपात विभाग के कार्य में कोई कमी नहीं रह जायेगी।

श्री के० हनुमन्तैया द्वारा रेल मंत्री पद से त्याग पत्र देने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT BY SHRI K. HANUMANTHAIYA *RE*: HIS RESIGNATION AS MINISTER OF RAILWAYS

श्री के० हनुमन्तैया (बंगलौर): मेरे द्वारा मन्त्रिमण्डल से त्याग पत्र दिए जाने के सम्बन्ध में मेरे विरुद्ध कुछ आरोप लगाए गये हैं जिनके फलस्वरूप यहां एक वक्तव्य देना मैंने आवश्यक समझा है।

यह आरोप लगाया गया था कि मंत्रि मण्डल से निकाले जाने का मैंने "कड़ा प्रतिरोध" किया और मैंने त्याग पत्र देने से इनकार किया और मन्त्रिमण्डल में हेर फेर कराने में विलम्ब किया।

मैं 16 जुलाई, 1972 को प्रधान मन्त्री से मिला था। उन्होंने मंत्रिमण्डल में परिवर्तन करने के अपने मन्तव्य के बारे में सामान्य रूप से मुझसे कहा। उन्होंने मुझ से त्याग पत्र देने के लिए नहीं कहा, अपितु उन्होंने कहा कि सम्भवतः हम पुनः मिलेंगे। मैं वहां से आ गया और उनके अनुदेशों की अगले दिन तक प्रतीक्षा करता रहा। 18 तारीख को मैं दिल्ली से अलवर के पास एक स्थान पर चला गया, जिसकी सूचना मैंने प्रधान मन्त्री को दे दी थी। मैं 20 तारीख को अपनी इच्छा से दिल्ली वापस आ गया। प्रधान मन्त्री ने उसी सायंकाल मुझे बुलाया। हमने बहुत शान्तिपूर्ण और सम्मानित ढंग से कुछ बातचीत की। मैंने उनका यह संकेत कि मैं मन्त्रिमण्डल से अपना स्थान रिक्त कर दूँ जिससे कि वे मन्त्रिमण्डल में हेर फेर कर सकें, मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। बातचीत के दौरान मैंने प्रधान मन्त्री को बताया कि मैं कल अर्थात 21 तारीख को प्रातः पूर्व निर्धारित समारोह में सम्मिलित होने के लिए विमान द्वारा बंगलौर जा रहा हूं। प्रधान मन्त्री ने कृपा पूर्वक सुझाव दिया कि समारोह समाप्त हो जाने पर मैं बंगलौर से त्यागपत्र भेज दूं। परन्तु मैंने उनके पास से लौटने के एक घन्टे के बाद ही मैंने अपना त्याग पत्र भेज दिया। उन्होंने उसको दो दिन के पश्चात् अर्थात 22 मध्याह्न पश्चात् स्वीकार किया।

ये अफवाहें कि मैंने त्याग पत्र का प्रतिरोध किया और इसे देने से इन्कार किया, असत्य हैं। यह बात सर्वविदित है कि प्रधान मन्त्री को अपने साथियों के चयन करने का पूरा अधिकार है। कुछ व्यक्ति और समाचार पत्र बदले की भावना से मेरे विरुद्ध झूठा प्रचार कर रहे हैं क्यों कि कुछ अव्यक्त कारणों से उनके साथ अनुचित पक्षपात नहीं किया गया। क्योंकि मेरे विचार में सार्वजनिक जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में, मेरे बारे में जो धारणा बन गई है, वह अवश्य बदलेगी। अपने समय में रेलवे प्रशासन में मैंने जो सुधार किए है उनके बारे में वे मेरी सफलताओं के बारे में तब बतायेंगे जब मेरे विरुद्ध लगाये गये आरोप झूठे साबित हो जायेंगे।

मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे और प्रधान मन्त्री के विचारों में कभी किसी प्रकार का मतभेद नहीं रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता और यह सन्तोष है कि जिन महत्वपूर्ण नीतियों और मामलों का मैं चिरकाल से समर्थक रहा हूं प्रधान मन्त्री उन्हें कार्यान्वित कर रही हैं। मन्त्रिमण्डल से त्याग पत्र देने पर भी मेरी उनके नेतृत्व के प्रति निष्ठा कभी भी कम नहीं होगी।

भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों पर समझौते के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE*: AGREEMENT ON BILATERAL RELATIONS BETWEEN INDIA AND PAKISTAN

Shri Atal Bihari Vajpayee: Sir, before the Minister of External Affairs makes his statement I want to say something. I have also written a letter to you in this connection.

Mr. Speaker: You have already given me a substantial motion regarding this matter. Kindly have your seat and let the hon. Minister make his statement.

Shri Atal Bihari Vajpayee: It is an insult of Parliament that the Simla agreement has been ratified by President just 3 days before the commencement of Parliament session. Moreover it is being stated that there is no need of taking any approval of Parliament on this matter.

Mr. Speaker: You have already given a resolution of disapproval.

Shri Atal Bihari Vajpayee: It will be taken up later on. But it is an affront against Parliament. We wanted to criticise this agreement. But they have insulted Parliament (*Interruptions*). Even the parties, which are in favour of this agreement have criticised the Government for taking such a step. They have violated the Prime Minister's meeting of yesterday.

I would take the hon. Minister of External Affairs so apologise before the House for this hope. The Minister says that there is no constitutional obligation to put such an agreement before the House.

Simla agreement has been published in the newspapers. The External Affairs Minister has given his statement on this agreement. It is derogatory to the honour and dignity of this House to ratify this Simla agreement just three days before commencement of the Parliament session. They should apologise before the House otherwise business of the House will not be allowed to proceed. (*Interruptions*)

Shri Phool Chand Verma (Ujjain): It is a betrayal of trust of the country. The country has been sold out. Simla agreement should be scraped.

Shri Atal Bihari Vajpayee: I have already written to you, Sir, but you do not allow me to speak.

Mr. Speaker: You have given a resolution.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Resolution is in connection with Simla agreement.

श्री पी० के० देव (कालाहाण्डी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। स्वतन्त्र पार्टी इस समझौते का स्वागत करती है परन्तु जिस रूप में इसे सदन में प्रस्तुत किया गया है हम इसका घोर विरोध करते हैं। सदन में लाये बिना ही राष्ट्रपति द्वारा इस समझौते का अनुमोदन कर दिया गया है। अब इस पर चर्चा करने का कोई लाभ ही नहीं है। इस सम्बन्ध में विदेश मन्त्री के द्वारा वक्तव्य दिया जाना बेकार है। अब इसका कोई अवसर नहीं है और अब कोई इससे लाभ नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह आपके विचार हैं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : यद्यपि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है फिर भी इसका अनुमोदन करने से पहले इस शिमला समझौते को सदन में लाना चाहिए था। हमनें समझा था कि इस ऐतिहासिक मामले को, जिससे देश की समस्त पीढ़ी पर प्रभाव पड़ सकता है, अनुमोदित करने से पूर्व यहां लाया जायेगा। परन्तु यह बड़े खेद का विषय है कि संसद की बैठक आरम्भ होने से केवल तीन दिन पूर्व इस समझौते को अनुमोदित कर दिया गया। इससे इस सदन की मान-मर्यादा तथा नैतिक अधिकारों का अपमान किया गया है। मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद होता है कि इस समझौते पर यहां अब विचार करना निरर्थक है। ऐसा करने से संसद की नैतिक प्रथा तथा इस सदन के लोकतांत्रिक कार्यकरण का उल्लंघन होगा। ऐसा करना तानाशाही है। देश की भावी पीढ़ियों से सम्बद्ध ऐसे कार्य करना ठीक नहीं है जबकि हमारे जवानों ने देश के लिए अपने खून को आहुति तथा बलि दी है। अतः मैं मन्त्री महोदय के वक्तव्य का विरोध करता हूं। **(व्यवधान)**

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं 2 जुलाई, 1972 को शिमला में भारत के प्रधान मन्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार तथा पाकिस्तान की सरकार के बीच हुए समझौते की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-3179/72]** यह समझौता इस उपमहाद्वीप में स्थायी शान्ति स्थापित करने की दिशा में प्रथम कदम है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य मेज के इर्द गिर्द खड़े हैं कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाकर बैठ जायें। **(व्यवधान)**।

भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों के समझौते सम्बन्धी वक्तव्य पर प्रस्ताव

MOTION *RE*: STATEMENT ON AGREEMENT ON BILATERAL RELATIONS BETWEEN INDIA AND PAKISTAN

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों के बारे में 2 जुलाई, 1972 को शिमला में हुए समझौते के संबंध में विदेश मन्त्री द्वारा लोक सभा में 31 जुलाई, 1972 को दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

'कि यह सभा भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों के बारे में 2 जुलाई, 1972 को शिमला में हुए समझौते के सम्बन्ध में विदेश मन्त्री द्वारा लोक सभा में 31 जुलाई, 1972 को दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है।"

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए तीन बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।
The Lok Sabha then adjourned for lunch till fifteen of the Clock

---

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा तीन बजकर तीन मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई।
The Lok Sabha re-assembled after lunch at three minutes past fifteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

उपाध्यक्ष महोदय : विदेश मन्त्री द्वारा आज सदन में दिए गये वक्तव्य के बारे में कुछ प्रतिस्थापन प्रस्ताव है।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : प्रतिस्थापन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न के बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपको पता ही होगा कि किसी मुख्य प्रस्ताव पर प्रतिस्थापन प्रस्ताव अथवा संशोधन प्रस्तुत करने के लिए 'दो दिन' का नोटिस देना पड़ता है। इस सम्बन्ध में हाल ही में निकाली गई बुलेटिन में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है।

अब इस मामले में विदेश मन्त्री ने आज ही वक्तव्य दिया है। इसके तुरन्त पश्चात् उन्होंने वक्तव्य पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है ना कि शिमला समझौते पर विचार करने के लिए। वक्तव्य को पढ़ने से पहले मैं कैसे प्रतिस्थापन प्रस्ताव पेश कर सकता हूं ? मैं इस बारे में बैकल्पिक सुझाव दे सकता हूं। परन्तु यह इस मामले से भिन्न है। अब हमसे अभी दिए गए वक्तव्य पर विचार करने के लिए कहा गया है। प्रतिस्थापन प्रस्ताव पेश करने के लिए, नियमों के अनुसार दो दिन के नोटिस की आवश्यकता होती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्रतिस्थापन प्रस्ताव पेश करने से पूर्व वक्तव्य पर विचार करने के लिए हमें समय दिया जाए।

मैं इस प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने और उस पर विचार किये जाने का विरोध करता हूं, क्योंकि स्थानापन्न प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए हमें समय नहीं दिया गया है। आपने ही कहा है कि इसके लिए दो दिन का समय चाहिए। [**अन्तर्बाधाएं**]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आपके इस तर्क पर कि इसके लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है, मैं आपको स्थानापन्न प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देता हूं। सभा ने जिस बात का निर्णय कर लिया है उससे पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रस्ताव पेश हो चुका है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर) : मैं प्रस्ताव करता हूं : कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् : —

"यह सभा, भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों के बारे में 2 जुलाई, 1972 को शिमला में हुए समझौते के सम्बन्ध में विदेश मंत्री द्वारा 31 जुलाई, 1972 को लोक सभा में दिये गये वक्तव्य पर विचार करने के उपरांत";

यह नोट करते हुए :

(क) इस समझौते से वह 'स्थायी शान्ति' सुनिश्चित नहीं होती जिसका पाकिस्तान से 'सब विवादों को एक साथ हल करके' प्राप्त करने का प्रधान मंत्री ने निष्ठापूर्वक वचन दिया था ;

(ख) 'द्विपक्षीय विचार-विमर्श' और 'विवाद के कारणों को जिनसे गत 25 वर्षों से दोनों देशों के बीच सम्बन्ध बिगड़े हुए हैं शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जायेगा' शब्दों का जिनका इस समझौते में उल्लेख किया गया है, पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा में राष्ट्रपति भुट्टो की इस घोषणा के बाद कि वह काश्मीर के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने के लिये स्वतंत्र हैं, तथा कि काश्मीरियों द्वारा 'भारत के शिकंजे' से अपने आपको मुक्त कराने के लिए आरम्भ किये गये किसी भी 'स्वाधीनता संग्राम' के समर्थन में पाकिस्तान 'अपना रक्त बहा देगा', 'चाहे इसके परिणाम कुछ भी हों' कोई अर्थ नहीं रह गया है ;

(ग) लगभग 5,000 वर्ग मील क्षेत्र जो कि इस समय भारतीय सेना के नियंत्रणाधीन है, पाकिस्तानी सेना से कश्मीर के उस 30,000 वर्ग मील क्षेत्र को जो कानूनी और संवैधानिक रूप से भारत का अंग है, खाली कराये बिना ही पुन: पाकिस्तान को लौटाया जा रहा है ;

भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों के बारे में उक्त समझौते का निरनुमोदन करती है । **(स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1)**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं प्रस्ताव करता हूं : कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिथापित किया जाये, अर्थात् :—

"यह सभा, भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों के बारे में 2 जुलाई, 1972 को शिमला में हुए समझौते के सम्बन्ध में विदेश मंत्री द्वारा 31 जुलाई, 1972 को लोक सभा में दिये गये वक्तव्य पर विचार करने के उपरान्त, इस महाद्वीप में स्थायी शान्ति के लिए आधार तैयार करने हेतु शिमला समझौता करके प्रधान मंत्री और भारत सरकार ने जो पहल की है उसकी अत्यधिक सराहना करती है ।" **(स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 4)**

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं : कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"यह सभा, भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों के बारे में 2 जुलाई, 1972 को शिमला में हुए समझौते के सम्बन्ध में विदेश मंत्री द्वारा 31 जुलाई, 1972 को

लोक सभा में दिये गये वक्तव्य पर विचार करने के उपरांत, शिमला सम्मेलन की सफलता-पूर्वक समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान की जनता को बधाई देती है और आशा करती है कि दो पड़ौसी देशों के बीच हुए इस समझौते से इस उपमहाद्वीप में शान्ति और मित्रता का एक नया युग आरम्भ होगा। इसके साथ-साथ यह सभा इस बात पर खेद व्यक्त करती है कि प्रधान मंत्री ने (1) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिये जाने से पूर्व विपक्ष के नेताओं से परामर्श नहीं किया, हालांकि उनके पूर्ववर्ती स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद जाने से पूर्व ऐसा परामर्श किया था और (2) राष्ट्रपति से इस समझौते की पुष्टि कराने के पश्चात् उसे संसद में पेश नहीं किया है, यद्यपि संसद का अधिवेशन सन्निकट था"।

(स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 6)

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं : कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों के बारे में 2 जुलाई, 1972 को शिमला में हुए समझौते के सम्बन्ध में विदेश मंत्री द्वारा 31 जुलाई, 1972 को लोक सभा में दिये गये वक्तव्य पर विचार करने के उपरांत, इस सभा की राय है कि :—

द्विपक्षीय वार्ता के व्यावहारिक अर्थों के निर्वचन के सम्बन्ध में जिसे शिमला समझौते की आधार शिला बताया गया है, पहले ही से उत्पन्न हो गये विवाद तथा पाकिस्तान द्वारा काश्मीर के मामले में की गई शिकायत पर संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही जारी रखने के लिये पाकिस्तान के राष्ट्रपति के आग्रह को देखते हुए ;

निम्नलिखित के सम्बन्ध में, अर्थात् ;

(1) भारतीय सेना के अधिकार के अधीन क्षेत्र से सेनाएं हटाने और

(2) भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने के बारे में समझौते के क्रियात्मक खण्डों का कार्यान्वयन तब तक के लिये रोक दिया जाये, जब तक कि पाकिस्तान आगामी शिखर सम्मेलन में,

(I) सर्व प्रभुता सम्पन्न बंगला देश गणराज्य को मान्यता प्रदान करने ;

(II) एक दूसरे की प्रभुसत्ता और राष्ट्रीय अखण्डता के प्रति पारस्परिक सम्मान के आधार पर तथा समूचे भारतीय उपमहाद्वीप की सुरक्षा के लिये एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर तथा अन्तनिर्भर नीति बनाने के उद्देश्य से, भारत और बंगला देश के साथ 25 वर्षीय शांति और मैत्री संधि करने ; और

(III) संयुक्त राष्ट्र संघ से काश्मीर के सम्बन्ध में अपनी शिकायत को वापस लेने के लिये सहमत न हो जाये ;

"अतः 2 जुलाई, 1972 को शिमला में हुए समझौते की प्रस्तावना में उल्लिखित 'स्थायी शांति' के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये यथार्थवादी अनुशासन सुनिश्चित किया जाये।"

(स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 7)

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The Minister of External Affairs has commended the Simla Agreement and expressed the hope that the agreement will usher in a new phase in Indo-Pak relationship. But the phraseology 'if faithfully worked out' added to it creates many doubts about the sincerity of Pakistan to implement the Agreement. Before her departure to Simla for summit meeting the Prime Minister has assured the country that the problems involving disputes between the two countries will not be solved piecemeal and there will be a package deal this time. In a press conference also held after entering into Simla Agreement in New Delhi, the Prime Minister said that she had a very unhappy experience of taking up disputed issues piecemeal and that she believed in a package deal. But the Simla Agreement does not conform to her professions. Now everybody in the country will have to admit that Government has been defeated at the conference table at Simla because the agreement reached at Simla cannot be called a package deal on any account. I would like to ask her whether all the disputes existing between India and Pakistan have been settled under this Agreement. The answer to it can be quoted from the text of Agreement itself. I give extract "The agreement is the first step towards establishing durable peace on the subcontinent," Does the Simla Agreement ensure stable peace in the sub-continent ? It does not.

During the last twenty five years several agreements and pacts were signed with Pakistan and every time the agreement or the pact was declared as the first step in the process of establishing durable peace in the sub-continent and friendly relations with Pakistan. But subsequent events proved the futility of hopes of durable peace and cordial relations etc.

The Simla Agreement is a great failure so far as the Kashmir issue is concerned. A number of times it was declared that Kashmir's accession to India was final and that the issue could not be reopened. Even in limited Nations it was made clear that our sovereignty and rights in Kashmir were not negotiable. We also held in respect of Kashmir that "part of our territory was invaded and the invasion had to be resisted and, what is more important is that it had to be rolled back." But the Kashmir issue has been made a point of dispute, the Kashmir issue has been reopended by having a clause in the Simla Agreement. 'Final settlement of Jammu and Kashmir'. Where had gone our declarations like 'Kashmir is an integnal part of India.' 'Kashmir's merger with India is final and inevocable.' The Simla Agreement is a great failure in the sense that it has made the Kashmir issue negotiable pending the final settlement.

Sir, Shri Bhutto came to Simla with three objectives—withdrawal of the Indian Army from the territories Pakistan lost to India during December War ; release of Pakistani Prisoners of War ; and reopening the issue of Kashmir. Shri Bhutto has succeeded in achieving two out of these three. Moreover, he preferred to get his lost territory over the release of POWs. I would like to ask one question in this regard. What is the difficulty for us to have Pakistani POWs or Pakistan's territory in our possession? Pakistan needed her territory more than POWs. The Prime Minister entered into the agreement at Simla and returned their territory back and they have achieved their goal. The Prime Minister is trying to link the question of POWs with durable peace which means that no permanent peace could emerge out of Simla Agreement and it is for this reason that we are opposing it. The question of Kashmir is likely to re-open as a result of Simla Agreement.

I want to know whether there was any agreement in regard to Kashmir at Simla ? Whether Shri Bhutto gave same assurances to the Prime Minister or she gave same assurances to Shri Bhutto ? Shri Piloo Mody's statement about softening of the Indo-Pak border in Kashmir has confirmed my doubts about this secret deal between Prime Minister and Shri Bhutto at Simla. Softening of the border means movement of Pakistani intruders into Kashmir without any check.

The Rulers of Pakistan have been rejecting the no-war pack right from the time of Shri Nehru. From the very beginning, Pakistan has been assuring that it will not resort to force. Both at Simla and Tashkant India and Pakistan agreed to refrain from use of force and settle

their disputes through peaceful means. In addition an Agreement signed between India and Pakistan on 23rd October, 1959 also lays stress on settling all disputes by negotiations.

In fact, Pakistan should have given guarantee not to repeat the past history of conglutination with India. Why is Pakistan accmulating arms from all sources whe it has assured peaceful relations with India? Pakistan has acquired more equipments it lost in the December, 1971 war, from France, China and other Muslim Countries. It has already raised two additional army Divisions and raising two more. . . (*Interruptions*)

Why should Pakistan need arms ? India is becoming its friend and it has already friendly relations with Afghanistan, China, America and Russia. Then who is its enemy ? Against whom these arms will be used ? History of Pakistan is the history of violation of agreements. I feel that our Government has failed to secure solid peace at Simla.

We want that no third power should interfere in our disputes with Pakistan and in the matters which were solved in Simla. In spite of all this, Pakistan has not snapped its ties with the friendly countries which supply arms to it. Besides this, Shri Bhutto is also provoking the people of Kashmir to rise in revolt against India. Pakistan has officially opposed Indian move that U. N. observers are not required in Kashmir.

Kashmir is a bone of contention and Shri Bhutto is provoking the people of Kashmir to rise in revolt. Is it not provoking the people against the territorial integrity of India. Is it not interference in the internal affairs of India ? The Prime Minister could say that we extended our hand of friendship but Shri Bhutto has polluted the atmosphere of peace with his speech in the National Assembly.

We expected that Tashkant will not be repeated at Simla. The summit conference at Simla was an opportunity when we could bring about durable peace and settle all the outstanding disputes but we could not achieve the same. People of Pakistan are happy because they have got back their territory and will be getting back their prisoners. What has the Prime Minister brought from Simla ? Why this type of agreement was signed at Simla ?

The Prime Minister had no time to discuss the issue with the leaders of the opposition. I also stayed at Simla for two days but I have also information about the progress of the summit in the subsequent days. The negotiations were just about to break. Pakistan was not ready to surrender Kashmir but it was India who surrendered, before them. What was the reason for the dramatic change in the attitude of Government of India in the last 15 minutes' meeting of Prime Minister with Shri Bhutto ?

The developments of last day are guarded secret. Is it a fact that a representative of Soviet Russia was present at Simla ? Is it a fact that Shri Nixon and Shri Breznlu in their summit meeting at Moscow discussed Indo-Pak problems ? Is it also a fact that hot line from Kremlin was busy during the last day of the summit at Simla ? A committee of members from all parties may be constituted to enquire into my allegations that it was due to direct Russian and indirect American influence which made India to sign the Agreement with Pakistan.

Shri Bhutto has expressed his gatitude both to Russia and America at Lahore airport.

We had four wars with Pakistan. We won at the battle field but always suffered defeats at the conference table. The Simla Agreement has dashed to the ground the sacrifices of our Jawans. It is betrayal to the national interests. It was an opportunity to bring about durable peace, which we have lost.

We committed a serious mistake at Simla. There should be a dialogue with Pakistan before vacating the occupied territory. A copy of Shri Bhutto's speech given in the National Assembly of Pakistan should be made available to us.

We have acquired the territory through conquest which cannot be vacated without amending the constitution. The refugees of the occupied areas in Rajasthan are likely to face death after the same are vacated. An assurance was given to them that this territory will not be vacated and that they should cultivate the land. This Agreement should be re-considered and a fresh decision regarding return of refugees should be taken. I suggest that a Referendum should be taken over this Agreement and we will accept the verdict of the people.

Shri Chandrajit Yadav (Azamgarh): Sir, the Simla Agreement is definitely in accordance with the accepted principles of our foreign policy. It is a great guiding force to all the peace-loving nations of the world including Bangla Desh and Pakistan. Indian public in particular and world opinion in general have welcomed the Simla Agreement.

We are aware of the history of confrontation with Pakistan and also the future dangers facing us. Shri Vajpayee need not have any apprehensions about them.

There are some forces in the country who lack real knowledge of people's aspirations. The way we solidly contributed towards the freedom of Bangla Desh under the towering leadership of Shrimati Indira Gandhi has raised the stature of our nation among the world community. But Shri Vajpayee and his friends do not want to see this aspect. There are certain persons who cannot see the better side of the Simla Agreement.

The communal parties like Jan Sangh want to disintegrate the country on the basis of religion, caste, language and area. But these days India is one united country and she has made her prestige and a place in the world. If even in this state of international prestige and national honour one sees the atmosphere of dis-contentment then what can we do.

This agreement is a great victory of ours because this time no third party was partner to it. Both the countries came to an agreement after mutual discussions without the pressure of any third party or nation. Pakistan for the first time realized the fact the no third person or war can solve our problems. This is a great achievement of this agreement and victory of our foreign policies.

We believe that the aggressor should not be allowed to enjoy the fruits of aggression. If this had been achieved by this agreement, is this not an achievement?

Shri Vajpayee says that how can we believe Pakistan? We must know that now Pakistan is not the Pakistan of Ayub's time or Yahya Khan's time. This agreement has been ratified by the National Assembly of Pakistan. Now even if they back out, whole world will laugh at them.

Kashmir is an integral part of India. Even the part of Kashmir which is in the hands of Pakistan belongs to India. We will have a discussion in that regard also whenever possible. Therefore it is wrong to say that there had been any secret pact about Kashmir. Only a day-time dreamer like Shri Vajpayee can say such a thing.

We do not care about the threats. We have faith in our people, in our Jawans and in our policies. Pakistan may back out from the agreement but we will not. We have got certain principles and are strictly following them. Acting on those very principles we took action regarding Bangla Desh, we unilaterally declared cease-fire. But I am sorry to say that Shri Atal Bihari Vajpayee has always said that all these actions of the Government have given a set back to the honour and prestige of the country. The same thing he is repeating about Simla Agreement. I think that he and his party do not know any other word except this.

It has been said here that the agreement was not brought before the Parliament for ratification. But may I point onething that whether, to-day's behaviour of Jan Sangh members was worthy of them ?

It is only due to our policies that to-day President Bhutto says that we have seen the path of war but now we should settle our disputes amicably and mutually in a peaceful manner.

We admit that Simla Agreement is not a solution of all the problems with Pakistan. But one thing we can say is that at least it is a step towards that direction and we can boldly say that we can solve our problems peacefully without the pressure of any other party.

We do not want to waste our energy in man. Shri Vajpayee can have Israel as his ideal but we cannot. We cannot grab the land of other country. We believe in peaceful co-existence. We raise our voice against injustice whether it is being done in Veitnam., Israel, Bangla Desh or anywhere else in the world. But Shri Vajpayee never said anything about the bombardment by the American forces in Vietnam. This is the only difference between them and we.

With these words I condemn what has been said against Simla Agreement. Our beloved Prime Minister has taken right step in the light of the recognised policies of India.

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : श्रीमन्, हमारे दल ने प्रारम्भ से ही शिमला समझौते का स्वागत किया है। हम चाहते रहे हैं कि पाकिस्तान तथा हमारे अन्य पड़ौसी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध सुखद और अच्छे हों। पर भूतकाल में हमें हमेशा गलत समझा गया है। हमें पाकिस्तान का पिट्ठू समझ कर जेलों में भी डाला गया है।

हमने इस समझौते का समर्थन इस कारण किया है कि यदि इसके उद्देश्यों का कठोरता से पालन किया गया तो निश्चित रूप से स्थायी शान्ति स्थापित की जा सकती है और हम यही चाहते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि हम समझौते का स्वागत करते हैं पर प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में जो तरीका अपनाया उसके प्रति हमारी कुछ आपत्तियां हैं। शिमला शिखर वार्ता से पहले तथा बाद में विरोधी दलों की सर्वथा उपेक्षा की गई है। यहां तक कि संसद के कुछ दिन पहले ही इसकी राष्ट्रपति पूर्ण पुष्टि कर दी गई है। यह विरोधी दलों और संसद की अवमानना है।

हमें आशा है कि काश्मीर समस्या और युद्ध बन्दियों की वापसी की समस्या भी आपसी बातचीत से सुलझ जायेगी। कश्मीर के सम्बन्ध में हमें पुराने फार्मूलों के पीछे नहीं पड़े रहना चाहिए।

सरकार को किसी न किसी भी तीसरी शक्ति के हस्तक्षेप से सावधान रहना चाहिए क्योंकि वे सभी इन दोनों देशों के सम्बन्ध मित्रतापूर्ण नहीं रहने देना चाहते हैं। पाकिस्तान को भी इस दिशा में सतर्कता बरतनी चाहिए।

हम इस समझौते का स्वागत करते हैं और इसका समर्थन करते हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतुल) : श्रीमन्, शिमला समझौते का जबकि देश में तथा विदेश में बड़ा स्वागत किया गया है तभी केवल जनसंघ अकेली पार्टी ने इसका विरोध किया है। यदि हम जन-

संघ की नीतियों से परिचित हैं तो हमें इससे तनिक भी आश्चर्य नहीं करना चाहिये। उसने इसका विरोध पाकिस्तानी मुसलमानों के प्रति घृणा की भावना रखने के कारण किया है।

शिमला समझौता हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री भुट्टों तथा उनके सलाहकारों की दूरदर्शिता का द्योतक है। आने वाले इतिहासज्ञ उन्हें इसके लिए हमेशा स्मरण करते रहेंगे। जो लोग यह कहते हैं कि यह भारत अथवा दोनों ही देशों के हित में नहीं हुआ वे बड़ी संकीर्ण मनोवृत्ति के लोग हैं। यह समझौता करके दोनों देशों के नेताओं ने समझदारी और साहस का परिचय दिया है।

मैं दिवा स्वप्न नहीं देखता। यह केवल आरंम्भ है, एक अन्तिम समाधान नहीं। हम सदैव चाहते रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता समृद्ध और खुशहाल रहे। हम उनकी एक सेंटीमीटर भूमि भी लेना नहीं चाहते हैं।

इस समझौते की सबसे बड़ी सफलता, जिसे आलोचकों ने नहीं देखा है, पाकिस्तानी नेताओं का युद्ध की निःसारता को स्वीकार करना तथा भविष्य में सभी आपसी झगड़े बातचीत द्वारा हल करने का निश्चय करना है। हमें आशा है कि इस सुखद श्रीगणेश की इति भी सुखद ही होगी।

निःसन्देह श्री भुट्टो कई ऐसी बातें कहते रहे हैं जिनकी हम निन्दा करते रहे हैं। परन्तु शिमला शिखर वार्ता के पश्चात् स्थिति बदल गई है और हम श्री भुट्टो और पाकिस्तान की जनता पर विश्वास करते हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने आज की परिस्थिति से जान बूझकर आंखें मूंद रखी हैं।

इस समझौते से पता चलता है कि आखिर पाकिस्तान ने महसूस किया है कि भारत के साथ अपने विवादों का निपटारा करने के लिये युद्ध का सहारा लेना नितान्त व्यर्थ है। पाकिस्तान को काश्मीर की समस्या के हल के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से अब आशा नहीं रही है। यह विवाद पारस्परिक बातचीत द्वारा हल हो सकेगा और जम्मू और काश्मीर सीमा युद्ध विराम रेखा नहीं रहेगी बल्कि उसे तर्कसंगत बनाया जायेगा।

इस समझौते का विश्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसके द्वारा 5,000 वर्ग मील जीते हुए क्षेत्र को पाकिस्तान को लौटाने का प्रस्ताव है। परन्तु यदि हम इस प्रकार का समझौता न करते तो पाकिस्तान को इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने का अधिकार रहता और हमें अंतर्राष्ट्रीय दबाव से पाकिस्तानी क्षेत्र खाली करना पड़ता, जो कि शर्म की बात होती।

25 वर्षों से हम पाकिस्तान को हमारे साथ युद्ध न करने की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये प्रेरित करते रहे हैं। अब पाकिस्तान शेष विवादों को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा या किसी अन्य शान्तिपूर्ण तरीके से हल करने को सहमत हो गया है।

अंत में यह सुनिश्चित करने के लिये कि पाकिस्तान वास्तव में स्थायी शान्ति चाहता है हमने उसके प्रशिक्षित सैनिकों को अपने पास रखा हुआ है ज्यों ही स्थाई शांति की स्थापना सुनिश्चित हो जायेगी उन्हें तुरन्त वापिस भेज दिया जायेगा। दोनों देशों के वास्तविक हितों में यह समझौता

सर्वोत्तम प्रारम्भ है और हमें आशा है कि इससे दोनों देशों के बीच यथासमय स्थायी शान्ति स्थापित हो सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पता चला है कि प्रधान मंत्री 5-30 बजे वाद-विवाद में भाग लेंगी।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय) : मैंने कुछ समय पूर्व एक लेख में शिखर समझौता का स्वागत किया था। परन्तु अच्छा होता यदि समझौते की पुष्टि संसद में वाद-विवाद के पश्चात् की जाती।

किसी इलाके पर कब्जा करके ही उसे अधिगृहित नहीं किया जा सकता है। हम बार-बार कहते रहें हैं कि दूसरे की एक इंच भूमि भी हमें नहीं चाहिए। इसलिये भूमि अर्जन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बाजपेयी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के साथ पहले जो करार हुए थे, वे पाकिस्तान को युद्ध से रोक नहीं सके।

सम्मेलन से पहले मैंने कहा था कि इससे कोई परिणाम नहीं निकलेगा। किन्तु यह समझौता दोनों पक्षों के लिए एक उपहार था, जैसा कि श्री भूट्टो ने कहा कि यह समझौता दोनों पक्षों के लिए एक विजय है।

श्री भुट्टो द्वारा युद्ध बन्दी के दिन बनी रेखा को स्वीकार करना पाकिस्तान की नीति में एक भारी परिवर्तन है।

जिन्होंने पाकिस्तान की राष्ट्रीय एसेम्बली की कार्यवाही वृत्तान्त पढ़ा है, वे भली प्रकार जानते हैं कि श्री भुट्टो पर काश्मीर बेचने का आरोप लगाया गया है।

अन्ततः यह एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें यह उपबन्ध किया गया है कि कोई भी पक्ष नियंत्रण रेखा को एक पक्षीय तरीके से नहीं बदल सकेगा और इसमें धमकी अथवा शक्ति का प्रयोग या हिंसा की बात पर रोक लगाई गई है। श्री भुट्टो का मुख्य युद्ध बंदियों की वापसी था। उन्होंने इसे शर्त के रूप में नहीं लिया।

इस उपमहाद्वीप का शक्ति संतुलन बदल गया है। मैं समझता हूं कि खंडित पाकिस्तान भविष्य में कभी भी भारत के साथ युद्ध करने का साहस नहीं कर सकेगा। इस उपमहाद्वीप में शान्ति बनाये रखने के लिए हमें कुछ न कुछ उदारता दिखानी होगी। वैसे श्री भुट्टो का अपना हित शिमला समझौते का पालन करने में ही है। इस समझौते द्वारा पाकिस्तान में प्रजातंत्र को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। समझौते का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वागत हुआ है और इसके लिये भारत को पर्याप्त श्रेय मिला है। शान्ति बनाये रखने का महत्व युद्ध जीतने से भी अधिक है।

श्री एस० ए० कादर (बम्बई-मध्य दक्षिण) : वर्ष 1971-72 ने एक शक्तिशाली नेता एवं एक शक्तिशाली दल को जन्म देकर तथा बंगला देश को जन्म देकर ऐतिहासिक महत्व प्राप्त किया है।

श्री बाजपेयी ने शिमला समझौते का तो कड़ा विरोध किया है । परन्तु जब भारतीय सेना ने बंगला देश वहां की जनता को सौंप दिया तब श्री बाजपेयी कुछ नहीं बोले । भारत-पाक विवाद विगत 25 वर्षों से चले आ रहे हैं । क्या इन सब विवादों का एक ही बैठक में निपटारा किया जाना असम्भव है ? इस समय विवाद के मामले हैं युद्ध बंदी, बंगला देश और 1971 में अधिकार में लिये क्षेत्र । सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण यह है कि भारत के प्रति पाकिस्तान का भावी रवैया क्या होगा । निस्संदेह हम युद्ध के विजेता थे । परन्तु हमने उस रूप में समझौता नहीं किया । यदि पाकिस्तान द्वारा अपने तात्कालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के पश्चात् पुनः युद्ध छेड़े जाने की आशंका है तो भी भारत कमजोरी के कारण नहीं अपितु अपनी शक्ति के बल पर समझौता कर रहा है ।

आज इन बातों से कौन इनकार कर सकता है कि भारत दुनिया की नजरों में ऊँचा उठा है तथा अब एक महान शक्ति है । यदि श्री भुट्टो इस समझौते के बारे में सच्चे नहीं हैं तो हम अपनी शक्ति के बल पर उसे सही राह दिखा सकते हैं । सारा देश इस समझौते का समर्थन करता है क्योंकि इससे इस उप-महाद्वीप में शान्ति की स्थापना होगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु के प्रस्ताव का पहला पैरा तो उचित ही है । दूसरे पैरे में प्रधान मंत्री की कतिपय भूलें दर्शाई गई हैं । ऐसा लगता है कि विरोधी सदस्यों के पास और कोई अवसर नहीं रहे ।

श्री बसु तथा श्री बाजपेयी का कथन है श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस मामले में विरोधी पक्ष के साथ परामर्श नहीं किया ।

मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का निर्माण गलत आधार पर हुआ जिसे बंगला देश ने अस्वीकार कर दिया है । प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि हम किसी की एक इंच भूमि लेना नहीं चाहते और न ही यह सह सकते हैं कि हमारी एक इंच भूमि हमारे नियंत्रण से बाहर रहे ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : When shall we recover the land we have already lost ?

श्री एस० ए० कादर : जो गई है, वह आज नहीं पहले गई है ।

स्वतंत्रता के पश्चात् हमारे देश ने बहुत से उतार-चढ़ाव देखे हैं परन्तु पिछले दो वर्षों में इस महान् देश की जनता को आशा की नई किरणें दिखाई दी हैं ।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

मुझे पक्का विश्वास है कि दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत-पाकिस्तान राजनीतिक दृष्टि से पृथक् होते हुए भी एकता का रूख अपनायेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं समझौते का स्वागत करते हुए प्रधान मंत्री को इसके लिए बधाई देता हूं ।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : हमारी पार्टी तथा विरोधी सदस्यों ने भी इस समझौते को दृढ़ समर्थन दिया है। जनसंघ द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों का दोनों ओर से खण्डन किया गया है।

आज के प्रदर्शन को बचकाना ही कहा जा सकता है। इस सभा में भी इस प्रकार की पर्याप्त चेष्टाएं की गई हैं जोकि प्रजातंत्र तथा भारतीय एकता के लिये उचित नहीं हैं।

श्री बाजपेयी ने भारतीय एकता की बात कही है। एकता किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये होती है। हमारी एकता, एकता के लिए नहीं है अपितु देश को शक्तिशाली बनाने और उसे आगे ले जाने के लिए है। श्री बाजपेयी ने ठीक ही कहा है कि कुछ लाख लोग उनके साथ हैं। परन्तु उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की जनसंख्या 60 करोड़ है और यह करोड़ों लोग श्री बाजपेयी के साथ नहीं हैं। क्या हम करोड़ों लोगों की आवाज को सुने या थोड़े से लोगों की आवाज को ? इस अल्पसंख्यक वर्ण में आत्म लघुता का भाव भरा हुआ है।

बंगला देश के निर्माण से पूर्व मेरे आश्वासनों पर भी श्री बाजपेयी विश्वास नहीं करते थे।

मैंने शिमला समझौते के लिए कोई ऊंचे दावे नहीं किये हैं। केवल यही कहा है कि यह तो एक आरम्भ मात्र है। हम पाकिस्तान से भयभीत नहीं है। हमें अपनी शक्ति पर भरोसा है।

हमारा कुछ राष्ट्रीय गौरव है जो वास्तविक है। यह भारतीय जनता को देश की भलाई के लिये अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे कुछ विरोधी सदस्य बटवारे की उपज हैं। वे लोग समझते हैं कि यदि संघर्ष समाप्त हो जाते हैं तो उनका बने रहना कठिन हो जायेगा।

मुझ पर यह आरोप लगाया गया है कि विपक्ष से परामर्श नहीं किया गया। हमने 19 मई को विपक्ष के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी। हमारे साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के मित्रों ने बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया था। जनसंघ समेत अन्य विरोधी दल उपस्थित थे। यदि वार्ता से पूर्व एक दिन पहले भी हम मिलते तो हमारे पास इससे अधिक कहने को कुछ नहीं होता। अतः यह सत्य नहीं कि हमने अपने विचार उनके समक्ष नहीं रखे थे।

मैंने श्री भुट्टो को सबसे पहले यह बात कही कि भारत और पाकिस्तान को यह निर्णय करना है कि क्या दोनों देशों के हित एक दूसरे के पूरक हैं, अथवा वे सदैव विरोधी बने रहेंगे। यदि ये परस्पर विरोधी बने रहेंगे तो हम एक अथवा सौ समझौते करें, किन्तु हम शान्ति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। परन्तु यदि हमें यह विश्वास हो जाये, जैसा कि भारत का विश्वास है कि हमारे हित एक समान हैं, हमारे समक्ष हमारी जनता की गरीबी, हमारे देश का आर्थिक पिछड़ापन, विदेशी शक्तियों द्वारा हम पर दबाव डालने का प्रयत्न जैसी कई समस्याएं है, तो हम अवश्य कुछ न कुछ कर सकते हैं।

जो शक्तियां इस उपमहाद्वीप को कमजोर रखना चाहती हैं उनका यही प्रयत्न है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में संघर्ष बना रहे ताकि हम मजबूत बनने के स्थान पर आपस में झगड़ना जारी रखें। इन्हीं बातों का अध्ययन कर हमें अपना वास्तविक हित समझ लेना चाहिए।

अब शान्ति स्थापित होगी या नहीं ? मैं न तो कोई ज्योतिषी हूं और न ही किसी ज्योतिषी से सलाह लेती हूं। मैं तो केवल इतना ही जानती हूं कि शान्ति स्थापित करने के लिए हमें अवश्य लड़ना चाहिए और हमें वे कदम अवश्य उठाने चाहिए जिनसे हम शान्ति स्थापित कर सकें। यदि इन कदमों के कोई परिणाम नहीं निकलते तो हम किसी भी आने वाली धमकी या आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार हैं। परन्तु हम सबको इस बात पर अवश्य विचार करना होगा कि क्या वास्तव में ऐसा सम्भव भी है या कि एक बहुत दूर की बात है।

अनेक सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया है कि पाकिस्तान में स्थिति बदल गयी है और मैं समझती हूं कि उनके नेता तथा राष्ट्रपति भुट्टो को भी इस बात की जानकारी है। हमें भी इस बात की पूरी जानकारी है कि भारत में भी स्थिति बदल गयी है। स्थिति अब वैसी नहीं जैसी कि ताशकंद समझौते के समय या अन्य समझौतों के समय थी। सम्पूर्ण भारतीय जनता आज एकमत है और जनसंघ के रवैये के बावजूद भी अपने हितों की रक्षा करने के लिए यह जनता एकमत है। इस प्रकार किसी के लिए भी यह सम्भव नहीं कि वह कोई ऐसी बात करे जिससे जनता के हितों को चोट पहुंचती हो। हम पाकिस्तान से नहीं डरते और न ही हम अन्य लोगों से डरते हैं। हम यह भी महसूस करते हैं कि इतना खतरा पाकिस्तान से नहीं है जितना कि उन शक्तियों से जो इस उपमहाद्वीप में संघर्ष को जारी रखना चाहती हैं।

अब समय आ गया है जबकि एशिया को अपने लक्ष्य के प्रति जागृत हो जाना चाहिये जबकि इसे अपने लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं के प्रति सजग हो जाना चाहिए और परस्पर लड़ना बन्द कर देना चाहिए। अब समय आ गया है जबकि हमें अतीत को भूल जाना चाहिए। यदि हम छोटे-छोटे झगड़ों में फंसे रहे तो फिर हम सदैव संघर्ष में रहेंगे और इसी कारण हमें अतीत को भूल जाना चाहिए और भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। मेरे विचार में श्री भुट्टो अब नए भविष्य के निर्माण की दिशा में ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रयत्न सफल हों या विफल मैं यह नहीं जानती लेकिन इसके लिए वे अथक प्रयास कर रहे हैं और पाकिस्तान की पुरानी घृणा, दुर्भावना की प्रवृत्ति को शान्ति और मित्रता का रूप देने का जो उनका प्रयास है, वह सराहनीय है।

नया छोड़ पर किये गये पाकिस्तानी आक्रमण सम्बन्धी जो समाचार प्रकाशित हुये हैं वे पूर्णतः निराधार तथा मनघढ़ंत हैं। इन समाचारों को प्रकाशित करने का उद्देश्य लोगों को भड़का कर तनाव का वातावरण पैदा करना है। मैं सदन को यह भी बताना चाहती हूं कि जब मैं शिमला में थीं तो मैंने सरकारी अथवा गैर-सरकारी रूप से किसी को भी टेलीफोन नहीं किया। हमारी ओर न तो मेरे मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य ने और न ही मैंने विदेशों से बात की है। हमें विभिन्न देशों से कई संदेश प्राप्त हुए हैं जिनमें यह आशा व्यक्त की गयी थी कि वार्ता सफल हो लेकिन किसी ने भी हमें किसी प्रकार का कोई परामर्श नहीं दिया। कोई भी विदेशी चाहे वह मित्र हो अथवा शत्रु, हमें यह नहीं बता सकता कि भारत का हित क्या है।

आज जनसंघ की वाणी ऐसी है जैसे भारत के शत्रु की हो। जनसंघ एक शत्रु का सा प्रचार कर रहा है।

कार्य-मन्त्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

(चौदहवां प्रतिवेदन)

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं कार्य-मंत्रणा समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

Mr. Speaker : I may tell you finally that the way adopted by you is undemocratic and unparliamentary. You have crossed the limit. I will not tolerate such things in future (*Interruptions*)

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : You have not allowed us to raise the point of order. You have deprived us of our right to speak. . .(*Interruptions*).

Mr. Speaker : I may tell you again to sit down (*Interruptions*).

Shri Jagannathrao Joshi : You have allowed us neither to speak nor to raise the point of order. . .(*Interruptions*)

Mr. Speaker : Do not think that I have no remedy. . .

श्री राज बहादुर : हर चीज की सीमा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ये सीमा से आगे बढ़ गये हैं। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। आप चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं जानते (**व्यवधान**)

श्री राज बहादुर : मैं अनुरोध करता हूं कि आपके विरुद्ध जो टिप्पणियां की गयीं, उन्हें कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस ओर ध्यान दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : केवल पांच मिनट शेष हैं (**व्यवधान**)

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 1 अगस्त, 1972/10 श्रावण, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, August 1, 1972/Sravana 10, 1894 (Saka)

(Raja) Ram Kumar Press, Lko. 26-9-1972—490.